मार्च 2018 मासिक करेंट अफेयर्स संग्रह

प्रीलिम्स फैक्ट्स

विश्व दुर्लभ रोग दिवस (World Rare Disease Day)

- हर वर्ष फरवरी का आखिरी दिन विश्व दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- दुर्लभ रोग दिवस का मुख्य उद्देश्य आम जनता और नीति निर्धारकों के बीच दुर्लभ रोगों और इससे पीड़ित रोगियों के जीवन पर इनके प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रचार प्रसार करना है।
- पहला दुर्लभ रोग दिवस **2008** में **29** फरवरी को मनाया गया था। यह एक दुर्लभ तिथि है जो हर चार साल में केवल एक बार आती है।
- **2008** में इसे यूरोडिस **(EURORDIS)** और इसकी राष्ट्रीय गठबंधन परिषद **(Council of National Alliances)** के द्वारा शुरू किया गया था।
- शुरुआत में यह एक यूरोपीय अभियान के तौर पर शुरू हुआ था लेकिन **2009** में अमेरिका के इससे जुड़ने के बाद यह एक वैश्विक अभियान बन गया और **2017** में इसके भागीदार राष्ट्रों की संख्या लगभग **94** हो गई थी।
- भारत में इस अवसर पर **Indian Organization of Rare diseases** द्वारा प्रकाशित एक न्यूज़लेटर जारी किया गया।

क्या है दुर्लभ बीमारी?

- भारत में दुर्लभ बीमारी की कोई मानक परिभाषा नहीं है। इन बीमारियों के लिये उपलब्ध अधिकांश साहित्य पश्चिमी लेखकों द्वारा लिखा गया है और इनकी परिभाषा भी पश्चिमी संदर्भों पर ही आधारित है।
- यूरोप में एक बीमारी या असामान्यता यदि **10000** में से अधिकतम **5** व्यक्तियों को प्रभावित करती है तो इसे दुर्लभ बीमारी के रूप में परिभाषित किया जाता है
- अमेरिका में किसी बीमारी या असामान्यता के चलते **200,000** से कम व्यक्तियों के प्रभावित होने पर इसे दुर्लभ बीमारी के रूप में परिभाषित किया जाता है।

एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफलापूर्वक परीक्षण

28 फरवरी को राजस्थान के मरुस्थल में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (Anti-Tank Guided Missile-ATGM) नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

- इस सफल परीक्षण के साथ ही अब नाग मिसाइल को सेना में शामिल करने की राह खुल गई है।
- **ATGM** मिसाइल नाग दो अलग-अलग रेंज और विभिन्न परिस्थितियों में अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही।
- स्वदेशी रूप से निर्मित नाग तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। नाग मिसाइल को दागे जाने के बाद रोका नहीं जा सकता अर्थात् यह 'दागो और भूल जाओ' **(fire and forget)** के सिद्धांत पर आधारित है।
- नाग को मुख्यत: आधुनिक युद्धक टैंकों और बख्तरबंद लक्ष्यों को भेदने के लिये निर्मित किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- नाग के हेलीकाप्टर संस्करण को हेलीना (**HELINA)** नाम दिया गया है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित रूद्र और ध्रुव हेलीकाप्टर से प्रक्षेपित किया जा सकता है।
- यह रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (**IGMDP)** के तहत विकसित पाँच मिसाइल प्रणालियों में से एक है।
- अन्य चार मिसाइलें- पृथ्वी, अग्नि, आकाश और त्रिशूल हैं।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) को 5,500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे तीन वर्षों के लिये 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने की अनुमति दी है। इस योजना से तीन वित्तीय वर्षों में 15 लाख लोगों के लिये रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister's Employment Generation Programme-PMEGP)

- **PMEGP** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा **2008-09** से लागू किया जा रहा ऋण सब्सिडी से जुड़ा एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम दो योजनाओं- प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (**PMRY)** और ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर बनाया गया है।
- भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग (**Khadi and Village Industries Commission-KVIC)** को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।
- राज्य स्तर पर यह योजना राज्य **KVIC** निदेशालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (**KVIBs),** ज़िला उद्योग केंद्रों और बैंकों के माध्यम से लागू की जाती है।
- इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक दस्तकारों तथा ग्रामीण और शहरी बेरोज़गार युवाओं की सहायता कर गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके स्वरोज़गार के अवसर पैदा करना है।
- योजना के प्रारंभ से **31.01.2018** तक अनुमानित **37.98** लाख लोगों को रोज़गार प्रदान करते हुए **9564.02** करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ कुल **4.55** लाख सूक्ष्म उद्यमों को मदद दी गई है।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard-GIB)

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है जहाँ इसे गोडावण नाम से जाना जाता है। सोहन चिड़िया, हुकना, गुरायिन आदि इसके अन्य नाम हैं। गोडावण का **वैज्ञानिक नाम आर्डीओटिस नाइग्रीसेप्स (Ardeotis Nigriceps) है।**

प्रमुख बिंदु

- **GIB** भारत और पाकिस्तान के शुष्क एवं अर्द्ध-शुष्क घास के मैदानों में पाया जाता है।
- पहले यह पक्षी भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं तमिलनाडु राज्यों के घास के मैदानों में व्यापक रूप से पाया जाता था।
- किंतु अब यह पक्षी कम जनसंख्या के साथ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और संभवतः मध्य प्रदेश राज्यों में पाया जाता है।
- **IUCN** की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली रेड डाटा बुक में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त (**Critically Endangered)** श्रेणी में तथा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम **1972** की अनुसूची **1** में रखा गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- राजस्थान में अवस्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान (**DESERT NATIONAL PARK-DNP)** में गोडावण की घटती संख्या को बढ़ाने के लिये आगामी प्रजनन काल में सुरक्षा के समुचित प्रबंध किये गए हैं।
- इस वर्ष गोडावण के प्रजनन काल में देरी हो रही है। इसके बावजूद सुरक्षित और भयरहित वातावरण उपलब्ध कराने के लिये क्षेत्र को चिह्नित करके पर्यटकों और पशुओं को उस तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है।

डेज़र्ट नेशनल पार्क

- **3162** वर्ग किमी. में फैले डेज़र्ट नेशनल पार्क में बाड़मेर के **53** और जैसलमेर के **35** गाँव शामिल है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है।
- इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम**, 1972** के अंतर्गत वर्ष **1980-81** में की गई थी।
- इस क्षेत्र के आकल गाँव से लगभग **18** करोड़ वर्ष पुराने **25** काष्ठ जीवाश्म मिले हैं जिनके संरक्षण के लिये यहाँ आकल वुड फॉसिल्स पार्क स्थापित किया गया है।
- राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में गोडावण पक्षी इसी उद्यान में पाए जाते हैं। इसलिये इस अभयारण्य क्षेत्र को गोडावण की शरणस्थली भी कहा जाता है।

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त संबंधी मामलों पर स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (**National Financial Reporting Authority-NFRA)** की स्थापना और **NFRA के लिये अध्यक्ष का एक पद, पूर्णकालिक सदस्यों के तीन पदों व सचिव के एक पद** के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- इस निर्णय का उद्देश्य **NFRA** को **ऑडिटिंग पेशे के एक स्वतंत्र नियामक** के रूप में स्थापित करना है जो कि कंपनी अधिनियम**, 2013** में लाए गए प्रमुख परिवर्तनों में से एक है।
- इस निर्णय से विदेशी और घरेलू निवेश में सुधार, आर्थिक विकास में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप कारोबार के वैश्वीकरण को अनुसमर्थन तथा लेखापरीक्षा व्यवसाय के सतत् विकास में सहायता मिलेगी।
- चार्टेड एकाउंटेंट्स और उनकी फर्मों की जाँच करने के लिये **NFRA** का कार्यक्षेत्र सूचीबद्ध कंपनियों तथा बड़ी गैर-सूचीबद्ध कंपनियों तक विस्तृत होगा।
- इसके अलावा सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ऐसे अन्य निकायों की जाँच के लिये भी कह सकती है।
- विभिन्न कार्य क्षेत्रों में लेखापरीक्षा घोटालों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा मानकों को लागू करने और ऑडिट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा लेखापरीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता को मज़बूत करने के लिये एक स्वंतत्र नियामक **NFRA** की स्थापना की ज़रुरत महसूस की जा रही थी। कंपनियों की वित्तीय स्थिति के खुलासे से निवेशकों व आम लोगों का कंपनी पर विश्वास बढ़ेगा।

अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव

उत्तराखंड के ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन, केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के 29वें संस्करण का आयोजन गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत मूल रूप से उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा उस समय की गई थी जब ऋषिकेश उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था।
- **1999** में उत्तर प्रदेश सरकार ने परमार्थ निकेतन आश्रम से इस समारोह को आश्रम में आयोजित करने के लिये संपर्क किया था।
- तब से परमार्थ निकेतन द्वारा इस विश्वविख्यात कार्यक्रम का आयोजन वार्षिक रूप से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस बार के सम्मलेन में विश्व के लगभग **100** देशों के **1200** से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे।
- इस बार का योग महोत्सव इसलिये भी खास है क्योंकि विश्व प्रसिद्ध म्यूज़िकल बैंड बीटल्स ग्रुप के भारत आने के **50** वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में **4** से **6** मार्च तक संगीत महोत्सव का आयोजन भी किया गया। बीटल्स ग्रुप फरवरी, **1968** में ऋषिकेश आया था।

पश्चिम लहर (XPL-18) अभ्यास

पश्चिमी नौसेना कमांड ने भारतीय पश्चिमी तट पर **'पश्चिम लहर' (एक्सपीएल-18)** नामक विशाल सामरिक अभ्यास पूरा किया। यह अभ्यास 12 फरवरी को शुरू हुआ था।

प्रमुख बिंदु

- अरब सागर में चले इस तीन सप्ताह लंबे अभ्यास के दौरान पश्चिमी नौसेना कमांड की सामरिक तैयारी का परीक्षण तथा इसकी परिचालन संबंधी योजनाओं का प्रदर्शन किया गया।
- **40** से भी अधिक नौसैनिक परिसम्पत्तियाँ जिनमें वायुयान वाहक **INS** विक्रमादित्य, पश्चिमी तथा पूर्वी बेड़ों के अग्रिम पंक्ति के जहाज़ (हाल ही में शामिल कोलकाता श्रेणी सहित), पनडुब्बियाँ, **22**वीं किलर स्क्वाड्रन के मिसाइल जलयान, पेट्रोल जलयान तथा भारतीय तटरक्षक ने भी इस अभ्यास में भाग लिया।
- गुजरात, महाराष्ट्र तथा उत्तर भारत के विभिन्न हवाई स्थलों से भारी संख्या में मेरीटाइम रोल जेगुआर, एसयू-**30** एमकेआई, अवाक्स, फ्लाइट रिफ्यूलर्स ने भाग लिया।
- इस अभ्यास से पश्चिमी नौसैनिक कमांड के परिचालन, तार्किक तथा प्रशासनिक योजनाओं में और सुधार करने में मदद मिलेगी।

UNEP की रिपोर्ट में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय संस्थान

तिरुवनंतपुरम (केरल) में अवस्थित ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (Energy Management Centre-EMC) ऊर्जा दक्षता के लिये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विश्वभर की पाँच अन्य परियोजनाओं के साथ मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय प्रोजेक्ट है।

प्रमुख बिंदु

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (**United Nations Environment Programme-UNEP**) द्वारा प्रकाशित ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट **2017: Towards a Zero-Emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector** में **EMC** परिसर को भवनों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों की तैनाती में सराहनीय कार्य के लिये स्थान मिला है।
- ग्लोबल एन्वारन्मेंट फंड (**Global Environment Fund**) की सहायता से निर्मित **EMC** कैंपस केरल के सरकारी क्षेत्र में केवल एकमात्र **LEED** गोल्ड प्रमाणित भवन है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- **Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)** संयुक्त राज्य ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा भवनों के पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और भवनों के टिकाऊ डिज़ाइन की दिशा में प्रयासों को आगे बढ़ाने हेतु निर्मित एक भवन रेटिंग प्रणाली है। **LEED** गोल्ड के बाद सर्वश्रेष्ठ रेटिंग **LEED** प्लेटिनम है।
- ऊर्जा-दक्ष **EMC** परिसर डे-लाइटिंग नियंत्रक, सीएफसी मुक्त हीटिंग, हैलोजन रहित अग्निशमन प्रणाली, उच्च-एल्बिडो पेंटिंग जैसी विशेषताओं से युक्त है। इस भवन के बिल्ट-अप स्पेस का **94%** एरिया सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होता है।

डेफएक्सपो 2018 प्रदर्शनी
(DefExpo 2018)

पहली बार विश्व के सामने भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से डेफएक्सपो 2018 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी की मुख्य थीम 'भारत: एक उभरता रक्षा विनिर्माण हब' (India: The Emerging Defence Manufacturing Hub) है।

मुख्य बिंदु

- डेफएक्सपो **2018** प्रदर्शनी भारत की थलसेना, नौसेना एवं वायुसेना की कई रक्षा प्रणालियों एवं कंपोनेंट के एक रक्षा निर्यातक देश के रूप में ब्रांडिंग करेगी।
- जहाँ एक ओर यह प्रदर्शनी भारत की उल्लेखनीय सार्वजनिक क्षेत्र की ताकतों को प्रदर्शित करेगी, वहीं दूसरी ओर यह भारत के बढ़ते निजी क्षेत्र उद्योग को भी सामने लाएगी।
- इसके साथ-साथ यह कंपोनेंट एवं सब-सिस्टम्स के लिये एमएसएमई आधार को भी विस्तारित करेगी।
- डेफएक्सपो **2018** प्रदर्शनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (**Hindustan Aeronautics Ltd)** को विभिन्न फ्लाइंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रदर्शित करेगी।
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्लेटफॉर्म के अतिरिक्त, यह प्रदर्शनी घरेलू निजी उद्योग एवं एयरो कंपोनेंट उद्योग (**aero-components industry)** को भी बढ़ावा देगी।
- डेफएक्सपो **2018** प्रदर्शनी का आयोजन समुद्र तट चेन्नई से महाबलीपुरम के रास्ते पूर्वी तट पर किया जा रहा है, यह भारतीय नौसेना को अपने घरेलू डिज़ाइन एवं विनिर्माण क्षमताओं को भी प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगी।
- ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत के पास अपनी खुद की एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन (**Advanced Towed Artillery Gun - ATAG)** है जिसका डिज़ाइन एवं विकास कल्याणी ग्रुप, टाटा पावर एवं ओएफबी के सहयोग से डीआरडीओ द्वारा किया गया है।
- भारत अपनी मिसाइल एवं रॉकेट विनिर्माण क्षमताओं का भी प्रदर्शन करेगा जिसमें सतह से वायु, वायु-से-वायु एवं समुद्र से वायु समेत सभी प्रकार के हमलों के लिये उपलब्ध ब्रह्मोस भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, डेफएक्सपो **2018** प्रदर्शनी का एक बड़ा आकर्षण आकाश मिसाइल सिस्टम भी होगा।
- भारत को एक उभरते रक्षा उत्पादक हब के रूप में रेखांकित करने पर फोकस को देखते हुए डेफएक्सपो **2018** प्रदर्शनी में कम-से-कम आधा स्थान घरेलू प्रदर्शकों के लिये निर्धारित किया गया है।
- यह डेफएक्सपो **2018** प्रदर्शनी को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने एवं रक्षा विनिर्माण की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ समेकित होने का अब तक का सबसे बढ़ा अवसर उपलब्ध कराएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता
(International Solar Alliance)

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) को मान्यता प्रदान की गई है। इसका लाभ यह होगा कि संयुक्त राष्ट्र के दायरे में आने वाले देश संगठन के कार्यों में तेज़ी लाने के साथ-साथ इसके सदस्य बनने के लिये आगे आएंगे।

- इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिलने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि ऐसे देश जो अभी तक इसके सदस्य नहीं बने हैं, जल्द ही वे भी सदस्य बनने के लिये तेज़ी से आगे आएंगे।
- इससे आईएसए द्वारा बनाई जा रही योजनाओं को लागू कराना भी आसान हो जाएगा।
- साथ ही, यदि दो देशों के बीच किसी भी विषय को लेकर विवाद होगा तो मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक में ले जाया जा सकेगा।
- इतना ही नहीं विश्व बैंक सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये तेज़ी से आगे आएगा।

पृष्ठभूमि

- आईएसए की स्थापना की पहल भारत द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत संयुक्त रूप से पेरिस में **30** नवम्बर, **2015** को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान कोप-**21** से अलग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्राँस के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा की गई थी।
- आईएसए संगठन का सचिवालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में स्थापित किया गया है।
- आईएसए के अंतरिम सचिवालय ने **25** जनवरी, **2016** को काम करना शुरू कर दिया था।
- इसके तहत कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का प्रयोग, व्यापक स्तर पर किफायती ऋण, सौर मिनी ग्रिड की स्थापना जैसे कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं।
- इन कार्यक्रमों से सदस्य देशों में सौर ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।
- तीन मौजूदा कार्यक्रमों के अलावा आईएसए का लक्ष्य दो और कार्यक्रमों- छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा का भंडारण तथा ई-गतिशीलता को शुरू करने की है।
- भारत आईएसए सदस्य देशों को सौर ऊर्जा से घरेलू प्रकाश, किसानों के लिये सौर पंप और अन्य सौर उपकरणों संबंधी परियोजनाओं के लिये समर्थन भी देगा।

उद्देश्य

- इस संगठन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है।
- ऐसे देश जो पूरी तरह या आंशिक तौर पर कर्क रेखा और मकर रेखा के मार्ग में पड़ते हैं एवं सौर ऊर्जा के मामले में समृद्ध हैं, उनसे बेहतर तालमेल के ज़रिये सौर ऊर्जा की मांग को पूरा करना है।
- आईएसए का उद्देश्य सूर्य की बहुतायत ऊर्जा को एकत्रित करने के साथ देशों को एक साथ लाना है।
- यह सौर ऊर्जा के विकास और उपयोग में तेज़ी लाने की एक नई शुरुआत है ताकि वर्तमान और भावी पीढ़ी को ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त हो सके।

कैंसर से लड़ने के लिये 'मिनी ट्यूमर'

ब्रिटेन के द इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च (आइसीआर) के वैज्ञानिकों के समूह द्वारा मरीज़ों में होने वाले कैंसर का एक मिनी वर्ज़न तैयार किया गया है। इस मिनी वर्ज़न पर दर्जनों दवाओं का प्रयोग करते हुए कैंसर हेतु सबसे बेहतर उपचार तलाशने का प्रयास किया जा रहा है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- इस मिनी कैंसर के माध्यम से वैज्ञानिक यह पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह के उपचार से मरीज़ के सही होने की संभावना सबसे अधिक होती है।
- वैज्ञानिकों द्वारा इस मिनी ट्यूमर को ऑर्गेनोइड्स का नाम दिया गया है। दरअसल, यह कैंसर कोशिकाओं की छोटी-छोटी गेंदें हैं, जिनके आकार को प्रयोगशाला में बढ़ाया जा सकता है।
- यह शोध आँतों, पेट और पाचन तंत्र से संबंधित अन्य प्रकार के कैंसर के संबंध में भीतरी उपचार की तलाश में किया गया है।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, कैंसर कोशिकाओं को इस तरह से विकसित करने से यह पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार के कैंसर के संबंध में कौन सी दवाएँ किस प्रकार से कार्य करेंगी तथा किस स्थिति में काम नहीं करेंगी।

कैंसर के उपचार हेतु प्रयुक्त होगा उल्कापिंड से आया इरिडियम

वैज्ञानिकों द्वारा कैंसर के इलाज के ऐसे तरीके की खोज की गई है जिससे शरीर के स्वस्थ ऊतकों (टिश्यू) को नुकसान पहुँचाए बिना कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जा सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा इसके लिये दूसरी सबसे सघन धातु इरिडियम को कैंसर के इलाज में इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- वैज्ञानिकों द्वारा इरिडियम एवं जैविक तत्त्वों का एक मिश्रण तैयार किया गया है जो सीधे कैंसर की कोशिकाओं पर हमला करता है।
- इस प्रक्रिया में कोशिका में मौजूद ऑक्सीजन एकल ऑक्सीजन (ऑक्सीजन का सबसे सक्रिय रूप) में टूटकर कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर देती है।
- इसके अंतर्गत कैंसर से ग्रसित अंग पर लेज़र लाइट का प्रयोग किया जाता है जिससे यह तत्त्व शरीर में अधिक सक्रिय होकर तेज़ी से एकल ऑक्सीजन का निर्माण करता है।
- इरिडियम के प्रयोग से परत-दर-परत कैंसर में मौजूद सभी कोशिकाएँ नष्ट हो जाती हैं जबकि स्वस्थ कोशिकाओं पर इसका कोई असर नहीं होता है।
- जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले **50** प्रतिशत कीमोथेरेपी में प्लेटिनम धातु का प्रयोग किया जाता था। अब इसकी जगह इरिडियम का इस्तेमाल किये जाने की संभावना है।
- सर्वप्रथम इरिडियम की खोज वर्ष **1803** में की गई थी। ऐसा माना जाता है कि इरिडियम उस उल्कापिंड या क्षुद्रग्रह से धरती पर आया था, जिसकी टक्कर से **6.6** करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी से डायनोसोर विलुप्त हो गए थे।

अराकू घाटी में विकसित कॉफी के लिये GI टैग की मांग

- कॉफी बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम ज़िले में स्थित अराकू घाटी के जनजातीय समुदायों द्वारा विकसित की जाने वाली अरेबिका कॉफी हेतु भौगोलिक संकेतक टैग के पंजीकरण के लिये आवेदन किया है।
- अराकू घाटी क्षेत्र में उत्पादित होने वाली अरेबिका कॉफी एक उत्तम गुणवत्ता वाली विशेष कॉफी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय है।
- केंद्र सरकार कॉफी बोर्ड के ज़रिये 'एकीकृत कॉफी विकास परियोजना' क्रियान्वित कर अराकू घाटी में कॉफी उत्पादन को बढ़ावा दे रही है।
- इस योजना में पुनर्रोपण एवं विस्तार, जल संचयन एवं सिंचाई के बुनियादी ढाँचे का निर्माण और कॉफी एस्टेट के परिचालन हेतु मशीनीकरण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है।
- कॉफी बोर्ड द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली 'फ्लेवर ऑफ इंडिया-द फाइन कप अवार्ड' प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये कॉफी उत्पादकों को प्रोत्साहित भी किया जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

भारत में कॉफ़ी की किस्में

- भारत में कॉफ़ी की दो किस्मों-अरेबिका एवं रोबस्टा की खेती की जाती है।
- अरेबिका मृदु कॉफ़ी है पर इसकी फलियाँ अधिक खुशबूदार होने के कारण रोबस्टा फलियों की तुलना में इसका बाज़ार मूल्य अधिक है। रोबस्टा की तुलना में अरेबिका उच्च अक्षांशों में उगाई जाती है।
- **15** डिग्री सेल्सियस से **25** डिग्री सेल्सियस के बीच का ठंडा और सम तापमान अरेबिका के लिये उपयुक्त है जबकि रोबस्टा के लिये **20** डिग्री सेल्सियस से **30** डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ गर्म और उन्नत तापमान उपयुक्त है।
- परंपरागत रूप से भारत में कॉफ़ी की कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के पश्चिमी घाट क्षेत्र में कृषि होती है। अब यह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के गैर- परंपरागत क्षेत्रों के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज़ी से बढ़ रही है।

पोंगल उत्सव (PONGALA FESTIVAL)

पोंगल दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख महोत्सव है जिसे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित अट्टकल भगवती मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष उत्सव 2 मार्च से शुरू हुआ था।

प्रमुख बिंदु

- दस दिनों तक चलने वाला पोंगल उत्सव मलयालम महीने 'मकरम-कुंभम' के अनुसार शुरू होता है।
- पोंगल इस उत्सव पर बनाई जाने वाली एक खिचड़ी को कहा जाता है जिसे चावल, गुड़ और नारियल से बनाया जाता है।
- इस उत्सव में अधिकतर महिलाएँ ही सम्मिलित होती हैं। इसलिये इस मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है।
- **2009** में इस उत्सव को महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक भागीदारी के चलते गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया था।
- इस उत्सव में **13** वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा 'कुथियोट्टम' नामक एक पारंपरिक नृत्य भी किया जाता है। केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इस मामले का स्वत: संज्ञान लेने पर यह चर्चा में रहा।
- स्थानीय पौराणिक कथाओं के अनुसार पोंगल त्योहार तमिल महाकाव्य 'सिलप्पादिकारम' **(Silappadhikaram)** की नायिका कन्नगी की स्मृति में मनाया जाता है जिसने अपने पति कोवलन के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिये मदुरई शहर को शाप देकर नष्ट कर दिया था।

पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये पहलें

पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत अब तक 5600 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। वहीं, प्रसाद योजना के अंतर्गत अब तक 23 परियोजनाओं के लिये 687.92 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

प्रमुख बिंदु

- तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्द्धन पर राष्ट्रीय मिशन **(PRASAD)** का उद्देश्य पहचाने गए **तीर्थ और विरासत स्थलों का समग्र विकास** करना है।
- प्रसाद योजना के तहत अजमेर, अमरावती, अमृतसर, द्वारका, गया, कामाख्या, कांचीपुरम, केदारनाथ, मथुरा, पटना, पुरी, वाराणसी और वेलांकनी शहरों को शामिल किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- **थीम आधारित पर्यटक परिपथों** के एकीकृत विकास के लिये **स्वदेश दर्शन योजना** शुरू की गई है।
- इस योजना के तहत **13 थीम आधारित पर्यटन सर्किट** की पहचान की जा चुकी है जिनमें उत्तर-पूर्वी भारत सर्किट, बौद्ध सर्किट, हिमालयी सर्किट, तटीय सर्किट, कृष्णा सर्किट, रेगिस्तान सर्किट, जनजातीय सर्किट, पर्यावरणीय सर्किट, वन्यजीवन सर्किट, ग्रामीण सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट और धरोहर सर्किट शामिल हैं|
- पर्यटन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष **2017-18** के दौरान देश के विभिन्न स्थलों और पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिये **अतुल्य भारत 2.0** अभियान शुरू किया है।
- इसमें महत्त्वपूर्ण और संभावित बाजारों के रूप में विदेशों में आध्यात्मिक, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा सामान्य प्रमोशनल गतिविधियों की बजाय अब बाज़ार केंद्रित प्रचार योजनाओं और कंटेंट के साथ पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में भारत के स्थान

- केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन संगीत नाटक अकादमी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से संबंधित मामलों के लिये नोडल कार्यालय है जो यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में नामांकन के लिये दस्तावेज़ तैयार करने का भी कार्य करता है।
- मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (**Intangible cultural heritage-ICH)** के यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में अब तक भारत के **13** तत्त्व शामिल किये जा चुके हैं।

अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (ICH) क्या है?

- विरासत सिर्फ स्मारकों या कलात्मक वस्तुओं के संग्रहण तक ही सीमित नहीं होती है। इसमें उन परंपराओं एवं प्रभावी सोचों को भी शामिल किया जाता है जो पूर्वजों के माध्यम से अगली पीढ़ी को प्राप्त होती हैं। जैसे- मौखिक रूप से चल रही परंपराएँ, कला प्रदर्शन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव और परंपरागत शिल्पकला आदि।
- यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत अपनी प्रकृति के अनुरूप क्षणभंगुर है और इसे संरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ समझने की भी आवश्यकता है क्योंकि वैश्वीकरण के इस बढ़ते दौर में सांस्कृतिक विविधताओं को अक्षुण्ण रखना एक महत्त्वपूर्ण कारक है।

भारत के ICH तत्त्व

1. कुटियट्टम, संस्कृत रंगमंच (2008)
2. वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा (2008)
3. रामलीला – रामायण का परंपरागत मंचन (2008)
4. रम्मन : गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव और पारंपरिक रंगमंच (2009)
5. छऊ नृत्य (2010)
6. राजस्थान का कालबेलिया लोकगीत और नृत्य (2010)
7. केरल का पारंपरिक रंगमंच और नृत्य नाटक मुदियेत्तू (Mudiyettu) (2010)
8. लद्दाख का बौद्ध मंत्रोचार : पार-हिमालयी लद्दाख क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर में पवित्र बौद्ध पाठों का आख्यान (2012)
9. संकीर्तन : मणिपुर का आनुष्ठानिक गायन, ढोल वादन और नृत्य (2013)
10. जांडियाला गुरु (पंजाब) के ठठेरों की पीतल और तांबे के बर्तन बनाने की पारंपरिक कला (2014)
11. नवरोज़-पारसी नववर्ष (2016)
12. योग (2016)
13. कुम्भ मेला (2017)

Copyright– Drishti The Vision Foundation

इंप्रिंट इंडिया

देश में शोध व अनुसंधान तथा नवोन्मेष को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार द्वारा इंप्रिंट-II (इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी) इंडिया कार्यक्रम के तहत 1000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इंप्रिंट-II के अंतर्गत विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साथ मिलकर एक कोष का निर्माण किया है।

- डीएसटी (**Department of Science and Technology**) के सहयोग से यह परियोजना, एक पृथक कार्य-योजना के रूप में संचालित की जाएगी।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा **5** नवंबर, **2015** को 'इंप्रिंट इंडिया' का शुभारंभ किया गया।
- 'इंप्रिंट इंडिया' भारत के लिये महत्त्वपूर्ण दस प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बड़ी इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी चुनौतियों के समाधान हेतु अनुसंधान के लिये एक खाका विकसित करने से संबंधित देश भर के आईआईटी एवं आईआईएससी की संयुक्त पहल है।
- यह पहल उच्चतर शिक्षा के भारतीय संस्थानों को उनकी क्षमता को महसूस कराने में सक्षम बनाएगी एवं विश्वस्तरीय संस्थानों के रूप में उभरने में मदद करेगी।

दस मुख्य विषयों पर फोकस

- इंप्रिंट इंडिया के अंतर्गत दस विषय-वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक का समन्वय एक आईआईटी/आईआईएससी द्वारा किया जाएगा।
- इसके अंतर्गत शामिल दस विषय हैं- स्वास्थ्य देखभाल, कम्प्यूटर साइंस एवं आईसीटी, एडवांस मैटिरियल्स, जल संसाधन एवं नदी प्रणाली, सतत् शहरी डिज़ाइन, प्रतिरक्षा, विनिर्माण, नैनो-टेक्नोलॉजी हॉर्डवेयर, पर्यावरण विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा सुरक्षा।

सोलर स्टडी लैंप्स योजना

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा दिसंबर, 2016 में असम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 70 लाख सोलर स्टडी लैंप्स के वितरण की 'सोलर स्टडी लैंप्स योजना' को मंज़ूरी दी गई थी, जो अभी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

- राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के वंचित समुदायों को सशक्त बनाने के लिये जनवरी **2014** में **10** लाख सोलर स्टडी लैंप्स के वितरण की योजना को मंज़ूरी दी गई थी जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
- इसके बाद मंत्रालय द्वारा मई **2016** में विभिन्न राज्यों में **5** लाख सोलर स्टडी लैंप्स के वितरण को मंज़ूरी दी गई।
- राजस्थान में कुल **3.06** लाख सोलर स्टडी लैंप्स वितरित किये गए हैं और **360** महिलाओं सहित **927** व्यक्तियों को स्थानीय क्षेत्रों में सोलर स्टडी लैंप्स की मरम्मत के लिये प्रशिक्षित किया गया है।
- सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना और मरम्मत तथा रख-रखाव के लिये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा एक अलग कौशल विकास कार्यक्रम "सूर्य मित्र" का भी संचालन किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

- सोलर स्टडी लैंप्स योजना के तहत राज्य के ग्रामीण और पिछड़े ब्लाकों में रहने वाले छात्रों को **100** रुपए में सोलर स्टडी लैंप्स मुहैया कराए जा रहे हैं।
- सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से उन इलाकों के छात्रों को लैंप्स मुहैया करवाना है जहाँ अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

भारतीय सेना : दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना

ग्लोबल फायरपावर (दुनिया भर में सुरक्षा बलों और उनकी ताकतों का आकलन करने वाली संस्था) सूची 2017 के अनुसार दुनिया की सबसे ताकतवर शीर्ष पाँच सेनाओं में भारतीय सेना को भी शामिल किया गया है। इस सूची में दुनिया भर के तकरीबन 133 देशों को शामिल किया गया है।

- इस सूची को तैयार करने के लिये **50** मानकों को आधार बनाया गया। इनमें सैन्य संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, भौगोलिक स्थिति और उपलब्ध मानव संसाधन प्रमुख हैं।
- इस सूची के अंतर्गत देशों की परमाणु ताकत को संबद्ध नहीं किया गया, हालाँकि परमाणु हथियारों की क्षमता को अंक अवश्य दिये गए हैं।
- इस सूची में सर्वाधिक सैनिकों की संख्या के मामले में भारत चीन से आगे है। भारत के पास कुल **42,07,250** सैनिक हैं, जबकि चीन के पास **37,12,500** हैं।
- हालाँकि सक्रिय सैनिकों की संख्या के मामले में चीन भारत से आगे है। उसके पास **22.60** लाख सक्रिय सैनिक हैं, जबकि भारत के पास मात्र **13,62,500** सक्रिय सैनिक हैं।
- रक्षा बजट के मामले में भारत चीन से काफी पीछे है। भारत के रक्षा बजट की तुलना में चीन तीन गुना अधिक खर्च करता है।
- इसके अतिरिक्त रक्षा के सभी क्षेत्रों में भारत पाकिस्तान से काफी आगे है। तथापि कुछ मामले ऐसे भी हैं जहाँ पाकिस्तान को बढ़त हासिल है। इनमें लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की संख्या, स्वचालित आर्टिलरी और जलमार्ग विस्तार शामिल हैं।

शीर्ष पाँच देश

- अमेरिका
- रूस
- चीन
- भारत
- फ्राँस

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन
(National Mission for Manuscripts-NMM)

केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना के रूप में फरवरी 2003 में राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना की जिसका विशिष्ट उद्देश्य भारत की पांडुलिपियों के ज्ञान तत्त्व का पता लगाना, प्रलेखन (Documentation), संरक्षण और प्रसार करना था।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- अपने कार्यक्रम और अधिदेश में यह मिशन एक अनूठी परियोजना है और यह भारत की विशाल पांडुलिपि संपदा की खोज करने और इसे परिरक्षित करने में जुटा है।
- एक अनुमान के मुताबिक़ भारत में पाँच मिलियन पांडुलिपियाँ हैं जो विश्व में शायद सबसे बड़ा संग्रह है।
- इनमें विभिन्न प्रकार की विषय-वस्तु, संरचना और सौंदर्य, लिपियाँ, भाषाएँ, सुलेख, उद्बोधन तथा दृष्टांत हैं। एक साथ मिलकर ये भारत के इतिहास, विरासत और विचार की 'स्मृति' का निर्माण करते हैं।
- देश के सभी राज्यों में विशेष रूप से अभिचिह्नित पांडुलिपि संसाधन केंद्रों (एमआरसी) और पांडुलिपि संरक्षण केंद्रों (**MCC**) के साथ कार्य करते हुए यह मिशन विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों से लेकर विभिन्न स्थानों जैसे- मंदिरों, मठों, मदरसों, विहारों और निजी संग्रहों में रखी पांडुलिपियों के आँकड़ों को संग्रह करता है।
- एक पांडुलिपि कागज़, छाल, कपड़ा, धातु, ताड़ के पत्ते या अन्य सामग्री पर हस्तलिखित कम-से-कम **75** वर्ष पुरानी रचना होती है जिसका महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौन्दर्यात्मक मूल्य होता है। लिथोग्राफ और मुद्रित संस्करण पांडुलिपियों के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- अब तक **NMM** ने दुर्लभ पांडुलिपियों सहित **43** लाख पांडुलिपियों को प्रलेखित किया है और **2.95** करोड़ पृष्ठों वाली **2.85** लाख पांडुलिपियों को **DVD** और हार्ड डिस्क में डिजिटल रूप में संग्रहीत कर लिया है।

3.6 अरब वर्ष पहले हुआ था ऑक्सीजन का निर्माण

ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज के शोधकर्त्ताओं द्वारा किये गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि आज से तकरीबन 3.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण होना शुरू हुआ था। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा यह माना जा रहा था कि ऑक्सीजन का निर्माण करने वाले पहले सूक्ष्म जीव 'साइनोबैक्टीरिया' थे।

- नए शोध के अनुसार, इस सूक्ष्म जीव से करीब एक अरब वर्ष पहले ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण शुरू हो गया था। यही कारण है कि अरबों वर्षों तक यहाँ सूक्ष्म जीव की भिन्न-भिन्न प्रजातियाँ विकसित होती रहीं।
- जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत प्रकाश-संश्लेषण है। यह क्रिया ऑक्सीजेनिक एवं अनऑक्सीजेनिक दो प्रकार से होती है।
- ऑक्सीजेनिक प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा की सहायता से पानी के अणुओं को तोड़ा जाता है, जिससे ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। जबकि, अनऑक्सीजेनिक प्रक्रिया में पानी के स्थान पर हाइड्रोजन सल्फाइड, आयरन आदि का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं होता है।
- वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त अनुमान के अनुसार, प्रकृति में सर्वप्रथम अनऑक्सीजेनिक प्रकाश-संश्लेषण की शुरुआत हुई। दोनों ही प्रक्रियाओं में फोटोसिस्टम**1** नाम के एक एंजाइम का प्रयोग होता है। हालाँकि यह एंजाइम दोनों ही प्रक्रियाओं में कुछ अलग रूप में नज़र आता है।
- यह शोध-पत्र हेलीयोन नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

अमृत योजना

स्मार्ट शहरों और कायाकल्प तथा शहरी रूपान्तरण के लिये अटल मिशन में शामिल शहरों के रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समेकित योजना हेतु रेल मंत्रालय एवं शहरी विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। स्मार्ट शहरों की योजना के अंतर्गत चयनित दस रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा।

- स्मार्ट शहरों और अमृत योजना के अंतर्गत स्टेशनों के पुनर्विकास की योजनाएँ स्टेशनों के आस-पास खाली ज़मीन के व्यावसायिक विकास के ज़रिये बनाई जाती है। अत: इसके लिये कोई धनराशि निर्धारित नहीं की जाती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पृष्ठभूमि

- प्रधानमंत्री अमृत योजना का पूरा नाम "अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन" है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून **2015** में लॉन्च किया गया था।
- इसके अंतर्गत उन परियोजनाओं को भी शामिल किया जाएगा जो जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अधूरी रह गई हैं। इसका नोडल मंत्रालय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय है।
- अमृत परियोजना के अंतर्गत जिन कस्बों या क्षेत्रों को चुना जा रहा है वहाँ बुनियादी सुविधाएँ जैसे- बिजली, पानी की सप्लाई, सीवर, सेप्टेज मैनेजमेंट, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, ट्रांसपोर्ट, बच्चों के लिये पार्क, अच्छी सड़क और चारों तरफ हरियाली आदि विकसित की जाएगी।

अमृत से जुड़े कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

- बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स, आदि सभी सुविधाएँ ई-गवर्नेंस के माध्यम से सुनिश्चित की जाएंगी।
- इस योजना को उस कस्बे में लागू किया जाएगा जहाँ की जनसंख्या एक लाख से ज़्यादा है।
- साथ ही, इसे उन छोटे शहरों में भी लागू किया जाएगा जहाँ से छोटी-छोटी नदियाँ गुज़रती हैं।
- इसे उन पहाड़ी इलाकों व द्वीपों पर भी लागू किया जाएगा जहाँ पर्यटन का स्कोप अधिक है।

नारी शक्ति पुरस्कार, 2018

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार, 2018 प्रदान किये गएष भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर "महिलाओं के लिये सर्वोच्च नागरिक सम्मान" "नारी शक्ति पुरस्कार" प्रदान किये जाते हैं।

- इस पुरस्कार का उद्देश्य वैसे व्यक्तियों और संस्थानों की सेवाओं को स्वीकारना तथा पहचानना है, जिन्होंने महिलाओं के सशक्तीकरण में बहुमूल्य योगदान दिया है।
- इस पुरस्कार के माध्यम से वैसे लोगों को सामने लाने का प्रयास किया जाता है जिन्होंने युवा पीढ़ी एवं महिलाओं के लिये समाज में बदलाव हेतु एक मानदंड स्थापित किया हो।

नारी पुरस्कार के तहत पात्रता

- नारी शक्ति पुरस्कार विशेष परिस्थितियों में किये गए असाधारण कार्य के लिये व्यक्तियों/समूहों/संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों आदि को महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरण, उनसे संबंधित प्रभावी कार्यान्वयन, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग आदि के संबंध में प्रदान किये जाते हैं।
- इसके अतिरिक्त, यह पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों/समूहों/संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों आदि को प्रदान किया जाता है जिन्होंने महिलाओं को निर्णयकारी भूमिका निभाने के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे पारंपरिक, कला, संस्कृति, खेल आदि के साथ-साथ पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं को कौशल विकास के लिये प्रोत्साहित किया हो।

इसके तहत कुछ प्रमुख श्रेणियाँ

- रानी रुद्रमा देवी अवार्ड (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में उल्लेखनीय योगदान करने वाली ग्राम/ज़िला पंचायतों को दिया जाता है)।
- माता जीजाबाई अवार्ड (महिला कल्याण के संदर्भ में कार्य करने वाले म्युनिसिपल निकायों को दिया जाता है)।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- कन्नगी देवी अवार्ड (बाल लिंग अनुपात में सुधार लाने वाले राज्य या केंद्रशासित प्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है)।
- रानी गैडिन्लीयू ज़ीलियांग अवार्ड (महिला कल्याण के संदर्भ में कार्य करने वाले उकृष्ट नागरिक समाज संगठन को दिया जाता है)।
- एवी अहिल्याबाई होल्कर अवार्ड (महिला कल्याण के संदर्भ में कार्य करने वाले निजी क्षेत्र के संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिया जाता है)।
- रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड (महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ावा दने वाले संस्थानों को प्रदान किया जाता है)।

भारत में डिजिटल शिक्षा

मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित कुछ पहलें प्रारंभ की गई हैं।

SWAYAM (Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds) पोर्टल

- पहुँच, गुणवत्ता और समता जैसे सिद्धांतों पर आधारित स्वयं पोर्टल सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (**ICT**) के इस्तेमाल से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिये समर्पित एकीकृत प्लेटफॉर्म है।
- यह उच्च शिक्षा के सभी विषयों और कौशल क्षेत्रों को कवर करता है। स्वयं पोर्टल पर चलने वाले पाठ्यक्रमों में अभी तक **28** लाख छात्र नामांकित हो चुके है।

SWAYAM प्रभा

- **SWAYAM** प्रभा पूरे देश में **24x7** आधार पर डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) के माध्यम से **32** उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक चैनल प्रदान करने की एक पहल है।

भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया

- भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया (एनडीएल इंडिया) परियोजना का उद्देश्य एकल-खिड़की खोज सुविधा के माध्यम से सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का ढाँचा विकसित करना है। **NDL** पर लगभग **1.5** करोड़ ई-पुस्तक और दस्तावेज़ उपलब्ध हैं।

ई-शोध सिंधु (e-Shodh Sindhu)

- ई-शोध सिंधु का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा ई-संसाधन के लिये कंसोर्टियम के माध्यम से सदस्यता की कम दरों पर शैक्षणिक संस्थानों को पूर्ण पाठ, ग्रंथ सूची और तथ्यात्मक डेटाबेस सहित गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना है।

फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेर फॉर एजुकेशन (FOSSEE)

- **FOSSEE** परियोजना द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेर के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

वर्चुअल लैब

- परियोजना का उद्देश्य अंडर-ग्रेजुएट से लेकर अनुसंधान तक के सभी स्तरों पर छात्रों के लिये विज्ञान और इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों की आभासी प्रयोगशालाओं तक रिमोट एक्सेस प्रदान करना है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

उद्यम सखी पोर्टल (Udyam Sakhi Portal)

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises - MSME) द्वारा भारतीय महिला उद्यमियों के लिये उद्यम सखी नाम से एक पोर्टल शुरु किया गया।

- इस अवसर पर कहा गया कि देश में इस समय **80** लाख ऐसी महिलाएँ हैं जिन्होंने अपना कारोबार शुरु किया है और सफलातापूर्वक उसे संचालित भी कर रही हैं।

विशेषताएँ

- पोर्टल के ज़रिये एक ऐसा नेटवर्क बनाने का प्रयास किया गया है जिसके माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा सके।
- साथ ही, इसके अंतर्गत महिलाओं को स्वावलंबी एवं सशक्त बनाने के लिये कम लागत वाली सेवाओं तथा उत्पादों हेतु कारोबार के नए मॉडल तैयार किये जाएंगे।
- पोर्टल के माध्यम से महिला उद्यमियों को कारोबार शुरु करने के लिये आवश्यक प्रशिक्षण, निवशेकों से सीधे संपर्क, बाज़ार सर्वेक्षण सुविधा तथा तकनीकी सहयोग जैसी मदद उपलब्ध कराई गई है।

ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नेपकिन "सुविधा
(Oxo-biodegradable Sanitary Napkin 'SUVIDHA')

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन–औषधि परियोजना (Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana - PMBJP) के तहत पूरी तरह ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नेपकिन 'सुविधा' लॉन्च करने की घोषणा की गई। यह किफायती सैनिटरी नेपकिन देश भर के 3200 जन-औषधि केंद्रों पर 2.50 रुपए प्रति पैड की दर पर उपलब्ध होगी।

लाभ

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन सभी महिलाओं के लिये यह एक विशेष उपहार है, क्योंकि यह अनोखा उत्पाद किफायती और स्वास्थ्यकर होने के साथ ही इस्तेमाल और निपटान में आसान है। यह भारत की वंचित महिलाओं के लिये स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुविधा सुनिश्चित करेगा।

वर्तमान स्थिति

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण **2015-16** के अनुसार, **15** से **24** साल तक की **58** प्रतिशत महिलाएँ स्थानीय स्तर पर तैयार नेपकिन, सैनिटरी नेपकिन और रूई के फाहे का इस्तेमाल करती हैं।
- शहरी क्षेत्रों की **78** प्रतिशत महिलाएँ मासिक धर्म के दौरान सुरक्षा के लिये स्वस्थ विधियाँ अपनाती हैं। ग्रामीण इलाके की केवल **48** फीसदी महिलाएँ साफ-सुथरा सैनिटरी नेपकिन का इस्तेमाल कर पाती हैं।

विशेषताएँ

- सुविधा नेपकिन में एक विशेष प्रकार का पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे इस्तेमाल के बाद ऑक्सीजन के संपर्क में आकर यह बायोडिग्रेडेबल हो जाता है।
- वर्तमान में बाज़ार में उपलब्ध किसी भी सैनिटरी नेपकिन की कीमत लगभग **8** रुपए प्रति पैड है, जबकि सुविधा नेपकिन की कीमत **2.50** रुपए प्रति पैड है।
- **28** मई, **2018** को अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस से देश के सभी जन-औषधि केंद्रों पर सुविधा नेपकिन बिक्री के लिये उपलब्ध रहेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

निगरानी

- मंत्रालय द्वारा इसकी आपूर्ति श्रृंखला पर लगातार नज़र रखने के साथ-साथ ऑनलाइन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिये इसकी निरंतर निगरानी भी की जा रही है ताकि देश भर में पीएमबीजेपी केंद्रों पर आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा सके।

निर्वाचन प्रबंधन हेतु क्षमता संवर्द्धन (Capacity Development for Election Management)

भारत द्वारा आईआईआईडीईएम (India International Institute for Democracy and Election Management – IIIDEM), विदेश मंत्रालय के भारत तकनीकी और आर्थिक सहयोग (Indian Technical and Economic Cooperation – ITEC) कार्यक्रम के तहत 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, 'निर्वाचन प्रबंधन हेतु क्षमता संवर्द्धन' (Capacity Development for Election Management) का आयोजन किया गया है।

- इस कार्यक्रम का संचालन **5** से **16** मार्च, **2018** तक किया गया।
- इस कार्यक्रम को ऐसे तरीके से विकसित किया गया है कि वह निर्वाचन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रत्येक आयाम पर प्रकाश डाले। निर्वाचन आयोग की संरचना और कार्यप्रणाली, इसकी स्वतंत्रता व पारदर्शिता आदि तत्त्व इन आयामों में शामिल हैं।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुनाव प्रक्रिया पर आधारित एक मूलभूत पाठ्यक्रम शामिल किया गया है।
- चुनाव संचालन में क्षेत्रीय स्तर पर समस्याएँ आती हैं, इसलिये चुनावकर्मियों का प्रशिक्षण अत्यधिक आवश्यक है। यह इसलिये भी ज़रूरी है क्योंकि निर्वाचन प्रबंधन के विभिन्न चरणों में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ता जा रहा है।

पृष्ठभूमि

- विदेश मंत्रालय के अंतर्गत विकास सहयोग प्रशासन (**Development Partnership Administration - DPA**) का गठन जनवरी **2012** में किया गया था।
- डीपीए-**2** विदेश मंत्रालय की नोडेल एजेंसी है, जो क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करती है। इसमें आईटीईसी भी शामिल है।
- सामान्य तौर पर आईटीईसी कार्यक्रम की प्रकृति द्विपक्षीय है। लेकिन हाल के वर्षों में आईटीईसी संसाधनों का उपयोग क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय कार्यक्रमों के संदर्भ में भी किया जा रहा है।

आर्किटेक्चर का नोबल (Noble prize for architecture)

भारत के मशहूर आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोशी को नोबल पुरस्कार के समान माने जाने वाले प्रतिष्ठित 'प्रित्ज़कर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार आर्किटेक्चर क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के संदर्भ में दिया जाता है। 'प्रित्ज़कर' पुरस्कार को वास्तुकला की दुनिया का नोबल पुरस्कार कहा जाता है।

प्रमुख बिंदु

- दोशी को यह पुरस्कार कम लागत के घर डिज़ाइन करने के लिये दिया जा रहा है।
- **90** साल के बालकृष्ण पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
- बालकृष्ण दोशी ने हमेशा ऐसी संजीदा वास्तुकलाओं का निर्माण किया है। उनके डिज़ाइन न तो भड़कीले होते है, न ही चटख। उनके डिज़ाइन हमेशा आम चलन से अलग रहे हैं।
- ज्यूरी के अनुसार, बालकृष्ण द्वारा हमेशा यह स्पष्ट किया गया है कि अच्छी वास्तुकला और शहरी योजना में उद्देश्य एवं ढाँचे के साथ-साथ इसे बनाने के समय, जलवायु, स्थान, तकनीक, कारीगरी तथा हस्तकला का भी ध्यान रखना चाहिये।
- बालकृष्ण द्वारा कॉम्प्लेक्स, आवासीय योजना, सार्वजनिक स्थल, गलियारे और निजी आवास आदि के डिज़ाइन तैयार किये गए हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

'प्रित्ज़कर' पुरस्कार क्या है?

- यह किसी जीवित वास्तुकार को उसके विश्वस्तरीय योगदान के लिये दिया जाता है।
- वास्तुकला के नोबल पुरस्कार के रूप में प्रसिद्ध इस पुरस्कार को वर्ष **1979** से प्रदान किया जा रहा है। इसकी स्थापना जे. प्रित्ज़कर द्वारा की गई थी।
- यह पुरस्कार प्रित्ज़कर परिवार एवं हयात फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है।
- प्रथम 'प्रित्ज़कर' पुरस्कार वर्ष **1979** में ग्लास हाउस के वास्तुकार फिलीप जॉनसन को दिया गया था।

पूर्ण कंप्यूटरीकृत वाहन चालक प्रशिक्षण सुविधा योजना

केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जल्द ही देश में भारी वाहनों के चालकों को लाइसेंस देने की पूरी प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत करने की घोषणा की गई है। इस पूरी प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप नहीं होगा। इससे जाली लाइसेंसों की संख्या में कमी आएगी तथा इसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी आएगी।

विशेषताएँ

- इस एप की एक मुख्य विशेषता यह है कि यात्री किसी दुर्घटना, सड़क की गुणवत्ता तथा किसी गड्ढे की जानकारी एप पर अपलोड कर सकेंगे।
- इसके अंतर्गत यात्रियों को टोल प्लाज़ा पर लगने वाले समय की भी जानकारी दी जाएगी।
- इसके अतिरिक्त राजमार्ग नेस्ट/नेस्ट मिनी की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस एप की सहायता से उपयोगकर्त्ता फास्टटैग भी खरीद सकेंगे।
- इस सेवा को एम्बुलेंस तथा खराब व दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को ले जाने वाली सेवा के साथ भी जोड़ा गया है।
- यह सेवा कई भाषाओं में उपलब्ध है। इस सेवा में उपयोगकर्त्ता की अवस्थिति की जानकारी स्वतः उपलब्ध होगी, इसलिये उन्हें त्वरित और सटीक सहायता मिलेगी।
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में कम-से-कम एक आदर्श वाहन प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके लिये मंत्रालय द्वारा एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य रोज़गार सृजित करने के साथ-साथ देश के भारी व हल्के वाहन चालकों की ज़रूरतों को पूरा करना है। जो चालक खतरनाक/जोखिम वाले वाहन चलाते हैं उन्हें भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है।

वित्त प्रबंधन

- इस योजना के तहत पाँच लाख रुपए की सहायता राशि उन स्वयंसेवी संस्थाओं/ट्रस्टों/सहकारी समितियों को दी जाएगी, जो सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करेंगी।
- प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में पाँच लाख रुपए, दो लाख रुपए तथा एक लाख रुपए के तीन पुरस्कार भी प्रदान किये जाएंगे।
- इसके साथ-साथ एक मोबाइल एप तथा राजमार्ग पर यात्रा करने वालों के लिये टोल फ्री आपात फोन नंबर का भी शुभारंभ किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी 2017-2020 के दौरान स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (Swatantra Sainik Samman Yojana -SSSY) को जारी रखने की मंज़ूरी दी गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 31 मार्च, 2017 को समाप्त हो चुकी है।

- इस योजना को मंज़ूरी मिलने से सम्मान के प्रतीक के रूप में देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उनके योगदान के लिये, उनकी मृत्यु होने पर उनके जीवन साथी और उसके बाद उनके पात्र आश्रितों यानी अविवाहित तथा बेरोज़गार लड़कियों एवं आश्रित माता-पिता को निर्धारित योग्यता नियमों और प्रक्रिया के अनुसार मासिक सम्मान पेंशन प्रदान की जाएगी।

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार द्वारा **1969** में 'अंडमान के पूर्व राजनीतिक कैदियों के लिये पेंशन योजना' शुरू की गई थी। यह योजना उन स्वाधीनता सेनानियों के सम्मान में शुरू की गई थी, जिन्हें पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल में कैद कर दिया गया था।
- वर्ष **1972** में आज़ादी की **25**वीं वर्षगाँठ के अवसर पर स्वाधीनता सैनानियों को नियमित पेंशन देने की योजना शुरू की गई। इसके बाद **1** अगस्त, **1980** में एक उदार योजना लागू की गई, जिसे 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, **1980**' नाम दिया गया।
- वित्त वर्ष **2017-18** से इस योजना का नाम बदलकर 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना' कर दिया गया है।
- आरंभ में पेंशन की राशि **200** रुपए प्रतिमाह थी, समय-समय पर इसमें वृद्धि की गई है। **15** अगस्त, **2016** से पेंशनरों की सभी श्रेणियों के लिये इस राशि को बढ़ा दिया गया है।
- अभी तक स्वाधीनता सेनानी पेंशनरों पर लागू औद्योगिक कर्मचारियों की अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मँहगाई राहत योजना को बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू वर्ष में दो बार दिया जाने वाला महंगाई भत्ता लागू कर दिया गया।
- पेंशनरों को दिये जाने वाले भत्ते को 'महँगाई राहत' नाम दिया गया।

महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नीति आयोग द्वारा 8 मार्च, 2018 को महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म (Women Entrepreneurship Platform - WEP) का शुभारंभ किया गया। नीति आयोग, नीति निर्माण और परामर्श प्रदान करने के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी संस्था है।

विशेषताएँ

- महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म (डब्ल्यूईपी), उद्यमिता का एक ऐसा इको सिस्टम प्रदान करेगा, जहाँ महिलाओं को लिंग आधारित भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- डब्ल्यूईपी महिलाओं को अवसर प्रदान करेगा, जिसके तहत वे अपनी उद्यमिता आधारित इच्छाओं को पूरा कर सकेंगी, नवोन्मेष से जुड़ी गतिविधियों को पूरा कर पाएंगी तथा अपने व्यापार के लिये सतत् पोषणीय और दीर्घ अवधि की रणनीतियों को तैयार कर सकेंगी।

उद्देश्य

- सहयोगी संस्थाओं की सहायता से महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देना।
- महिला उद्यमियों के व्यापार को उद्योग जगत से जोड़ना। वर्तमान में लागू सरकारी व गैर-सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों व सेवाओं में बढ़ोतरी करना।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- व्यापार से जुड़ी समस्याओं की पहचान करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना।
- महिला उद्यमियों के पंजीकरण के लिये एक केंद्रीकृत पोर्टल का निर्माण करना और राष्ट्रीय स्तर पर आँकड़ों को इकट्ठा करना।
- बेहतर उद्यमिता इको सिस्टम के लिये साक्ष्य आधारित नीतियों की अनुशंसा करना।

राष्ट्रीय पोषण मिशन

8 मार्च, 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा झुंझुनू से एक असाधारण पहल राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया गया।

- भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिये **9046.17** करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करते हुए वित्तीय वर्ष **2017-18** से शुरू होने वाले राष्ट्रीय पोषण मिशन (**National Nutrition Mission-NNM)** की शुरुआत की गई है।

रणनीति एवं लक्ष्य

- एनएनएम एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में मंत्रालयों के पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारित करने तथा मार्गदर्शन का काम करेगा।
- राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों में) को कम करना तथा प्रतिवर्ष अल्प वज़नी बच्चों में क्रमश: **2%, 2%, 3%** तथा **2%** की कमी लाना है।

इसमें क्या-क्या शामिल है?

- कुपोषण का समाधान करने हेतु विभिन्न योजनाओं के योगदान का प्रतिचित्रण।
- अत्यधिक मज़बूत अभिसरण तंत्र **(Convergence Mechanism)** प्रारंभ करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी आधारित वास्तविक समय **(Real Time)** निगरानी प्रणाली।
- लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना।
- आईटी आधारित उपकरणों के प्रयोग के लिये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रोत्साहित करना।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा रजिस्टरों के प्रयोग को समाप्त करना।
- आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों का कद मापन प्रारंभ करना।

उपरोक्त के अलावा इसके अंतर्गत लोगों को जन आंदोलन के ज़रिये पोषण संबंधी विभिन्न गतिविधियों आदि के माध्यम से शामिल करना, पोषण संसाधन केंद्रों की स्थापना करना इत्यादि शामिल है।

आईटीबी-बर्लिन ट्रेवल ट्रेड शो

भारत ने आईटीबी-बर्लिन ट्रेवल ट्रेड शो के अंतिम दिन 'सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शक पुरस्कार' (Best Exhibitor Award) जीता है।

- आईटीबी-बर्लिन वर्ल्ड टूरिस्ट मीट **7** मार्च से लेकर **10** मार्च, **2018** तक जर्मनी के बर्लिन में आयोजित की गई थी।
- **100** से भी अधिक देशों ने 'आईटीबी-बर्लिन मीट' में अपने-अपने संबंधित पर्यटन मंत्रियों के माध्यम से शिरकत की।
- इस दौरान भारत के 'अतुल्य भारत (पर्यटन मंत्रालय)' ने **'योगी ऑफ द रेसट्रैक'** नामक एक लघु फिल्म प्रस्तुत की।
- आईटीबी-बर्लिन विश्व का अग्रणी ट्रेवल ट्रेड शो है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

दक्षिण एशिया का पहला संयुक्त HADR केंद्रित हवाई अभ्यास

- भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान (**Southern Air Command**) द्वारा एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास 'संवेदना' **(Samvedna)** का आयोजन किया गया है।
- यह अभ्यास **12-17** मार्च, **2018** को केरल के तट पर आयोजित किया गया।
- यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र का **पहला संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief-HADR) हवाई अभ्यास** है जो आपदा प्रबंधन के लिये कई राष्ट्रों के बीच सहयोग सुनिश्चित करने हेतु वायुसेना आधारित **HADR** समाधानों के अभ्यास पर केंद्रित है।
- बांग्लादेश, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और म्याँमार की वायुसेनाओं ने पहले से ही इस अभ्यास के लिये संसाधन और कर्मियों की तैनाती हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- भारत के पश्चिमी तट पर आई सुनामी आपदा पर आधारित होने के कारण इस अभ्यास में भारत के पश्चिमी द्वीपों और पश्चिमी तट पर मुख्यत: आपदा पश्चात् (**Post-Disastar**) प्रबंधन का अभ्यास किया गया।

यूरोपीय निवेश बैंक-इरेडा समझौता

- यूरोपीय निवेश बैंक (**EIB**) और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (**IREDA**) लिमिटेड ने बिना सरकारी गारंटी वाले **150** मिलियन यूरो के दीर्घकालिक ऋण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
- यह ऋण **15** साल की अवधि के लिये है जिसमें **3** साल की रियायती अवधि (**Grace Period**) शामिल है।
- इसका उपयोग भारत में अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये किया जाएगा।
- इस राशि को फोटोवोल्टिक सेल और पवन ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं में लगाया जाएगा। इन निधियों से उत्पादित स्वच्छ ऊर्जा से **1.1** मिलियन से भी अधिक परिवारों को लाभ होगा।

यूरोपीय निवेश बैंक (EIB)

- **EIB** यूरोपीय संघ की दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था है।
- यह संस्था यूरोपीय संघ की नीतियों को लागू करने के लिये यूरोपीय संघ के अन्य संस्थानों के साथ मिलकर काम करती है और बहुपक्षीय वित्तपोषण का भी कार्य करती है।
- इस बैंक की **90%** से भी अधिक गतिविधियाँ यूरोप में केंद्रित हैं लेकिन विश्व स्तर पर भी यह एक बड़ा निवेशक है।
- **EIB** चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों- नवाचार और कौशल, लघु व्यवसायों के लिये वित्त, बुनियादी ढाँचा तथा जलवायु और पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA-इरेडा)

- यह भारत सरकार के 'नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय' के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत एक मिनीरत्न (श्रेणी **1**) प्रकार की कंपनी है।
- इसका कार्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना तथा इनके विकास हेतु इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- इसे 'कंपनी अधिनियम, **1956**' की धारा **4**'ए' के तहत 'सार्वजनिक वित्तीय संस्थान' **(Public Financial Institution)** के रूप में अधिसूचित किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसे 'भारतीय रिज़र्व बैंक' के नियमों के अंतर्गत 'गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' **(Non-Banking Financial Company)** के रूप में पंजीकृत किया गया है।
- इसे वर्ष **1987** में 'गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था' के रूप में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर गठित किया गया था।

उत्तराखंड का 5th स्प्रिंग बर्ड फेस्टिवल

- उत्तराखंड वन विभाग द्वारा **9** से **11** मार्च तक स्प्रिंग बर्ड फेस्टिवल के पाँचवे संस्करण का आयोजन किया गया। **2014** से इसका आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है।
- यह आयोजन झिलमिल झील **(Jhilmil Jheel)** और थानो आरक्षित वन **(Thano Reserved Forest)** में किया गया।
- एक अनुमान के मुताबिक़ देश में पक्षियों की **1200** प्रजातियाँ मौजूद हैं जिनमें से **710** प्रजातियाँ अकेले उत्तराखंड में ही पाई जाती हैं।
- अभी तक थानो रेंज में **165** और झिलमिल झील में पक्षियों की **225** प्रजातियाँ सूचित की जा चुकी हैं।
- इस फेस्टिवल का उद्देश्य उत्तराखंड के थानो रेंज और झिलमिल झील संरक्षित क्षेत्र को ईको टूरिज़्म डेस्टिनेशन के साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बर्डिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान दिलाना है।
- देहरादून से **24** किमी. दूर अवस्थित साल के वनों, झाड़ियों से घिरा थानो आरक्षित वन बर्डवाचर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिये स्वर्ग की तरह है।
- हरिद्वार से **20** किलोमीटर दूर स्थित झिलमिल झील कंज़र्वेशन रिज़र्व आर्द्रभूमि पक्षियों के लिये महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह उत्तराखंड में एकमात्र स्थान है जहाँ बारहसिंघा देखे जा सकते हैं।

कमान क्षेत्र के विकास पर एक दिवसीय सम्मेलन

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा 13 मार्च, 2018 को नई दिल्ली स्थित सीएसएमआरएस सभागार में कमान क्षेत्र के विकास पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

- इस सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य उन **18** प्रतिभागी राज्यों में कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) के बारे में जागरूकता बढ़ाना है जहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) से जुड़ी परियोजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं।
- इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारों की संबंधित एजेंसियों के साथ-साथ इस क्षेत्र में सक्रिय गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) भी शामिल हैं।
- इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा जिनमें सीएडीडब्ल्यूएम के क्रियान्वयन में नई पहल, सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम का लक्ष्य एवं वर्तमान समय की चुनौतियाँ, पीएमकेएसवाई के तहत सीएडीडब्ल्यूएम क्रियान्वयन और सहभागितापूर्ण सिंचाई प्रबंधन शामिल हैं।

मॉडल कमान क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलापों को प्रस्तावित किया गया है:

- जल संरक्षण करना।
- नहर के ऊपर एवं तटों पर वाष्पीकरण को कम करने के लिये सौर ऊर्जा पैनलों को स्थापित करना तथा जहाँ कहीं उपयोगी हो, वहाँ किसानों के उपयोग हेतु सौर ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि करना।
- समुदाय आधारित जल उपयोग निगरानी।
- सिंचाई के लिये प्राथमिक रूप से शोधित जल का उपयोग करना।
- जहाँ कहीं उपयोगी हो वहाँ सूक्ष्म सिंचाई (टपक एवं छिड़काव सिंचाई) और पाइप सिंचाई को प्रोत्साहन प्रदान करना।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- वाटरशेड प्रबंधन और भूजल का सतत् उपयोग सुनिश्चित करना।
- भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण करना।

15 नए ग्रहों की खोज

जापान के वैज्ञानिकों द्वारा 15 नए ग्रहों की खोज की गई है। इनमें से एक सुपर अर्थ पर पानी के मौजूद होने की भी संभावना व्यक्त की गई है।

प्रमुख बिंदु

- जापान स्थित टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों द्वारा इस शोध के लिये नासा के केपलर अंतरिक्ष यान के दूसरे मिशन **'K2',** हवाई स्थित सुबारु टेलीस्कोप और स्पेन स्थित नॉरडिक ऑप्टिकल टेलीस्कोप से जुटाए गए आँकड़ों का अध्ययन किया गया।
- सौरमंडल के बाहर खोजे गए ये एक्सोप्लैनेट लाल रंग के बौने तारों का चक्कर लगाते हुए पाए गए। लाल तारे आकार में अपेक्षाकृत छोटे और ठंडे होते हैं।
- इस शोध में तीन ऐसे ग्रह खोजे गए जिन्हें सुपर अर्थ का नाम दिया।
- ये ग्रह पृथ्वी से **200** प्रकाश वर्ष दूर स्थित **K2-155** तारे का चक्कर लगाते हुए पाए गए। ये तीनों ग्रह आकार में पृथ्वी से बड़े हैं।
- वैज्ञानिकों द्वारा इस तारे का चक्कर लगा रहे सबसे बाहरी ग्रह **K2-155**डी पर पानी के मौजूद होने की संभावना व्यक्त की गई है।

भारत-रूस : S-400 डिफेंस सिस्टम डील

- भारत लगभग **39000** करोड़ रुपए की लागत वाली पाँच **S-400 Triumf** नामक एयर डिफेंस मिसाइल प्रणालियों को खरीदने की योजना बना रहा है।
- भारत और रूस के बीच **2016** में इससे संबंधित करार हुआ था।

प्रमुख बिंदु

- इस **S-400 Triumf** एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को दुनिया का सबसे सक्षम सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम माना जाता है।
- सतह से हवा में प्रहार करने में सक्षम **S-400 Triumf** रूस की नई एयर डिफेंस मिसाइल प्रणाली का हिस्सा है जिसे **2007** में रूसी सेना में तैनात किया गया था।
- रूस ने इस प्रणाली को सीरिया में तैनात किया है।
- **S-400** मिसाइल प्रणाली **S-300** का उन्नत संस्करण है**,** जो इसके **400** किमी. की रेंज में आने वाली मिसाइलों एवं पाँचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को नष्ट कर सकता है।
- इस प्रणाली में एक साथ तीन मिसाइलें दागी जा सकती हैं।
- इसमें अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट **F-35** को भी गिराने की क्षमता है।
- इस रक्षा प्रणाली से विमानों सहित क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों तथा ज़मीनी लक्ष्यों को भी निशाना बनाया जा सकता है।

महत्त्व

- भारत के लिये **S-400** की तैनाती का मतलब है कि जब पाकिस्तानी विमान अपने हवाई क्षेत्र में उड़ रहे होंगे तब भी उन्हें ट्रैक किया जा सकेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसे भारतीय वायुसेना (**IAF**) द्वारा संचालित किया जाएगा तथा इससे भारत के हवाई क्षेत्र में सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकेगा।
- इससे पहले चीन ने **2014** में छह **S-400** प्रणालियों के लिये **$3** बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किये थे और चीन को अब इनकी आपूर्ति भी होने लगी है।
- दिसंबर **2017** में तुर्की ने ऐसी दो प्रणालियों के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) योजना

आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्रों के लिये एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना शुरू की है जो दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करती है।

- एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना वर्ष **1998** में शुरू की गई थी और इस तरह के प्रथम स्कूल का शुभारंभ वर्ष **2000** में महाराष्ट्र में हुआ था।
- वर्ष **2010** के मौजूदा **EMRS** दिशा-निर्देशों के मुताबिक, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (**ITDA**)/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना (**ITDP**) के तहत कम-से-कम एक **EMR** स्कूल खोला जाएगा, जहाँ अनुसूचित जनजाति के लोगों की आबादी **50** प्रतिशत है।
- राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में **480** छात्रों की क्षमता वाले **EMRS** की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद-**275 (1)** के अंतर्गत अनुदान द्वारा विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (**SAP**) के तहत की जा रही है।
- इसके अंतर्गत न केवल उन्हें उच्च एवं पेशेवर शैक्षिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में रोज़गार हेतु सक्षम बनाने पर बल दिया जा रहा है, बल्कि गैर-अनुसूचित जनजाति की आबादी के समान शिक्षा के सर्वोत्तम अवसरों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।
- प्रत्येक राज्य सरकार/संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासन पूरी तरह से **EMRS** के प्रबंधन और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिये उत्तरदायी है और कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्मिक संबंधी मामलों और स्कूलों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिये राज्य सरकार/संघ-राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा चुनी गई सोसायटी उत्तरदायी होगी।

अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सम्मेलन

14 मार्च को नई दिल्ली में पुलिस प्रमुखों की अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन (International Association of Police Chiefs) के दो दिवसीय एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है।

विषय

- इस सम्मेलन का विषय है, **"2020** में पुलिस चुनौतियाँ-किस तरह साइबर स्पेस अपराध तथा आतंकवाद के प्रति हमारे दृष्टिकोण को आकार दे रहा है, हम इसके अंदर कैसे प्रदर्शन करेंगे और कैसे इसका लाभ उठाएंगे"।

आयोजन

- इस क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन आईएसीपी के एशिया प्रशांत विश्व क्षेत्रीय कार्यालय (एपीडब्ल्यूआरओ) द्वारा गुप्तचर ब्यूरो की साझेदारी में किया गया है।
- एपीडब्ल्यूआरओ के अध्यक्ष के रूप में गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक सम्मेलन के मेज़बान थे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

मुख्य फोकस

- इस सम्मेलन का मुख्य फोकस विभिन्न आतंकवादी/संगठित समूहों तथा चरमपंथी तत्त्वों द्वारा घृणित अपराधों और षडयंत्रों को अंजाम देने के लिये साइबर स्पेस और इसकी अग्रणी टेक्नोलॉजियों के दोहन में उनकी दिलचस्पी पर चर्चा करना है।
- यह सम्मेलन राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष पुलिस अधिकारियों को यह समझने का मंच प्रदान करेगा कि कैसे साइबर स्पेस, साइबर अपराध और आतंकवाद की दिशा में हमारे दृष्टिकोण को आकार दे रहा है और अच्छी पुलिस व्यवस्था के लिये कैसे लाभ उठाया जा सकेगा।
- सम्मेलन में एशिया प्रशांत क्षेत्र-अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कम्बोडिया, दुबई, फिजी, म्याँमार, मंगोलिया, नेपाल, कोरिया गणराज्य, श्रीलंका, ताईवान तथा थाईलैंड के पुलिस संगठनों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त आईएसीपी के अध्यक्ष व आईएसीपी मुख्यालय के वरिष्ठ कार्यकारी ने भाग लिया।

पुलिस प्रमुखों की अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन (International Association of Police Chiefs)

आईएपीसी विश्व के पुलिस/प्रवर्तन अधिकारियों का सबसे बड़ा संगठन है। कानून लागू करने वाले समुदाय की बदलती आवश्यकताओं को पहचानने और उनका समाधान निकालने में आईएसीपी की भूमिका को महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

- **IAPC** प्रथाओं, सहकारी प्रयासों और पुलिस प्रशासकों तथा अन्य संस्थाओं एवं संगठनों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर पुलिस के पेशे को आगे बढ़ाने के लिये प्रतिबद्ध है।
- संघ भर्ती और पुलिस एजेंसियों में योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के प्रशिक्षण के संदर्भ में काम करता है और संभव उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिये दुनिया भर में पुलिस अधिकारियों को प्रोत्साहित करता है।

मिशन

- **IAPC** वकालत, आउटरीच, शिक्षा और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से कानून प्रवर्तन पेशे को आगे बढ़ाने के लिये समर्पित है।

मुख्यालय

- आईएपीसी का मुख्यालय अमेरिका के वर्जिनिया में है। भौगोलिक आधार पर इसके सात विश्व क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- इसमें एपीडब्ल्यूआरओ शामिल है। आईएसीपी की वर्ष में एक बार अमेरिका में बैठक होती हैं, जिसमें विभिन्न विषयों पर पूरे विश्व के **15,000** से अधिक पुलिस अधिकारी विचार-विमर्श करते हैं।
- एशिया प्रशांत विश्व क्षेत्रीय कार्यालय (एपीडब्ल्यूआरओ) की स्थापना नई दिल्ली में **1994** में की गई थी और गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक को इसका अध्यक्ष बनाया गया।
- पहले आईएपीसी, एपीडब्ल्यूआरओ के तत्त्वावधान में नई दिल्ली में चार सम्मेलन – जनवरी **1992** में चौथा आईएसीपी, एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन, मार्च **2001** में आठवाँ आईएसीपी, एशियाई कार्यकारी पुलिस सम्मेलन, सितम्बर **2008** में आतंकवाद पर आईएसीपी संगोष्ठी तथा सितम्बर **2013** में पुलिस व्यवस्था पर सोशल मीडिया के प्रभाव पर क्षेत्रीय सम्मेलन – आयोजित किये गए।

चुंबकीय तूफान (Geomagnetic storm)

कुछ समय पहले 18 मार्च को पृथ्वी पर एक बड़े भू-चुंबकीय तूफान (Geomagnetic Storm) आने की आशंका संबंधी रिपोर्ट चर्चा का विषय बनी हुई है। हालाँकि, इस संबंध में राष्ट्रीय समुद्रीय और वायुमंडलीय प्रशासन (National Oceanic and Atmospheric Administration –NOAA) द्वारा की गई जाँच में यह पाया गया कि इन रिपोर्टों का कोई आधार नहीं है, यह एक बेबुनियादी जानकारी है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

भू-चुंबकीय तूफान

- पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में होने वाले बड़े विक्षोभों को भू-चुंबकीय तूफान कहते हैं। इसके दौरान पृथ्वी की ओर होने वाला सौर विकिरण सामान्य स्तर से काफी अधिक होता है।
- यह विकिरण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संपर्क करते हुए एक भू-चुंबकीय तूफान उत्पन्न करता है।
- भू-चुंबकीय तूफानों की तीव्रता ध्रुवीय प्रकाश के क्षेत्रों में सबसे अधिक होती है।

भू-चुंबकीय तूफानों का वर्गीकरण

- सबसे कमज़ोर भू-चुंबकीय तूफ़ान (**G1**) का प्रभाव यह होता है कि इससे उपग्रह के संचालन में मामूली असर पड़ता है तथा पावर ग्रिड में हल्के उतार-चढ़ाव आते हैं। साथ ही इससे ध्रुवीय ज्योति की परिघटना भी घटित हो सकती है।
- अपनी चरमावस्था में (**G5**) प्रभाव यह होता है कि कुछ ग्रिड सिस्टम के क्षीण होने अथवा ब्लैकआउट होने के साथ वोल्टेज नियंत्रण की समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। रेडियो तरंगों का संचरण बाधित हो सकता है और ध्रुवीय ज्योति को अपेक्षाकृत सामान्य से निम्न अक्षांश पर भी देखा जा सकता है।

QOL-2C: कैंसर के मरीज़ों के लिये एक आयुष ड्रग

केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (CCRAS) ने कैंसर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये एक कोडित दवा AYUSH-QOL-2C का विकास किया है।

प्रमुख बिंदु

- **CCRAS** भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है।
- यह भारत में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक विधि से शोध कार्य प्रतिपादित करने, उसमें समन्वय स्थापित करने, उसका विकास करने एवं उसे समुन्नत करने हेतु एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है।
- केंद्रीय आयुष मंत्री परिषद के शासी निकाय का पदेन अध्यक्ष होता है, जबकि संयुक्त सचिव स्थायी वित्त समिति का अध्यक्ष होता है।
- वैज्ञानिक/अनुसंधान कार्यक्रम, वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड एवं वैज्ञानिक सलाहकार समूह के द्वारा संचालित/पर्यवेक्षित किये जाते हैं।

CCRAS के उद्देश्य

- आयुर्वेद में अनुसंधान का विकास उपक्रम, समन्वय, सहायता एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये **CCRAS** को गतिशील, जीवंत एवं आदर्श अनुसंधान संगठन के रूप में विकसित करना।
- प्रचलित वैज्ञानिक निधियों द्वारा आयुर्वेद वैज्ञानिक निधि के अन्वेषण हेतु आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान तकनीक का विकास करना।
- जीवन शैली से संबंधित उभरते मुख्य रोगों की रोकथाम एवं उपचार तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनुसंधान में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना।

कृषि उन्नति मेला 2018

- **16** से **18** मार्च, **2018** तक नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (**ICAR**), पूसा के परिसर में कृषि उन्नति मेला आयोजित किया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- यह मेला वर्ष **1972** से आयोजित किया जा रहा है।
- यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद **(ICAR)** का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है, जो कि कृषि तकनीकी विकास के बारे में जागरूकता पैदा करने और कृषक समुदाय से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिये आयोजित किया जाता है।
- कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, राज्यों के कृषि विभाग/बागवानी विभाग, उद्यमी और कृषि से जुड़ी निजी एजेंसियाँ ने भी इस मेले में भाग लिया।
- समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा **कृषि कर्मण पुरस्कार** और **पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार** भी वितरित किये गए।
- मेले में बागवानी/ डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, जैविक खेती इनपुट्स (बीज, खाद, कीटनाशक आपूर्ति करने वाली एजेंसियाँ) सहकारी मेला आदि की थीम पेर आधारित पेवेलियन भी स्थापित किये गए।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI)	*भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)*
• पूसा (बिहार) में **1905** में एक अमेरिकी परोपकारी हेनरी फिप्स की वित्तीय सहायता से स्थापित। • **ICAR 1936** से नई दिल्ली में कार्यरत। • संस्थान के लोकप्रिय नाम (पूसा संस्थान) का उद्गम इस संस्थान के पूसा में स्थापित होने को माना जा सकता है। • कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रसार के लिये देश का प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान। • **UGC** अधिनियम **1956** के अंतर्गत 'मानद विश्वविद्यालय' का दर्जा प्राप्त। • कृषि के विभिन्न विषयों में एम.एससी. व पीएच.डी. की उपाधियाँ भी देता है।	• कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग **(DARE),** केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। • इम्पीरियल कृषि अनुसंधान परिषद के रूप में **16** जुलाई, **1929** को कृषि पर रॉयल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसरण में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, **1860** के तहत स्थापित। • इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। • पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन एवं पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन तथा प्रबंधन के लिये सर्वोच्च संस्था है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

- विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है जो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलन में उत्सव और एकजुटता का प्रतीक है।
- प्रत्येक वर्ष **15** मार्च को उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है।
- उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा इस वर्ष यह दिवस **'डिजिटल बाज़ारों को ज़्यादा पारदर्शी बनाना' (Making Digital Marketplaces Fairer)** की थीम के साथ मनाया गया।
- यह आयोजन उपभोक्ताओं को बाज़ार में अनुचित व्यवहारों और सामाजिक अन्यायों के खिलाफ आवाज़ उठाने का मौका देता है।

पृष्ठभूमि

- **15** मार्च, **1962** को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जे.एफ. कैनेडी ने उपभोक्तावाद की महत्ता पर ज़ोर देते हुए अमेरिकी संसद के समक्ष 'उपभोक्ता अधिकार बिल' की रूपरेखा प्रस्तुत की थी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसलिये प्रत्येक वर्ष **15** मार्च का दिन 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' के रूप में मनाया जाता है।
- **24** दिसंबर, **1986** को भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिये एक बड़ा कदम उठाते हुए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, **1986** पारित किया गया।
- तभी से **24** दिसंबर का दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में समान रूप से लागू है।
- इसका स्थान लेने के लिये लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक **2018** पेश किया गया है।

उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र

12 मार्च, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्राँस के राष्ट्रपति इमानुल मैक्रोन ने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में राज्य के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस संयंत्र की स्थापना उत्तर प्रदेश नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण (नेडा) और फ्रेंच कंपनी सोलर डायरेक्ट ने मिलकर की है। इसे नेशनल ग्रिड से जोड़े जाने की भी योजना है।
- **100** मेगावाट क्षमता के इस सौर ऊर्जा संयंत्र से अभी **75** मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।
- मिर्ज़ापुर से **25** किलोमीटर दूर अवस्थित दादरकलां में स्थापित किये गए इस सौर ऊर्जा संयंत्र पर **560** करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
- इस संयंत्र में **3,18,650** सौर प्लेटें लगाई गई हैं और प्रत्येक प्लेट **315** वाट विद्युत का उत्पादन करने में सक्षम है। इस संयंत्र से प्रतिदिन पाँच लाख यूनिट विद्युत उत्पादन होगा, जिससे लगभग एक लाख परिवार लाभान्वित होंगे।
- भारत सरकार की ओर से इस परियोजना को **74.25** लाख रुपए प्रति मेगावाट की दर से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (**VGF**) प्रदान किया गया है।
- यह सौर पार्क लखनऊ सोलर पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (**LSPDC**), जो भारत सरकार के नियंत्रणाधीन उपक्रम भारतीय सौर ऊर्जा निगम लि. (**SECI**) और वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान (**NEDA**), उत्तर प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है, के अधीन स्थापित किया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में **50** मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र पहले ही स्थापित किया जा चुका है। जालौन जनपद में **40** मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र कमीशनिंग के लिये तैयार है।
- इस सौर संयंत्र को मिलाकर उत्तर प्रदेश में कुल **165** मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं।

अल्पसंख्यक साइबर ग्राम योजना

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा फरवरी 2014 में राजस्थान में अलवर जिले के एक गाँव चांदौली, (जहाँ की अधिकांश आबादी अल्पसंख्यक समुदायों की है) में डिजिटल साक्षरता के लिये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अल्पसंख्यक साइबर ग्राम योजना को लॉन्च किया गया था।

- इस पहल का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को कंप्यूटर में प्रशिक्षण देना है ताकि डिजिटल रूप से साक्षर होने के लिये वे आधारभूत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित कौशल प्राप्त कर सकें और ज्ञान आधारित गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के साथ ही वित्तीय, सामाजिक और सरकारी सेवाओं से लाभान्वित हो सकें।
- मंत्रालय ने एक विशेष पहल के रूप में साइबर ग्राम परियोजना को वर्ष **2014-15** में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (**Multi-sectoral Development Programme**) की मुख्यधारा में शामिल कर लिया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस योजना में अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन) के कक्षा **6** से कक्षा **10** के उन छात्रों को शामिल किया गया है जो बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (**MSDP**) के तहत चिह्नित किये गए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अधिवासित हैं।
- इस परियोजना को राज्यों/संघ,शासित प्रदेशों के सहयोग से कॉमन सर्विस सेंटर (**Common Service Center-CSC**) ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक कंपनी है, के ज़रिये कार्यान्वित किया जा रहा है।

ई-ऑफिस कार्यक्रम

हाल ही में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा 34 मंत्रालयों / विभागों को ई-ऑफिस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये पुरस्कार दिये गए हैं। DARPG सचिव के अनुसार सम्मानित किये गए इन मंत्रालयों ने 80% या इससे अधिक तक ई-ऑफिस कार्यक्रम को लागू कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- ई-ऑफिस कार्यक्रम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में से एक है।
- ई-ऑफिस सरकार के सभी स्तरों पर किये जाने वाले मुख्य कार्यों को एक आभासी 'कागज़-रहित' वातावरण में संपादित करने की सुविधा उपलब्ध कराता है।
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (**DARPG**) ई-ऑफिस परियोजना के कार्यान्वयन के लिये नोडल विभाग है।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (**NIC**) इस परियोजना का तकनीकी भागीदार है।
- ई-ऑफिस अनुप्रयोग एक खुली **और उत्तरदायी सरकार के उद्देश्य को साकार करने** की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- **DARPG** ने **केंद्रीय मंत्रालयों**/विभागों द्वारा ई-ऑफिस के **कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी** के लिये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (**PMU**) भी स्थापित किया।
- इस सतत् **और सक्रिय निगरानी के परिणामस्वरूप,** ई-ऑफिस पर मंत्रालयों/**विभागों** की संख्या **6** से **34** तक बढ़ गई है। इस अवधि के दौरान सक्रिय ई-फाइलों की संख्या **7,848** से बढ़कर **7,33,374** हो गई है।
- सरकार का उद्देश्य **निकट भविष्य में अपने सभी मंत्रालयों** / विभागों में कागज़-रहित कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएँ सुनिश्चित करना है।

105वीं भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस

भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 105वीं भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस का उद्घाटन किया गया। सामान्यत: भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस का जनवरी के पहले सप्ताह में हर वर्ष आयोजन होता है जिसमें देश भर से शीर्ष वैज्ञानिक इस सम्मेलन में शिरकत करते हैं।

प्रमुख बिंदु

- इस बार के आयोजन में **नोबल पुरस्कार** से सम्मानित प्रो. मोहम्मद युनूस, प्रो. हीरोशी अमानो और दलाई लामा भी **शामिल हुए।**
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर के **वैज्ञानिकों,** विद्वानों और कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों सहित लगभग **5,000** प्रतिनिधि इसमें **शामिल हुए।**
- यह कॉन्ग्रेस वहनीय संधारणीय नवाचारों को बढ़ावा देने के लिये **रूपांतरणकारी** विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- पाँच दिनों के दौरान 'सभी के लिये विज्ञान' **(Science for All),** 'समावेशी सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका' और 'विज्ञान तथा समाज: नवाचार के माध्यम से दूरियों को पाटना' आदि पर विचार-विमर्श किया गया।
- एक प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव भी प्रदर्शित किया गया जिसमें शीर्ष स्तर के नवाचारियों और उद्यमी शोधकर्त्ताओं को आमंत्रित किया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- **104**वीं विज्ञान कॉन्ग्रेस का आयोजन आंध्र प्रदेश के तिरूपति में हुआ था।
- पहले इस कॉन्ग्रेस का आयोजन **3-7** जनवरी को हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय में किया जाना था किंतु सुरक्षा कारणों के चलते इसे मणिपुर विश्वविद्यालय में स्थांतरित कर दिया गया।
- भारतीय विज्ञान कॉन्ग्रेस संघ (**Indian Science Congress Association)** द्वारा **1914** से विज्ञान कॉन्ग्रेस का आयोजन किया जा रहा है जिसका उद्देश्य भारत में वैज्ञानिक मनोवृत्ति, आधुनिक विज्ञान और समाज के विकास के लिये इसका सही उपयोग करना है।

कुसुम योजना

किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान अथवा कुसुम (Kisan Urja Surksha evam Utthaan Mahaabhiyan - KUSUM) योजना के लिये बजट 2018-19 में दस वर्षों के लिये 48000 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।

उद्देश्य

- विकेंद्रित सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन।
- संप्रेषण नुकसान में कमी।
- कृषि क्षेत्र के सब्सिडी भार को कम करके बिजली वितरण कंपनियों को वित्तीय समर्थन।
- **RPO (Renewable Purchase Obligation)** लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये राज्यों को समर्थन।
- ऑफ ग्रिड और ग्रिड से जुड़े सौर जल-पंपों के माध्यम से निश्चित जल संसाधन जुटाकर किसानों को जल सुरक्षा प्रदान करना।
- राज्य के सिंचाई विभागों की सिंचाई क्षमता के उपयोग के लिये विश्वसनीय रूप से ऊर्जा प्रदान करना।
- रूफ टॉप तथा बड़े पार्कों के बीच माध्यमिक दायरे में सौर बिजली उत्पादन की रिक्तता को भरना।

भारत सरकार कुसुम योजना को अंतिम रूप देने के चरण में है जो अन्य बातों के साथ निम्नलिखित लाभ प्रदान कराएगी-

- ग्रामीण क्षेत्रों में **2** मेगावाट तक की क्षमता वाले ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।
- ग्रिड से नहीं जुड़े किसानों की सिंचाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सौर जल-पंपों की स्थापना।
- किसानों को ग्रिड की आपूर्ति से स्वतंत्र बनाने के लिये ग्रिड से जुड़े मौजूदा कृषि पंपों का सौर्यीकरण (**Solarization)**।
- सिंचाई आवश्यकताओं के लिहाज़ से दूरदराज़ के क्षेत्रों में स्थापित किये जाने वाले इन सौर जल-पंपों से अतिरिक्त सौर ऊर्जा को डिस्कॉम्स को बेचकर किसान के लिये आय के अतिरिक्त स्रोत का निर्माण।
- सरकारी क्षेत्र के ट्यूबवेलों और लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं का सौर्यीकरण।
- इस योजना में बंजर और व्यर्थ भूमि पर सौर संयंत्र स्थापित किये जाने से इनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।
- इस योजना के सफल क्रियान्वयन से जल संरक्षण, जल सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता जैसे लाभ भी प्राप्त होंगे।

अटल भू-जल योजना

केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2018 से देश में भू-जल संरक्षण तथा इसका स्तर बढ़ाने के लिये एक महत्त्वाकांक्षी **'अटल भू-जल योजना'** शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- इस योजना हेतु **6000** करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें विश्व बैंक और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी क्रमश: **50:50** प्रतिशत की रहेगी।
- इस योजना को गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जल की कमी वाले क्षेत्रों हेतु प्रस्तावित किया गया है।
- इसके अंतर्गत इन प्रदेशों के **78** ज़िलों, **193** ब्लॉकों और **8350** ग्राम पंचायतों को शामिल किया जाएगा।

आवश्यकता क्यों?

- केंद्रीय भूजल बोर्ड की विगत वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार, देश के **6584** भूजल ब्लॉकों में से **1034** ब्लॉकों का अत्यधिक उपयोग किया गया है। इसे 'डार्क जोन' अर्थात् पानी के संकट की स्थिति के रूप में संबोधित किया जाता है।
- जल संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आँकड़ों के अनुसार, भारत में जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता वर्ष **1951** में **5177** घनमीटर से घटकर वर्ष **2011** में **1545** घनमीटर रह गई है। इसका एक अहम कारण वार्षिक जल उपलब्धता (आपूर्ति) से अधिक जल के उपभोग पर उचित एवं प्रभावी नियंत्रण की कमी होना है।
- ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय जल मिशन के तहत भी देश के **11** राज्यों-आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को कार्य निष्पादन आधारित जल संचालन के उद्देश्य मॉडल के तौर पर तैयार करने की पहल की गई है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा नेटवर्क 2018

भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा नेटवर्क 2018 के 17वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 21 मार्च से 23 मार्च, 2018 तक किया गया।

- **2009** में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा नेटवर्क (आईसीएन) में शामिल होने के बाद भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा नेटवर्क **2018** का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया।
- आईसीएन एक अनौपचारिक नेटवर्क है जिसमें **125** क्षेत्राधिकारों के **138** प्रतिस्पर्द्धा प्राधिकरण शामिल हैं।
- प्रतिस्पर्द्धा कानून और नीति के क्षेत्र में आईसीएन का यह वार्षिक सम्मेलन एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
- इसके **17**वें संस्करण में **100** से अधिक देशों के प्रतिस्पर्द्धा प्राधिकरणों के **500** से अधिक प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी, गैर-सरकारी सलाहकार, जाने माने विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री भी शामिल रहें।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग

- किसी भी अर्थव्यवस्था में 'बेहतर प्रतिस्पर्द्धा' का अर्थ होता है- आम आदमी तक किसी भी गुणात्मक वस्तु या सेवा की बेहतर कीमत पर उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- 'प्रतिस्पर्द्धा' के इसी वृहद् अर्थ को आत्मसात् करते हुए संसद ने वर्ष **2002** में 'प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, **2002' (The Competition Act, 2002)** बनाया, जिसे वर्ष **2007** में संशोधित कर नए नियमों के साथ संबंधित किया गया।
- इस आयोग में एक अध्यक्ष एवं छः सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा 'नियुक्त' **(appoint)** किया जाता है। चूँकि, यह एक अधिनियम के माध्यम से बना आयोग/निकाय है। अतः यह एक 'सांविधिक' संस्था है, न कि 'संवैधानिक'। इस 'आयोग' का ज़िक्र भारतीय संविधान में नहीं किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख कार्य

- प्रतिस्पर्द्धा को कुप्रभावित करने वाले चलन (**Practices)** को समाप्त करना एवं टिकाऊ प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करना।
- उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना।
- भारतीय बाज़ार में 'व्यापार की स्वतंत्रता' को सुनिश्चित करना।
- किसी प्राधिकरण द्वारा संदर्भित मुद्दों पर प्रतियोगिता से संबंधित राय प्रदान करना।
- जन जागरूकता का प्रसार करना।
- प्रतिस्पर्द्धा से संबंधित मामलों में प्रशिक्षण प्रदान करना।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिये मातृत्व लाभ उपलब्ध है। इसमें वे महिलाएँ शामिल नहीं हैं, जो केंद्र या राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित कर्मचारी हैं।

- इनके अलावा इस समय लागू किसी भी कानून के अंतर्गत इसी प्रकार का लाभ पाने वाली महिलाओँ को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

उद्देश्य

- इस योजना के उद्देश्य हैं:

(i) गर्भवती महिला के वेतन में कटौती के लिये नकद प्रोत्साहन राशि के रुप में आंशिक मुआवज़ा प्रदान करना है, ताकि महिला पहले बच्चे के जन्म से पहले तथा बाद में पर्याप्त आराम कर सके।

(ii) नकद प्रोत्साहन राशि से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

- इस योजना के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देश, इस योजना को शुरू करने के सॉफ्टवेयर अर्थात् प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सामान्य आवेदन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस) और इसकी नियमावली का शुभारंभ **1** सितम्बर, **2017** को किया गया था।
- पीएमएमवीवाई को राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- पीएमएमवीवाई के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को **5,000** रुपए दिये जाते हैं और शेष राशि जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद दी जाती है। इस प्रकार औसतन एक महिला को **6,000** रुपए प्राप्त होते हैं।

मोटर न्यूरॉन बीमारी

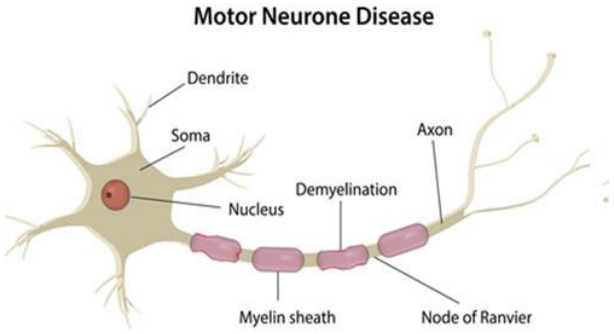

Copyright– Drishti The Vision Foundation

इस बीमारी के कारण दुनिया के जाने-माने वैज्ञानिक स्टीफन हाकिंग्स का निधन हो गया। उन्होंने बिग बैंग और ब्लैक होल जैसी महत्त्वपूर्ण थ्योरी दी थी।

- यह बीमारी हमेशा जानलेवा होती है, साथ ही मनुष्य के जीवित रहने की अवधि को भी कम कर देती है। हालाँकि, कुछ अपवाद भी होते है, जैसे- प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के मामले में हुआ।

लक्षण

- इस बीमारी के लक्षणों के बारे में अचानक से कुछ स्पष्ट नहीं होता है बल्कि धीरे-धीरे ये सामने आते हैं। आमतौर पर यह बीमारी **60** से **70** वर्ष की आयु वर्ग में होती है लेकिन कुछ विशेष स्थितियों में यह किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है।
  - ✓ एड़ी या पैर में कमज़ोरी महसूस होना, लड़खड़ाहट पैदा होना, व्यक्ति को बोलने और खाना निगलने में परेशानी होना, हाथ की पकड़ कमज़ोर होना, माँसपेशियों में खिंचाव आने की संभावना बढ़ना, वज़न कम होना आदि।
- इसके विषय में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मोटर न्यूरॉन बीमारी या उससे जुड़ी परेशानी फ्रंटोटेम्परल डिमेंशिया से पीड़ित व्यक्तियों के समीप रहने वाले लोगों को भी यह बीमारी होने की संभावना रहती है। हालाँकि ऐसे मामले बहुत कम होते हैं।

'न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर

बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता इरफ़ान खान के 'न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर' नामक एक दुर्लभ किस्म के ट्यूमर से पीड़ित होने की खबर चर्चा का विषय बनी हुई थी।

- यह एक प्रकार का ट्यूमर होता है जो शरीर के उन हिस्सों में होता है जहाँ हार्मोन्स का निर्माण एवं संचरण होता है।
- एंडोक्राइन ट्यूमर उन कोशिकाओं अर्थात् सेल्स से बनता है, जो हार्मोन्स बनाती है। जिन सेल्स में यह ट्यूमर पैदा होता है वह हार्मोन्स बनाने वाली एंडोक्राइन सेल्स और नर्व सेल्स का संयुक्त रूप होती है।
- न्यूरो का अर्थ केवल दिमागी नसों से नहीं लगाया जाना चाहिये, ये सेल्स पूरे शरीर में पाई जाती हैं, उदाहरण के तौर पर, फेफड़ों, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसमें पेट और आँत भी आते हैं।
- न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर आनुवंशिक रूप से भी हो सकता है।

न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर के प्रकार

- फियोक्रोमोसाइटोमा
- मेर्केल सेल कैंसर
- न्यूरोएंडोक्राइन कार्सिनोमा

ट्यूमर क्या होता है?

- ट्यूमर शरीर में मौजूद सेल्स का वह भाग होता है जो अनियंत्रित होकर अचानक से बढ़ने लगता है। धीरे-धीरे यह शरीर में माँस के एक लोथड़े के रूप में इकट्ठा होने लगता है।
- कैंसर युक्त ट्यूमर घातक होता है, यदि इसके विषय में शुरुआती चरण में जानकारी न हो तो यह तेज़ी से बढ़कर शरीर के अन्य अंगों में फैल जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

नवाचार एवं उद्यमशीलता पर्व (Festival of Innovation and Entrepreneurship-FINE)

- **19** मार्च को राष्ट्रपति भवन में नवाचार एवं उद्यमशीलता पर्व (**FINE**) का राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया और सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीस एंड इंस्टीट्यूशंस (**SRISTI**) द्वारा गठित गांधीवादी युवा प्रौद्योगिकीय नवाचार पुरस्कार भी प्रदान किये गए।
- **FINE** नवाचारों को स्वीकृति देने, सम्मानित करने, प्रदर्शित करने तथा नवोन्मेषकों के लिये एक सहायक प्रणाली को बढ़ावा देने से संबंधित एक पहल है जिसका आयोजन **19** से **23** मार्च, **2018** तक राष्ट्रपति भवन में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा राष्ट्रीय नवोन्मेषण फाउंडेशन, इंडिया के सहयोग से किया गया।
- **FINE** नवोन्मेषकों के लिये संभावित हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करने का एक मंच मुहैया कराएगा जिसका सहयोग नवोन्मेषकों को उनके विचारों को व्यापक सामाजिक कल्याण के लिये कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में परिणत करने में सहायक हो सकता है।
- **FINE** में एक 'इन-रेसीडेंस' कार्यक्रम भी शामिल है जिसके एक हिस्से के रूप में **10** नवोन्मेषण विद्वानों का एक समूह प्रेसीडेंट एस्टेट में रहेगा और उन्हें संरक्षण एवं मुख्य हितधारकों के साथ विचारों को साझा करने का एक अवसर उपलब्ध होगा।

SRISTI-सृष्टि

- सृष्टि (हिंदी में अर्थ है सृजन) की स्थापना **1993** में ज़मीनी स्तर पर सृजनात्मकता की पहचान, सम्मान और पुरस्कार देने की हनी बी नेटवर्क (**Honey Bee Network**) की गतिविधियों को समर्थन देने के लिये की गई थी।
- हनी बी निष्पक्ष, प्रामाणिक और जवाबदेह संभाषण दर्शन का प्रतीक है। यह लोगों-को-लोगों से सीखने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- सृष्टि ज्ञान से समृद्ध, लेकिन आर्थिक रूप से गरीब लोगों को उनकी समकालीन रचनात्मकता और उनके परंपरागत ज्ञान में मूल्य जोड़कर सशक्त बनाने के लिये समर्पित है।
- सृष्टि के कार्य हैं : व्यवस्थित दस्तावेज़ीकरण, ज़मीनी हरित नवप्रवर्तनों का प्रसार और उनका मूल्यवर्द्धन, मूल स्थान पर या इसके बाहर स्थानीय जैव विविधता और जुड़े ज्ञान प्रणालियों के संरक्षण में मदद करने के अलावा बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण और जोखिम पूंजी समर्थन का प्रावधान करना।

राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम (Street Light National Programme)

बिहार के आरा ज़िले में SLNP के तहत केवल तीन सप्ताह के रिकॉर्ड समय में 4,611 स्मार्ट LED लगाई गई हैं। आरा नगर निगम की इससे प्रतिवर्ष 27 लाख किलोवाट ऊर्जा तथा सात वर्षों के दौरान 13.6 करोड़ रुपए की बचत करने की उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु

- **SLNP** देश में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिये सरकार की एक पहल है जिसकी शुरुआत **5** जनवरी, **2015** को प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी।
- इसका उद्देश्य मार्च **2019** तक **1.34** करोड़ तथा समग्र रूप से **3.5** करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइट के स्थान पर ऊर्जा कुशल **LED** लाइट लगाना है।
- **SLNP** को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (**EESL**) द्वारा लागू किया जा रहा है, जो ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।
- इस कार्यक्रम से **900** करोड़ यूनिट बिज़ली और स्थानीय निकायों के लगभग **5500** करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष बचत होगी।
- इसके तहत अभी तक **28** राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में **49** लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

LED बल्ब के लाभ

- ये साधारण बल्ब की तुलना में **50** गुना अधिक समय तक चलते हैं।
- **CFL** की तुलना में **8** से **10** गुना अधिक टिकाऊ होते हैं।
- कम बिजली की खपत में अधिक रोशनी देते हैं। इसीलिये इनसे बिजली और पैसे दोनों की बचत होती है।
- इनमें मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिये कोई हानिकारक पदार्थ नहीं होता है।
- शीघ्रता से चालू और बंद होते हैं। अत: बार–बार **ON-OFF** से इनके जीवनकाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
- कम वोल्टेज पर भी बेहतर तरीके से काम करते हैं।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर भारत-जापान की संयुक्त कार्यशाला

विश्व के दो सर्वाधिक आपदा संभावित देश भारत और जापान द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction-DRR) पर पहली कार्यशाला का आयोजन 19 मार्च से किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यशाला का आयोजन संयुक्त रूप से भारत और जापान की सरकारों के गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।
- यह कार्यशाला **2017** में भारत-जापान के बीच हस्ताक्षर किये गए सहयोग समझौते का परिणाम है जिसका उद्देश्य **DRR** में सहयोग के क्षेत्रों पर एक विशिष्ट द्विपक्षीय कार्य योजना का विकास करना है।
- इस दो दिवसीय कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा आपदा जोखिम कद कम करने (**DRR**), खासकर भूकंपों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
- जापान प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के तट पर स्थित है और भूकंप के लिहाज से यह बेहद संवेदनशील देश है।
- विनाशकारी भूकंपों के इसके लंबे इतिहास को देखते हुए, जापान में समुदायिक जागरूकता का स्तर बेहद उच्च है।
- इसका प्रौद्योगिकीय ज्ञान, विशेष रूप से, भूकंप जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में दुनिया के सर्वाधिक उन्नत देशों में से एक है।
- भारत में तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है और अवसंरचना क्षेत्र में व्यापक निवेश तय है। चूँकि भारत के भू-भाग का लगभग **59%** मध्यम से बेहद तीव्र आवेग वाले भूकंपों के प्रति संवेदनशील है, यह न केवल किसी भूकंप की स्थिति में मानव जीवन को बचाएगा बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभदायक है।
- यह कार्यशाला ऐसे खोज करने का अवसर भी प्रस्तुत करेगी कि किस प्रकार जापान अपनी अवसंरचना को वर्तमान एवं भविष्य के आपदा जोखिमों से निपटने के अनुकूल बनाए रखने में निवेश करता है।

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट-2018

- संयुक्त राष्ट्र की संस्था सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क (**SDSN**) द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को **156 देशों की सूची में 133वें स्थान** पर रखा गया है। **2017** की रिपोर्ट में भारत **122** वें स्थान पर था।
- यह इस सीरीज़ की छठी रिपोर्ट है। **2012** में ऐसी पहली रिपोर्ट जारी की गई थी।

प्रमुख बिंदु

रिपोर्ट में देशों की रैंकिंग निम्नलिखित 6 कारकों पर आधारित है-

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद।
- स्वस्थ जीवनकाल।
- सामाजिक सुरक्षा।
- आपसी विश्वास (सरकार और निजी कारोबार में भ्रष्टाचार को लेकर आम धारणा)।
- सामाजिक स्वंतत्रता (अपनी जिंदगी के फैसले लेने में लोग कितना स्वतंत्र महसूस करते हैं)।
- उदारता (दिये गए चंदे)।

भारत की अन्य देशों से तुलना

- इस बार की सूची में भारत की रैंकिंग में **11** स्थान की गिरावट हुई है। भारत के पड़ोसी देश और अन्य सार्क देश इस मामलें में अच्छी स्थिति में हैं।
- भारत के पड़ोसी देशों में **75**वें स्थान के साथ पाकिस्तान सर्वाधिक प्रसन्न देश है।
- इस सूची में चीन को **86**वाँ स्थान दिया गया है और भूटान तथा नेपाल को क्रमश: **97**वाँ और **101**वाँ स्थान दिया गया है।
- रोहिंग्या-बौद्ध नृजातीय संघर्ष से जूझ रहे म्याँमार को इस सूची में **130**वें स्थान पर तथा बांग्लादेश और श्रीलंका को क्रमश: **115**वें और **116**वें स्थान पर रखा गया है।
- अफगानिस्तान ही वह एकमात्र देश है जिसका स्थान भारत से नीचे (**145**वाँ) है।

वैश्विक परिदृश्य

- फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड और स्विट्ज़रलैंड विश्व के सर्वाधिक प्रसन्न देश हैं, जबकि बुरुंडी, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी सूडान, तंजानिया, यमन इस सूची में सबसे निचले पायदान पर अवस्थित देश है।
- भारत के साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की रैंकिंग में भी कमी देखने को मिली है। इस सूची में अमेरिका और ब्रिटेन क्रमश: **18**वें और **19**वें स्थान पर हैं।
- अमेरिका **2017** में **14**वें स्थान पर था। अमेरिका में तनाव और अवसाद, मोटापा, मादक पदार्थों के उपयोग जैसी समस्याएँ तेजी से बढ़ी हैं। अमेरिका में लोग अमीर तो होते जा रहे है किंतु खुशहाली कम होती जा रही है।

आदर्श स्मारक योजना

केंद्र सरकार द्वारा आदर्श स्मारक योजना के अंतर्गत आदर्श स्मारकों के रूप में विकसित किये जाने के लिये 25 स्मारकों को चिह्नित किया गया है। भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की इस योजना के लिये देश भर में संरक्षित 3680 राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों व पुरातात्त्विक धरोहरों में से 25 को चिह्नित किया गया है। योजना के तहत इन पुरातात्त्विक धरोहर स्थलों में विश्वस्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उनका विश्व मानकों के अनुरूप विकास किया जाएगा।

विशेषताएँ

- स्मारकों को पर्यटक अनुकूल बनाया जाएगा।
- प्रसाधन कक्ष, पेयजल, संकेतक, कैफेटेरिया और वाई-फाई सुविधाओं को अपग्रेड किया जाएगा।
- व्याख्या और श्रव्य-दृश्य केंद्रों की व्यवस्था की जाएगी।
- गंदे पानी और कूड़ा निस्तारण एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी।
- स्मारकों को विकलांगों के अनुकूल बनाया जाएगा।
- स्वच्छ भारत अभियान को कार्यान्वनित किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

केंद्र संरक्षित स्मारकों की सूची

क्रम सं.	स्मारक का नाम	क्रम सं.	स्मारक का नाम
1.	रंग घर शिवसागर (असम)	2.	वैशाली-कोल्हुवा (बिहार)
3.	हुमायूँ का मकबरा (दिल्ली)	4.	कुतुब परिसर (दिल्ली)
5.	लाल किला (दिल्ली)	6.	रानी की वाव, पाटन (गुजरात)
7.	शैलकृत मंदिर, मसरूर (हिमाचल प्रदेश)	8.	लेह महल (जम्मू-कश्मीर)
9.	मार्तंड मंदिर (जम्मू-कश्मीर)	10.	हम्पी, बेल्लारी (कर्नाटक)
11.	पट्टदकल स्मारक समूह (कर्नाटक)	12.	एलिफेंटा गुफाएँ, मुंबई (महाराष्ट्र)
13.	दौलताबाद किला (महाराष्ट्र)	14.	मांडू (मध्य प्रदेश)
15.	खजुराहो (मध्य प्रदेश)	16.	कोणार्क मंदिर (ओडिशा)
17.	कुंभलगढ़ किला, केलवाड़ा (राजस्थान)	18.	तटीय मंदिर, महाबलीपुरम (तमिलनाडु)
19.	बृहदेश्वर मंदिर, तंजावूर (तमिलनाडु)	20.	ताजमहल (उत्तर प्रदेश)
21.	फतेहपुर सीकरी स्थित स्मारक समूह, आगरा (उत्तर प्रदेश)	22.	श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश)
23.	सारनाथ, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	24.	जागेश्वर मंदिर समूह, अल्मोड़ा (उत्तराखंड)
25.	हजारद्वारी महल, मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल)		

संयुक्त द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास 'वरुण'

अरब सागर में गोवा तट के पास भारत और फ्राँस के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 'वरुण-18 की शुरुआत की गई। इस सत्र के अंतर्गत पनडुब्बी रोधी, हवाई रक्षा और अलग-अलग रणनीतियों वाले अभ्यासों को शामिल किया गया है।

- इस अभ्यास के अंतर्गत फ्राँसीसी नौसेना का पनडुब्बी-रोधी युद्ध पोत 'ज्यां डी वियने', भारतीय नौसेना का पोत 'आईएनएस मुंबई' और युद्ध पोत 'आईएनएस त्रिखंड' भाग ले रहे हैं।
- इसके अतिरिक्त भारतीय नौसेना की पनडुब्बी 'कलवरी', पी**8-1** और' डॉर्नियर' समुद्री गश्ती विमान एवं 'मिग-**29** के' लड़ाकू विमान भी इस अभ्यास सत्र में भाग ले रहे हैं।

'वरुण-18'

- इस अभ्यास को तीन समुद्री क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा।
- 'वरुण-**18**' को अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और दक्षिण-पश्चिमी हिंद महासागर सहित तीन समुद्री क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा।
- संयुक्त द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास 'वरुण' की शुरुआत वर्ष **2000** में हुई थी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सौर ऊर्जा की माप हेतु नासा का नया उपकरण

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश ऊर्जा को मापने हेतु एक नए उपकरण के निर्माण के संबंध में कार्य आरंभ कर दिया गया है। टोटल एंड स्पेक्ट्रल सोलर इरेडिएंस सेंसर-1 (Total and Spectral solar Irradiance Sensor-1) नामक इस उपकरण को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन International Space Station (ISS) में स्थापित किया गया है।

- इस उपकरण द्वारा एकत्रित की गई जानकारियों के आधार पर पृथ्वी की ओज़ोन परत, वायुमंडल और पारिस्थितिकी तंत्र (इको सिस्टम) पर पड़ने वाले सूर्य के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकेगा।
- आईएसएस में स्थापित दो सेंसर में से एक 'टोटल इरेडिएंस मॉनिटर' से सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा का अध्ययन किया जाएगा। इससे पिछले **40** सालों में सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की जानकारी प्राप्त होने की संभावना है।
- स्पेक्ट्रल इरेडिएंस मॉनिटर नामक दूसरे सेंसर से सूर्य की ऊर्जा के वितरण का विश्लेषण किया जाएगा। दरअसल, प्रकाश ऊर्जा अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों आदि में विभक्त हो जाती है।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि ऊर्जा के विभाजन का अध्ययन अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य से निकली प्रत्येक प्रकाश-तरंग की लंबाई पृथ्वी के वातावरण पर अलग प्रभाव डालती है। उदाहरण के तौर पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों के अध्ययन से हम पृथ्वी की ओज़ोन परत की जानकारी जुटा पाएंगे।

नासा का हैमर प्रोजेक्ट

पृथ्वी की तरफ बढ़े रहे खतरनाक क्षुद्र ग्रहों (Asteroids) और चट्टानों से निपटने के लिये अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा एक स्पेसक्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।

- इस योजना में नासा के अलावा अमेरिका का राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन **(National Nuclear Security Administration)** भी शामिल है।
- लगभग आठ टन वज़नी इस स्पेसक्राफ्ट को हैमर **(HAMMER)** नाम दिया गया है। इसका पूरा नाम हाइपर वेलोसिटी एस्टेरोइड मिटीगेशन मिशन फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स **(Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response)** है।
- हैमर के माध्यम से 'बेनु' नामक क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी पर आने से रोका जाएगा जिसके **2035** में धरती तक पहुँचने की संभावना है। हैमर इसे नष्ट करने के लिये अपने साथ एक परमाणु बम भी लेकर जाएगा।
- 'बेनु' लगभग **1500** फुट से ज़्यादा व्यास वाला क्षुद्र ग्रह है जो **63000** किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से सूर्य का चक्कर लगा रहा है।
- वहीं, रूस के वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु बम के स्थान पर लेज़र बीम के प्रयोग पर विचार किया जा रहा है।

बीआईआरएसी का छठा स्थापना दिवस

20 मार्च को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (Biotechnology Industry Research Assistance Council-BIRAC) द्वारा नई दिल्ली में अपना छठा स्थापना दिवस मनाया गया।

- इस वर्ष का विषय है 'निरंतर नवाचार-एक बाज़ारोन्मुख मार्ग'।
- बीआईआरएसी ने किफायती उपकरणों या किफायती निदान से लेकर उपचार तक के लिये अपने आविष्कारों और प्रौद्योगिकी से जो मदद पहुँचाई है, वे भारत ही नहीं बल्कि उसकी सीमाओं से आगे भी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को बदलने में बड़ी भूमिका निभाएंगे।
- छह वर्षों के दौरान, बीआईआरएसी ने देश भर में **650** परियोजनाओं, **500** से अधिक स्टार्ट-अप और उद्यमों तथा **30** इन्क्यूबेटर शुरु करने में मदद की है, जिसके परिणामस्वरूप **100** से अधिक उत्पादों और तकनीकों को **150** बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण प्राप्त हो सका है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- बीआईएआरएसी अपनी विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से नवाचार के लिये लक्षित धन की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा और बौद्धिक संपदा प्रबंधन के लिये सहायता प्रदान करता है।
- बीआईआरएसी की **10** से अधिक प्रमुख योजनाएँ हैं जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के वित्तपोषण द्वारा समर्थित हैं और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों, जैसे- बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, नेस्टा, वेलकम ट्रस्ट और यूएसएड, के साथ **7** सहयोगी वित्तपोषित कार्यक्रमों के ज़रिये चलाई जा रही हैं।

विश्व का पहला विश्वसनीय डिजिटल भंडार

संस्कृति मंत्रालय की राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृश्य-श्रव्य अभिलेखागार (एनसीएए) परियोजना को विश्व के पहले विश्वसनीय डिजिटल भंडार का प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (Indira Gandhi National Centre for the Arts -IGNCA) द्वारा कार्यान्वित इस परियोजना को ब्रिटेन की संस्था, प्राइमरी ट्रस्टवर्दी डिजिटल रिपॉज़िटरी ऑथराइज़ेशन बॉडी लिमिटेड (Primary Trustworthy Digital Repository Authorisation Body Ltd.-PTAB) ने आईएसओ 16363 : 2012 प्रमाण-पत्र दिया है।

- देश भर के **25** शहरों में किये गए सर्वेक्षण के आधार पर अगले पाँच वर्षों में इस भंडार में **3** लाख घंटों की ऑडियो विज़ुअल सामग्री को एकीकृत किया जाएगा।
- एनसीएए का मूल उद्देश्य ऑडियो विज़ुअल सामग्री के रूप में विद्यमान भारत की सांस्कृतिक विरासत की पहचान करना और इसे डिजिटल माध्यम से संरक्षित करना है।
- मार्च **2018** तक **30,000** घंटों की अप्रकाशित तथा गैर व्यवसायीकृत ऑडियो विज़ुअल सामग्री को ऑनलाइन उपलब्ध कराना था। इनमें से **15,000** घंटों की ऑडियो विज़ुअल सामग्री को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया गया है।
- एनसीएए का पायलट डिजिटल भंडार, पुणे की संस्था सी-डेक की सहयोगी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजिटल प्रिज़र्वेशनके सहयोग से तैयार किया गया है।
- इसका कार्यान्वयन ओपन आर्किवल इन्फोरमेशन सिस्टम (ओएआईएस) संदर्भ मॉडल आईएसओ **14721 : 2012** के निर्देशों के तहत किया गया है।
- वर्तमान में पूरे देश में एनसीएए की **21** सहयोगी संस्थाएँ कार्यरत हैं। इनमें **11** सरकारी और **10** गैर-सरकारी सांस्कृतिक संगठन हैं।
- परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय मानकों यथा-ओएआईएस मॉडल तथा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साउंड एंड ऑडियो विज़ुअल आर्काइव (आईएएसए) का अनुपालन किया गया है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है। भारतीय कलाओं के सभी आयामों पर शोध करने की यह अग्रणी संस्था है। भारत सरकार द्वारा गठित आईजीएनसीए कला, मानविकी तथा सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में डेटा बैंक बनाने के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

- इस केंद्र को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है ताकि यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में कला, सांस्कृतिक विरासत और जीवन पद्धति के संदर्भ में क्षेत्रीय डेटा बैंक विकसित कर सके। इन कार्यों के लिये केंद्र आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करता है।

उद्देश्य

- कला, विशेष रूप से लिखित, मौखिक और दृश्यात्मक स्रोत सामग्रियों के लिये प्रमुख संसाधन केंद्र के रूप में सेवा करना।
- कला तथा मानविकी से संबंधित संदर्भ कार्य, शब्दावलियाँ, शब्दकोष और विश्वकोशों के लिये अनुसंधान एवं प्रकाशन कार्यक्रम संचालित करना।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययनों और जीवंत प्रस्तुतियों के लिये महत्त्वपूर्ण संग्रह के साथ आदिवासी तथा लोक कला प्रभाग की स्थापना करना।
- प्रदर्शन, प्रदर्शनियों, मल्टी-मीडिया प्रोजेक्शन, सम्मेलन, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के माध्यम से पारंपरिक तथा समकालीन, विविध कलाओं के बीच रचनात्मक एवं विवेचनात्मक संवाद हेतु मंच प्रदान करना।
- आधुनिक विज्ञान और कला तथा संस्कृति के बीच बौद्धिक समझ के अंतराल को पाटने की दृष्टि से दर्शन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में कला तथा वर्तमान विचारों के बीच संवाद को बढ़ावा देना।
- भारतीय लोकाचार के लिये अधिक प्रासंगिक अनुसंधान कार्यक्रम एवं कला प्रशासन के नमूने तैयार करना।
- विविध सामाजिक स्तरों, समुदायों और क्षेत्रों के बीच पारस्परिक संवाद के जटिल जाल में रचनात्मक तथा गतिशील कारकों पर प्रकाश डालना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ नेटवर्क को बढ़ावा देना।
- कला, मानविकी तथा संस्कृति से संबंधित अनुसंधान संचालित करना।

शीत संलयन (Cold Fusion)

शीत संलयन के अंतर्गत जब हाइड्रोजन जिर्कोनियम, निकल और पैलेडियम जैसी विभिन्न धातुओं के साथ निम्न ताप पर संपर्क में आता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है।

- इसे संघनित पदार्थ नाभिकीय विज्ञान (**Condensed Matter Nuclear Science-CMNS**) अथवा निम्न ऊर्जा की नाभिकीय अभिक्रिया (**Low-Energy Nuclear Reactions-LENR**) भी कहा जाता है।
- शीत संलयन अथवा कोल्ड फ्यूज़न के तहत हानिकारक विकिरण, जटिल उपकरण और अत्यधिक उच्च तापमान तथा दाब के बिना नाभिकीय ऊर्जा उत्पादित करने का प्रयास किया जाता है।
- लेकिन, इस अभिक्रिया की सुसंगत व्याख्या करने वाला कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है, इसलिये इसे अनियमित उष्मा प्रभाव (**Anomalous Heat Effect-AHE**) भी कहा जाता है।
- शीत संलयन में किसी भी रेडियोएक्टिव सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन का प्रयोग करके बिना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के स्वच्छ ऊर्जा पैदा की जा सकती है।
- **LENR** अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन की केवल छोटी मात्रा में खपत होती है और खर्च होने पर धातु का पुन: उपयोग किया जा सकता है।
- अमेरिका, जापान, चीन, रूस, इटली, फ्राँस और यूक्रेन में **LENR** पर अनुसंधान कार्य चल रहा है। वर्तमान में भारत में निम्नलिखित तीन रिसर्च ग्रुप शीत संलयन पर अनुसंधान कर रहे है-

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ✓ IIT-कानपुर में निम्न तापमान पर तत्त्वों के ट्रांसम्युटेशन पर कार्य किया जा रहा है।
- ✓ IIT-बॉम्बे में NTPC द्वारा ऐसे ही एक प्रोजेक्ट का वित्तीयन किया जा रहा है।
- ✓ बंगलूरू में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान (S-Vyasa) के ऊर्जा अनुसंधान केंद्र में निकल धातु की सतह पर हाइड्रोजन में संलयन को ट्रिगर करने पर कार्य किया जा रहा है जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वित्तपोषण को मंजूरी दी है।

अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह

नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई), 2018 के पूर्वावलोकन के लिये एक तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह का उद्घाटन किया गया।

- राष्ट्रीय मोरारजी देसाई योग संस्थान द्वारा आयोजित यह तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह है और इस समारोह की लोकप्रियता प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है।
- इस तीन दिवसीय समारोह का आयोजन राष्ट्रीय मोरारजी देसाई योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) द्वारा किया जा रहा है जिससे कि प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह मनाने के बारे में आम लोगों को संवेदनशील बनाया जा सके।
- अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह के दौरान विख्यात योग गुरुओं एवं योग उस्तादों द्वारा समानांतर योग कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
- एनसीईआरटी योग ओलंपियाड, विभिन्न जागरूकता शिविरों, योग पर अंतर्राष्ट्रीय शिविरों, योग पर पुस्तकों के प्रकाशन एवं योग के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार जैसी कई नई पहलों को आरंभ किया गया है।
- मंत्रालय द्वारा मधुमेह जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिये एक शून्य – लागत स्वास्थ्य आश्वासन मॉडल भी अपनाया गया है।

स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, 2018

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के तत्त्वावधान में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और आई4सी, माईगव (MyGov), परसिस्टेंट सिस्टम्स और रामभाऊ म्हाल्गी प्रबोधिनी के सहयोग से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, 2018 का आयोजन किया गया।

- **27** केंद्रीय मंत्रालय एवं विभाग और **17** राज्य सरकारें इस भव्य पहल से जुड़ गई हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन**, 2018** अपने पिछले संस्करण के मुकाबले काफी बड़ा है।
- इसमें दो उप-संस्करण शामिल हैं। इनमें से एक सॉफ्टवेयर संस्करण है, जो **36** घंटे की सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास प्रतिस्पर्द्धा को अभिव्यक्त करता है और इसका आयोजन **30** एवं **31** मार्च**, 2018** को किया गया।
- इनमें एक हार्डवेयर संस्करण भी शामिल है, जिसका वास्ता हार्डवेयर समाधानों के विकास से है। इस संस्करण का आयोजन चालू वर्ष के उत्तरार्द्ध में किया जाएगा।
- सॉफ्टवेयर संस्करण ग्रैंड फिनाले के दौरान हज़ारों प्रौद्योगिकी विद्यार्थियों की टीमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई समास्याओं के लिये अभिनव डिजिटल सोल्यूशन्स पेश करेंगी।
- स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन**, 2017** के आयोजन के बाद स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन **2018** भारत में दूसरी व्यापक हैकाथॉन पहल साबित होगी।

भारत-विकास फाउंडेशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों के भारत-विकास फाउंडेशन (आईडीएफ-ओआई) को बंद करने की मंज़ूरी दे दी है, ताकि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के लिये प्रवासी भारतीयों के योगदान को दिशा देने के लिये तालमेल बढ़ाया जा सके।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- सरकार ने **2008** में मंत्रिमंडल की मंज़ूरी से आईडीएफ-ओआई की स्थापना एक स्वायत्तशासी गैर-लाभकारी न्यास के रूप में की थी, ताकि भारत की सामाजिक और विकास परियोजनाओं में प्रवासी भारतीयों के स्वेच्छा से योगदान को सरल बनाया जा सके।
- चूँकि, विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय से दान के रूप में फाउंडेशन को दिसंबर **2008** से मार्च **2015** के बीच केवल **36.80** लाख रुपए प्राप्त हुए थे। आईडीएफ-ओआई की **2015** में एक विस्तृत समीक्षा की गई।
- सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को बढ़ावा देने; राज्य सरकारों द्वारा पहचानी गई सामाजिक और विकास परियोजनाओं को आईवीएफ-ओआई के आदेश-पत्र में शामिल कर लिया गया।
- हालाँकि, अप्रैल **2015** और मार्च **2018** के बीच न्यास को **10.16** करोड़ रुपए प्राप्त हुए, इनमें से प्राप्त अधिकांश राशि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अथवा स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी थी, जिनका प्रबंध उनसे संबंधित एजेंसियों द्वारा अलग-अलग किया जा रहा था।
- तालमेल बढ़ाने, क्षमता में सुधार लाने और काम का दोहरीकरण रोकने के लिये आईडीएफ-ओआई के न्यास बोर्ड की **9**वीं बैठक में न्यास को **31** मार्च, **2018** को बंद करने का फैसला किया गया।

दुनिया की सबसे तेज़ हाइपरसोनिक विंड टनल

शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, चीन सुपर फास्ट एयरप्लेन की नई पीढ़ी को विकसित करने हेतु दुनिया की सबसे तेज़ विंड टनल का निर्माण कर रहा है। एक अहम् तथ्य यह है कि इसका इस्तेमाल हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी के लिये भी किये जाने की संभावना है।

विंड टनल का उपयोग

- विंड टनल यह पता करने में सहायक सिद्ध होगा कि किसी भी ठोस ऑब्जेक्ट से विंड किस प्रकार गुज़रती है, इस जानकारी से डिज़ाइनर वायुगतिकी में सुधार किया जा सकता है अथवा हवा के उच्च गति तक पहुँचने से ऑब्जेक्ट्स में पैदा हुए तनाव को कम किया जा सकता है।
- इसके माध्यम से विमान या मिसाइल को कुछ ऐसे आकार के अनुरूप तैयार किया जा सकता है, जिससे वे तीव्र रफ़्तार पकड़ सकें।
- शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, यह दुनिया की सबसे तेज़ हाइपरसोनिक विंड टनल होगी। इस टनल की लंबाई **265** मीटर और गति, ध्वनि की गति से भी **25** गुना अधिक होगी।
- इस तकनीक की सहायता से विमान द्वारा बीजिंग से न्यूयार्क तक का सफर महज़ दो घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जबकि किसी भी कॉमर्शियल एयरलाइन फ्लाइट द्वारा इसमें **13** घंटे से भी अधिक का समय लगता है।
- जापान की एक रिपोर्ट के अनुसार, गत वर्ष ही चीन ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल डीएफ **-17** का परीक्षण किया है।
- यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब दुनिया के अग्रणी सैन्यशक्ति वाले देश मिसाइलों तथा जासूस विमानों की सहायता से हाइपरसोनिक हथियारों की अगली पीढ़ी विकसित करने की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में चीन का यह प्रयास मानवता के लिये अभिशाप साबित होगा या वरदान, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

नगालैंड में वाटर स्ट्राइडर की नई प्रजाति की खोज

जूलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ZSI) के वैज्ञानिकों ने नगालैंड में वाटर स्ट्राइडर (Water strider) की एक नई प्रजाति की खोज की है। प्टिलोमेरा नगालैंडा जेहामलर (Ptilomera nagalanda Jehamalar) और चंद्रा (Chandra) नामक इन प्रजातियों को पेरेन (Peren) ज़िले की इन्तंकी (Intanki) नदी में पाया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विशेषताएँ

- यह पानी की सतह पर पाए जाने वाले अनुकूलित कीड़ों का एक समूह है।
- पृष्ठ तनाव की अवधारणा जल की सतह पर इनकी गतिशीलता सुनिश्चित करती है। इनकी उपस्थिति पानी की गुणवत्ता के एक संकेतक के रूप में कार्य करती है।
- नारंगी रंग की इस प्रजाति के पृष्ठ भाग पर काले रंग की धारियाँ होती हैं और इनका उदर पीले भूरे रंग का होता है। इसके पैर लंबे और पतले होते हैं। इसका आकार लगभग **11.79** मिमी है।
- पृष्ठ भाग पर मौजूद काले रंग की धारियाँ इस प्रजाति को वाटर स्ट्राइडर की अन्य ज्ञात प्रजातियों से अलग करती हैं।
- वर्तमान में भारत में विभिन्न जल निकायों में वाटर स्ट्राइडर की तकरीबन **100** प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तथापि वाटर स्ट्राइडर की उप-प्रजाति प्टिलोमेरा की यहाँ केवल पाँच प्रजातियां ही पाई जाती हैं, जो कि निम्नलिखित हैं-
  - ✓ प्रायद्वीपीय भारत में प्टिलोमेरा एग्रीयोड्स (Ptilomera agriodes)
  - ✓ पूर्वोत्तर भारत में प्टिलोमेरा असामेनसिस (Ptilomera assamensis)
  - ✓ उत्तरी एवं पूर्वोत्तर भारत में प्टिलोमेरा लेटीक्यूडाटा (Ptilomera laticaudata)
  - ✓ उत्तराखंड में प्टिलोमेरा ओक्सिडेंटालिस (Pltilomera occidentalis)
  - ✓ अंडमान द्वीप में प्टिलोमेरा टिग्रीना (Ptilomera tigrina)

ओखला पक्षी अभयारण्य (Okhla Bird Sanctuary)

ओखला पक्षी अभयारण्य को देश के मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस (21 मार्च) के मौके पर नोएडा में इस अभयारण्य के पुनर्विकास और उन्नयन के लिये 80 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना का शुभारंभ किया गया।

ओखला पक्षी अभयारण्य

- ओखला पक्षी अभयारण्य के पुनर्विकास और उन्नयन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक वॉच टॉवर, पर्यटकों के लिये एक साइकिल ट्रैक, बेहतर सुरक्षा के लिये **CCTV** नेटवर्क और आवागमन के लिये इलेक्ट्रिक वाहन आदि को शामिल किया जाएगा।
- लगभग **4** वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला हुआ ओखला पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा के प्रवेश द्वार पर स्थित है।
- यह उस बिंदु पर स्थित है जहाँ से यमुना नदी दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। यह राज्य के **15** पक्षी अभयारण्यों में से एक है।
- ओखला बैराज के निर्माण के कारण यह आर्द्रभूमि निर्मित हुई थी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा **1990** में इसे अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। वर्तमान में यह भारत के **467** महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों (**Important Bird Areas-IBAs)** में से एक है।
- अपनी अद्वितीय स्थिति के कारण यहाँ काँटेदार झाड़ियों, घास भूमियों और आर्द्रभूमि संबंधित पक्षी प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं।
- यहाँ ग्रे-हेडेड फिश ईगल, बैकाल चैती (**Baikal teal)** और सारस (क्रेन) जैसे प्रवासी पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
- साथ ही यह सरीसृपों की **32,** उभयचरों की **7** प्रजातियों और पौधों की **186** प्रजातियों का आवास स्थल है।
- ओखला पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र को भी बेहतर प्रबंधन के लिये अधिसूचित किया गया है।

ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण

राजस्थान के पोखरण परीक्षण रेंज में दुनिया की सबसे तेज़ मिसाइल ब्रह्मोस (BrahMos) का लड़ाकू विमान सुखोई-30 MKI के ज़रिये सफल परीक्षण किया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- सुखोई विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो जल, थल और वायु तीनों से मिसाइल दाग सकते है।
- इस सूची में अभी तक केवल तीन देश अमेरिका, रूस और फ्राँस ही शामिल थे।
- इसके अतिरिक्त यह परीक्षण भारत में निर्मित 'सीकर तकनीकी' **(Seeker Technology)** की सहायता से संपन्न किया गया था।
- सीकर तकनीकी मिसाइल द्वारा लक्ष्य को भेदने की परिशुद्धता (**Accuracy**) को तय करने में प्रमुख भूमिका निभाती है।
- अभी तक इसमें रूसी सीकर तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा था। भारतीय सीकर तकनीकी को रिसर्च सेंटर इमारत (**RIC**), हैदराबाद तथा **DRDO** द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

ब्रह्मोस मिसाइल की प्रमुख विशेषताएँ

- भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। इस मिसाइल की रफ़्तार ध्वनि की रफ़्तार से भी तीन गुना अधिक (**2.8 -3** मैक तक) है।
- इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है।
- मिसाइल तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था (**MTCR**) के कारण इसकी रेंज **290** किलोमीटर तक ही सीमित थी किंतु भारत द्वारा **MTCR** का सदस्य बन जाने से अब इसकी रेंज को **450** किमी. तक बढ़ाया जा सकता है।
- यह मिसाइल भूमिगत परमाणु बंकरों, समुद्री क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे शत्रु विमानों को दूर से ही सफलतापूर्वक भेद सकती है।
- यह परमाणु हथियार तथा **300** किलोग्राम तक की युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। इसे पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट, हवा और ज़मीन से दागा जा सकता है।
- अगले **3** वर्षों में लगभग **40** सुखोई विमानों को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया जाएगा।
- भारतीय थलसेना और नौसेना में पहले से ही (**2006**) इस मिसाइल को शामिल किया जा चुका है, जबकि इसके एयर–वैरिएंट का पहली बार पिछले वर्ष परीक्षण किया गया था।
- इसका वायु संस्करण ज़्यादा प्रभावी है क्योंकि इसे तेज़ गति से उड़ने वाले लड़ाकू विमान सुखोई से दागा जा सकता है, जो अपने लक्ष्य की ओर **1,500** किलोमीटर तक उड़ान भरने के बाद मिसाइल दागता है।

दि इंडियन साइन लैंग्वेज शब्दकोश लॉन्च

देश भर में मूक-बधिर लोगों द्वारा संचार के लिये प्रयुक्त की जाने वाली सांकेतिक भाषा में एकरूपता लाने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक शब्दकोश लॉन्च किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- **'दि इंडियन साइन लैंग्वेज' (ISL)** शब्दकोश में हिंदी और अंग्रेज़ी के **3000** शब्दों का सांकेतिक चित्रण किया गया है। बाद में शब्दकोश में और भी नए शब्दों को शामिल किया जाएगा।
- इनमें ऐसे संकेतों को शामिल किया गया है जिनका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है।
- इस शब्दकोश को 'दि इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर' **(ISLR&TC)** ने विकसित किया है, जो इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना पर पिछले डेढ़ वर्ष से कार्य कर रहा था।
- यह शब्दकोश प्रिंट एवं वीडियो दोनों प्रारूप में तैयार किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस शब्दकोश को तैयार करने का मूल मकसद मूक-बधिर समुदायों के बीच संवाद बाधाओं को दूर करना है। इसके अलावा इसमें भारतीय संकेत भाषा में अधिक जानकारी मुहैया कराने पर ज़ोर दिया गया है।

विश्व क्षय रोग दिवस

क्षय रोग मायकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो कि मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। इस रोग को 'क्षय रोग' या 'राजयक्ष्मा' के नाम से भी जाना जाता है। इससे बचाव अथवा इसकी रोकथाम संभव है।

- यह हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। विश्व की एक-चौथाई जनसंख्या लेटेंट टीबी (**latent TB)** से ग्रस्त है।
- लेटेंट टीबी का अर्थ यह है कि लोग टीबी के जीवाणु से संक्रमित तो हो जाते हैं परंतु उन्हें यह रोग नहीं होता है और वे इसका संचरण अन्य व्यक्तियों तक नहीं कर सकते हैं।
- टीबी के जीवाणु से संक्रमित व्यक्ति के टीबी से ग्रसित होने की संभावना **5-15** प्रतिशत ही होती है।
- हालाँकि, एचआईवी, कुपोषण और मधुमेह से पीड़ित लोग और वे लोग जो तम्बाकू का उपयोग करते हैं, को इस रोग से ग्रसित होने का खतरा सबसे अधिक होता है।
- सामान्य तौर पर यह केवल फेफड़ों को प्रभावित करने वाली बीमारी है, परंतु यह मानव-शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित कर सकती है।
- **24** मार्च, **2018** को संपूर्ण विश्व में **'**विश्व क्षय रोग दिवस**' (World Tuberculosis Day)** मनाया गया है।
- यह दिवस **1882** में क्षय रोग के बेसिलस की खोज करने वाले डॉ. रॉबर्ट कॉच के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर प्रति वर्ष **'24** मार्च**'** को मनाया जाता है।
- पूरे विश्व में जहाँ **2035** तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, वहीं अपने देश भारत में इसे **2025** तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ली-आयन बैटरी प्रौद्योगिकी

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) ने अंतरिक्ष कार्यों में प्रयोग होने वाली लिथियम-ऑयन बैटरियों के उत्पादन के लिये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल), के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का करार किया है। इसरो की ओर से ली-ऑयन बैटरियों का उपयोग उनके अत्यधिक ऊर्जा घनत्व, विश्वसनीयता और लंबी अवधि तक चलने के गुणों के कारण उपग्रह एवं अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण के लिये ऊर्जा स्रोतों के रूप में किया जाता है।

- इसरो के तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) ने अंतरिक्ष संबंधी कार्यों में इस्तेमाल होने वाली ली-ऑयन बैटरियों का निर्माण करने की प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक विकसित किया है।
- इसके साथ ही उसने विभिन्न तरह के परीक्षणों में इन बैटरियों की क्षमता का प्रदर्शन करने तथा लंबी अवधि तक चलने वाले इसके गुणों को भी साबित किया है।
- इन बैटरियों का इस्तेमाल मौजूदा समय में अंतरिक्ष ऊर्जा स्रोत के रूप में विभिन्न उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण के लिये किया जाता है।
- ली-ऑयन बैटरी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से भेल ऐसी बैटरियों के विनिर्माण में सक्षम हो जाएगा, जिससे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की आवश्यकताएँ पूरी की जा सकेंगी।
- राष्ट्रीय स्तर पर अन्य कार्यों के लिये भी ली-ऑयन बैटरियों के विनिर्माण के लिये यह तकनीक अपनाई जा सकेगी।

ली-ऑयन बैटरी

- लिथियम ऑयन बैटरी (**lithium-ion battery** या **LIB)** एक पुनः चार्ज करने योग्य बैटरी होती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ये बैटरियाँ आजकल के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामानों में प्रायः उपयोग की जाती हैं और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के लिये सबसे लोकप्रिय रिचार्जेबल बैटरियों में से एक है।
- लिथियम-ऑयन बैटरी के धनाग्र और ऋणाग्र पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस बैटरी का विद्युत अपघट्य, इन विद्युताग्रों के बीच लिथियम ऑयनों के आवागमन के लिये माध्यम प्रदान करता है।

पत्रकार कल्याण योजना

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information & Broadcasting) द्वारा पत्रकार कल्याण योजना (Journalist Welfare Scheme) पर समिति और केंद्रीय प्रेस प्रत्यायित समिति (Central Press Accreditation Committee) का पुनर्गठन किया गया है। पत्रकारों को पहली बार पत्रकार कल्याण समिति का सदस्य बनाया गया है।

- पत्र सूचना कार्यालय (पसूका) के प्रधान महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित केंद्रीय प्रेस प्रत्यायित समिति में भारतीय प्रेस परिषद और समाचार प्रसारक संघ (**News Broadcasters Association**) के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल किये गए हैं।
- समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का है और समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार या इससे अधिक बार होगी।
- पत्रकार कल्याण योजना पर गठित समिति द्वारा प्रभावी कार्य करने के लिये इसमें कम सदस्यों को शामिल किया गया है। इस समिति में अब केवल सचिव (सूचना और प्रसारण), संयुक्त सचिव (कार्मिक एवं प्रशासनिक) और पीआईबी के प्रधान महानिदेशक आधिकारिक सदस्य होंगे।
- पहली बार पत्रकारों को भी समिति का सदस्य बनाया गया है। समिति के गैर-औपचारिक सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। इस पहल से समयबद्ध तरीके से सहायता देने पर असंतुष्ट पक्षों को लाभ मिलेगा।

पृष्ठभूमि

- बजट **2018-19** में पत्रकार कल्याण योजना के लिये कोष को पाँच गुना बढ़ाकर एक करोड़ किया गया है, **2017-18** में यह **20** लाख था।
- इस योजना का उद्देश्य पत्रकारों और उनके परिजनों को अत्यधिक कठिन परिस्थितियों में तत्काल एकमुश्त अनुकम्पा सहायता राशि प्रदान करना है।
- इस योजना के अंतर्गत पीआईबी/राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्यायित पत्रकारों या ऐसे गैर प्रत्यायित पत्रकारों को शामिल किया गया है, जिन्होंने कम-से-कम लगातार पाँच वर्षों तक समाचार संपादक, रिपोर्टर, फोटोग्राफर, कैमरामैन, फोटो पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर पूर्णकालिक या अंशकालिक कार्य किया है।
- इस योजना के तहत पत्रकार की मृत्यु होने पर उसके परिवार के लिये पाँच लाख रुपए तक की सहायता राशि उपलब्ध है।
- इसके अतिरिक्त पत्रकार के स्थायी अपंग होने पर पाँच लाख रुपए तक की और सीजीएचएस या अन्य बीमा/स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं की गई गंभीर बीमारी के इलाज के लिये तीन लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है।

हेलमेट जैसा स्कैनर

ब्रिटेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के शोधकर्त्ताओं द्वारा पहली बार एक ऐसा ब्रेन स्कैनर बनाया गया है जिसे हेलमेट की तरह पहना जा सकता है। इस स्कैनर की सबसे खास बात यह है कि मरीज़ के प्राकृतिक रूप से चलने-फिरने के दौरान भी उसके मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सकता है।

विशेषताएँ

- शोधकर्त्ताओं द्वारा विकसित किये गए इस स्कैनर के माध्यम से व्यक्ति द्वारा हँसते, चाय पीते, स्ट्रेचिंग करते हुए मस्तिष्क की गतिविधियों को मापा जा सकेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- शोधकर्त्ताओं का कहना है कि मैग्नेटोएंसेफेलोग्राफी (एमईजी) प्रणाली पर यह स्कैनर न केवल बेहद हल्का है, बल्कि वर्तमान में मौजूद सभी प्रणालियों से ज़्यादा बेहतर तरीके से स्कैन करने में भी सक्षम है।
- इस हल्के वज़न वाले स्कैनर की एक और खासियत यह है कि यह कमरे के तापमान पर काम करता है।
- इसके ज़रिये उन मरीज़ों के उपचार में मदद मिल सकेगी, जो पारंपरिक एमईजी स्कैनर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
- छोटे बच्चे या पार्किंसन जैसी बीमारियों से ग्रसित मरीज़ों के संदर्भ में एमईजी स्कैनर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ऐसे में यह नया स्कैनर बेहद कारगर साबित होगा।
- इस स्कैनर के ज़रिये वयस्कों की जाँच में चार गुना तक अधिक संवेदनशीलता का पता लगाया जा सकता है, जबकि बच्चों की जाँच में **15** से **20** फीसद तक ज़्यादा संवेदनशीलता का पता लगाया जा सकता है।

सरस आजीविका मेला

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डीएवाई-एनआरएलएम कार्यक्रम के तहत नई दिल्ली में 23 मार्च, 2018 से 1 अप्रैल, 2018 के बीच एक सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया। जिसमें देश के सभी राज्यों के महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा 350 स्टॉलों के ज़रिये अपने उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री की गई। इन उत्पादों में हैण्डलूम, हथकरघा, आदिवासियों के गहने, सजावट के सामान, धातु के उत्पाद, मिट्टी के उत्पाद, चित्रकारी, रासायनिक खाद रहित खाद्य पदार्थ एवं मसाले, मुलायम खिलौने, पीतल एवं लोहे से बने उत्पादों को शामिल किया गया।

- इस मेले के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं को पैकेजिंग और उपभोक्ताओं को प्रबंधित करने जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिये कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है।

डीएवाई एनआरएलएम (Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission)

- ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन के लिये दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान (डीएवाई एनआरएलएम) भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सबसे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।
- कार्यक्रम का लक्ष्य निर्धन ग्रामीण महिलाओं को खुद की संस्थाओं यथा- स्वयं सहायता समूह एवं उनके अन्य संघों जैसे- प्रोड्यूसर्स कलेक्टिव्स एवं ऐसे अन्य संघों में संगठित होने में मदद करने के साथ ही उनको आजीविका एवं वित्तीय समावेशन में मदद करना भी है।
- डीएवाई-एनआरएलएम का एक महत्त्वपूर्ण अंग निर्धन ग्रामीण युवकों को स्वरोज़गार और मज़दूरी आधारित रोज़गार के लिये प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके लिये मंत्रालय डीएवाई-एनआरएलएम के तहत दीनदयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) को लागू कर रही है।
- डीडीयू-जीकेवाई एक रोज़गार से जुड़ी कौशल विकास योजना है जिसका उद्देश्य निर्धन ग्रामीण युवाओं के कौशल का विकास करना और उन्हें ज़्यादा मज़दूरी वाले अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में रोज़गार दिलवाना है।

यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारतीय प्रतिनिधि

भारत सरकार ने एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जेएस राजपूत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर नामित करने का निर्णय लिया है। प्रो. जेएस राजपूत एक सुप्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हैं जिन्हें विविध क्षेत्रों में काम करने, जिसमें यूनेस्को भी शामिल है, का व्यापक अनुभव है।

- यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में **58** सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल **4** वर्ष का होता है।
- कार्यकारी बोर्ड यूनेस्को का एक संवैधानिक अंग है, जिसे आम सभा के द्वारा चुना जाता है।
- बोर्ड संस्था के कार्यकलाप और इससे जुड़े बजट अनुमानों की समीक्षा करता है।
- मूल रूप से कार्यकारी बोर्ड यूनेस्को की सभी नीतियों एवं कार्यक्रमों के लिये उत्तरदायी सबसे प्रधान संस्था है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- बोर्ड का सदस्य होने के नाते भारत यूनेस्को की नीतियों और कार्यक्रमों के निर्धारण की समीक्षा में अहम भूमिका प्रदान करेगा जो कि इसके पाँच मुख्य कार्यक्रमों - शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक तथा मानव विज्ञान, संस्कृति और संचार एवं सूचना से संबद्ध हैं।

मेघालय में विश्व की सबसे लंबी रेतीली गुफा

मेघालय की पूर्वी खासी पहाड़ियों के मेसिनराम क्षेत्र में क्रेम पुरी नाम की एक बलुआ पत्थर की गुफा पाई गई है। यह बलुआ पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे लंबी गुफा है।

- मेघालय एडवेंचर एसोसिएशन द्वारा इस गुफा की लंबाई **24.5** किलोमीटर मापी गई है।
- इस गुफा के बारे में सबसे पहले **2016** में पता चला था।
- भारत की सबसे लंबी गुफा मेघालय की जंयतिया पहाड़ियों में अवस्थित क्रेम लिअत प्राह (**Krem Liat Prah)** है। यह गुफा **30,957** मीटर लंबी है तथा दुनिया की सबसे लंबी गुफाओं में से एक है।
- इस गुफा के एक स्थान का आकार तो इतना है कि इसमें एक एयरक्राफ्ट आसानी से आ सकता है। यही कारण है कि इसे एयरक्राफ्ट हैंगर के नाम से जाना जाता है।
- स्थानीय खासी भाषा में क्रेम (**Krem)** का अर्थ गुफा होता है।

अर्थ ऑवर 2018

24 मार्च, 2018 को संपूर्ण विश्व में रात्रि 8:30 से 9:30 तक अर्थ ऑवर यानी पृथ्वी ऑवर मनाया गया। इस वर्ष डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-भारत (World Wide Fund for Nature – India) द्वारा 'गिव अप टू गिव बैक' (Give Up to Give Back) नामक अभियान भी आरंभ किया गया।

- इस वर्ष डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-भारत हमारे जीवन और पर्यावरण पर भार बन चुकी कुछ आदतों, कार्य प्रणालियों और जीवन-शैलियों पर नियंत्रण करने के वास्ते संगठनों, प्रतिष्ठानों और आम लोगों को प्रेरित करने के लिये 'गिव अप टू गिव बैक' पहल की शुरुआत कर रहा है।
- इस अभियान को सतत्, किफायती, संचालन में मदद और लागत में कमी के प्रति उपभोग संस्कृति में परिवर्तन और व्यावहारिक बदलाव को ग्रहण करने के एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिये।
- अर्थ ऑवर ग्रीन गुड डीड्स मूवमेंट' का भी अभिन्न हिस्सा है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की यह ज़िम्मेदारी है कि वह पर्यावरण और पृथ्वी की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये एक छोटा, स्वैच्छिक हरित कार्य करने का ज़िम्मा ले।
- इसके लिये आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति पौधा लगाने, कूड़े को छाँटने, दफ्तर जाने में साइकिल या कार-पूल का इस्तेमाल करने या फिर प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने जैसे एक ग्रीन गुड डीड को रोज़ाना के रूटीन में अपनाए।
- अर्थ आवर पर्यावरण के लिये दुनिया का एक बड़ा आंदोलन है जिसमें दुनिया भर के लोग एक घंटे तक ग़ैर-ज़रूरी बिजली बंद करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ रुख अख्तियार करने के लिये एकजुट होते हैं।
- अर्थ आवर प्रकृति के लिये विश्वव्यापी फंड-डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की एक वैश्विक पहल है जिसमें रिकॉर्ड **178** देश शामिल होते हैं।
- वर्ष **2007** में सिडनी से सांकेतिक तौर पर आरंभ हुआ यह आंदोलन आज पर्यावरण के संबंध में विश्व का सबसे व्यावहारिक आंदोलन बन चुका है। यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (**World Wide Fund for Nature)** की एक वैश्विक पहल है।

माधवपुर मेला

एक अनोखी पहल के अंतर्गत, गुजरात के प्रसिद्ध माधवपुर मेले का उत्तर-पूर्व के राज्यों के साथ पहला सांस्कृतिक एकीकरण दिखाई देगा। इस एकीकरण का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों, प्रमुख रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों को एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत एक-दूसरे के निकट लाना है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- यह मेला अरुणाचल प्रदेश की मिश्मी जनजाति से संबद्ध है। मिश्मी जनजाति, प्राचीन राजा भीष्मक और उनकी पुत्री रुक्मिणी के ज़रिये भगवान कृष्ण को अपना पूर्वज मानती है।
- पहली बार, इस मेले में भगवान कृष्ण के साथ रुक्मिणी देवी की अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की अमर यात्रा का उल्लास मनाया जाएगा।
- रुक्मिणी के परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर उत्तर-पूर्व से **150** लोगों के एक जत्थे का माधवपुर मेले में पारंपरिक स्वागत किया जाएगा।
- निचले दिबांग घाटी शहर में रोइंग के निकट स्थित भीष्मकनगर का जिक्र कल्कि पुराण में भी मिलता है।
- राष्ट्रीय कला केंद्र (**IGNCA**), संस्कृति मंत्रालय के तहत, मानव संग्रहालय और गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्य एवं अन्य संस्थाएँ, इस मेले को एक नया आयाम देने के लिये एक साथ काम कर रही हैं।
- इस अभियान में पश्चिम बंगाल को छोड़कर शेष सभी राज्य एवं संघीय क्षेत्र भाग ले रहे हैं।
- इस वर्ष के उत्सव का मूल उद्देश्य एक भारत-श्रेष्ठ भारत अभियान के अनुरूप है और विविधता में एकता की देश की विशिष्टता को दर्शाने के साथ-साथ पश्चिम एवं पूर्व के बीच संबंध स्थापित करना है।
- दोनों क्षेत्रों के सांस्कृतिक एकीकरण के उद्देश्य से आयोजित किये गए चार दिन के इस पर्व में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एवं उत्तर-पूर्व के अन्य राज्यों की कला, नृत्य, संगीत, कविता, कथा वाचन और लोक-नाटकों का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

माधवपुर घेड, एक छोटा लेकिन सांस्कृतिक रूप से महत्त्वपूर्ण गाँव है, जहाँ लोककथाओं के अनुसार, भगवान कृष्ण ने राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी से विवाह किया था। माधवपुर पोरबंदर के निकट, समुद्र तट पर स्थित है। यह 15वीं शताब्दी में निर्मित माधवराय मंदिर स्थल को प्रतिबिंबित करता है। इस समारोह का आगाज़ एक सांस्कृतिक मेले द्वारा किया जाता है, जो रामनवमी से शुरू होता है। कृष्ण की मूर्ति को लेकर एक रंगीन रथ गाँव की परिक्रमा करता है और आमतौर पर यह उत्सव पाँच दिनों तक चलता है।

लक्षित कैंसर चिकित्सा के लिये नैनोमोटर्स

शोधकर्त्ताओं द्वारा एक नए प्रकार के जिंक-फेराइट-लेपित चुंबकीय नैनोमोटर्स को विकसित किया गया है, जो बेहद स्थिर होते हैं और कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिये स्थानीय ऊष्मा (heating) उत्पन्न कर सकते हैं। इस शोध को 'नैनोस्केल' में प्रकाशित किया गया है।

मात्र 3 माइक्रोन

- आकार में मात्र करीब **3** माइक्रोन को मापने के लिये, चुंबकीय नैनोमोटर्स को रक्त, ऊतक आदि जैसे विभिन्न जैविक वातावरणों में कम-से-कम **100** गौस (मनुष्यों के लिये सुरक्षित स्तर) के घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है और शरीर में रुचि के क्षेत्र को लक्षित किया जा सकता है।
- वे अपने गैर-आक्रामक (**non-invasive**) प्रकृति के कारण लोकप्रिय हैं और रासायनिक ईंधन की आवश्यकता के अभाव में उन्हें आगे बढ़ाते हैं।
- प्रयोगशाला में मानव ग्रीवा कैंसर कोशिकाओं पर इन नैनोमोटर्स का उपयोग करने के लिये हाइपरथर्मिया परीक्षण किया गया था।
- उचित चुंबकीय क्षेत्र और लगभग **20** मिनट के लिये आवृत्ति का प्रयोग करने से तापमान **7-8** डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है।
- इस नए विकास ने नैनोमोटर्स के अनेकों तकनीकी मुद्दों को सुलझाया है, जैसे - नैनोमोटर का संकुलन (**agglomeration**)।
- इस क्षेत्र में भविष्य के अनुसंधानों को संपूर्ण (**in-vivo**) प्रयोगों की ओर निर्देशित किया जाएगा।
- यह कैंसर चिकित्सा विज्ञान के लिये लक्षित चिकित्सा का महान निहितार्थ हो सकता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

ग्रेट प्रशांत कचरा पैच
(Great Pacific Garbage Patch)

यह विश्व का सबसे बड़ा और शायद सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध तैरते हुए कचरे का संग्रह है। एक अनुमान के अनुसार, हवाई और कैलिफोर्निया के मध्य स्थित इस क्षेत्र में वर्तमान में 80,000 मीट्रिक टन वज़नी 1.8 ट्रिलियन प्लास्टिक के टुकड़े तैर रहे हैं।

- यह पृथ्वी पर समुद्री प्लास्टिक के संचय का सबसे बड़ा क्षेत्र है।
- ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में इसका आकार महाद्वीपीय फ्राँस का तीन गुना है।
- इस पैच की खोज **1997** में एक नाविक चार्ल्स मूरे द्वारा की गई।
- इस संपूर्ण कचरे का **94%** भाग माइक्रो प्लास्टिक से बना हुआ है। इसका एक बड़ा भाग मछली पकड़ने के परित्यक्त सामानों, जैसे- मछली पकड़ने का जाल, रस्सियों, घोंघे के खोल, सर्पमीन को पकड़ने का जाल, पेटियों और टोकरियों आदि से बना हुआ है।
- वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस मलवे का **20%** भाग **2011** में जापान की सुनामी से आया है।

कटहल (jackfruit) केरल का आधिकारिक फल

केरल राज्य सरकार द्वारा कटहल को अपना आधिकारिक फल घोषित किया गया है।

- सरकार का उद्देश्य 'केरल कटहल' के माध्यम से (इसके जैविक और पौष्टिक गुणों को प्रदर्शित करते हुए) देश और विदेश के बाज़ारों में एक ब्राण्ड के रूप में प्रवेश करना है।
- इससे मूल्यवर्द्धित उत्पादों को बढ़ाने के अलावा, फलों के उत्पादन और बिक्री में भी मदद मिलेगी।
- इस फल की ब्राण्डिंग के माध्यम से कटहल और इससे संबद्ध उत्पादों की बिक्री के ज़रिये **15,000** करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।
- 'केरल कटहल' अधिक कार्बनिक और स्वादिष्ट होता है क्योंकि यह किसी भी रासायनिक उर्वरक या कीटनाशकों का उपयोग किये बिना पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से उत्पादित किया जाता है।

कूल ईएमएस सेवा'

केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा 'कूल ईएमएस सेवा' (Cool EMS Service) शुरू की गई है, जो 29 मार्च, 2018 से लागू है।

- 'कूल ईएमएस सेवा' जापान और भारत के बीच एकमात्र ऐसी सेवा है जो भारत में ग्राहकों के व्यक्तिगत उपयोग के लिये जापानी खाद्य पदार्थों का आयात करेगी और भारतीय नियमों के तहत, इसकी अनुमति दी गई है।
- शुरुआत में कूल ईएमएस सेवा केवल दिल्ली में उपलब्ध होगी, बाद में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
- खाद्य पदार्थों को जापान के डाक विभाग द्वारा विशेष रूप से तैयार ठंडे बक्सों में लाया जाएगा, जिसमें खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिये रेफ्रिजरेट होते हैं।
- इन्हें विदेश डाकघर, कोटला रोड, नई दिल्ली लाया जाएगा जहाँ से निर्धारित समयसीमा के भीतर एक व्यक्ति के माध्यम से भेजा जाएगा।
- एक्सप्रेस मेल सेवा (ईएमएस) की ट्रैक और ट्रेस जैसी अन्य सभी सुविधाएँ भी कूल ईएमएस सेवा के लिये उपलब्ध होंगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

नेत्रहीनता का दूसरा बड़ा कारण ग्लूकोमा

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया में नेत्रहीनता का दूसरा सबसे बड़ा कारण ग्लूकोमा है। इस बीमारी में आँखों के ड्रेनेज चैनल काम करना बंद कर देते हैं, जिससे आँखों में बनने वाला द्रव वहीं जमा होता रहता है। धीरे-धीरे इस द्रव के आँखों में जमा होने से आँखों के अंदर दाब बनने लगता है। यह दाब मस्तिष्क तक संदेश ले जाने वाली प्रकाशीय तंत्रिकाओं को नष्ट कर देता है जिससे दृष्टि बाधित हो जाती है।

- ब्रिटेन के नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा ग्लूकोमा के इलाज़ की एक नई पद्धति विकसित की गई है। इस पद्धति में एक छोटी नली और लेज़र का इस्तेमाल किया गया है।

क्या है यह नई पद्धति

- इस पद्धति में आँखों में एक छोटा सा कट लगाकर आँख के अंदर एक नली डाली जाती है। यह नली आँख के अंदर जमा द्रव को खींचकर बाहर कर देगी।
- इसके बाद, लेज़र से सिलीयरी ग्लैंड पर निशाना लगाया जाता है जिससे आँखों में अत्यधिक द्रव का निर्माण न हो।
- यह तकनीक उन मरीज़ों पर इस्तेमाल की जा सकती है जिनका ग्लूकोमा गंभीर स्तर तक नहीं पहुँचा है।
- कई दशकों से आँखों में से द्रव निकालने और द्रव का निर्माण रोकने के लिये आई-ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि, यह प्रभावी इलाज़ नहीं है।
- ट्रैबेक्युलेक्टॉमी सर्जरी के ज़रिये भी ग्लूकोमा का इलाज़ किया जाता है। हालाँकि, सर्जरी बहुत गंभीर स्थिति में ही की जाती है।

समुद्र के अंदर निगरानी करेगी रोबोट मछली

अमेरिका स्थित मैसाच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआइटी) के वैज्ञानिकों द्वारा एक सॉफ्ट रोबोट मछली तैयार की गई है, जिसे सोफी नाम दिया गया है। हाल ही में रोबोट मछली सोफी का फिज़ी के रेनबो रीफ में परीक्षण किया गया।

विशेषताएँ

- यह मछली समुद्र की सतह से **50** फीट की गहराई में तकरीबन **40** मिनट तक तैरने में सक्षम है। यह पहली ऐसी रोबोट मछली है जो इतनी देर तक पानी में तीन आयामों में तैरने में सक्षम है।
- साइंस रोबोटिक्स नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, लचकदार पूँछ और पानी में स्वयं को नियंत्रित करने की वज़ह से सोफी समुद्र में आराम से तैर सकती है। पूर्ण मछली जैसी विशेषताओं से युक्त सोफी, न केवल समुद्र में मछलियों और अन्य जलीय जंतुओं के साथ तैरने में सक्षम है, बल्कि यह समुद्र के वातावरण में खुद को पूरी तरह से समाहित कर सकती है।
- सिलिकॉन रबर से बनी यह रोबोट मछली, समुद्र के भीतर की दुनिया की तस्वीरें ले सकती है, जिससे वैज्ञानिकों को समुद्री जीवन के बारे में अधिक-से-अधिक जानकारी मिल सकेगी।
- वैज्ञानिकों द्वारा सोफी की आँख में एक लेंस लगाया गया है, जिसकी मदद से हाई रेज़ोल्यूशन की तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड तैयार किये जा सकते हैं।
- वैज्ञानिकों द्वारा वाटरप्रूफ सुपर निनटेंडो कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही एक खास संचार तंत्र के माध्यम से सोफी की रफ्तार और उसकी गतिविधि को नियंत्रित किया जा सकता है।
- इसे तैरने में सक्षम बनाने के लिये मोटर पंप संलग्न किये गए हैं।
- सोफी के माध्यम से समुद्री जीवों के विषय में जानकारी प्राप्त करने और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के नीचे होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

कैंसर की नई दवा आई-बेट-762

वैज्ञानिकों द्वारा एक नई दवा का परीक्षण किया जा रहा है, जो स्तन और फेंफड़े के कैंसर को प्रेरित करने वाले जीन के विकास एवं कैंसर को फैलने से रोक सकता है। यह मोटापे से संबंधित जीन है।

- अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्त्ताओं के अनुसार, आई-बेट-**762** नामक दवा स्तन और फेंफड़े के कैंसर के प्रसार को नियंत्रित करने में मददगार साबित होगी।
- 'कैंसर प्रिवेंशन रिसर्च' जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार, यह दवा सी-एमवाईसी नामक जीन को साधने का भी काम करती है ताकि ये जीन आगे नहीं बढ़ पाएँ।
- इस प्रक्रिया में यह दवा कैंसर और इम्यून सेल्स में कई तरह के अहम प्रोटीन पर अंकुश लगा सकती है। यह इसलिये भी अहम हो जाती है क्योंकि ये प्रोटीन कोशिकाओं के बीच होने वाली प्रक्रियाओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इतना ही नहीं, आई-बेट-**762** दोनों सेल्स में पीएसटीएटी **3** के स्तर में **50** फीसद तक की कमी कर सकती है।
- ज्ञात हो कि पीएसटीएटी **3** नामक प्रोटीन यदि सुचारु रूप से कार्य करता है, तो यह इम्यून सेल्स द्वारा कैंसर से बचाव करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

अजमेर में राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution) द्वारा राजस्थान के अजमेर में रूपनगण गाँव में पहले मेगा फूड पार्क (Food Park) का उद्घाटन किया गया। 113.57 करोड़ रुपए की लागत से बने इस मेगा फूड पार्क से अजमेर और पड़ोसी ज़िलों के लगभग 25 हज़ार किसानों को लाभ मिलेगा।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस मेगा फूड पार्क के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (**Central Processing Centre - CPC**) में उपलब्ध सुविधाओ में **5** हज़ार मीट्रिक टन का शीतगृह, **2550** मीट्रिक टन की क्षमता का डीप फ्रीज, **2** मीट्रिक टन/घंटे का आईक्यूएफ, **2500** मीट्रिक टन कच्चे माल के लिये ड्राई गोदाम और **5** हज़ार मीट्रिक टन तैयार माल के लिये ड्राइ गोदाम, **6500** मीट्रिक टन के साइलो, **10** मीट्रिक टन/घंटे के पैक हाउस, **8** मीट्रिक टन की क्षमता का स्टीम जनरेटर और अन्य संबधित प्रंसस्करण सुविधाएँ शामिल हैं।
- इस मेगा फूड पार्क से **25** से **30** खाद्य प्रंसस्करण इकाइयों में **250** करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और वार्षिक कारोबार **450** से **500** करोड़ रुपए तक हो सकेगा।
- यह पार्क प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से **5000** व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान करेगा और **CPC** तथा **PPC** पहुँच वाले क्षेत्रों में लगभग **2500** किसानों को इसका लाभ मिलेगा।
- इस पार्क में निर्मित आधुनिक अवसंरचना से राजस्थान और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों के किसान, उत्पादक, संसाधक और ग्राहकों को अत्यधिक लाभ मिलेगा और यह राजस्थान राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देगा।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण के लिये समूह आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से मज़बूत और पिछड़े क्षेत्रों के साथ खेत से बाज़ार तक मूल्य श्रृंखला सहित मेगा फूड पार्क का सृजन कर रहा है।
- यह क्षेत्र प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से आगामी वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने के लिये योगदान करेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सौरमंडल के बाहर खोजा गया अत्यधिक गर्म ग्रह

फ्राँस और ब्रिटेन के खगोलविदों को अंतरिक्ष के रहस्यमय संसार के विषय में एक और सफलता हाथ लगी है। खगोलविदों द्वारा सौरमंडल से 26 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक अत्यधिक गर्म ग्रह को खोजने में सफलता हासिल की गई है।

- धातु की तरह दिखने वाले इस के**2-22** बी ग्रह का आकार पृथ्वी की तुलना में **20** फीसदी अधिक है। इस नए ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में ढाई गुना अधिक है। यह ग्रह "के" नामक एक छोटे तारे की परिक्रमा करता है।
- इसे एक परिक्रमा करने में तकरीबन **14** घंटे का समय लगता है। तारे के समीप होने के कारण दिन के समय इसका तापमान दो हज़ार डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है।
- के**2 -229** बी के साथ-साथ दो अन्य तारे भी देखे गए जो "के" नामक तारे की परिक्रमा करते हुए पाए गए।
- इन तीनों ग्रहों और तारों के बीच की दूरी हमारे सौरमंडल के बुध ग्रह और सूर्य के बीच की दुरी से भी कम है। इस संबंध में खगोलविदों द्वारा बहुत से अनुमान व्यक्त किये जा रहे हैं।
- एक अनुमान के अनुसार, जिस प्रकार पृथ्वी और मंगल ग्रह की टक्कर से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई होगी, इसी तरह से इस ग्रह की भी उत्पत्ति हुई होगी।
- फ्राँस की एक्स-मार्सेली यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक के खगोलविदों द्वारा के **2** टेलिस्कोप की सहायता से इस नए ग्रह की खोज की गई है।
- इस ग्रह की बहुत सी विशेषताएँ बुध ग्रह के समान हैं। यही कारण है कि यह ग्रह खगोलविदों के लिये आश्चर्य और शोध का विषय बन गया है।

नूहं देश का सबसे पिछड़ा ज़िला

हाल ही में नीति आयोग द्वारा एक सूची जारी की गई है जिसमें विकास के नज़रिये से देश के सबसे पिछड़े ज़िलों का उल्लेख किया गया है। इस सूची में हरियाणा के नूहं (मेवात) को देश के सबसे पिछड़े ज़िले के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

- इसके बाद तेलंगाना के आसिफाबाद, मध्य प्रदेश के सिंगरौली, नगालैंड के किफिरे और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले को देश के सबसे पिछड़े पाँच ज़िलों में शामिल किया गया है।
- इस रैंकिंग का उद्देश्य इन ज़िलों में आपसी प्रतिस्पर्द्धा का माहौल बनाकर इन्हें विकास के लिये प्रोत्साहित करना है।
- आयोग द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि, जल संसाधन, आधारभूत बुनियादी ढाँचे वित्तीय समावेशन तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों के **49** विकास मानकों के आधार पर देश के **101** पिछड़े ज़िलों की रैंकिंग की गई। सरकार द्वारा इन ज़िलों को 'आकांक्षापूर्ण ज़िले' **(Aspirational Districts)** नाम दिया गया।
- इन ज़िलों में केंद्र एवं राज्य की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रभारी संयुक्त सचिव एवं अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को नियुक्त किया गया।
- राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
- आयोग द्वारा "चैम्पियंस ऑफ चेंज" नाम से एक ऑनलाइन डैशबोर्ड भी तैयार किया जा रहा है जिसके माध्यम से इन ज़िलों की रैंकिंग में आने वाले उतार-चढ़ाव के संबंध में ऑनलाइन रैंकिंग की जा सके।

राष्ट्रीय कौशल विकास कोष एवं राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का पुनर्गठन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शासकीय क्षमता, क्रियान्वयन और निगरानी फ्रेमवर्क को सशक्त बनाने के लिये राष्ट्रीय कौशल विकास कोष (NSDF) और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के पुनर्गठन को मंज़ूरी दे दी है। इस पुनर्गठन से NSDC के कामकाज में ज़्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही तथा बेहतर कॉरपोरेट शासकीय क्षमता सुनिश्चित होने के साथ ही NSDF की निगरानी भूमिका भी सशक्त बनेगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- अनुमोदित प्रस्ताव से एनएसडीएफ बोर्ड के संरचनात्मक पुनर्गठन के साथ ही **NSDC** की शासकीय क्षमता, क्रियान्वयन और निगरानी फ्रेमवर्क को मज़बूती मिलेगी।
- कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिये वित्त मंत्रालय की ओर से **NSDC** और **NSDF** का गठन तथा पंजीकरण क्रमश: जुलाई **2008** और जनवरी **2009** में किया गया था।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को **NSDC** के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।
- **NSDF** न्यास का गठन सरकार, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय और अन्य एजेंसियों द्वारा वित्तीय मदद प्राप्त करने के लिये किया गया था।
- इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेष कार्यक्रमों के माध्यम में भारतीय युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना है।
- देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय विकास कौशल मिशन के लक्षित उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अपने कोष के बेहतर इस्तेमाल के लिये **NSDF** ने **NSDC** के साथ निवेश प्रबंधन समझौता किया गया है।
- इस समझौते के तहत **NSDF** को **NSDC** के कामकाज के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी मिली है।

प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के कार्य क्षेत्र में वृद्धि को अपनी मंज़ूरी दे दी है। भारत सरकार अब सभी क्षेत्रों के लिये नए कर्मचारियों के पंजीकरण की तिथि से पहले तीन वर्षों के लिये नियोक्ता के पूर्ण ग्राह्य योगदान में योगदान देगी, जिसमें वर्तमान लाभार्थियों के तीन वर्षों की उनकी शेष अवधि का योगदान भी शामिल है।

लाभ

- एक अनुमान के अनुसार, अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ जाएंगे तथा और अधिक रोज़गार का सृजन होगा।
- अभी तक, इस योजना के काफी प्रेरणादायी परिणाम प्राप्त हुए हैं। औपचारिक रोज़गार में लगभग **31** लाख लाभार्थी सम्मिलित हुए हैं, जिसमें **500** करोड़ रुपए से अधिक का व्यय शामिल है।

पृष्ठभूमि

- पीएमआरपीवाई अगस्त **2016** से ही परिचालन में है। इस योजना में, सरकार **15** हज़ार रुपए प्रति महीने तक के वेतन के साथ, एक नए सार्वभौमिक खाता नंबर (यूएएन) रखने वाले नए कर्मचारियों (जो **01** अप्रैल, **2016** या उसके बाद नियुक्त हुए हैं) के संदर्भ में कर्मचारी पेंशन योजना में नियोक्ताओं के **8.33** प्रतिशत योगदान का भुगतान कर रही है।
- इस योजना के दोहरे लाभ हैं। एक तरफ नियोक्ताओं को प्रतिष्ठानों में कामगारों के रोज़गार आधार में वृद्धि करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है, तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में कामगार ऐसे प्रतिष्ठानों में रोज़गार पा सकेंगे।
- इसका एक प्रत्यक्ष लाभ यह है कि इन कामगारों को संगठित क्षेत्र के सामाजिक सुरक्षा लाभों की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

मनोवैज्ञानिक आघात, बाल संरक्षण एवं मानसिक बीमारी पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान के मनोचिकित्सा विभाग के सहयोग से अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में 27-28 मार्च, 2018 को अब तक के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

उद्देश्य

- इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय बच्चों एवं किशोरों में मनोवैज्ञानिक आघात तथा उसके बाद होने वाली मानसिक बीमारी के निदान में अनुसंधान, सेवा प्रावधान और नैदानिक प्रचलनों का एक व्यापक समन्वय उपलब्ध कराना है।

मनोवैज्ञानिक आघात

- मनोवैज्ञानिक आघात एक व्यापक शब्द है जिसमें मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न, युद्ध, प्राकृतिक आपदा, अपहरण, घरेलू हिंसा आदि जैसे कई प्रकार के अनुभव और परिस्थितियाँ शामिल हो सकती हैं।
- कुछ सामान्य मानसिक समस्याएँ हैं- स्वलीनता, मानसिक बाधा, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी), सीखने में बाधा, चिंता विकार और अन्यमनस्कता (शाइजोफ्रेनिया)।
- कुछ लोग मानसिक विकार सहित जन्म लेते हैं, जबकि बहुत से दुर्घटनाओं, आघात, गंभीर बीमारी व वृद्धावस्था के कारण मानसिक समस्याओं से पीड़ित होते हैं।

चुनावी बॉण्ड (Electoral Bond)

भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 20, दिनांक 02 जनवरी, 2018 द्वारा चुनावी बॉण्ड योजना-2018 को अधिसूचित किया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉण्ड की खरीद ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या स्थापित हो।

- व्यक्ति विशेष के रूप में कोई भी एक व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बॉण्डों की खरीद कर सकता है। यह चुनावी बॉण्ड केवल **15** दिनों के लिये वैध/मान्य होगा।
- केवल वैसी राजनीतिक पार्टियाँ, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951 (1951** का **43)** के अनुच्छेद **29**ए के तहत पंजीकृत हों और जिसने आम लोकसभा चुनावों या राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गए मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किये हों, चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने की पात्र होंगी।
- इस चुनावी बॉण्ड में प्राप्तकर्त्ता **(payee)** का नाम दर्ज़ नहीं किया जाएगा। किंतु, इसे एक अधिकृत राजनीतिक दल द्वारा किसी प्राधिकृत बैंक के केवल अधिकृत बैंक खाते के ज़रिये ही आहरित किया जा सकेगा।
- चुनावी बॉण्डों को किसी योग्य राजनीतिक पार्टी द्वारा केवल अधिकृत बैंक के किसी बैंक खाते के माध्यम से ही भुनाया जा सकेगा।

अंतरिक्ष में भारत की एक और सफल उड़ान

29 मार्च, 2018 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा भारत के भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी जीएसएलवी-एफ 08 के ज़रिये जीएसएटी-6ए संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रमोचन किया गया।

- जीएसएलवी की यह बारहवीं उड़ान थी। इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया।

प्रमुख विशेषताएँ

- इस प्रक्षेपण यान के तीसरे चरण में स्वदेश विकसित क्रायोजेनिक इंजन लगा है।
- यान के दूसरे चरण में हाई थ्रस्ट विकास इंजन लगा है। इसके अलावा, इस यान के दूसरे चरण में इलेक्ट्रो हाइड्रो एक्यूटेशन सिस्टम की बजाय इलेक्ट्रो केमिकल ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया गया है।
- अंतरिक्ष यान की लंबाई **49.1** मीटर है। इसका वज़न **2,140** किलोग्राम है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- यह मल्टी बीम कवरेज के माध्यम से मोबाइल संचार सेवाएँ प्रदान करने के लिये इसरो द्वारा निर्मित एक संचार उपग्रह है। इस सुविधा के बल पर इससे नेटवर्क मैनेज़मेंट तकनीक में मदद मिलेगी।
- यह एस और सी-बैंड ट्रांसपोंडर से लैस है। इससे सैन्य बलों को उनके ऑपरेशन में बहुत सहायता मिलेगी।

स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप

स्वच्छ भारत अभियान के आयोजक और समन्वयक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर 'स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप (SBSI), 2018' की पहल की है, जिसका उद्देश्य गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कॉलेज के युवाओं को गाँवों में स्वच्छता से जुड़े कार्यों से जोड़ना है।

- यह प्रधानमंत्री द्वारा **2** अक्तूबर**, 2014** को किये गए आह्वान के अनुरूप है।
- एसबीएसआई का उद्देश्य देश भर के लाखों शिक्षित युवाओं में स्वच्छता क्षेत्र के लिये कौशल विकसित करना**,** जन-जागरूकता का प्रसार और स्वच्छ भारत अभियान के लिये जनांदोलन को मज़बूती प्रदान करना है।
- इंटर्नशिप की शर्तों के अंतर्गत हर अभ्यर्थी को गाँवों और उनके आसपास के इलाकों में श्रमदान**,** स्वच्छता बुनियादी ढाँचा तैयार करने**,** व्यवस्था बनाने**,** व्यवहारगत बदलाव के लिये अभियान और अन्य आईईसी पहलों सहित विभिन्न गतिविधियों पर **100** घंटों तक काम करने की ज़रूरत होगी।
- इंटर्नशिप के दिशा-निर्देशों को उच्च शिक्षा विभाग के साथ परामर्श से तैयार किया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ इंटर्नशिप को कॉलेज**,** महाविद्यालय**,** राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाएगी।
- एसबीएसआई को पूरा करने वाले हर इंटर्न को स्वच्छ भारत अभियान द्वारा एक इंटर्नशिप प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन उच्च शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) के अंतर्गत **2** क्रेडिट प्वाइंट्स उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है**,** जो **SBSI** को कराएंगे और उसे पूरा करेंगे।

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के तकनीकी सहयोग से महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के कार्यालय द्वारा विकसित एवं क्रियान्वित किया गया है।

- पीएफएमएस का मुख्य उद्देश्य एक बेहतर कोष प्रवाह प्रणाली के साथ-साथ भुगतान सह लेखांकन नेटवर्क की स्थापना कर भारत सरकार के लिये एक मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है।
- भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में पीएफएमएस विभिन्न हितधारकों को वास्तविक समय पर एक विश्वसनीय एवं सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली और एक कारगर निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) मुहैया कराती है।
- पीएफएमएस की सबसे बड़ी खासियत देश के बैंकिंग नेटवर्क के साथ इसका एकीकरण करना है। इसके परिणामस्वरूप पीएफएमएस में एक अनोखी क्षमता है, जिसकी बदौलत वह देश भर में किसी भी बैंक में खाता रखने वाले लगभग सभी लाभार्थियों/वेंडरों को ऑनलाइन भुगतान कर सकता है।
- भारत सरकार के केंद्रीय क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिये सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के अनिवार्य (पीएफएमएस) उपयोग से क्रियान्वयनकारी एजेंसियों तक धनराशि के होने वाले प्रवाह की निगरानी की जा सकेगी।
- पीएफएमएस के ज़रिये धनराशि की निगरानी संभव होने से यह पता लगाया जा सकता है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों की क्रियान्वयनकारी एजेंसियों द्वारा धनराशि के उपयोग की वास्तविक स्थिति क्या है**?**

Copyright– Drishti The Vision Foundation

चिपको आंदोलन

26 मार्च, 2018 को Google द्वारा 'चिपको आंदोलन' की 45वीं वर्षगाठ पर इसे अपने डूडल में स्थान दिया गया।

चिपको आंदोलन क्या है?

- खेजड़ली (जोधपुर) राजस्थान में **1730** के आस-पास अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में लोगों ने राजा के आदेश के विपरीत पेड़ों से चिपककर उनको बचाने के लिये आंदोलन चलाया था। इसी आंदोलन ने आज़ादी के बाद हुए चिपको आंदोलन को प्रेरित किया, जिसमें चमोली, उत्तराखंड में गौरा देवी सहित कई महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उन्हें कटने से बचाया था।

'अप्पिको आंदोलन' की तर्ज पर

- दक्षिण भारत में भी चिपको आंदोलन की तर्ज़ पर **1983** में **'**अप्पिको आंदोलन**'** शुरू हुआ। **38** दिनों तक चलने वाले इस आंदोलन में भी उत्तरी कर्नाटक के गाँवों में महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर उनकी रक्षा की थी।
- 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' और 'साइलेंट वैली आंदोलन' में भी महिलाओं ने सराहनीय भूमिका निभाई है। महिलाओं पर पर्यावरणीय मुद्दों के प्रभावों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-
  - ✓ जिन इलाकों में अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, उन इलाकों में जलावन लकड़ी के लिये महिलाओं को दूर तक भटकना पड़ता है।
  - ✓ वहीं कई लघु व कुटीर उद्योगों को कच्चा माल भी इन्हीं वनों से प्राप्त होता है, जो महिलाओं के रोज़गार को भी प्रभावित करता है।
  - ✓ रेगिस्तानी, पठारी और पहाड़ी प्रदेशों में जहाँ जल की भीषण कमी है, वहाँ महिलाओं को जल की व्यवस्था करने के लिये कई किलोमीटर पैदल चलना होता है इत्यादि।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने मानव संसाधन मंत्रालय के **'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान'** (RUSA) को 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे राज्यों की पात्र उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से वर्ष **2013** में प्रारंभ किया गया था।
- सभी उपघटकों के लिये सार्वजनिक वित्तपोषित संस्थानों में परियोजना खर्च केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा साझा तौर पर वहन किया जाता है।
- यह अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिये **90:10,** अन्य राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिये **60:40** तथा बिना विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के लिये **100:0** है।
- योजना अपने दूसरे चरण में है। इसका लक्ष्य **70** नए आदर्श डिग्री कॉलेजों और **8** नए व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना करना है। इसके अतिरिक्त योजना चुने हुए **10** राज्य विश्वविद्यालयों और **70** स्वायत्तशासी कॉलेजों की गुणवत्ता और उत्कृष्टता में बढ़ोतरी करेगा। इस संबंध में **50** विश्वविद्यालयों और **750** कॉलेजों को संरचना समर्थन प्रदान करेगी।
- **RUSA, 2020** तक देश के कुल नामांकन अनुपात को तीस प्रतिशत तक बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकारों द्वारा उच्च शिक्षा में खर्च में बढ़ोतरी करने के लिये भी प्रयास करेगा।
- अन्य बातों के अलावा यह सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को उच्च शिक्षा के लिये उचित अवसर प्रदान कर उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा देगा।
- इसके तहत महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजनों के समावेश को प्रोत्साहित करेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

भारत और विश्व

ड्रग–रेसिस्टेंट TB के उपचार हेतु WHO की योजना

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर की फार्मास्युटिकल कंपनियों को ड्रग–रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (DR-TB) के इलाज के लिये वहनीय कीमतों पर नई दवाओं के विनिर्माण हेतु प्रस्ताव पेश करने हेतु आमंत्रित किया है। यह WHO के प्री-क्वालिफिकेशन ऑफ मेडिसिंस प्रोग्राम (PQP) कार्यक्रम का एक हिस्सा है।

- **WHO** के मानदंडों के तहत इस तरह के अनुरोधों पर प्रस्तुत तथा इसके द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करने वाली दवाओं को संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों द्वारा खरीद के लिये एक सूची में शामिल किया जाता है।

क्या है PQP?

- **WHO** का प्री-क्वालिफिकेशन ऑफ मेडिसिंस प्रोग्राम (**PQP**) यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि विनिर्माताओं से प्राप्त होने वाली दवाएं गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के निर्धारित मानकों को पूरा करती हैं।
- इससे अधिक प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार का निर्माण होता है और किफायती दामों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
- **HIV** के मामले में ऐसा देखा गया था कि **PQP** के कारण कई एंटी-रेट्रोवायरल दवाओं की कीमतें काफी नीचे आ गई थीं। साथ ही इसने फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन के विकास को भी प्रोत्साहित किया था।
- उदाहरण के तौर पर **HIV** के मामले में सिपला कंपनी ने **Stavudine, Lamivudine and Nevirapine** के सयोजन से प्रभावी उपचार में सक्षम 'एड्स कॉकटेल' निर्मित की थी।

प्रमुख बिंदु

- **WHO** ने अब दवा निर्माताओं से **DR-TB** के लिये अनुशंसित नई पीढ़ी की दो दवाओं बेडाक्विलीन (**Bedaquiline**) और डेलामिनाइड (**Delaminid**) के लिये एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट (**EoI**) प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।
- **WHO** के इस कदम का उद्देश्य **HIV** महामारी के नियंत्रण में मिली सफलता को **TB** के मामले में दोहराना है। भारतीय दवा उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्द्धा के कारण **HIV** दवाओं की कीमतों में **99%** तक कमी देखने को मिली थी।
- **EoI** से यह स्पष्ट होता है कि **WHO** ड्रग-प्रतिरोधी टीबी की चुनौतियों का सामना करने के लिये इन दो दवाओं को महत्त्वपूर्ण मानता है और इन दवाओं के जेनेरिक संस्करण उपलब्ध कराने के लिये स्वस्थ प्रतियोगिता के माहौल का सृजन करना चाहता है।

भारत में DR-TB

- भारत में लगभग **1.3** लाख लोग (विश्व में सर्वाधिक) **DR-TB** का सामना कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के पास बेडाक्विलीन की केवल **10,000** खुराक और डेलामिनाइड की **400** खुराक ही उपलब्ध हैं।
- इन दवाओं को इन औषधियों के विनिर्माताओं **Janssen (US)** और **Otsuka Pharmaceuticals (Japan)** से डोनेशन के रूप में प्राप्त किया जा रहा है।
- भारत में **HIV** के उपचार के लिये सस्ती दवाओं की उपलब्धता इसलिये संभव हो सकी, क्योंकि भारतीय पेटेंट अधिनियम फार्मास्युटिकल उत्पादों पर उत्पाद पेटेंट प्रदान की बजाय प्रक्रिया पेटेंट की अनुमति देता था।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- जबकि विश्व व्यापार संगठन (**WTO**) के व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (**TRIPS**) समझौते में उत्पाद पेटेंट का अनुपालन अनिवार्य था।
- किंतु **2005** में भारत ने फार्मा क्षेत्र में उत्पाद पेटेंट की अनुमति देने के साथ ही अपने पेटेंट नियमों को पूर्णतः ट्रिप्स समझौते के अनुरूप कर लिया था।

उत्पाद पेटेंट और प्रक्रिया पेटेंट में अंतर

• प्रक्रिया पेटेंट (**Process Patent**) के तहत एक विशेष विनिर्माण प्रक्रिया के लिये पेटेंट दिया जाता है, न कि स्वयं उत्पाद के लिये। • इस उत्पाद को कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से भी उत्पादित कर सकता है। • परिणामस्वरूप किसी उत्पाद के निर्माण के लिये अलग-अलग प्रक्रियाओं की संभावना के कारण एक ही उत्पाद के लिये एक से अधिक उत्पादक होंगे। • प्रक्रिया पेटेंट की व्यवस्था नवाचारी को पर्याप्त सुरक्षा नहीं देती है। • विकासशील देशों द्वारा प्रक्रिया पेटेंट को प्राथमिकता दी जाती है।	• उत्पाद पेटेंट (**Product Patent**) किसी उत्पाद के मूल आविष्कारक को अनन्य रूप (**Exclusive**) से दिया गया विशेष अधिकार है। • इसका मतलब यह है कि कोई अन्य विनिर्माता समान या किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से समान उत्पाद नहीं बना सकता। • इसका निहितार्थ यह है कि बाज़ार में उस उत्पादक का कोई प्रतियोगी नहीं होगा क्योंकि अब उत्पाद पर ही पेटेंट दे दिया गया है। • उत्पाद पेटेंट नवाचारी को उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। • विकसित देशों द्वारा उत्पाद पेटेंट को प्राथमिकता दी जाती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (**WHO**) संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य (**Public Health**) को बढ़ावा देना है।
- इसकी स्थापना **7** अप्रैल, **1948** को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में अवस्थित है।
- **WHO** संयुक्त राष्ट्र विकास समूह (**United Nations Development Group**) का सदस्य है। इसकी पूर्ववर्ती संस्था 'स्वास्थ्य संगठन' लीग ऑफ नेशंस की एजेंसी थी।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम सम्मेलन

11 मार्च, 2018 को राष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance-ISA) का प्रथम स्थापना दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता संयुक्त रूप से भारत और फ्राँस द्वारा की गई। इस सम्मेलन के समापन पर सदस्य देशों द्वारा दिल्ली सौर एजेंडा पेश किया गया।

- इसमें कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये सभी देश अपने राष्ट्रीय ऊर्जा मिश्रण में अंतिम ऊर्जा खपत के रूप में सौर ऊर्जा के हिस्से को बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
- इसमें यह भी कहा गया कि **ISA** निरंतर विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र एजेंडा-**2030** की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है।
- इस प्रतिबद्धता में सभी रूपों और आयामों में गरीबी का उन्मूलन, दुनिया को बदलने के लिये प्रौद्योगिकी का विकास, एक सुदृढ़ और पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन व्यवस्था, संयुक्त शोध एवं विकास आदि शामिल है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर-सरकारी संगठन (**Treaty-based International Intergovernmental Organization**) है।
- **ISA** की स्थापना भारत की पहल के बाद हुई थी। इसकी शुरुआत संयुक्त रूप से पेरिस में **30** नवंबर, **2015** को संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के दौरान **COP-21** से पृथक् भारत और फ्राँस द्वारा की गई थी।
- कुछ समय पूर्व नई दिल्ली में हुई आईएसए की अंतर्राष्ट्रीय संचालन समिति की पाँचवीं बैठक में **121** संभावित सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है।
- इस सम्मेलन में **ISA** से जुड़े **61** देश गठबंधन में शामिल हो गए हैं, जबकि **32** देशों ने फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि कर दी है।

विशेषताएँ

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क और मकर रेखा के मध्य आंशिक या पूर्ण रूप से अवस्थित **121** सौर संसाधन संपन्न देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर-सरकारी संगठन है।
- इसका मुख्यालय गुरुग्राम (हरियाणा) में है।
- **ISA** के प्रमुख उद्देश्यों में **1000** गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वैश्विक तैनाती और **2030** तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिये लगभग **$1000** बिलियन की राशि को जुटाना शामिल है।
- एक क्रिया-उन्मुख संगठन के रूप में **ISA** सौर परियोजनाओं को ज़मीनी स्तर पर प्रारंभ करने में सहयोग प्रदान करता है।
- सौर ऊर्जा की वैश्विक मांग को समेकित करने के लिये **ISA** सौर क्षमता से समृद्ध देशों को एक साथ लाता है।

लाभ

- थोक खरीद के माध्यम से कीमतों में कमी।
- मौजूदा सौर प्रौद्योगिकियों की बड़े पैमाने पर तैनाती में आसानी।
- सामूहिक रूप से क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा।

ISA की आवश्यकता क्यों है?

- जलवायु परिवर्तन की प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में भारत द्वारा वर्ष **2022** तक अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं का **40** फीसदी नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- आईएसए के कार्यकारी मसौदे में यह स्पष्ट किया गया है कि आईएसए का मूल उद्देश्य सभी के लिये किफायती, विश्वसनीय, सतत् और आधुनिक ऊर्जा की पहुँच सुनिश्चित करना है।
- आईएसए फ्रेमवर्क के अनुसार, वर्ष **2030** तक नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा क्षमता और उन्नत व स्वच्छ जैव-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा के लिये शोध और प्रौद्योगिकी तक पहुँच बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने तथा ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया गया है।
- इस सम्मलेन में प्रधानमंत्री ने दस सूत्रीय कार्रवाई योजना भी पेश की है, जो इस गठबंधन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। इस कार्रवाई योजना में सभी राष्ट्रों को सस्ती सौर प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना, ऊर्जा मिश्रण में फोटोवोल्टिक सेल से उत्पादित बिजली का हिस्सा बढ़ाना, विनियमन और मानक निर्धारित करना, बैंक ऋण योग्य सौर परियोजनाओं के लिये मार्गदर्शन प्रदान करना और विशिष्टता केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करना शामिल है। **ISA** इस दिशा में संस्थागत प्रयासों का समन्वयन और संवर्द्धन सुनिश्चित करता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

इसमें भारत की क्या भूमिका है?

- भारत सरकार द्वारा **2016-17** से **2020-21** तक आईएसए हेतु कोष, बुनियादी ढाँचा निर्माण और अन्य व्यय के लिये **5** वर्ष में **2.7** करोड़ डॉलर का सहयोग प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई गई है।
- भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (आईआरईडीए) द्वारा आईएसए कोष बनाने के लिये अलग-अलग **10** लाख डॉलर का योगदान किया गया है।

SIPRI रिपोर्ट : भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक

वैश्विक संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (Stockholm International Peace Research Institute-SIPRI) द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक़ हथियार और रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं होने से भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक बनकर उभरा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले पाँच वर्षों में भारत के हथियार और रक्षा उपकरणों के आयात में 24% तक की वृद्धि देखने को मिली है।

SIPRI क्या है?

- **SIPRI** एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जिसकी स्थापना **1966** में हुई थी।
- यह संस्था युद्धों तथा संघर्ष, युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करती है और नीति निर्माताओं, शोधकर्त्ताओं, मीडिया और इच्छुक लोगों को आँकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है।
- इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है और इसे विश्व के सर्वाधिक सम्मानित थिंक टैंकों की सूची में शामिल किया जाता है।

रिपोर्ट में भारतीय संदर्भ

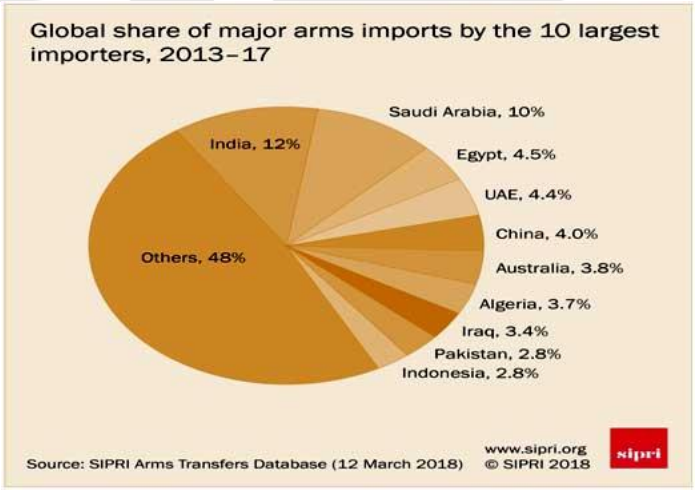

- **2013-17** की अवधि में वैश्विक स्तर पर हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयातों में भारत की हिस्सेदारी **12** फीसदी रही है।
- इसमें यह भी बताया गया है कि **2008-12** और **2013-17** के बीच भारत के हथियार आयातों में **24%** तक की वृद्धि देखने को मिली है।
- रिपोर्ट के मुताबिक़ रक्षा सबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के मामले में भारत लंबे समय से रूस और इज़राइल पर निर्भर रहा है।
- किंतु पिछले कुछ वर्षों से हिंद महासागर और एशिया में चीन की सक्रियता को देखते हुए अमेरिका और भारत के बीच रक्षा संबंधों में काफी प्रगति हुई है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- पिछले पाँच सालों की तुलना में **2013-17** में अमेरिका ने भारत को हथियारों के निर्यात में **550%** तक की वृद्धि की है। परिणामस्वरूप अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता बन गया है।
- पिछले एक दशक में दोनों देशों के बीच हुए **15** अरब डॉलर के रक्षा संबंधी समझौतों में इसे स्पष्टतया देखा जा सकता है।
- **2013-17** की अवधि में भारत ने सबसे ज्यादा हथियार रूस (**62%**), अमेरिका (**15%**) तथा इज़राइल (**11%**) से आयात किये।
- इसके विपरीत इसी अवधि के दौरान अमेरिका से पाकिस्तान को हथियारों के आयात में **76%** की कमी आई है और पाकिस्तान चीनी हथियारों के निर्यात का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता है।

शीर्ष निर्यातक देश

- वर्ष **2013-17** में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्राँस, जर्मनी और चीन पाँच सबसे बड़े निर्यातकों के रूप में उभरे हैं, जिनकी वैश्विक स्तर पर हथियारों के कुल निर्यात में **74%** की हिस्सेदारी थी।

शीर्ष आयातक देश

- भारत के बाद सर्वाधिक हथियार आयात करने वाले देशों की सूची में सऊदी अरब (**10%**), मिस्र (**4.5%**), संयुक्त अरब अमीरात (**4.4%**), चीन (**4.0%**), ऑस्ट्रेलिया (**3.8%**), अलजीरिया (**3.7%**), इराक (**3.4%**), पाकिस्तान (**2.8%**) और इंडोनेशिया (**2.8%**) आदि देश शामिल हैं।

अन्य तथ्य

- भारत-पाकिस्तान और भारत-चीन के बीच तनाव के कारण भारत की बड़े हथियारों की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
- यह दिखाता है कि एक तरफ जहाँ हथियार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये भारत की आयातों पर निर्भरता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ **2008-12** से **2013-17** के बीच चीन के हथियारों के आयात में **19%** की गिरावट आई है।
- **2013-17** में चीन दुनिया का पाँचवाँ सबसे बड़ा हथियार आयातक था, किंतु **2008-12** से **2013-17** के बीच निर्यात में **38%** की वृद्धि के साथ चीन **5**वें सबसे बड़े हथियार निर्यातक के रूप में उभरा है।
- पाकिस्तान (**35%**) और बांग्लादेश (**19%**) चीनी हथियारों के सबसे बड़े आयातक हैं।
- मध्य-पूर्व एशिया में चल रहे संघर्षों के कारण **2008-12** से **2013-17** की अवधि में इस क्षेत्र में हथियारों की खरीदारी में **103** फीसदी की वृद्धि देखने को मिली है।
- **2013-17** में इस क्षेत्र में कुल वैश्विक आयातों के **32%** हथियारों का आयात हुआ। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने मध्य-पूर्व में सर्वाधिक हथियार निर्यात किये हैं।

'टीबी उन्मूलन' शिखर सम्मेलन : स्वस्थ भारत की ओर एक और कदम

तपेदिक उन्मूलन शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय (एसईएआरओ) तथा स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा किया गया है।

मुख्य बिंदु

- दुनिया भर में तपेदिक को खत्म करने के लिये वर्ष **2030** तक का समय तय किया गया है, भारत विश्व के लक्ष्य से **5** वर्ष पूर्व **2025** तक तपेदिक को खत्म करने का लक्ष्य हासिल कर लेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- तपेदिक उन्मूलन में राज्य सरकारें काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अत: सहकारी संघवाद की भावना को मज़बूती देने के उद्देश्य से इस मिशन को शुरू किया गया है।
- प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में दो अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाएँ और भी हैं।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, **2017** में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की आधारशिला के रूप में स्वास्थ्य और तंदरूस्ती की कल्पना की गई है।
- इसके अंतर्गत **1.5** लाख केंद्रों के माध्यम से विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को लोगों के घरों तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- आयुष्मान भारत के अंतर्गत दूसरा प्रमुख कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा योजना के तहत **10** करोड़ गरीब और कमज़ोर परिवारों (करीब **50** करोड़ लाभार्थियों) को अस्पताल में इलाज के लिये प्रतिवर्ष प्रति परिवार **5** लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान किया जाएगा।
- यह सरकारी सहायता दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को सरलता से लागू करने के लिये पर्याप्त धन प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय रणनीतिक योजना

- अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए तपेदिक उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने हेतु सरकार ने नई 'राष्ट्रीय रणनीतिक योजना' शुरू की है, ताकि **2025** तक भारत को तपेदिक मुक्त किया जा सके।
- इसके लिये अगले **3** वर्षों में **12,000** करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जाएगी, ताकि तपेदिक के प्रत्येक मरीज़ तक गुणवत्तापूर्ण निदान, इलाज और सहायता की पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- सरकार द्वारा पोषण संबंधी सहायता, सार्वजनिक-निजी भागीदारी के मॉडल का विस्तार और एचआईवी/एड्स जैसी सफलता का अनुसरण करने के लिये अपनी रणनीतियों को पंक्तिबद्ध करने हेतु नई योजना शुरू की गई है।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष - यूनिसेफ
(United Nations Children's Fund)

- यूनिसेफ का गठन वर्ष **1946** में संयुक्त राष्ट्र के एक अंग के रूप में किया गया था।
- इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ध्यातव्य है कि वर्तमान में **190** देश इसके सदस्य हैं।
- वस्तुतः इसका गठन द्वितीय विश्वयुद्ध से प्रभावित हुए बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करने तथा उन तक खाना और दवाएँ पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया था।

दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल तथा रासायनिक प्रदूषण : समझौता एवं उसका प्रभाव

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल तथा रासायनिक प्रदूषण पर सहयोग के लिये भारत और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (SACEP) के बीच समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी है।

क्या है SACEP?

- दक्षिण एशियाई क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और प्रोत्साहन को समर्थन देने के लिये **1982** में श्रीलंका में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका की सरकारों ने दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (**South Asia Cooperative Environment Programme-SACEP**) की स्थापना की थी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- **SACEP** ने इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गनाइजेशन (**IMO**) के साथ संयुक्त रूप से **'**क्षेत्रीय तेल बिखराव आपात योजना**' (Regional Oil Spill Contingency Plan)** विकसित की है, ताकि बांग्लादेश, भारत, मालदीव, पाकिस्तान तथा श्रीलंका के आस-पास के समुद्रों में तेल प्रदूषण की किसी बड़ी घटना से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पारस्परिक सहायता को सुनिश्चित किया जा सके।

समझौते का कार्यान्वयन

- भारतीय तटरक्षक बल (**Indian Coast Guard-ICG**) को समझौते के अंतर्गत **'**क्षेत्रीय तेल बिखराव आपात योजना**'** को लागू करने के लिये सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण और संचालन की दृष्टि से परिचालन बिंदु का दर्ज़ा दिया गया है।
- इसके अलावा **ICG** भारत सरकार की ओर से तेल और रासायनिक प्रदूषकों के बिखराव की रिपोर्टिंग भी करेगा और समुद्री दुर्घटनाओं के लिये **ICG**-समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (**Maritime Rescue Coordination Centres-MRCCs)** राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया केंद्र होंगे।

प्रभाव

- इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत और दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र के देशों यानी बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा के लिये घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन International Maritime Organization-IMO

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा और बचाव के लिये उपाय लागू करने और जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिये ज़िम्मेदार है।
- इसके अलावा, यह देयता और क्षतिपूर्तियों जैसे कानूनी मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुगम बनाने के प्रयासों में भी संलग्न है।
- इसे **17** मार्च, **1948** को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वावधान में एक सम्मेलन के माध्यम से स्थापित किया गया था और जनवरी **1959** में इसकी पहली बैठक हुई थी।
- वर्तमान में इसके **173** सदस्य राज्य हैं।

OECD रिपोर्ट : डिजिटलीकरण की वज़ह से उपजी कर चुनौतियाँ

ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना) में G-20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान ऑर्गेनाइज़ेशन फॉर इकॉनमिक को-ऑपरेशन ऐंड डेवलपमेंट (OECD) द्वारा 'डिजिटलीकरण की वजह से उपजी कर चुनौतियाँ' शीर्षक वाली एक अंतरिम रिपोर्ट जारी की गई है।

- यह अंतरिम रिपोर्ट **2015** में आधार क्षरण और लाभ अंतरण (**BEPS**) पर **OECD/G-20** इंक्लूसिव फ्रेमवर्क के तहत तय किये गए डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित कर चुनौतियों के समाधान खोजने की दिशा में एक कदम है।
- यह रिपोर्ट **2020** तक डिजिटलीकरण और अंतर्राष्ट्रीय कर नियमों पर समावेशी ढाँचे के निर्माण हेतु कार्य करने के लिये निर्देशों को निर्धारित करने का प्रयास करती है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब तक दीर्घावधि बहुपक्षीय समाधान नहीं निकल जाता है तब तक अंतरिम उपाय के तौर पर इंटरनेट कंपनियों पर देशों को इक्वलाइज़ेशन लेवी लगाना चाहिये, क्योंकि दीर्घावधि के लिये कदम उठाए जाने को लेकर अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इए रिपोर्ट में भारत द्वारा इक्वलाइज़ेशन लेवी लगाए जाने के निर्णय को ध्यान में रखा गया है और इस बात की भी संभावना है कि जल्द ही यूरोपीय संघ के देश इसका कार्यान्वयन कर सकते हैं।
- भारत सरकार द्वारा डिजिटल कंपनियों पर कर लगाए जाने के संदर्भ में बहुपक्षीय उपाय या स्थायी कदम के लिये कार्य किया जा रहा है, जिसके लिये **2020** तक मुनाफा आवंटन और अन्य नियमों का विस्तार किया जाएगा।

क्या है इक्वलाइज़ेशन लेवी?

- इक्वलाइज़ेशन लेवी डिजिटलीकरण से कर व्यवस्था में उत्पन्न समस्याओं के समाधान का एक उपाय है, जो सरकारों को डिजिटल अर्थव्यवस्था पर कर लगाने में सक्षम बनाता है।
- वर्तमान में कंपनियों पर कर उनकी भौतिक उपस्थिति वाले अधिकार क्षेत्रों में लगाया जाता है।
- लेकिन फेसबुक, गूगल, नेटफ्लिक्स जैसी इंटरनेट कंपनियाँ विज्ञापन सेवाओं द्वारा उन देशों से भी मुनाफा कमाती हैं, जहाँ पर इनकी भौतिक उपस्थिति नहीं होती।
- अत: इन कंपनियों द्वारा जिन देशों के उपभोक्ताओं से मुनाफा कमाया जाता है, वहाँ पर कर का भुगतान नहीं किया जाता है।
- इस समस्या के समाधान हेतु **OECD** ने वर्ष **2015** में **BEPS** प्रोजेक्ट के तहत एक कार्ययोजना पेश की थी।

भारत में इक्वलाइज़ेशन लेवी

- भारत दुनिया का पहला देश है, जिसने **OECD** द्वारा जारी कार्ययोजना को लागू करने के लिये इक्वलाइज़ेशन लेवी का प्रावधान लागू किया है।
- भारत सरकार द्वारा बजट **2016-17** में देश में गैर-निवासी (**Non-Resident**) इंटरनेट कंपनियों द्वारा प्रदान कराए जाने वाले ऑनलाइन विज्ञापन और संबंधित सेवाओं के लिये **6%** इक्वलाइज़ेशन लेवी लगाने का प्रावधान किया गया था।
- इसे केवल बिज़नेस-टू-बिज़नेस (**B2B**) ई-कॉमर्स मंचों पर होने वाले लेन-देनों पर ही लागू किया गया था। इस कर को 'गूगल टैक्स' भी कहा जाता है।
- इस निर्णय को लागू करते समय देश में स्थायी भौतिक उपस्थिति वाली विदेशी कंपनियों को इक्वलाइज़ेशन लेवी से छूट दी गई थी।

आधार क्षरण और लाभ अंतरण (Base erosion and profit shifting-BEPS)

- **BEPS** एक तकनीकी शब्दावली है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कर भुगतान से बचने के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले उपायों का राष्ट्रीय कराधार पर नकारात्मक प्रभाव दर्शाती है।
- ये कंपनियाँ टैक्स अवॉयडेंस (कर परिहार) के लिये अपने अर्जित लाभ को अधिक कर वाले देशों से कर की कम दरों वाले देशों (टैक्स हेवन्स) में स्थांतरित कर देती है। इससे मेज़बान देश को कर राजस्व का नुकसान होता है।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD)

- **OECD** की स्थापना **1961** में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या **35** है।
- इसका मुख्यालय पेरिस (फ्राँस) में है।
- दुनिया भर में लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने वाली नीतियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना **OECD** का प्रमुख उद्देश्य है।
- इसके सदस्य देश इस प्रकार हैं- ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चिली, चेक गणतंत्र, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इज़रायल, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, लक्जमबर्ग, लातविया, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय घटनाक्रम

स्वास्थ्य सेवाओं हेतु स्मार्ट कार्ड

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएसबीवाई) सहित एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) कार्यान्वित की जा रही है।

- आरएसबीवाई के तहत, बीपीएल परिवारों तथा असंगठित मजूदरों की **11** अन्य परिभाषित श्रेणियों को शामिल किया गया है।
- आरएसबीवाई में जिन परिवारों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें एमएसबीवाई के अंतर्गत शामिल किया गया है। एमएसबीवाई में नामांकित लाभार्थी को **50,000/** रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया गया है, जबकि आरएसबीवाई लाभार्थियों को एमएसबीवाई के अंतर्गत **20,000/** रुपए अतिरिक्त कवर प्रदान किया गया है।
- **24** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों यथा- तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिसा, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, पुदुच्चेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम द्वारा भी अपनी स्वयं की स्वास्थ्य योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं।
- इनमें से अधिकतर योजनाएँ **30,000/** रुपए से लेकर **3** लाख रुपए तक की तृतीयक परिचर्या हेतु बीमा कवर प्रदान करती है।
- वर्ष **2018-19** के बजट में सरकार ने द्वितीय तथा तृतीयक परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती कराने के लिये प्रतिवर्ष प्रति परिवार **5** लाख रुपए तक का कवर प्रदान करने वाली एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम (एनएचपीएस) शुरू करने की घोषणा की है।
- इस योजना के तहत लगभग **10** करोड़ निर्धन तथा वांछित परिवारों (लगभग **50** करोड़ लाभार्थी) को शामिल किया जाएगा।
- एनएचपीएस के शुरू होने के बाद आरएसबीवाई को इसी में शामिल कर लिया जाएगा। प्रस्तावित एनएचपीएस एक अखिल भारतीय स्कीम है तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास इसमें शामिल होने का विकल्प है।

संतुलित आहार

राष्ट्रीय पोषण निगरानी बोर्ड (National Nutrition Monitoring Board report) की रिपोर्ट 2012 के अनुसार, अनाज और बाजरा ग्रामीण भारतीय आबादी के भोजन के प्रमुख भाग हैं।

- सामान्य रूप से ग्रामीण आबादी अपर्याप्त आहार पर आधारित होती है, क्योंकि जड़ों और कंदों को छोड़कर सभी खाद्य समूहों के कम ग्रहण के रूप में भारतीयों के लिये अनुशंसित आहार के सेवन (**Recommended Dietary Intakes -RDI)** से कम है।
- कमज़ोर आयु वर्ग जैसे **6** वर्ष से कम आयु के बच्चों, किशोरों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को संतुलित आहार प्रदान करने के लिये, सरकार ने अंब्रेला आईसीडीएस (**Integrated Child Development Services -ICDS)** योजना को आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम (**Supplementary Nutrition Programme -SNP)** के माध्यम से पूरक पोषण के प्रावधान किये हैं।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित भारतीयों के लिये अनुशंसित आहार भत्ते और राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के आधार पर आबादी द्वारा औसत आहार सेवन के बीच अंतर को पाटने के लिये आंगनवाड़ी सेवा योजना के अंतर्गत अनुपूरक पोषण प्रदान किया जाता है।
- तदनुसार, इस अंतर को पाटने के लिये इस कार्यक्रम के तहत पोषण मानदंड तैयार किये जाते हैं।
- जनसंख्या के स्तर पर संतुलित आहार के अपर्याप्त उपभोग का कारण उपलब्धता की कमी के साथ ही संतुलित आहार के महत्त्व के बारे में जानकारी की कमी है।
- सरकार पौष्टिक और संतुलित आहार के उपभोग के महत्त्व के बारे में समुदाय की जागरूकता बढ़ाने के लिये मासिक ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस आयोजित कर रही है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

एसएटीएच - शिक्षा रोडमैप 2018-2020

नीति आयोग द्वारा झारखंड, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा की भागीदारी के साथ शिक्षा में मानव पूंजी में परिवर्तन लाने के लिये सतत् कार्रवाई हेतु (एसएटीएच-ई) नीति आयोग की परियोजना का रोडमैप जारी किया गया। परियोजना को शासित करने वाली संस्था राष्ट्रीय संचालन समूह (एनएसजी) की पहली बैठक नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में हुई, जिसमें एसएटीएच-ई का दूरदर्शी रोडमैप जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु

- एसएटीएच-ई का अर्थ है शिक्षा प्रणाली का साथी, जिसके केंद्र में विद्यार्थी और शिक्षक हैं। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक बच्चे के लिये संपूर्ण सरकारी स्कूली शिक्षा प्रणाली को उत्तरदायी, आकांक्षी और परिवर्तनकारी बनाया जाए।

एकीकृत कानूनी कार्रवाई प्रबंधन प्रणाली

- यह प्रणाली एकीकृत ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, जो शिक्षा से संबंधित विभिन्न अदालतों और ट्राइब्यूनलों में लंबित मामलों का कारगर प्रबंधन करती है।
- रोडमैप में व्यक्त यह कार्यक्रम और अन्य पहलों को अगले **24** महीनों में और मज़बूत बनाया जाएगा, उन्हें अनुकूल बनाया जाएगा और नॉलेज पार्टनरों-बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप तथा पीरामल फाउंडेशन और एजुकेशन लीडरशिप की सलाह से एसएटीएच-ई द्वारा लागू किया जाएगा।
- त्रिपक्षीय समझौते में नीति आयोग चुनौती पद्धति से चयनित तीन राज्य तथा निजी क्षेत्र के नॉलेज पार्टनर्स हैं और यह समझौता नीति आयोग द्वारा व्यक्त स्पर्द्धी तथा सहकारी संघवाद के मूल को दर्शाता है।

एसएटीएच-ई के बारे में

- मानव संसाधन मंत्रालय के साथ प्रजेंटेशन और परामर्श के बाद कार्यक्रम के लिये तीन राज्य- झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा चुने गए। इस तरह मानव पूंजी-शिक्षा में परिवर्तन करने के लिये सतत् कार्य (एसएटीएच-ई) का जन्म हुआ।
- एसएटीएच-ई पहल राज्यों के साथ औपचारिक समझौतों पर आधारित है और इसका धनपोषण नीति आयोग और सहभागी राज्यों के बीच लागत साझा करने की व्यवस्था के ज़रिये किया जाएगा।
- परियोजना की समीक्षा, डाटा संग्रहण तथा कार्यान्वयन के लिये बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) तथा पीरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप (पीएफईएल) को नॉलेज पार्टनर के रूप में चुना गया।
- एसएटीएच-ई परियोजना की कल्पना एक कार्यक्रम के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य इन तीन राज्यों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा में परिवर्तन करना है।
- एसएटीएच-ई रोडमैप में एक समयबद्ध, लक्ष्य प्रेरित अभ्यास का जिक्र है, जो अकादमिक वर्ष **2020** के अंत तक अपना तार्किक स्वरूप ले लेगा।
- संपूर्ण प्रक्रिया राज्यों तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ परामर्श के अनुसार पूरी की जाएगी। इस कार्य में नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन ग्रुप (एनएसजी) तथा राज्यों के मुख्य सचिव सहायक होंगे और इसकी प्रगति की निरंतर निगरानी की जाएगी।
- एसएटीएच-ई का उद्देश्य शिक्षा और मुख्यधारा की उत्कृष्टता के लिये रोल मॉडल राज्य बनाना है, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और परिणाम में परिवर्तन किया जा सके।
- प्रौद्योगिकी को आवश्यकता आधारित डाटा प्रेरित मूल्यांकन से जोड़ने और इसे नवाचार, इनक्यूबेशन, बाह्य, तीसरा पक्ष धनपोषण तथा सार्वजनिक-निजी-परोपकार साझेदारी (पीपीपीपी) का रूप देने से शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन लाने के कार्य में राज्य चालक की भूमिका में होंगे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

किसानों के लाभ एवं रोज़गार में वृद्धि हेतु : प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

सरकार की ओर से वर्ष 2016-20 की अवधि के लिये 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ क्रियान्वित की जा रही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को चौदहवें वित्त आयोग की अवधि समाप्त होने तक संचालित किया जाएगा।

- इस योजना से वर्ष **2019-20** तक **20** लाख किसानों के लाभान्वित होने तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से **5,30,500** रोज़गार सृजित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना क्या है?

- 'कृषि समुद्री उत्पाद प्रसंस्करण एवं कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना' का ही पुन: नामकरण कर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तौर पर पेश किया गया है।
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है, जिसके परिणामस्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (**efficient supply chain management)** के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन किया जा रहा है।
- इससे देश में न केवल खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि को तीव्र गति प्राप्त होगी बल्कि यह किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने तथा किसानों की आय को दुगना करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अधिक अवसरों का सृजन करने, कृषि उपज की बर्बादी में कमी लाने, प्रसंस्करण तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।

उद्देश्य

- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य कृषि संबंधी न्यूनता की पूर्ति करना, प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण करना और कृषि के दौरान संसाधनों के होने वाले अनावश्यक नुकसान को कम करना है।

मुख्य घटक

- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निम्नलिखित केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं-

(i) मेगा फूड पार्क।
(ii) एकीकृत प्रशीतन श्रृंखला और मूल्य संवर्द्धन अवसंरचना।
(iii) खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण तथा विस्तार।
(iv) कृषि उत्पाद प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिये बुनियादी ढाँचा।
(v) बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज का सृजन।
(vi) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये अवसंरचना विकास।
(vii) मानव संसाधन और संस्थाएँ।

वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना हेतु विधेयक को मंज़ूरी

व्यावसायिक विवादों की निपटान प्रक्रिया को त्वरित और मज़बूत करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग' (Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts) संशोधन विधेयक, 2018 को संसद में पेश करने की मंज़ूरी दे दी है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पृष्ठभूमि

- वाणिज्यिक विवादों से जुड़े मामलों के तेज़ी से निपटान को ध्यान में रखते हुए और खासतौर से विदेशी निवेशकों के बीच भारतीय विधि प्रणाली की स्वतंत्र और उत्तरदायी सकारात्मक छवि बनाने के लिये, वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम **2015** बनाया गया।
- इसके तहत सभी न्यायिक क्षेत्रों में ज़िला स्तरों पर वाणिज्यिक अदालतें स्थापित की गईं। केवल उन क्षेत्रों को छोड़ दिया गया, जहाँ उच्च न्यायालयों के पास मूल रूप से सामान्य दीवानी निर्णय देने का अधिकार था।
- ये पाँच उच्च न्यायालय बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय हैं, जो क्रमश: मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई शहर और हिमाचल प्रदेश राज्य के क्षेत्रों के संबंध में मूल रूप से सामान्य दीवानी न्यायिक अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं।
- इन उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में ज़िला स्तर पर कोई वाणिज्यिक अदालत नहीं है और इसके स्थान पर प्रत्येक उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक प्रभाग का गठन किया गया है।
- ऐसे निर्दिष्ट मूल्य (**1** करोड़ रुपए तक) के वाणिज्यिक विवादों का निपटारा वाणिज्यिक अदालतों अथवा उच्च न्यायालय की वाणिज्यिक डिविजन द्वारा किया जाएगा।

विधेयक से संबंधित मुख्य बातें

- विधेयक में वाणिज्यिक विवाद के निर्दिष्ट मूल्य को वर्तमान के एक करोड़ रुपए से कम करके तीन लाख रुपए कर दिया गया है। अत: तर्कसंगत मूल्य के वाणिज्यिक विवादों का निपटारा वाणिज्यिक अदालतों द्वारा किया जा सकता है।
- इससे कम मूल्य के वाणिज्यिक विवादों के समाधान में लगने वाले समय (वर्तमान में **1445** दिन) को कम किया जा सकेगा और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (**EoDB**) में भारत की रैंकिंग को सुधारा जा सकेगा।
- संशोधन में उन क्षेत्रों के लिये ज़िला न्यायाधीश के स्तर पर वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना की व्यवस्था की गई है, जिन पर संबद्ध उच्च न्यायालयों में मूल रूप से सामान्य दीवानी न्याय का अधिकार है, जैसे-चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और हिमाचल प्रदेश राज्य में।
- ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकारें अधिसूचना के ज़रिये ज़िला स्तर पर निर्णय दिये जाने वाले वाणिज्यिक विवादों के आर्थिक मूल्य की सीमा का निर्धारण कर सकती है, जो तीन लाख रुपए से कम और ज़िला अदालत के वितीय क्षेत्राधिकार से अधिक नहीं होना चाहिये।

महत्त्व

- 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' विश्व बैंक का एक सूचकांक है, जिसे **2002** से ज़ारी किया जा रहा है।
- इसका संबंध अन्य बातों के अलावा किसी देश में विवाद निपटारे का माहौल बनाने से है, जो किसी व्यवसाय को स्थापित करने और उसको चलाने के लिये निवेशक तय करने के कार्य को सरल बनाता है।
- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की उच्च रैंकिंग का अर्थ है कि व्यवसाय को शुरू करने और उसे चलाने के लिये विनियामक माहौल अधिक अनुकूल है।
- **31** अक्तूबर, **2017** को विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम वार्षिक ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट वर्ष **2018** के लिये जारी की, जिसमें भारत शीर्ष के **10** उन्नतिशील देशों में से एक के रूप में उभरकर सामने आया है।
- इसमें भारत पहली बार **30** स्थानों को पार करके **190** देशों में से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में **100**वें स्थान पर पहुँचा है।
- यह दर्शाता है कि सभी मोर्चों पर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिये नियमित ढाँचे में भारत सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को तेज़ी से अपना रहा है।
- उल्लेखनीय है कि इसी दिशा में प्रगति करते हुए मंत्रिमंडल ने मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक **2018** को संसद में पेश करने की मंज़ूरी दे दी है। यह भारत में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को मज़बूती प्रदान करेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय नवोन्मेष पहल

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार ने 2 जुलाई, 2015 को एक राष्ट्रीय नवोन्मेष पहल शुरू की थी।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या नवोन्मेष सम्मेलन, शिमला में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या नवोन्मेष पोर्टल शुरू किया गया था। यह पोर्टल नवोन्मेषकों की जन स्वास्थ्य परिचर्या में नवोन्मेषों को दर्शाने में मदद करता है।
- यह पोर्टल नवोन्मेषों को स्वास्थ्य परिचर्या की मुख्यधारा में एकीकृत करने के लिये एक गेट-वे के रूप में कार्य करता है और इसमें उत्पादों, प्रक्रियाओं और कार्यक्रमों के सफल नवोन्मेषों में तेज़ी लाकर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने में परिवर्तनकारी सुधार लाने की क्षमता है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या नवोन्मेष पोर्टल भारत के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के नवोन्मेष कार्यक्रम डिज़ाइन, प्रैक्टिस, तकनीकी समाधान और उत्पादों के पूल-इन और प्रदर्शन हेतु एक प्रयास है।
- यह मंच स्वास्थ्य उद्यमियों के लिये प्रेरणा के रूप में कार्य करता है और स्वास्थ्य परिचर्या की अत्यधिक आवश्यकता वाले व्यक्तियों को कवर करने हेतु नए कार्यक्रम डिज़ाइन, उपकरण और दृष्टिकोण प्रदान करता है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय नवोन्मेष प्रतिष्ठान, अहमदाबाद के साथ हर्बल चिकित्सकों के दावों की वैधता हेतु अनुसंधान में सहायता करता है।
- जैव-प्रौद्यौगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के ज़रिये जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र में कार्यरत नवोन्मेषों/प्रवर्तकों को बढ़ावा और प्रोत्साहन देता है।
- संकल्पना को सिद्ध करने हेतु विचार और स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र में उत्पाद विकास के लिये सहायता देने हेतु स्कीमें विद्यमान हैं।

प्रमुख स्कीमें

- बायोटेक इग्नीशन ग्रांट लघु व्यवसाय नवोन्मेष अनुसंधान पहल।
- बायोटेक्नोलॉजी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम।
- सामाजिक स्वास्थ्य और जैव-प्रौद्योगिकी एसीई निधि के लिये वहनीय एवं संगत उत्पादों का एक सामजिक नवोन्मेष कार्यक्रम (स्पर्श) आदि।

अन्य पहल

- विभिन्न कार्यक्रमों हेतु अनुप्रयोज्य नवोन्मेषकों की सूची उपलब्ध है और वित्तपोषण संबंधी सहायता प्राप्त करने वाले सफल नवोन्मेषकों की सूची भी उपलब्ध है।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने स्वास्थ्य परिचर्या सहित जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवोन्मेषकों/प्रवर्तकों को सहायता और प्रोत्साहन देने के अधिदेश के साथ बीआईआरएसी में 'मेक इन इंडिया के लिये जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग सुविधा एकक' का गठन किया है।

स्वास्थ्य निगरानी तंत्र : विकास का नया आयाम

भारत सरकार द्वारा देश में स्वास्थ्य निगरानी को सुदृढ़ बनाने हेतु एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) प्रारंभ किया गया। इसका कार्यान्वयन महामारी संभावित रोगों के कारण होने वाले रोग प्रकोपों का पता लगाने एवं उन पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

उद्देश्य

- समय पर और प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई के लिये रोग निगरानी हेतु एक स्थायी विकेंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना करना।
- रोग निगरानी गतिविधियों को एकीकृत करना।
- वैध डेटा उचित स्वास्थ्य निर्णय के लिये उपलब्ध रहता है, ताकि दोहराव से बचने और सभी रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना।

परिचय

- प्रभावी संचारी रोग नियंत्रण की प्रभावी निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली पर निर्भर करता है।
- यह प्राथमिकता स्थापित करने की योजना बनाकर, संसाधन जुटाने एवं आवंटन, निगरानी और बीमारी की रोकथाम तथा नियंत्रण कार्यक्रम के मूल्यांकन का जल्दी पता लगाने के लिये आवश्यक है।

रोग निगरानी में मुख्य छह कदम

- निगरानी के तहत रोगों के संदिग्ध मामलों की जाँच और रिपोर्टिंग।
- जाँच और पुष्टि (महामारी विज्ञान, नैदानिक, प्रयोगशाला)।
- संग्रह/डेटा का संकलन।
- डेटा का विश्लेषण और व्याख्या।
- रोकथाम और नियंत्रण के लिये लड़ाईपरिणाम की प्रतिक्रिया और प्रसार।

प्रमुख बिंदु

- ऐसे प्रकोपों को फैलने से रोकने के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त कार्मिक शक्ति, प्रकोप की जाँच पड़ताल हेतु अभिज्ञात त्वरित प्रतिक्रियात्मक टीम (आरआरटी) के सदस्यों को प्रशिक्षण, महामारी संभावित रोगों की पहचान करने के लिये प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाने, आँकड़ा प्रविष्टि विश्लेषण एवं आँकड़ा अंतरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।
- विभिन्न राज्य एवं केंद्रीय सरकार के अस्पतालों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को समर्थ बनाने तथा उनमें सुधार लाने के लिये सरकार द्वारा जो कंप्यूटरीकृत उपाय किये गए हैं, उनमें अस्पताल सूचना प्रणाली, ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली तथा रोगी फीडबैक प्रणाली शामिल है।
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के ई-अस्पताल एप्लीकेशन को केंद्रीय सरकार के तथा स्वायत्तशासी अस्पतालों सहित लगभग **200** सरकारी अस्पतालों में कार्यान्वित किया जा चुका है।
- ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस) को कार्यान्वित किया गया है, जहाँ रोगी अपनी लैब रिपोर्टों को देख सकते हैं, रक्त की उपलब्धता की जाँच कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं तथा ऑनलाइन पंजीकरण तथा डॉक्टर से समय ले सकते हैं।

सरोगेसी विधेयक (नियमन), 2016 में आधिकारिक संशोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2016 में आधिकारिक संशोधन हेतु स्वीकृति दी है। सरोगेसी (नियमन) विधेयक, 2016 में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राज्य सरोगेसी बोर्ड तथा उचित प्राधिकरण स्थापित करके सरोगेसी को नियमों के दायरे में लाने का प्रस्ताव किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

प्रमुख बिंदु

- प्रस्तावित विधेयक में सरोगेसी का कारगर नियमन, वाणिज्यिक सरोगेसी निषेध तथा प्रजनन क्षमता से वंचित भारतीय दंपतियों को परोपकारी सरोगेसी की अनुमति सुनिश्चित की गई है।
- इस विधेयक के संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के तीन महीने के भीतर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश राज्य सरोगेसी बोर्ड और राज्य का उचित प्राधिकरण गठित करेंगे।

इसका प्रभाव क्या होगा?

- इन संशोधनों के प्रभावी होने पर यह अधिनियम देश में सरोगेसी (किराए की कोख) सेवाओं का नियमन करेगा, सरोगेसी में अनैतिक व्यवहारों को नियंत्रित करेगा, किराए की कोख का वाणिज्यिकीकरण रोकेगा और सरोगेसी से माँ बनने वाली महिलाओं एवं सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चों का संभावित शोषण रोकेगा।
- वाणिज्यिक सरोगेसी निषेध में मानव भ्रूण तथा युग्मक की खरीद और बिक्री जैसे पक्षों को शामिल किया गया है।
- इसके अतिरिक्त प्रजनन क्षमता से वंचित दंपति की आवश्यकता को पूरा करने के लिये निश्चित शर्तों को पूरा करने पर तथा विशेष उद्देश्यों के लिये नैतिक सरोगेसी की भी अनुमति दी जाएगी।
- इससे नैतिक सरोगेसी सुविधा के इच्छुक प्रजनन क्षमता से वंचित विवाहित दंपतियों को लाभ होगा।
- इसके अतिरिक्त सरोगेसी से माता बनने वाली महिलाओं और सरोगेसी से जन्म लेने वाले बच्चों के अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी।
- यह विधेयक जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा।

पृष्ठभूमि

- भारत के विधि आयोग की **228**वीं रिपोर्ट में वाणिज्यिक सरोगेसी के निषेध और उचित विधायी कार्य द्वारा नैतिक परोपकारी सरोगेसी की अनुमति की सिफारिश की गई है।
- सरोगेसी (नियमन) विधेयक **21** नवंबर, **2016** को लोकसभा में पेश किया गया, जिसे **12** जनवरी, **2017** को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संसद की स्थायी समिति को भेजा गया।

सरोगेसी क्या है?

- सरोगेसी एक महिला और एक दंपति के बीच का एक समझौता है, जो अपनी स्वयं की संतान चाहता है।
- सामान्य शब्दों में सरोगेसी का अर्थ है कि शिशु के जन्म तक एक महिला की 'किराए की कोख'। प्रायः सरोगेसी की मदद तब ली जाती है, जब किसी दंपति को बच्चे को जन्म देने में कठिनाई आ रही हो।
- जो महिला किसी और दंपति के बच्चे को अपनी कोख से जन्म देने को तैयार हो जाती है, उसे 'सरोगेट मदर' कहा जाता है।
- गर्भवती होने से लेकर डिलीवरी तक महिलाओं की अच्छी तरह से देखभाल तो होती ही है, साथ ही उन्हें अच्छी-खासी धनराशि भी दी जाती है।
- सरोगेसी की सुविधा कुछ विशेष एजेंसियों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इन एजेंसियों को आर्ट क्लीनिक कहा जाता है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (**ICMR**) के दिशा-निर्देशों पर अमल करती हैं।

सरोगेसी बिल, 2016

- वर्ष **2002** से लागू सरोगेसी बिल के बाद सरोगेसी पर रोक लगाने का प्रावधान था, लेकिन यह प्रतिबंध केवल विदेशी सरोगेसी पर लगाया गया था। पहले कुछ अस्पताल ऐसी महिलाओं के संपर्क में रहते थे, जो पैसे लेकर किसी और के बच्चे को जन्म देने के लिये तैयार होती हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस व्यापारिक धंधे को नियंत्रण में लाने के लिये केंद्र सरकार ने सरोगेसी का नया बिल पेश किया था, जिसके अनुसार सरोगेट मदर को पहले से ही शादीशुदा होना और एक बच्चे की माँ होना भी ज़रूरी था।
- सरोगेट मदर बच्चे को जन्म देने के बाद उसके संपर्क में रह सकती थी। साथ ही अविवाहित दंपति, एकल माता-पिता, लिव-इन पार्टनर और समलैंगिक लोगों को सरोगेसी सेवाएँ न देने का प्रस्ताव था।
- **2016** के बिल के अनुसार, दंपति के लिये ख़ुद को प्रसव के लिये अक्षम साबित करना और भारतीय होना अनिवार्य था। सरोगेट माँ को दंपति का करीबी रिश्तेदार होना भी ज़रूरी था।
- दंपति की शादी को कम-से-कम **5** साल पूरे हुए हों और पत्नी की उम्र **25** से **50** साल तथा पति की उम्र **26** से **65** तय की गई थी। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सरोगेट मदर की उम्र **25** से **35** साल तय की गई थी।

मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) विधयेक, 2018

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधयेक (Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill), 2018 को लोकसभा में पेश करने संबंधी स्वीकृति प्रदान की गई है। यह विवादों के समाधान के लिये संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है और यह भारत को मज़बूत वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution - ADR) व्यवस्था का केंद्र बनाता है।

लाभ

- वर्ष **1996** के अधिनियम में संशोधन से मानक तय करने, मध्यस्थता प्रक्रिया को पक्षकार सहज बनाने और मामले को समय से निष्पादित करने के लिये एक स्वतंत्र संस्था स्थापित करके संस्थागत मध्यस्थता में सुधार का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

प्रमुख विशेषताएँ

- विधेयक में यह व्यवस्था है कि संबंधित पक्ष अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता (**International Commercial arbitration)** के लिये और संबंधित उच्च न्यायालयों के अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट मध्यस्थता संस्थानों से सीधा संपर्क कर सकते हैं।
- इस संशोधन में एक स्वतंत्र संस्था भारत की मध्यस्थता परिषद (**Arbitration Council of India -ACI)** बनाने का प्रावधान है।
- इसका उद्देश्य मध्यस्थता तथा वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था से जुड़े सभी मामलों में पेशेवर मानकों को बनाने के लिये नीति और दिशा-निर्देश तय करना है।
- यह परिषद सभी मध्यस्थता वाले निर्णयों का इलेक्ट्रॉनिक डिपोज़िटरी रखेगी।
- एसीआई निकाय निगम (**body corporate)** होगी। एसीआई का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश रहा हो।
- विधेयक समय-सीमा से अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता (**International Arbitration)** को अलग करके तथा अन्य मध्यस्थताओं में निर्णय के लिये समय-सीमा विभिन्न पक्षों की दलीलें पूरी होने के **12** महीनों के अंदर करके सेक्शन **29**ए के उप-सेक्शन (**1)** में संशोधन का प्रस्ताव है।
- इसमें नया सेक्शन **42**ए जोड़ने का प्रस्ताव है, ताकि मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति या मध्यस्थता संस्थान निर्णय के सिवाय मध्यस्थता से जुड़ी कार्यवाहियों की गोपनीयता बनाए रखेंगे।
- नया सेक्शन **42**बी मध्यस्थता करने वाले को मध्यस्थता सुनवाई के दौरान उसके किसी कदम या भूल को लेकर मुकदमा या कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015

- मध्यस्थता एवं सुलह (संशोधन) अधिनियम, **2015 [The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2015]** के तहत मामलों के त्वरित प्रवर्तन (**quick enforcement**), मौद्रिक दावों की सुलभ वसूली, अदालतों में मामलों के लंबित रहने की अवधि में कटौती लाने, पंचाट के माध्यम से विवाद समाधान की प्रक्रिया में तेज़ी लाने तथा देश में विदेशी निवेशकों को कारोबार करने हेतु एक सुलभ वातावरण सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई है।

इसकी आवश्यकता क्यों है?

- केंद्र सरकार द्वारा पंचाट तंत्रों के संदर्भ में विधायी एवं प्रशासनिक पहलें आरंभ की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य अदालतों के हस्तक्षेप में कमी लाना, केस की सुनवाई की प्रक्रिया में आने वाली लागत में कमी लाना, मामलों के शीघ्र निपटान हेतु एक समय-सीमा सुनिश्चित करना तथा पंचाट की तटस्थता सुनिश्चित करना है।
- वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान तथा विभिन्न समझौतों के तहत निर्मित घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय पंचाट तंत्रों के प्रभावी संचालन की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिये पंचाट तंत्र के विभिन्न कारकों में तेज़ी लाने तथा देश में पंचाट व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु गंभीर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- इसके साथ-साथ भारत को अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पंचाट तंत्र के संदर्भ में एक मज़बूत केंद्र बनाने की दिशा में आवश्यक कुछ विशिष्ट मुद्दों एवं दिशा-निर्देशों की पूर्ण सटीकता एवं ईमानदारी से जाँच किये जाने की भी ज़रूरत है।

वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution-ADR)

- कानूनी तथा गैर-कानूनी मामलों की बढ़ती तादाद को मद्देनज़र रखते हुए अदालतों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिये कुछ विशेष मामलों को वैकल्पिक तरीकों से सुलझाया जाना चाहिये।
- इस संदर्भ में पंचाट, मध्यस्थता तथा समाधान (इन्हें संयुक्त रूप से पंचाट तंत्र कहा जाता है) कुछ ऐसे उपाय हैं, जो वैकल्पिक क्षतिपूर्ति प्रणाली के आधार-स्तंभों के रूप में उपस्थित हैं।

पंचाट

- यह वस्तुतः वह प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत (तटस्थ रूप से उपस्थित) तीसरा पक्ष मामले की सुनवाई करता है तथा निर्णय देता है। भारत में पंचाट तंत्रों की स्थापना पंचाट एवं समाधान अधिनियम के तहत की गई है।

मध्यस्थता

- इस प्रक्रिया का उद्देश्य, तीसरे (तटस्थ) पक्ष के माध्यम से विवादित पक्षों के मध्य पूर्ण सहमति से समस्या के समाधान को सुनिश्चित करना है।

समाधान

- इस प्रक्रिया का उद्देश्य, दो पक्षों के मध्य सुलह अथवा स्वैच्छिक समझौते के माध्यम से समाधान को सुनिश्चित करना है।
- पंचाट के विपरीत समाधान कराने वाले व्यक्ति को कोई बाध्यकारी परिणाम प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- वादी तथा प्रतिवादी, समाधान कराने वाले व्यक्ति की सिफारिश को मंज़ूर भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं।
- सामान्य तौर पर भारत में समाधानकर्त्ता अक्सर कोई सरकारी अधिकारी ही होता है, जबकि कानूनी मामलों के संदर्भ में यह दायित्व राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा जो एक सांविधिक निकाय है) को प्रदान किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB)

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष **1986** में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारतीय पुलिस को कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक गुप्त सूचनाएँ प्रदान करके समर्थ बनाया जा सके।
- **NCRB** नीति संबंधी मामलों और अनुसंधान हेतु अपराध, दुर्घटना, आत्महत्या और जेल संबंधी डाटा के प्रामाणिक स्रोत के लिये नोडल एजेंसी है।
- **NCRB** 'भारत में अपराध', 'दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें और आत्महत्या', 'जेल सांख्यिकी' और फिंगर प्रिंट्स पर **4** वार्षिक प्रकाशन जारी करता है।
- हाल ही में बाल यौन शौषण से संबंधित मामलों की अंडर-रिपोर्टिंग के चलते वर्ष **2017** से **NCRB** ने बाल यौन शौषण से संबंधित आँकड़ों को भी एकत्रित करना प्रारंभ किया है।
- ये प्रकाशन आपराधिक आँकड़ों के संदर्भ में न केवल पुलिस अधिकारियों बल्कि अपराध विज्ञानी, शोधकर्त्ताओं, मीडिया और नीति निर्माताओं के लिये भी सहायक होते है।
- **NCRB** को **2016** में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 'डिजिटल इंडिया अवार्ड' से भी सम्मानित किया गया था।
- भारत में पुलिस बलों का कंप्यूटरीकरण **1971** में प्रारंभ हुआ। **NCRB** ने **CCIS (Crime and Criminals Information System)** वर्ष **1995** में, **CIPA (Common Integrated Police Application) 2004** में और अंतिम रूप में **CCTNS** वर्ष **2009** में प्रारंभ किया।

अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क & सिस्टम (Crime and Criminal Tracking Networks & Systems-CCTNS)

- **NCRB** भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत संचालित की जा रही मिशन मोड परियोजना अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क **&** सिस्टम **(CCTNS)** का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग कर रहा है।
- सरकार ने पुलिस के कामकाज में पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाने के लिये **19** जून, **2009** को **CCTNS** की शुरुआत की थी।
- इसके बाद नवंबर **2015** में केंद्र सरकार ने **CCTNS** ट्रैकिंग परियोजना को एक प्रमुख सुधार के रूप में स्वीकार करते हुए ई-कोर्ट के साथ सीसीटीएनएस, ई-जेल, फोरेंसिक और अभियोजन-आपराधिक न्याय प्रणाली के महत्त्वपूर्ण अवयवों को एकीकृत करके एकीकृत आपराधिक न्याय प्रणाली को लागू करने का निर्णय किया था।
- इस परियोजना का उद्देश्य देश में पुलिस व्यवस्था की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिये एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली तैयार करना है।

भारत की तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिये उपाय

- भारत की लगभग **7500** किमी. लंबी तटरेखा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल राज्यों तथा दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्रों से होकर गुज़रती है।
- **2008** के मुंबई हमलों के बाद से समुद्र तट की सुरक्षा भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की प्राथमिकता में रही है। तटीय सुरक्षा को नए सिरे से व्यवस्थित करने की योजना के तहत बहुत से उपाय किये गए हैं।

क्यों आवश्यक है तटीय सुरक्षा?

- भारत की लंबी तटीय सीमा से कई प्रकार की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती है। इन चुनौतियों में तट के निर्जन स्थानों में हथियार एवं गोला बारूद रखना, राष्ट्रविरोधी तत्त्वों द्वारा उन स्थानों का प्रयोग देश में घुसपैठ करने एवं यहाँ से भागने के लिये करना, अपतटीय एवं समुद्री द्वीपों का प्रयोग आपराधिक क्रियाकलापों के लिये करना, समुद्री मार्गों से तस्करी करना आदि शामिल हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- तटों पर भौतिक अवरोधों के न होने तथा तटों के समीप महत्त्वपूर्ण औद्योगिक एवं रक्षा संबंधी अवसंरचनाओं की मौजूदगी से भी सीमापार अवैध गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना अधिक होती है।
- मुंबई हमले के बाद से तटीय, अपतटीय और समुद्री सुरक्षा को मज़बूत करने के लिये सरकार ने कई उपाय किये हैं।
- मौटे तौर पर इन उपायों में समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी और देश के समुद्री क्षेत्र की गश्ती के लिये क्षमता बढ़ाना, तटीय और अपतटीय क्षेत्रों की तकनीकी निगरानी, संस्थागत तरीके से अंतर-एजेंसी समन्वयन करना, समुद्री क्षेत्रों में गतिविधियों के विनियमन में वृद्धि आदि शामिल हैं।

तटीय और समुद्री सुरक्षा हेतु किये गए उपाय

- तटीय और समुद्री सुरक्षा के लिये भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक और राज्य समुद्री पुलिस के रूप में त्रि-स्तरीय ढाँचा स्थापित किया गया है, जो सीमा शुल्क और पोर्ट ट्रस्ट जैसी अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर समुद्री मार्गों के माध्यम से घुसपैठ पर नियंत्रण और रोक के लिये भारत के समुद्री क्षेत्रों, द्वीपों और निकटवर्ती समुद्रों की गश्त करती है।
- यह त्रि-स्तरीय व्यवस्था तटीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत कार्य करती है। इस योजना के तहत तटीय सुरक्षा संबंधी अवसंरचना जैसे-तटीय पुलिस स्टेशनों, नावों, जलयानों आदि के विकास और प्रबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है।
- स्वचालित पहचान प्रणाली (**AIS**), लॉन्ग रेंज आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग (**LRIT**), संचार प्रणालियों, डे-नाईट कैमरा से युक्त तटीय निगरानी नेटवर्क (**Coastal Surveillance Network-CSN**) के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र को संवर्द्धित किया गया है।
- बंदरगाहों में जलयान यातायात प्रबंधन प्रणाली (**Vessel Traffic Management System-VTMS**) रडार भी बंदरगाह क्षेत्रों में निगरानी की सुविधा प्रदान करते हैं।
- इसके अलावा तटीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के लिये राज्यवार मानक संचालन प्रक्रियाएँ (**SOPs**) तैयार की गई हैं।
- मौजूदा तंत्रों की प्रभावशीलता का आकलन करने और अंतराल को दूर करने के लिये तटीय सुरक्षा अभ्यास नियमित रूप से आयोजित किये जा रहे हैं।
- द्विवार्षिक अभ्यास **'सागर कवच' (Sagar Kavach)** इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसे भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और तटीय पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।

तटीय सुरक्षा के लिये संस्थागत प्रावधान

- भारतीय नेवी के **20** और तटरक्षक बल के **31** निगरानी स्टेशनों को जोड़ने के लिये नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस एंड इंटेलिजेंस (**NC3I**) नेटवर्क की स्थापना की गई है, जिससे **7500** किमी. लंबी समुद्री सीमा पर समुद्री क्षेत्र जागरूकता (**MDA**) के विकास में सहायता मिल रही है।
- गुड़गाँव में भारतीय नेवी, तटरक्षक बल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की संयुक्त पहल के रूप में सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (**IMAC**) स्थापित किया गया है जो **NC3I** के नोडल केंद्र का कार्य करता है।
- समुद्री और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिये राष्ट्रीय समिति (**National Committee for Strengthening Maritime and Coastal Security-NCSMCS**) एक राष्ट्रीय स्तर का मंच और समुद्री तथा तटीय सुरक्षा के लिये एक सर्वोच्च समीक्षा तंत्र है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाले **NCSMCS** की आखिरी बैठक **20** अक्तूबर **2017** को हुई थी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

फ़ूड फोर्टिफिकेशन के लिये कानून

फ़ूड फोर्टिफिकेशन क्या है?

- फूड फोर्टिफिकेशन चावल, दूध, नमक, आटा आदि खाद्य पदार्थों में लौह, आयोडीन, जिंक, विटामिन **A** एवं **D** जैसे प्रमुख खनिज पदार्थ एवं विटामिन जोड़ने अथवा वृद्धि करने की प्रक्रिया है, जिससे कि इन खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि हो।
- इस प्रसंस्करण प्रक्रिया से पहले मूल खाद्य पदार्थों में ये पोषक तत्त्व मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी।
- फोर्टिफिकेशन के ज़रिये अपनी खाद्य आदतों में बदलाव किये बिना पोषक तत्त्वों का उपभोग सुनिश्चित किया जा सकता है।

सरकारी प्रयास

- सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमियों को दूर करने के लिये खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (**FSSAI)** ने **16.10.2016** को खाद्य सुरक्षा और मानक (फोर्टिफिकेशन ऑफ़ फूड्स) विनियम **(2016)** के मसौदे को लागू कर दिया है।
- इसमें अन्य बातों के अलावा गेहूँ का आटा, चावल, दूध, खाद्य तेल और नमक जैसे खाद्य पदार्थों के विटामिन और खनिजों द्वारा फोर्टिफिकेशन के लिये मानक भी निर्धारित किये गए हैं।
- वर्तमान में देश के सभी प्रमुख तेल उत्पादक अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में स्वैछिक रूप से कम-से-कम एक ब्रांड का फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं।
- इन विनियमों में यह कहा गया है कि **FSSAI** भारत सरकार के निर्देशों या राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सिफारिश पर या विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के पश्चात् नियमों के तहत निर्दिष्ट किसी भी खाद्य पदार्थ के समय-समय पर फोर्टिफिकेशन का अधिदेश दे सकती है।
- खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, **2011** के तहत प्रत्यक्ष रूप से मानव उपभोग के लिये केवल आयोडीन युक्त नमक की बिक्री की अनुमति है।
- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योगज़) विनियम, **2011** के अनुसार वनस्पति तेल में सिंथेटिक विटामिन **A** होना अनिवार्य है।
- इसके अतिरिक्त, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने द्वारा प्रशासित होने वाली योजनाओं जैसे- एकीकृत बाल विकास योजना और मिड-डे मील योजना में दुगने फोर्टिफाइड नमक (लोहा और आयोडीन), गेहूँ का आटा (लोहा, फोलिक एसिड और विटामिन बी -**12)** तथा खाद्य तेल (विटामिन **A** और **D)** के प्रयोग का सुझाव दिया है।
- **FSSAI** द्वारा टाटा ट्रस्ट और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से वृहद् स्तर पर फ़ूड फोर्टिफिकेशन को प्रोत्साहित किये जाने तथा खाद्य व्यवसायों के बीच फोर्टिफिकेशन को एक मानक के रूप में स्थापित करने हेतु फ़ूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्सेज़ सेंटर **(FFRC)** की स्थापना की गई है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)

- केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, **2006** के तहत **FSSAI** का गठन किया है। जिसको **1** अगस्त, **2011** में केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) के तहत अधिसूचित किया गया।
- इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का काम करता है।
- **FSSAI** मानव उपभोग के लिये पौष्टिक भोजन के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात संबंधी सुरक्षित उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम करता है।
- इसके अलावा, यह देश के सभी राज्यों, ज़िला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन और बिक्री के तय मानक को बनाए रखने में सहयोग करता है। यह समय-समय पर खुदरा एवं थोक खाद्य-पदार्थों की गुणवत्ता की जाँच भी करता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

ड्रग–रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस दवाओं की भारत में कमी

- ड्रग–रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (**DR-TB)** के उपचार में प्रयुक्त होने वाली उन्नत पेटेंटीकृत दवाएँ भारत में कई हज़ार रोगियों में से केवल **1,000** रोगियों को ही उपलब्ध हैं।
- **DR-TB** रोगियों के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बेडाक्विलीन (**Bedaquiline)** और डेलामिनाइड (**Delaminid)** की सिफारिश की जाती है।

ड्रग–रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (DR-TB)

- **TB** एक बैक्टीरिया-जनित बीमारी है, जो कि हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है।
- **DR-TB** तब होता है, जब बैक्टीरिया टीबी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के लिये प्रतिरोधी हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि दवा अब टीबी जीवाणुओं को नहीं मार सकती है।
- एक अनुमान के मुताबिक़ टीबी की वज़ह से लगभग **1,300** भारतीय हर रोज़ मर जाते हैं।
- **2.8** मिलियन रोगियों के साथ भारत टीबी के सर्वाधिक रोगियों का घर है।
- इनमे से लगभग **1,30,000 मरीज़ दवाओं** के लिये प्रतिरोधी बन गए हैं।

DR-TB के प्रकार

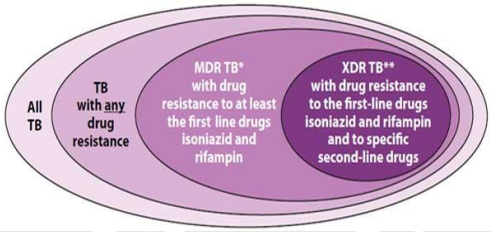

(1) मल्टी ड्रग–रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (MDR-TB)

- यह **उन जीवाणुओं के कारण** होता है, जो **कम-से-कम दो अत्यधिक शक्तिशाली फर्स्ट लाइन** क्षय रोग प्रतिरोधी दवाओं आइसोनियाज़िड (**Isoniazid)** और राइफैम्पिन (**Rifampin)** से उपचार के प्रति प्रतिरोधी होते हैं।
- इससे पीड़ित रोगी का उपचार करना कठिन होता है, क्योंकि उनमें फर्स्ट लाइन ड्रग्स के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है। इसके उपचार के विकल्प सीमित हैं, साथ ही इनकी लागत भी अधिक है।

(2) एक्स्टेंसिवली ड्रग–रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस (XDR-TB)

- यह एक दुर्लभ प्रकार का **MDR-TB** है, जो कि **आइसोनियाज़िड और राइफैम्पिन** के लिये प्रतिरोधक होने के साथ ही किसी **फ्लोरोक्विनोलोन (fluoroquinolone)** और **Amikacin, Kanamycin & Capreomycin** नामक तीन इंजेक्टेबल सेकंड लाइन ड्रग्स में से कम-से-कम एक के लिये प्रतिरोधी होता है।

अनिवार्य लाइसेंस क्या है?

- जब सरकार द्वारा किसी तृतीय पक्ष को पेटेंटधारक की सहमति के बिना किसी पेटेंटीकृत उत्पाद या प्रक्रिया का उत्पादन करने की अनुमति दी जाती है तो इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग कहा जाता है।
- अनिवार्य लाइसेंस का प्रावधान बौद्धिक संपदा पर डब्ल्यूटीओ के समझौते (**TRIPS)** में पेटेंट संरक्षण पर उपलब्ध लचीली व्यवस्थाओं में से एक है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- विश्व व्यापार संगठन की व्यापार-संबंधी बौद्धिक संपदा व्यवस्था के तहत स्वैच्छिक लाइसेंसिंग की प्रतीक्षा किये बिना स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन परिस्थितियों के मामले में सरकार द्वारा **CL** जारी किया जा सकता है।
- भारत ने **CL** विकल्प का पहली बार जर्मन दवा कंपनी बेयर की कैंसर-रोधी दवा नेक्सावार के मामले में इस्तेमाल किया था।
- नेक्सावार को बनाने का लाइसेंस भारतीय कंपनी नाटको (**Natco**) को दिया गया था।
- इस कदम से इस दवा की कीमतों में **97%** तक की कमी आई थी। माना जा रहा है कि इस मामले में नाटको को **CL** के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते कोई भी जेनरिक दवा कंपनी **CL** के लिये आवेदन नहीं करना चाहती।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

- केंद्र सरकार द्वारा खनन से संबंधित परिचालनों से प्रभावित लोगों तथा क्षेत्रों का कल्याण करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई।

उद्देश्य

- खनन से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास तथा कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करना है। ये राज्य और केंद्र सरकार की वर्तमान में चल रही योजनाओं/परियोजनाओं के संपूरक भी होंगे।
- खनन प्रभावित ज़िलों में लोगों के स्वास्थ्य और सामाजिक-अर्थव्यवस्था, पर्यावरण पर खनन के दौरान और बाद में पड़े प्रतिकूल प्रभाव को कम करना/दूर करना शामिल है।
- खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिये दीर्घावधि टिकाऊ जीवन यापन व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- जीवन की गुणवत्ता में ठोस सुधार सुनिश्चित करते हुए जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करने पर ध्यान रखा गया है।
- पीने के पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, महिला और बाल विकास, वरिष्ठ तथा विकलांगजनों का कल्याण, कौशल विकास और पर्यावरण संरक्षण जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र इस निधि का कम-से-कम **60** प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करेंगे।
- हितकर जीवन यापन वातावरण बनाने के लिये निधि की शेष राशि सड़क, ब्रिज, रेलवे, जलमार्ग परियोजनाओं, सिंचाई और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बनाने पर खर्च की जाएगी।
- इस तरह सरकार समाज के कमज़ोर वर्गों, जनजातियों और वन में रहकर जीवन यापन करने वाले और खनन गतिविधियों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिये सजग है।

योजना का क्रियान्वयन

- प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) का क्रियान्वयन ज़िला खनिज फाउंडेशंस (डीएमएफ) के तहत एकत्रित किये जाने वाले कोष द्वारा किया जाएगा, जिसका उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण एवं विकास के लिये किया जाएगा।

गैर-संचारी रोग (NCD)

- गैर-संचारी रोगों को दीर्घकालिक बीमारियों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये लंबे समय तक बनी रहती हैं तथा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है।
- आमतौर पर ये रोग आनुवंशिक, शारीरिक, पर्यावरण और जीवन-शैली जैसे कारकों के संयोजन का परिणाम होते हैं।
- यह एक आम धारणा है कि बढ़ती आय के साथ आहार संबंधी व्यवहार अनाज और अन्य कार्बोहाइड्रेट आधारित भोजन से फलों, सब्जियों, दूध, अंडे और मांस जैसे पोषक तत्त्वों से समृद्ध विकल्पों की तरफ झुक जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ऐसे खाद्य उत्पाद ऊर्जा-गहन (**Energy-dense)** और वसा, शर्करा तथा नमक की उच्च मात्रा से युक्त होते हैं जो इनके उपभोक्ताओं की **NCDs** और मोटापे के प्रति सुभेधता को बढ़ाते हैं।
- गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और इन पर नियंत्रण हेतु वैश्विक कार्रवाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन (**WHO)** की योजना में चार मुख्य **NCD** शामिल किये गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं-
  - ✓ हृदयवाहिनी बीमारियाँ (Cardiovascular Diseases-CVD), जैसे- हार्ट अटैक एवं स्ट्रोक
  - ✓ कैंसर
  - ✓ दीर्घकालिक श्वास संबंधी बीमारियाँ
  - ✓ मधुमेह (Diabetes)
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हृदय संबंधी विकार, कैंसर और मधुमेह सहित गैर-संचारी रोग भारत में लगभग **61%** मौतों का कारण है।
- इन बीमारियों के कारण लगभग **23%** लोगों पर प्री-मैच्योर (समय से पहले) मौत का खतरा बना हुआ है।

NCDs की रोकथाम के लिये किये गए सरकारी प्रयास राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, सीवीडी और स्ट्रोक निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम (National Program for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, CVD and Stroke-NPCDCS)

- गैर-संचारी रोगों के बढ़ते दबाव और प्रमुख पुरानी गैर-संचारी बीमारियों के समान जोखिम घटकों को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा वर्ष **2010** में कैंसर, मधुमेह, सीवीडी (कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ेज़) और स्ट्रोक के निवारण तथा नियंत्रण के लिये एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
- इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रोत्साहन और रोग निवारण, मानव संसाधनों सहित बुनियादी ढाँचे को मज़बूत बनाने, शीघ्र निदान और प्रबंधन तथा विभिन्न स्तरों पर एनसीडी सेल्स की स्थापना के ज़रिये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के साथ एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि अनुकूलतम प्रचालनगत सहक्रियाशीलता हासिल की जा सके।
- पहले से जारी राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम को **NPCDCS** के साथ एकीकृत किया जा रहा है।
- कार्यक्रम के उद्देश्यों में अन्य बातों के अलावा स्वस्थ आहार को लेकर जागरूकता का प्रसार करना भी शामिल है।
- **NPCDCS** के तहत ही आम **NCDs** यथा-मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मुँह, स्तन और ग्रीवा जैसे सामान्य कैंसर के प्रारंभिक निदान के लिये सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के तहत जनसंख्या आधारित रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है।
- जीवन-शैली संबंधित बीमारियों की रोकथाम और उपचार के लिये **NPCDCS** के साथ आयुष पद्धतियों को एकीकृत किया जा रहा है।

सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने हेतु 'लक्ष्य' कार्यक्रम लॉन्च

- शिशुओं के जन्म के समय प्रसव कक्षों में देखभाल की गुणवत्ता बेहतर करना अत्यंत ज़रूरी है, ताकि माँ एवं नवजात शिशु दोनों के ही जीवन को कोई खतरा न हो।
- **2014** में प्रकाशित एक लैंसेट अध्ययन के अनुसार जन्म के समय मृत्यु और विकलांगता का सर्वाधिक जोखिम रहता है।
- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **'लक्ष्य (LaQshya)- प्रसव कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल'** लॉन्च की गई है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

LaQshya-लक्ष्य

- इस कार्यक्रम को प्रसव कक्ष और मैटरनिटी ऑपरेशन थियेटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये लॉन्च किया गया है।
- कार्यक्रम का उद्देश्य **18** महीनों के भीतर ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिये 'फास्ट-ट्रैक' हस्तक्षेपों को लागू करना है।
- यह कार्यक्रम प्रसव कक्ष, मैटरनिटी ऑपरेशन थियेटर और प्रसूति संबंधी गहन देखभाल इकाइयों (**ICUs**) तथा उच्च निर्भरता इकाइयों (**HDUs**) में गर्भवती महिलाओं के लिये देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करेगा।
- लक्ष्य कार्यक्रम सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला अस्पतालों और फर्स्ट रेफरल यूनिट (**FRU**) तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (**CHCs**) में लागू किया जाएगा।
- यह गर्भवती महिला और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में जन्म लेने वाले नवजातों को लाभान्वित करेगा।
- इस पहल के तहत बहु-आयामी रणनीति अपनाई गई है जैसे-बुनियादी ढाँचे के उन्नयन में सुधार, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य देखभाल कार्मिकों की क्षमता का निर्माण और प्रसव कक्ष में गुणवत्ता प्रक्रियाओं में सुधार करना।
- जन्म देने वाली माताओं की गोपनीयता सुनिश्चित करना, प्रसव के दौरान एक आरामदायक स्थिति प्रदान करना, महिलाओं के साथ मौखिक या शारीरिक रूप से अनुचित व्यवहार की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना और अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह के शुल्क या पारितोष की मांग नहीं किया जाना कार्यक्रम में शामिल कुछ दिशानिर्देश हैं।

लाभ

- मातृ एवं नवजात शिशु रुग्णता और मृत्यु दर में कमी।
- डिलीवरी के दौरान तथा तत्काल बाद की अवधि में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को सम्मानित मातृत्व देखभाल (**RMC**) प्रदान करेगी और अन्य लाभार्थियों की संतुष्टि में वृद्धि करेगी।

प्रसव कक्ष में देखभाल सुविधाओं का मूल्यांकन

- प्रसूति कक्ष और मैटरनिटी **OTs** में गुणवत्ता सुधार का मूल्यांकन राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (**NQAS**) के माध्यम से किया जाएगा।
- **NQAS** पर **70%** अंक प्राप्त करने वाली प्रत्येक सुविधा को लक्ष्य प्रमाणित सुविधा के रूप में प्रमाणित किया जाएगा।
- इसके अलावा **NQAS** स्कोर के अनुसार लक्ष्य प्रमाणित सुविधाओं की ब्रांडिंग की जाएगी। **90%, 80%** और **70%** से अधिक स्कोर करने वाली सुविधाओं को क्रमश: प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर बैज दिये जाएंगे।
- **NQAS** प्रमाणन प्राप्त करने वाली परिभाषित गुणवत्ता संकेतकों और **80%** संतुष्ट लाभार्थियों वाली सुविधाओं को मेडिकल कॉलेज अस्पताल, ज़िला अस्पताल और **FRU** के लिये क्रमशः **6** लाख, **3** लाख और **2** लाख रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

लिंगायत एवं वीरशैव संप्रदाय

- लिंगायत अर्थात् भगवान शिव का लिंग धारण करने वाले। वीरशैव का अर्थ है भगवान शिव के वीर।
- बारहवीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना (**1106-68**) नामक एक ब्राह्मण ने किया।
- बासवन्ना, कलाचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीरशैव व लिंगायत कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में महत्त्व है।
- वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस समुदाय के पुरुष अपने वाम स्कंध पर चाँदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं।
- लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। वे धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते हैं।
- लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के 'दूषित' होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का भी विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया।
- इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को निम्न स्थान मिला था, वे सभी लिंगायतों के अनुयायी हो गए।

इसका संवैधानिक पक्ष क्या है?

- यद्यपि भारतीय संविधान में 'अल्पसंख्यक' को नहीं परिभाषित किया गया है। किंतु संविधान के अनुच्छेद- **29, 30, 350 (**क) और **350 (**ख) में 'अल्पसंख्यक' शब्द का उल्लेख किया गया है।
- **TMA** पाई फाउंडेशन वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद **30(1)** के तहत अल्पसंख्यक को परिभाषित करने के लिये एक इकाई के प्रश्न पर विचार किया। इसने माना कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण केवल राज्य की जननांकिकीय के संदर्भ में संभव है, राष्ट्र के स्तर पर नहीं।
- भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत दो प्रकार के अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया है-
  - ✓ **धार्मिक अल्पसंख्यक:** राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, 1992 के धार्मिक अल्पसंख्यक के तहत, धार्मिक अल्पसंख्यक के अंतर्गत मुसलमानों, सिखों, बौद्धों, पारसियों, ईसाइयों और जैनियों को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि धर्म के अंतर्गत समुदायों को धार्मिक अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है।
  - ✓ **भाषाई अल्पसंख्यक:** यह राज्य-आधारित संकल्पना है, न कि राष्ट्रीय स्तर की। इसके लिये आवश्यक है कि भाषाई अल्पसंख्यकों की पृथक् बोली हो, लिपि की मौजूदगी अनिवार्य नहीं है।

पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना, 2017

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2020 तक 3000 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना (North East Industrial Development Scheme-NEIDS), 2017 को स्वीकृति दे दी है।

- सरकार मार्च **2020** से पहले मूल्यांकन के बाद शेष अवधि के लिये आवश्यक आवंटन उपलब्ध कराएगी।
- **NEIDS** अधिक आवंटन के साथ पहले की दो योजनाओं के अंतर्गत कवर किये गए प्रोत्साहनों का समुच्चय है।
- सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में रोज़गार को प्रोत्साहित करने के लिये इस योजना के ज़रिये मुख्य रूप से **MSMEs** क्षेत्र को प्रोत्साहन देना चाहती है।
- सभी पात्र औद्योगिक इकाइयाँ, जो भारत सरकार की अन्य योजनाओं के एक या उससे अधिक घटकों का लाभ ले रही हैं, उनके लिये भी इस योजना के अन्य घटकों के लाभ हेतु विचार किया जाएगा।

प्रमुख विशेषताएँ

योजना के अंतर्गत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित नई औद्योगिक इकाइयों को निम्नलिखित प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे :

- **ऋण तक पहुँच के लिये केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन (Central Capital Investment Incentive for Access to Credit - CCIIAC):**
  - ✓ प्रति इकाई प्रोत्साहन राशि पर 5 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा के साथ प्लांट और मशीनरी में निवेश का 30%।
- **केंद्रीय ब्याज प्रोत्साहन (Central Interest Incentive -CII):**

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ✓ इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से पहले पाँच वर्षों के लिये पात्र बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गए कार्यशील पूंजी ऋण पर 3%।

- **केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन (Central Comprehensive Insurance Incentive -CCII):**

- ✓ इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से पाँच वर्षों के लिये भवन तथा प्लांट और मशीनरी के बीमा पर 100% बीमा प्रीमियम की अदायगी

वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) अदायगी [Goods and Service Tax (GST) Reimbursement]:

- ✓ इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से पाँच वर्षों के लिये CGST तथा IGST के केंद्र सरकार के हिस्से तक की अदायगी।

- **आयकर अदायगी [Income-Tax (IT) Reimbursement]:**

- ✓ इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के वर्ष सहित पहले पाँच वर्षों के लिये आयकर के केंद्रीय हिस्से की अदायगी।

- **परिवहन प्रोत्साहन (Transport Incentive - TI):**

- ✓ तैयार उत्पादों को लाने-ले जाने के लिये रेलवे/रेलवे के सार्वजनिक प्रातिष्ठानों द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्तमान सब्सिडी सहित परिवहन लागत का 20 प्रतिशत।
- ✓ भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से तैयार सामानों की आवाजाही के लिये परिवहन लागत का 20 प्रतिशत।
- ✓ देश के किसी भी हवाई अड्डे के निकट के उत्पादन स्थल से विमान से भेजे जाने वाले शीघ्र नष्ट होने वाले सामानों (Perishable Goods) की परिवहन लागत का 33 प्रतिशत।

- **रोजगार प्रोत्साहन (Employment Incentive -EI):**

सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (Employees Provident Fund -EPF) में नियोक्ता के अभिदान का 3.67 प्रतिशत का भुगतान करेगी, जो प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana - PMRPY) के तहत कर्मचारी पेंशन योजना (Employee Pension Scheme -EPS) में सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले नियोक्ता के 8.33% अभिदान के अतिरिक्त है।

- प्रोत्साहन के सभी घटकों के अंतर्गत लाभ की समग्र सीमा प्रति इकाई **200** करोड़ रुपए होगी।
- नई योजना पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करेगी और रोज़गार तथा आय सृजन को बढ़ावा देगी।

डाउन सिंड्रोम पर राष्ट्रीय सम्मेलन

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय न्यास द्वारा 26 मार्च को 'डाउन सिंड्रोम पर राष्ट्रीय सम्मेलन' आयोजित किया गया।

- इस सम्मेलन में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के जीवन पर आधारित 'ट्वीलाइट्स चिल्ड्रन' नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया।
- यह सम्मेलन डाउन सिंड्रोम पर विचारों और ज्ञान का प्रसार करने, इससे पीड़ित लोगों के मन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और संबंधित विभिन्न पक्षों के अनुभवों के साझाकरण पर आधारित था।

क्या है डाउन सिंड्रोम?

- डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है, जो कि क्रोमोसोम-**21** में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम के जुड़ने की उपस्थिति के कारण होता है।
- अधिकांश लोगों की सभी कोशिकाओं में **46** गुणसूत्र होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आने से इनकी संख्या **47** हो जाती है।
- इस कारण उनमें बौद्धिक विकास और सीखने की क्षमता कम होती है। इससे ग्रसित बच्चों में अक्सर देरी से विकास और व्यवहार संबंधी समस्याएँ होती हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- डाउन सिंड्रोम नाम, ब्रिटिश चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस सिंड्रोम (चिकित्सीय स्थिति) के बारे में सबसे पहले **1866** में पता लगाया था।
- विश्व में अनुमानित **1000** में **1** से लेकर **1100** में से **1** बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होता है।

डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों के लक्षण

- डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में बहुत हल्के से गंभीर संज्ञानात्मक कमी का स्तर, मांसपेशी टोन में कमी, छोटी नाक और नाक की चपटी नोक, ऊपर की ओर झुकी हुई आँखें, छोटे कान, मांसपेशियों में कमज़ोरी, ढीले जोड़ और अत्यधिक लचीलापन, अंगूठा और उसके बगल की ऊँगली के बीच की दूरी अधिक होना तथा मुँह से बाहर निकलती रहने वाली जीभ जैसे लक्षण होते हैं।
- डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चे विभिन्न दोषों, जैसे कि जन्मजात हृदय रोग, सुनने में हानि, आँख की समस्याओं से प्रभावित हो सकते हैं।
- डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा किसी भी उम्र की माँ से जन्म ले सकता है, हालाँकि डाउन सिंड्रोम का ज़ोखिम माँ की उम्र के साथ बढ़ जाता है। **35** वर्षीय महिला के डाउन सिंड्रोम से पीड़ित गर्भधारण की संभावना **350** में से **1** तथा **40** वर्ष की उम्र के बाद डाउन सिंड्रोम से पीड़ित गर्भधारण की संभावना **100** में से **1** हो जाती है।

विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस (WDSD)

- डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये **2012** से प्रतिवर्ष **21** मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- **19** दिसंबर, **2011** को संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने **21** मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाने की घोषणा की थी।
- **WDSD** के लिये क्रोमोसोम-**21** (गुणसूत्र) में त्रयी (ट्रायसोमिक) की विशिष्टता को दर्शाने के लिये तीसरे महीने की **21** तारीख़ का चयन किया गया था, जिसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है।

राष्ट्रीय न्यास (National Trust)

- राष्ट्रीय न्यास सांविधिक निकाय (**Statutory Body**) है, जिसकी स्थापना ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मंदबुद्धि और कई प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित लोगों के कल्याण के लिये संसदीय अधिनियम के तहत **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के अंतर्गत** की गई।
- राष्ट्रीय न्यास अपनी स्थापना के बाद से ही दिव्यांगजनों के कल्याण के लिये विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम चला रहा है।
- इनमें से प्रमुख गतिविधि विभिन्न कार्यशालाओं, सम्मेलनों का आयोजन कर इन दिव्यांगताओं और ऐसे व्यक्तियों की क्षमताओं के बारे में आम जन के बीच जागरूकता फैलाना है।

बहुविवाह एवं निकाह हलाला संवैधानिक पीठ के दायरे में

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुस्लिमों के बीच बहुविवाह और 'निकाह हलाला' की संवैधानिक वैधता की जाँच करने पर सहमति व्यक्त करते हुए इन प्रथाओं पर केंद्र सरकार और विधि आयोग के विचार माँगे हैं। ध्यातव्य है कि भारत के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ द्वारा 2017 में दिये गए एक फैसले में तीन तलाक के मुद्दे को खारिज करते हुए बहुविवाह और 'निकाह हलाला' के मुद्दे को जारी रखने का आदेश दिया था। न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए 3:2 के बहुमत से तीन तलाक को असंवैधानिक करार दिया गया।

बहुविवाह प्रथा (polygamy)

- इस्लामिक प्रथा में बहुविवाह का चलन है। इस प्रथा के तहत, एक आदमी को चार शादियाँ करने की इज़ाज़त होती है। इसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि अगर कोई औरत विधवा है या बेसहारा है तो उसे सहारा दिया जाए। समाज में ऐसी औरतों को बुरी नज़र से बचाने के लिये उनके साथ शादी करने की इज़ाज़त दी जाती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

निकाह हलाला क्या है?

- निकाह हलाला वह प्रथा है, जिसमें यदि किसी महिला को उसका शौहर तलाक दे देता है और उसके बाद उसी शौहर से दोबारा निकाह करना हो तो उसके लिये पहले महिला को एक अन्य व्यक्ति से निकाह करके उस अन्य व्यक्ति से तलाक लेना होगा। उसके बाद ही महिला का पूर्व शौहर से दोबारा निकाह हो सकता है।

मुता एवं मिस्यार निकाह क्या है?

- मुता एवं मिस्यार निकाह के अंतर्गत 'मेहर' (यह वो रकम होती है जो किसी लड़की के होने वाले शौहर द्वारा उसे तोहफे के तौर पर दी जाती है। इस मेहर को न तो वापस लिया जा सकता है और न ही माफ करने के लिये लड़की पर दबाव ही डाला जा सकता है) तय करके एक निश्चित अवधि के लिये एक-साथ रहने का लिखित करार किया जाता है।
- इस निश्चित समयावधि के पूरा होने पर निकाह स्वत: समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात् महिला को तीन महीने की इद्दत अवधि बितानी होती है।

निकाह हलाला एवं बहुविवाह को चुनौती देने वाली याचिका

- राजधानी दिल्ली की **समीना बेगम** की ओर से निकाह हलाला और बहुविवाह को चुनौती दी गई। इस अर्जी में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लिकेशन एक्ट **1937** की धारा-**2** के अंतर्गत, निकाह हलाला और बहुविवाह को मान्यता प्रदान की गई है, जोकि संविधान के अनुच्छेद **14** (समानता का अधिकार), **15** (कानून के सामने लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं) और अनुच्छेद **21** (जीवन के अधिकार) का उल्लंघन करता है, लिहाज़ा इन प्रथाओं को असंवैधानिक और गैरकानूनी घोषित कर दिया जाना चाहिये।
- याचिकाकर्त्ताओं द्वारा कहा गया है कि पर्सनल लॉ पर, कॉमन लॉ को वरीयता दी गई है और कॉमन लॉ पर संवैधानिक कानून की वरीयता है।
- समीना के शौहर ने निकाह के बाद न केवल उसे प्रताड़ित किया बल्कि दो बच्चे होने के बाद एक पत्र के ज़रिये तलाक भी दे दिया। उसने दूसरा निकाह भी किया, लेकिन दूसरे शौहर ने भी तलाक दे दिया।
- समीना द्वारा दाखिल अर्जी में कहा गया है कि निकाह हलाला करने वालों के खिलाफ रेप का मामला दर्ज़ होना चाहिये, जबकि बहुविवाह के खिलाफ आईपीसी की धारा **494** के तहत केस दर्ज़ किया जाना चाहिये।
- दिल्ली की ही रहने वाली **नफीसा खान** का निकाह **5** जून, **2008** को हुआ था। दो बच्चे होने के बाद उनसे दहेज़ की माँग की जाने लगी और प्रताड़ित किया जाने लगा। इसके बाद उनके शौहर ने तलाक के बिना ही दूसरी शादी कर ली।
- इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की और आईपीसी की धारा **494** के तहत केस दर्ज करने की गुहार लगाई तो पुलिस ने यह कहकर मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया कि शरीयत बहुविवाह की इज़ाज़त देता है। अत: नफीसा खान द्वारा लगाए गए इल्ज़ाम बेबुनियादी हैं।
- हैदराबाद निवासी **मौलिम मोहिसिन बिन हुसैन बिन अबदाद अल खतीरी** द्वारा दायर याचिका में मुता और मिस्यार निकाह को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि मुता विवाह एक निश्चित अवधि के लिये साथ रहने का करार होता है, लेकिन मुता विवाह का अधिकार केवल पुरुषों को है, न कि महिलाओं को।

इन प्रथाओं को अपराध घोषित किया जाए

- इसके अलावा, मुसलमानों के निकाह, तलाक और उत्तराधिकार के मामलों को तय करने वाली शरई अदालतों के खिलाफ केंद्र सरकार को उचित कार्रवाई करने का आदेश मांगा गया है।
- न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट **1937** की धारा **2** के उस अंश को असंवैधानिक घोषित किया जाए, जो इन प्रचलनों को मान्यता देती है।
- ये प्रथाएँ मुस्लिम महिलाओं के समानता और सम्मान के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकारों का हनन करती है।
- साथ ही, यह भी निहित किया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शरीयत के तहत, मामले तय करने के लिये समानांतर अदालतें गठित करने के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्रवाही नहीं की गई, जबकि समानांतर न्यायिक व्यवस्था संविधान के खिलाफ है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण- 2017-18

विश्व बैंक समर्थित स्वच्छ भारत मिशन परियोजना के अंतर्गत एक स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा किये गए राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (National Annual Rural Sanitation Survey-NARSS) 2017-18 में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का उपयोग 93.4% होने की पुष्टि हुई है। इसका मतलब है कि जिन घरों में शौचालय उपलब्ध हैं, उनमें से 93.4% घरों में इसका उपयोग भी किया जाता है।

प्रमुख बिंदु

- यह सर्वेक्षण मध्य-नवंबर **2017** और मध्य-मार्च **2018** के बीच किया गया और इसके अंतर्गत **6136** गाँवों के **92,040** घरों का स्वच्छता संबंधी विषयों पर सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के अंतर्गत गाँवों के स्कूल, आंगनवाड़ी एवं सामुदायिक शौचालयों का भी सर्वेक्षण किया गया।
- सर्वेक्षण का संपूर्ण कार्य कंप्यूटर सहायतित व्यक्तिगत साक्षात्कार (**Computer Assisted Personal Interviewing-CAPI)** नामक प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपादित किया गया।
- इस सर्वेक्षण के परिणाम स्वतंत्र सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के प्रबंधन हेतु गठित एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप (**EWG)** के समक्ष प्रस्तुत किये गए।
- **EWG** में विश्व बैंक, यूनिसेफ, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इंडिया सैनिटेशन कोअलिशन, सुलभ इंटरनेशनल, नॉलेज लिंक्स समेत नीति आयोग एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सदस्य हैं।

राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के मुख्य परिणाम

- सर्वेक्षण किये गए **77%** घरों में शौचालय की सुविधा पाई गई।
- शौचालय की सुविधा वाले घरों में से **93.4%** में शौचालय का उपयोग किया जाता है।
- सर्वेक्षण किये गए कि खुले में शौच से मुक्त घोषित एवं सत्यापित गाँवों में से **95.6%** के खुले में शौच से मुक्त होने की पुष्टि हुई है।
- सर्वेक्षण किये गए गाँवों में से **70%** में ठोस तथा तरल अपशिष्ट की न्यूनतम मात्रा पाई गई।

स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Misson)

- **2** अक्तूबर, **2014** को गांधी जयंती के अवसर पर 'स्वच्छ भारत मिशन' की शुरुआत की गई थी।
- **SBM** का उद्देश्य **2** अक्टूबर, **2019** तक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) राष्ट्र और स्वच्छ भारत का निर्माण करना है।
- ओडीएफ परिणामों की उपलब्धि के लिये व्यवहार परिवर्तन पर प्राथमिक ध्यान देना एक मौलिक कार्य है। स्वच्छ भारत मिशन (जो केंद्र सरकार के विशालतम स्वच्छता कार्यक्रम का हिस्सा है) को शहरी तथा ग्रामीण मिशन के रूप में विभाजित किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- स्वच्छ भारत मिशन के **6** प्रमुख घटक हैं-
  - ✓ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय
  - ✓ सामुदायिक शौचालय
  - ✓ सार्वजनिक शौचालय
  - ✓ नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
  - ✓ सूचना एवं शिक्षित संचार (IEC) और सार्वजनिक जागरूकता
  - ✓ क्षमता निर्माण
- स्वच्छ भारत मिशन ने अब तक करोड़ों लोगों के व्यवहार परिवर्तन करने में सफलता हासिल की है।
- स्वच्छ भारत मिशन के प्रारंभ से अब तक करोड़ों लोगों ने अपने शौचालय का निर्माण किया है और उसका नियमित इस्तेमाल कर रहे हैं।
- अब तक **6.5** करोड़ शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है और **3.38** लाख गाँव और **338** ज़िले अब तक खुले में शौच से मुक्त घोषित किये जा चुके हैं।
- **9** राज्य और **3** केंद्र शासित प्रदेश- सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, चंडीगढ़, दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली खुले में शौच मुक्त घोषित किये जा चुके हैं।

2020 के लिये नई एकीकृत शिक्षा योजना : विशेषताएँ एवं महत्त्व

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2020 के लिये नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाने के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रस्तावित योजना में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षण अभियान को समाहित कर दिया गया है। प्रस्तावित योजना के लिये 75 हज़ार करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं। यह राशि मौजूदा आवंटित राशि से 20 प्रतिशत अधिक है।

प्रमुख विशेषताएँ

- प्रस्तावित योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा' के विज़न के परिप्रेक्ष्य में लाई गई है। इसका लक्ष्य पूरे देश में प्री-नर्सरी से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा सुविधा सबको उपलब्ध कराने के लिये राज्यों की सहायता करना है।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में सतत् विकास के लक्ष्यों के अनुरूप नर्सरी से लेकर माध्यमिक स्तर तक सबके लिये समान रूप से समग्र और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है।
- एकीकृत स्कूली शिक्षा योजना में शिक्षकों और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर विशेष बल दिया गया है।

उद्देश्य

स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिये योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं-

- गुणवत्ता युक्त शिक्षा की व्यवस्था और छात्रों के सीखने की क्षमता में वृद्धि करना।
- स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक असमानता को पाटना।
- स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समग्रता सुनिश्चित करना।
- स्कूली व्यवस्था में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना।
- शिक्षा के साथ व्यवसायीकरण प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, **2009** को लागू करने के लिये राज्यों की मदद करना।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- राज्यों की शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों, शिक्षण संस्थाओं और ज़िला शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं (डीआईईटी) को शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये नोडल एजेंसी के रूप में सशक्त एवं उन्नत बनाना।

इसका क्या प्रभाव होगा?

- इस योजना से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को अपने उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से अपनी प्राथमिकता तय करने और योजना के प्रावधान लागू करने का अवसर मिलेगा।
- इससे स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में बच्चों के आगे शिक्षा ज़ारी रखने के मामलों में बढ़ोतरी होगी तथा बच्चों को अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिये सार्वभौमिक रूप से मौका मिलेगा।
- योजना का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही उन्हें विभिन्न तरह के कौशल और ज्ञान में दक्ष बनाना है, जो उनके सर्वांगीण विकास के साथ ही भविष्य में कार्यजगत में जाने और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये आवश्यक है।
- योजना से बजटीय आवंटन का बेहतर और मानव संसाधन तथा पूर्ववर्ती योजनाओं के लिये तैयार की गई संस्थागत संरचनाओं का प्रभावी इस्तेमाल हो सकेगा।

शिक्षा ऋण योजना हेतु ऋण गारंटी कोष जारी रखा जाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की समिति द्वारा शिक्षा ऋण योजना के लिये ऋण गारंटी कोष (सीजीएफईएल) और केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (सीएसआईएस) योजना को जारी रखने तथा उसमें आवश्यक संशोधन करने की स्वीकृति दी गई है। इस निर्णय के बाद ये दोनों योजनाएँ 6,660 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 2017-18 से 2019-20 तक जारी रहेंगी। इस अवधि में 10 लाख विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध होंगे।

क्या संशोधन किये जाएंगे?

- अधिक-से-अधिक विद्यार्थियों को लाभ तक पहुँचने की अनुमति देने के लिये (और यह विचार करते हुए भी कि ऋण का औसत आकार केवल **4** लाख रुपए रहा है) ऋण राशि की सीमा **7.5** लाख रुपए फिर से तय की गई है।
- पाठ्यक्रम अवधि + एक वर्ष स्थगन अवधि होगी।
- गुणवत्ता शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिये यह योजनाएँ उन ऋणों को कवर करेंगी, जो एनएएसी से मान्यता प्राप्त संस्थान और एनबीए या राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों या केंद्र द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त पेशेवर/तकनीकी कार्यक्रमों को आगे जारी रखने के लिये हैं। लेकिन यह स्थिति संभावित प्रभाव से लागू होगी और वर्तमान ऋणों में लागू नहीं होगी।
- योजना की बेहतर निगरानी के लिये एक डैश बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

लक्ष्य

- **2009** में योजना लागू होने के बाद से प्रति वर्ष औसत शिक्षा ऋण केवल **2.78** लाख रहा।
- संशोधित योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष ऋणों की संख्या अनुमान के अनुसार कम-से-कम **3.3** लाख होगी। इस तरह पहले की योजना की तुलना में इसमें **20** प्रतिशत की वृद्धि है।
- योजना का उपरोक्त नया ढाँचा सभी को गुणवत्ता संपन्न शिक्षा देने की सरकार की नीति के अनुरूप है।

केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी (सीएसआईएस) योजना Central Sector Interest Subsidy (CSIS)

- केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना को **1** अप्रैल, **2009** को लॉन्च किया गया था।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इस योजना के अंतर्गत स्थगन अवधि के लिये भारत में आगे के पेशेवर/तकनीकी पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिये भारतीय बैंक एसोसिएशन की आदर्श शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों से लिये गए शिक्षा ऋण पर पूरी ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।
- ऋणों का वितरण बिना किसी ज़मानती सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के किया जाता है। जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की आय **4.5** लाख रुपए तक है, वे विद्यार्थी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- यह सब्सिडी स्नातक और स्नातकोत्तर या एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिये स्वीकार्य है।
- योजना के प्रारंभ होने के समय से ब्याज सब्सिडी के रूप में **9,408.52** करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है और अभी तक **25.10** लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

शिक्षा ऋणों के लिये ऋण गारंटी कोष (सीजीएफईएल) योजना
Credit Guarantee Fund for Education Loans (CGFEL) Scheme

- इस योजना के अंतर्गत, भारतीय बैंक एसोसिएशन की आदर्श शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण के लिये गारंटी दी जाती है।
- इसका वितरण बैंकों द्वारा ज़मानती सुरक्षा और तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना किया जाता है और यह **7.5** लाख रुपए की अधिकतम ऋण राशि के लिये होती है।
- आईआईएम बंगलुरु द्वारा योजना का तीसरे पक्ष का मूल्यांकन किया गया है। इसमें सुझाव है कि योजना को विवेकसंगत बनाया जाए, ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के और अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें।

उत्तर प्रदेश में पारित हुआ संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 28 मार्च, 2018 को राज्य विधानसभा में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की तर्ज पर माफिया और संगठित अपराध से निपटने के कड़े प्रावधान वाला उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2017 (यूपीकोका) पेश किया गया। यह विधेयक आतंक फैलाने, बलपूर्वक या हिंसा द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करने वालों से सख्ती से निपटने की व्यवस्था प्रदान करता है। राज्यपाल और केंद्र की अनुमति मिलते ही यह कानून प्रभावी हो जाएगा।

पृष्ठभूमि

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा में यूपीकोका विधेयक, **2017** को पेश करते हुए बताया गया कि **21** दिसंबर, **2017** को विधानसभा में पारित होने के पश्चात् स्वीकृति के लिये विधेयक को विधानपरिषद के पास भेजा गया। परंतु बिना किसी संशोधन के इसे अस्वीकार कर दिया गया।

प्रमुख विशेषताएँ

- इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा कानूनी ढाँचा संगठित अपराध के खतरे के निवारण एवं नियंत्रण में अपर्याप्त पाया गया है।
- यही कारण है कि संगठित अपराध के खतरे को नियंत्रित करने के लिये संपत्ति की कुर्की, रिमांड की प्रक्रिया, अपराध नियंत्रण प्रक्रिया, त्वरित विचार एवं न्याय के उद्देश्य के साथ यह विधेयक लाया गया है।
- इस विधेयक में विशेष न्यायालयों के गठन और विशेष अभियोजकों की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है।
- इसके अंतर्गत संगठित अपराध के खतरे को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक अनुसंधान संबंधी प्रक्रियाओं को कड़े एवं निवारक प्रावधानों के साथ लागू करने के लिये विशेष कानून अधिनियमित करने का भी निश्चय किया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- विधेयक में संगठित अपराध के लिये सख्त सजा का प्रावधान किया गया है।
- इसके तहत आतंक फैलाने या बलपूर्वक, हिंसा द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिये विस्फोटकों या अन्य हिंसात्मक साधनों का प्रयोग कर किसी की जान या संपत्ति को नष्ट करने या राष्ट्र विरोधी, अन्य लोक प्राधिकारी को मौत की धमकी देकर या बर्बाद कर देने की धमकी देकर फिरौती के लिये बाध्य करने को लेकर कड़े प्रावधान किये गए हैं।
- अभी तक ऐसा होता था कि पुलिस सबसे पहले किसी अपराधी को पकड़कर उसे कोर्ट में पेश करती थी, फिर सबूत जुटाती थी। लेकिन यूपीकोका के तहत सबसे पहले पुलिस अपराधियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेगी, फिर उन सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तारी होगी अर्थात् अब अपराधी को कोर्ट में ही अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी।
- विधेयक की सबसे खास बात यह है कि इसमें गवाहों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है।
- विधेयक के तहत अब आरोपी यह नहीं जान पाएंगे कि उनके खिलाफ किसने गवाही दी है। सभी बातों को पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा।

संगठित अपराध से क्या तात्पर्य है?

- विधेयक में संगठित अपराध को विस्तार से परिभाषित किया गया है। फिरौती के लिये अपहरण, सरकारी ठेके में शक्ति प्रदर्शन, खाली या विवादित सरकारी भूमि अथवा भवन पर जाली दस्तावेजों के ज़रिये या बलपूर्वक कब्ज़े, बाज़ार और फुटपाथ विक्रेताओं से अवैध वसूली, शक्ति का प्रयोग कर अवैध खनन, धमकी या वन्यजीव व्यापार, धन की हेराफेरी, मानव तस्करी, नकली दवाओं या अवैध शराब के कारोबार, मादक द्रव्यों की तस्करी आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है।

सज़ा का क्या प्रावधान है?

- विधेयक के अंतर्गत संगठित अपराध के परिणामस्वरूप किसी की मौत होने की स्थिति में मृत्युदंड या आजीवन कारावास की व्यवस्था की गई है। इसके साथ-साथ न्यूनतम **25** लाख रुपए के अर्थदंड का भी प्रावधान किया गया है।
- किसी अन्य मामले में कम-से-कम **7** साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तथा न्यूनतम **15** लाख रुपए के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।

अपीलीय प्राधिकरण के गठन का प्रावधान

- इसके तहत उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के **2** सदस्य भी शामिल किये जाएंगे।
- यह प्राधिकरण प्रस्तावित कानून (यूपीकोका) के तहत आरोपी की याचिका की सुनवाई करेगा।
- यदि किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फँसाया जाता है तो वह व्यक्ति अपने खिलाफ हो रही कार्रवाही के खिलाफ प्राधिकरण में अपील कर सकता है।
- हालाँकि, इसमें यह व्यवस्था की गई है कि ऐसी किसी भी स्थिति में व्यक्ति को स्वयं ही अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी।

गृह विभाग के प्रमुख सचिव होंगे अध्यक्ष

- विधेयक के अंतर्गत राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जिसके अध्यक्ष गृह विभाग के प्रमुख सचिव होंगे।
- इसमें **3** अन्य सदस्यों की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है। इनमें अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था), अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध) और विधि विभाग के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे, इन्हें सरकार की ओर से मनोनीत किया जाएगा।
- इसके अलावा ज़िला स्तर पर अपराध नियंत्रण प्राधिकरण बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया गया है, यह संबंधित ज़िलाधिकारियों की अध्यक्षता में कार्य करेगा।
- साथ ही, इसमें बतौर सदस्य पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक एवं अभियोजन अधिकारी को शामिल किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

कृषि विज्ञान केंद्रों की निरंतरता, सुदृढ़ीकरण और स्थापना को मंजूरी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने 31 मार्च, 2017 तक स्थापित 669 कृषि विज्ञान केंद्रों (KVKs) एवं 11 कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थानों (ATRIs) की वर्ष 2019–20 तक निरंतरता/सुदृढ़ीकरण संबंधी कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।

- इसके अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालयों के विस्तार, शिक्षा निदेशालयों (**DEEs)** और इस योजना से जुड़े सभी विशेष कार्यक्रमों को सहायता देने तथा **12**वीं योजना में पहले ही स्वीकृत किये जा चुके **76 KVK** की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी गई है।
- कृषि विज्ञान केंद्र विभिन्न ज़िलों के कृषि क्षेत्र में ज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में काम करेंगे और प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं किसानों के सशक्तीकरण के मॉडलों का निर्माण करेंगे, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी करने संबंधी भारत सरकार की पहल को आवश्यक सहायता सुनिश्चित होगी।

KVK योजना के ज़रिये निम्नलिखित विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी-

- नई विस्तार कार्य पद्धतियों एवं अवधारणाओं; पोषण-संवेदी कृषि संसाधनों एवं नवाचारों (**NARI)** पर एक नेटवर्क परियोजना।
- जनजातीय क्षेत्रों में ज्ञान प्रणालियों पर आधारित और वासभूमि कृषि प्रबंधन (**KSHAMTA)** शीर्षक वाले कार्यक्रम।
- कृषि में मूल्यवर्द्धन और प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन केंद्र (**Value Addition and Technology Incubation Centres in Agriculture-VATICA)**।
- कृषि नवाचार संसाधन प्रबंधन (**Farm Innovation Resource Management-FIRM)**।
- कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र की स्थापना।
- वर्षा जल के संचयन, एकीकृत कृषि प्रणाली प्रोसेसिंग, मत्स्य बीज के उत्पादन, **ICT** आधारित सेवाओं, हरित कृषि और मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिये भी सहायता दी जाएगी।
  - ✓ इसके अतिरिक्त दो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों को मंज़ूरी दी गई, जिनमें 52 केंद्रों में 'फार्मर फर्स्ट' और 100 ज़िलों के लिये 'कृषि क्षेत्र की ओर युवाओं को आकर्षित करना एवं बनाए रखना' (Attracting and Retaining Youth in Agriculture-ARYA) शामिल हैं।
  - ✓ 'आर्य' घटक को वर्तमान समय में KVK के जरिये 25 राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के ज़रिये उद्यमिता गतिविधियाँ शुरू करने के लिये ICAR संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त तकनीकी साझेदारों के साथ प्रत्येक राज्य के एक ज़िले में इसे क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे रोज़गारों का सृजन हो रहा है।

कृषि विज्ञान केंद्र (Krishi Vigyan Kendra-KVK) योजना

- **KVK** राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (**NARS)** का एक अभिन्न हिस्सा है।
- **KVK** योजना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि शोध एवं शिक्षा विभाग (**DARE)** के तहत शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण के ज़रिये संचालित किया जा रहा है।
- **KVK** की गतिविधियों में प्रौद्योगिकियों का खेतों में परीक्षण एवं प्रदर्शन करना, किसानों एवं विस्तार कर्मियों की क्षमता का विकास करना, कृषि प्रौद्योगिकियों के एक ज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करना और किसानों के हित वाले विभिन्न विषयों पर **ICT** तथा अन्य मीडिया साधनों का उपयोग कर कृषि परामर्श जारी करना शामिल है।
- इसके अलावा **KVK** गुणवत्तापूर्ण प्रौद्योगिकी उत्पादों (बीज, रोपण सामग्री, बॉयो–एजेंट, पशुधन) का उत्पादन करते हैं एवं इन्हें किसानों को उपलब्ध कराते हैं, विस्तार गतिविधियाँ आयोजित करते हैं, चयनित कृषि नवाचारों की पहचान करने के साथ-साथ उनका प्रलेखन करते हैं और पहले से ही जारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ सामंजस्य सुनिश्चित करते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

KVKs की यूटिलिटी

- **KVK** के ज़रिये विभिन्न योजनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना आसान हो सकता है और ये कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय आदि की कृषि एवं ग्रामीण विकास पर केंद्रित विभिन स्कीमों के लिये प्रमुख एजेंसी के रूप में काम कर सकते हैं ताकि सूक्ष्म सिंचाई, एकीकृत पोषक तत्त्व प्रबंधन (**INM**), एकीकृत कीट प्रबंधन (**IPM**), पशुधन प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्द्धन और मोबाइल प्रौद्योगिकी के उपयोग, इत्यादि से जुड़े मसलों को सुलझाया जा सके।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

आर्थिक घटनाक्रम

5वां भारतीय मक्का सम्मेलन

20-21 मार्च को फिक्की द्वारा पाँचवें भारतीय मक्का सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर यह रेखांकित किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में मक्का उत्पादन में काफी वृद्धि दर्ज की गई है, जो रकबे के साथ ही उत्पादकता में बढ़ोतरी की वजह से संभव हुआ है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- **1950-51** में भारत में सिर्फ **1.73** मीट्रिक टन **(MT)** मक्का का उत्पादन हुआ था, जो **2016-17** में बढ़कर **25.89 MT** हो गया और **2017-18** में यह बढ़कर **27 MT** होने का अनुमान है। भारत में मक्का की औसत उत्पादकता **2.43** टन प्रति हेक्टेयर है।
- भारत में गेहूँ और चावल के बाद मक्का तीसरा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खाद्यान्न है। चार राज्यों- मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान की देश के कुल मक्का उत्पादन में आधी से ज़्यादा की हिस्सेदारी है।
- वर्तमान में भारत दुनिया के शीर्ष मक्का निर्यातक देशों में शामिल हैं। अमेरिका और चीन के बाद भारत मक्का का शीर्ष उत्पादक है। इसके बावजूद भारत की सिर्फ **25%** जनसंख्या ही इसका खाद्य फसल के तौर पर इस्तेमाल करती है।
- वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न की मांग और उपभोक्ताओं की खाद्य प्राथमिकताओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारत जैसे विकासशील देशों सहित अधिकांश विकसित देशों में मक्का को काफी पसंद किया जाता है।
- इस मौके पर फिक्की और प्राइसवाटरहाउस कूपर्स **(PWC)** द्वारा संयुक्त रूप से **मक्का विजन 2022** भी जारी किया गया।
- भारत में मक्का के तहत सिर्फ **15%** कृषि क्षेत्र ही सिंचित है। इसलिये मक्के की फसल के लिये पर्याप्त सिंचाई सुविधाएँ देना आवश्यक है, जिससे मक्के का उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
- भारत में मक्के के तहत लगभग आधा रकबा कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में केंद्रित है तथा बिहार सहित ये राज्य मक्के के कुल राष्ट्रीय उत्पादन का **2/3** हिस्सा उत्पादित करते हैं।
- हालाँकि, मक्का की राष्ट्रीय उत्पादकता वैश्विक मानकों से काफी कम है। भारत में मक्का की पैदावार ब्राजील (**5.5** टन/हेक्टेयर), चीन (**6** टन/हेक्टेयर) और अमेरिका (**10.2** टन/हेक्टेयर) से काफी कम है।
- **ICAR**-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान **(IIMR)**, लुधियाना को मक्का के उत्पादन, उत्पादकता और स्थायित्व में सुधार के उद्देश्य से बुनियादी, रणनीतिक और शोध का काम सौंपा गया है।
- सरकार कई माध्यम से आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर **28** राज्यों के **265** जिलों में मक्का उत्पादन को प्रोत्साहन दे रही है।
- **2015-16** से इस अभियान को केंद्र व राज्य सरकारों के बीच **60:40** और केंद्र व पूर्वोत्तर एवं **3** पर्वतीय राज्यों के बीच **90:10** की साझेदारी व्यवस्था के तहत लागू किया जा रहा है।

मक्का (MAIZE) की कृषि के लिये भौगोलिक दशाएँ

- मक्का मुख्य रूप से वर्षा-आधारित खरीफ फसल है, जिसे मानसून के आगमन से पहले बोया जाता है। तमिलनाडु में यह एक रबी फसल है, जिसे सितंबर और अक्टूबर में बारिश होने से पहले बोया जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- रुक-रुक कर होने वाली **50-100** सेंटीमीटर तक की वर्षा मक्के की कृषि के लिये अनुकूल होती है।
- **100** सेमी. से अधिक वर्षा और वर्षा ऋतु में सूखे की लंबी अवधि मक्के की फसल के लिये नुकसानदेह है। वर्षा के बाद धूप मक्का के लिये बहुत उपयोगी है।
- पंजाब और कर्नाटक जैसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी सिंचाई द्वारा खेती की जाती है।
- यह फसल आमतौर पर **21** डिग्री सेल्सियस से **27** डिग्री सेल्सियस के तापमान में अच्छी तरह से बढ़ती है। हालाँकि यह **35** डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकती है।
- पाला अथवा फ्रॉस्ट (**Frost**) मक्का के लिये हानिकारक है और यह फसल केवल उन क्षेत्रों में उगाई जाती है, जहाँ एक वर्ष में लगभग साढ़े चार महीने पालारहित होते हैं।

मक्का की कृषि के लाभ

- मक्का रकबे के संदर्भ में दुनिया की दूसरी सबसे महत्त्वपूर्ण अनाज की फसल है और इसे 'अनाज की रानी' **(Queen of Cereals)** कहा जाता है।
- भारत में कम-से-कम **15** मिलियन किसान मक्के की खेती करते हैं और इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से **650** मिलियन से अधिक के कार्य-दिवसों का सृजन होता है। कुल कृषिगत उत्पादन में मक्का का हिस्सा **2%** है।
- मक्का अन्य अनाजों की तुलना में पानी की कम मांग करता है और यह एक **C4** फसल है।
- **C4** पौधे, वे पौधे होते हैं जो कार्बन-डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के क्रम में प्रथम उत्पाद **4**-कार्बन परमाणु युक्त यौगिक तथा ऑक्सैलो-ऐसीटिक अम्ल का निर्माण करते हैं।
- इससे प्रकाश संश्लेषण अधिक दक्ष तरीके से होता है। इसके अतिरिक्त मक्का एक 'डे न्यूट्रल' **(Day Neutral)** फसल है।
- यह कम अवधि में प्रति हेक्टेयर अधिक उपज देता है और इसे किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है।
- इसे खाद्यान और चारे दोनों के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। इसलिये किसानों की आजीविका और आय सुरक्षा में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

मौद्रिक नीति संचरण पर RBI की अध्ययन रिपोर्ट

- भारतीय रिज़र्व बैंक के विकास अनुसंधान समूह (**Development Research Group-DRG**) के एक अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार वित्तीय प्रणाली में घर्षण (**Friction**) कम होने पर मौद्रिक नीति संचरण में सुधार होता है।
- **DRG** को **RBI** द्वारा तात्कालिक मुद्दों पर त्वरित नीति-उन्मुख अनुसंधान करने के लिये अपने आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के तहत गठित किया जाता है।

क्या था DRG का अध्ययन?

- 'भारत में मौद्रिक नीति संचरण में वित्तीय घर्षण की भूमिका' नामक **DRG** के अध्ययन में एक अपूर्ण प्रतिस्पर्द्धी बैंकिंग क्षेत्र का मॉडल विकसित किया गया और मौद्रिक नीति संचरण में विभिन्न वित्तीय घर्षणों की भूमिका की जाँच की गई।
- **DRG** के अनुसार जमाकर्ता आधार (**Depositors' Base**) के रूप में वित्तीय समावेशन को बढ़ाकर और परिवारों के लिये कोलैटरल बाधाओं (**collateral constraints**) को कम कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।
- ऋण लेने के लिये ऋणकर्त्ता द्वारा ऋणदाता के पास गिरवी रखी गई संपत्ति अथवा परिसंपत्ति को कोलैटरल कहा जाता है।
- आसान कोलैटरल मानदंड द्वारा परिवारों की उधार लेने की क्षमता में इज़ाफा कर मौद्रिक नीति संचरण में सुधार किया जा सकता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- किसी अर्थव्यवस्था में वित्तीय लेन-देन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों को फ्रिक्शन कॉस्ट कहा जाता है। एक घर्षणरहित (**Frictionless**) वित्तीय व्यवस्था में लेन-देन लागतें शून्य होती हैं।

क्या है इस घर्षण का कारण?

- सूचनाओं की उपलब्धता के संदर्भ में विषमता की उपस्थिति, अनुबंधों की सीमित प्रवर्तन क्षमता तथा आर्थिक एजेंटों के बीच मौजूद विविधता से वित्तीय बाज़ार संबंधी लेन-देनों में घर्षण पैदा होता है, जो मौद्रिक नीति संचरण तंत्र में समायोजन और इसके प्रसार की गति को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **DRG** ने ऋण बाज़ार में घर्षण मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आठ तिमाहियों की अवधि के लिये सिमुलेशन प्रयोग किया और यह पाया कि जैसे-जैसे ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम होती गई, वैसे-वैसे मौद्रिक नीति संचरण में सुधार देखा गया।
- **DRG** के अनुसार क्रेडिट चक्र को सुचारु बनाने के लिये नीतिगत ब्याज दर अर्थात् रेपो रेट में समायोजन मुद्रास्फीति और उत्पादन में अस्थिरता को बढ़ा देता है।
- इसके बजाय मुद्रास्फ़ीति स्थिरीकरण **RBI** के लिये अधिक वांछनीय नीतिगत विकल्प है क्योंकि यह कल्याणकारी नुकसान (**Welfare Loss**) को और कम करता है।
- निष्कर्षत: मौद्रिक नीति के ज़रिये वित्तीय स्थिरता को लक्षित करना आर्थिक स्थिरीकरण के उद्देश्य से उपयुक्त नहीं हो सकता है।

मौद्रिक नीति संचरण (Monetary Policy Transmission-MPT)

- मौद्रिक नीति संचरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा लिये गए मौद्रिक नीतिगत निर्णयों का संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था में संचार होता है। इसके प्रभाव अर्थव्यवस्था में ब्याज दर, मुद्रास्फीति जैसे कारकों के माध्यम से परिलक्षित होते हैं।
- **RBI** द्वारा इसके लिये कई नीतिगत संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें रेपो रेट (जिसे नीतिगत दर भी कहा जाता है) सर्वप्रमुख संकेत है।
- रेपो रेट में परिवर्तन अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में परिवर्तन के माध्यम से निवेश, बचत आदि की दरों को प्रभावित करता है।

सरसों के तेल को छोड़कर अन्य सभी खाद्य तेलों के थोक में निर्यात को अनुमति

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा सरसों के तेल को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के खाद्य तेलों के बड़ी मात्रा में निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई।

- समिति द्वारा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को अधिकार सम्पन्न बनाने की स्वीकृति दी गई। इस समिति में वाणिज्य, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण, राजस्व, उपभोक्ता मामले तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के सचिव शामिल हैं।
- समिति को घरेलू उत्पादों और मांग, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय कीमतों एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा के आधार पर विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों की आयात-निर्यात नीति की समीक्षा करने का अधिकार होगा।
- इसके साथ-साथ इसे मात्रात्मक प्रतिबंध, पूर्व पंजीकरण, न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करने और आयात शुल्क में बदलाव के संबंध में आवश्यक उपाय करने का भी अधिकार होगा।
- महत्त्वपूर्ण बात यह है कि खाद्य तेलों के उपभोक्ता पैक में निर्यात करने तथा समय-समय पर उनके न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करने संबंधी वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता वाली अंतर-मंत्रालय समिति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

इसका प्रभाव क्या होगा?

- सभी तरह के खाद्य तेलों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाने से खाद्य तेलों के अतिरिक्त विपणन के अवसर उपलब्ध होंगे। इससे किसानों को तिलहनों से ज़्यादा वसूली हो सकेगी, जिससे वे लाभान्वित होंगे।
- खाद्य तेलों के निर्यात की अनुमति मिलने से मंद पड़े देश के खाद्य तेल उद्योग की क्षमता में वृद्धि होगी। इससे निर्यात प्रतिबंध और कई तरह की रियायतों की वजह से उत्पन्न हुई दुविधा की स्थिति खत्म हो सकेगी और कारोबारी सहूलियत का मार्ग प्रशस्त होगा।

फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिये पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी दर

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 2018-19 की अवधि में फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिये पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दर निर्धारित करने के उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है।

- आर्थिक मामलों की समिति ने उर्वरक विभाग को आवश्यकतानुसार निर्धारित दरों के आधार पर सब्सिडी जारी करने के लिये अधिकृत किया है।
- यह दर उस वित्त वर्ष या अगले वित्त वर्ष के हिसाब से फरवरी और मार्च में ज़िलों द्वारा फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों की विशेष श्रेणी या मात्रा पर प्राप्त की गई दरों में जो भी कम होगी, के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

पृष्ठभूमि

- सरकार उत्पादकों और आयातकों के ज़रिये किसानों को यूरिया तथा **21** अन्य श्रेणी के फॉस्फेट और पोटाश उर्वरक रियायती दरों पर उपलब्ध करा रही है।
- फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर सब्सिडी का संचालन एनबीएस योजना के तहत **01.04.2010** से किया जा रहा है।
- सरकार किसान हितैषी अपनी नीतियों के तहत, किसानों को रियायती दरों पर फॉस्फेट और पोटाश उर्वरक उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है।
- सरकार ने वित्त वर्ष **2017-18** की तुलना में उर्वरकों पर सब्सिडी व्यय बढ़ाकर **1913.07** करोड़ रुपए कर दिया है।
- सरकार की ओर से यह कदम किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के बढ़ी कीमतों के असर से बचाने के लिये उठाया गया है।

राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी कार्यक्रम की शुरुआत

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वाहन निर्माताओं, चार्जिंग अवसंरचना कंपनियों, फ्लीट ऑपरेटरों, सेवा प्रदाताओं सहित संपूर्ण ई-मोबिलिटी पारितंत्र को प्रोत्साहन देना है।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (**Energy Efficiency Services Limited-EESL**) द्वारा लागू किया जाएगा, जो इकॉनोमिज़ ऑफ़ स्केल प्राप्त करने के लिये बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के माध्यम से मांग संचयन (**Demand Aggregation**) सुनिश्चित करेगा।
- **EESL** सरकार के लिये इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिये उत्तरदायी है। ये विद्युत वाहन सरकार के मौजूदा पेट्रोल और डीजल वाहनों को प्रतिस्थापित करेंगे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- **2030** तक **30%** से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन सुनिश्चित करने हेतु सरकार चार्जिंग अवसंरचना और नीतिगत ढाँचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ

- इन **20,000** इलेक्ट्रिक वाहनों द्वारा देश में प्रतिवर्ष **5** करोड़ लीटर ईंधन की बचत के साथ **5.6** लाख टन से अधिक वार्षिक कार्बन-डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है।
- सामान्य कारों के लिये प्रति किलोमीटर **6.5** रुपए की लागत की तुलना में इलेक्ट्रिक कारों हेतु यह मात्र **85** पैसे ही है।
- इससे महँगे पेट्रोलियम आयातों पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलेगी।

ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL)

- ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन **2010** में स्थापित **EESL** चार राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों - **NTPC** लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (**PFC**) लिमिटेड, रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (**REC**) लिमिटेड और पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है।
- **EESL** ऊर्जा दक्षता को मुख्यधारा में शामिल करने के लिये देश में विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा दक्षता पोर्टफोलियो को लागू कर रहा है।
- **EESL** एक सुपर एनर्जी सर्विस कंपनी (**ESCO**) है। **EESL** की ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों और उपकरणों ने भारत में सालाना **35** बिलियन **KWh** ऊर्जा की बचत की है।
- **EESL** का उद्देश्य अपने पोर्टफोलियो के विविधीकरण के लिये इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अनुभव का तथा विदेशी बाज़ारों में नए अवसरों का लाभ उठाना है। **EESL** ने ब्रिटेन, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया में भी अपने कार्यक्रम शुरू किये हैं।
- दक्षिण एशिया की पहली और अग्रणी ऊर्जा दक्षता संस्था के रूप में **EESL** संवर्द्धित ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन (**National Mission for Enhanced Energy Efficiency-NMEEE**) की बाज़ार संबंधी गतिविधियों का नेतृत्व भी करता है।
- **NMEEE** जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत **8** राष्ट्रीय मिशनों में से एक प्रमुख मिशन है।

फसल अवशेषों के प्रबंधन हेतु कृषि मशीनरी प्रोत्साहन

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के स्व-स्थाने (In-situ) प्रबंधन के लिये कृषि मशीनरी प्रोत्साहन को अपनी स्वीकृति दे दी है।

- वित्तीय वर्ष **2018-19** में **591.65** करोड़ रुपए और **2019-20** में **560.15** करोड़ रुपए के साथ केंद्र सरकार इसके लिये कुल **1151.80** करोड़ रुपए खर्च करेगी।

पृष्ठभूमि

- **2018-19** के बजट में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन तथा पराली जलाने की वज़ह से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी हेतु वर्ष **2018-19** से **2019-20** के लिये विशेष नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना (**100%** केंद्रीय हिस्सेदारी) को शुरू करने की घोषणा की गई थी।

योजना के घटक

- स्व-स्थाने फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के लिये कृषि मशीनरी बैंक की स्थापना की जाएगी, जहाँ से किसान मशीनों को किराए पर ले सकेंगे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- किसानों की पंजीकृत सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (**FPOs**), स्वयं सहायता समूहों, पंजीकृत किसान समितियों/किसान समूहों, निजी उद्यमियों, महिला किसान समूहों को कृषि मशीनरी बैंक अथवा कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिये परियोजना लागत के **80%** की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- स्व-स्थाने अवशेष प्रबंधन के लिये किसानों को कृषि मशीनरी तथा उपकरण खरीद हेतु वित्तीय सहायता देना। व्यक्तिगत रुप से किसानों को कृषि अवशेष प्रबंधन के लिये मशीनरी/उपकरणों की लागत के **50%** की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- फसल अवशेष प्रबंधन पर जागरूकता के लिये राज्य सरकारों, किसान विकास केंद्रों, **ICAR** संस्थानों, केंद्र सरकार के संस्थानों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि को सूचना, शिक्षा तथा प्रचार-प्रसार के कार्यकलापों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इन गतिविधियों में लघु तथा दीर्घावधि की फिल्में, वृत्तचित्र, रेडियो तथा **TV** कार्यक्रम, प्रिंट मीडिया संबंधी विज्ञापन, स्टार अभियान, विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शनात्मक शिविरों और प्रतिभा विकास कार्यक्रमों का आयोजन, दूरदर्शन, डीडी किसान तथा अन्य निजी चैनलों पर पैनल चर्चा के माध्यम से जन जागरूकता अभियान संचालित करना शामिल हैं।
- इसके अलावा किसी भी प्रकार के अवशेष न जलाने वाले ग्राम/ग्राम पंचायत को पुरस्कार भी दिया जाएगा।

योजना के लाभार्थी

- संबंधित राज्य सरकारें ज़िला स्तरीय कार्यकारी समितियों (**DLECs**) के माध्यम से विभिन्न लाभार्थियों और अवस्थिति-विशिष्ट (**Location-specific**) कृषि प्रणाली पर निर्भर कृषि उपकरण की पहचान करेगी और कस्टम हायरिंग और व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर मशीनों की खरीद के लिये कृषि मशीनरी बैंक स्थापित करने हेतु लाभार्थियों की पहचान और चयन करेगी ताकि पारदर्शी तरीके से सही समय पर लाभों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
- राज्य नोडल विभाग/ **DLECs** लाभार्थी की ऋण आवश्यकता के लिये बैंकों के साथ गठबंधन करेंगे। चयनित लाभार्थियों के नाम एवं विवरण ज़िला स्तर पर दस्तावेज़ो में शामिल किये जाएँगे, जिसमें उनके आधार नंबर तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से दी गई वित्तीय सहायता दिखाई जाएगी।

कार्यान्वयन एजेंसियाँ

- केंद्रीय स्तर पर यह योजना कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (**DAC&FW**) द्वारा प्रशासित होगी।
- कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति एक नीति तैयार करेगी और राज्य सरकार द्वारा योजना लागू करने के बारे में समग्र निर्देश और दिशा-निर्देश ज़ारी करने के साथ ही योजना की निगरानी तथा प्रगति एवं प्रदर्शन की समीक्षा करेगी।
- अपर सचिव की अध्यक्षता में योजना की गतिविधियों की देख-रेख का कार्य कार्यकारी समिति करेगी।
- राज्य स्तर पर संबंधित राज्य सरकार अर्थात् पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्य कृषि विभाग नोडल कार्यान्वयन एजेंसी होंगे।
- संबंधित राज्य सरकारों के प्रमुख सचिव कृषि/कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समितियाँ (**SLEC**) नोडल एजेंसियों तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ नियमित बैठक कर अपने-अपने राज्यों में योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे और उचित नीति बनाने के लिये कार्यकारी समिति को इनपुट प्रदान करेंगे।
- ज़िला स्तरीय कार्यकारी समिति परियोजना तैयार करने, उसे लागू करने और ज़िलों में निगरानी के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिये उत्तरदायी होंगी और किसान समूहों/ प्रगतिशील किसानों को शामिल करते हुए निगरानी समितियाँ बनाएंगी, जो फसल अवशेष नहीं जलाने के लिये किसानों में जागरूकता का प्रसार करेंगी।
- कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग फसल अवशेष के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिये मशीन और उपकरणों के मूल्य के साथ निर्माताओं का एक पैनल तैयार करेगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

निगरानी उपायों पर सेबी की बढ़ती सख्ती

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा कंपनियों को ग्रेडेड सर्विलांस मीज़र्स (Graded Surveillance Measures-GSM) के तहत लाने संबंधी प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। इस प्रक्रिया को पहले की अपेक्षा और अधिक पारदर्शी बनाने के लिये यह कार्य किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि जीएसएम को गत वर्ष फरवरी में लागू किया गया था, इसके दायरे में 700 से भी अधिक कंपनियों को रखा गया है।

प्रमुख बिंदु

- इसके संबंध में चिंता की बात यह है कि जीएसएम के दायरे में रखने के लिये कंपनियों के चयन का स्पष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है।
- विशेषज्ञों के अनुसार, इसके तहत केवल कमज़ोर आधार वाली कंपनियों के प्रति आक्रामक रुख अपनाया गया है, विशेषकर ऐसी कंपनियों के प्रति जो अक्सर धोखाधड़ी करने वालों के निशाने पर होती हैं।
- उदाहरण के लिये, बंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जीएसएम के विभिन्न चरणों में इसके दायरे में करीब **400** कंपनियों को रखा है। इसमें से **132** कंपनियाँ ग्रेड **6** के तहत आती हैं, जहाँ सबसे अधिक प्रतिबंध है।
- जैसा कि हम जानते हैं, जीएसएम का उद्देश्य कमज़ोर फंडामेंटल्स अथवा कम बाज़ार पूंजीकरण वाली कंपनियों के शेयरों में असामान्य तेज़ी को नियंत्रित करना है।
- जीएसएम के दायरे में आने वाली कंपनियों के संबंध में सबसे अहम बात यह है कि निवेशकों को उन मानदंडों के बारे में जानकारी ही नहीं होती है, जिनके तहत कंपनियों को जीएसएम के दायरे में रखा जाता है।
- आपको बता दें कि जीएसएम के ग्रेड **2** के तहत शेयरों की खरीद-फरोख्त हेतु खरीदार से एक अतिरिक्त निगरानी जमा (एएसडी) रकम वसूली जाती है, जो खरीद मूल्य की **100** फीसदी होती है।
- जैसे-जैसे बिकवाली कम होती जाती है, शेयर मूल्य में भी गिरावट आती जाती है, जिससे निवेशकों के लिये इस चक्र से बाहर आना कठिन हो जाता है।

ग्रेडेड सर्विलांस मीज़र्स (Graded Surveillance Measures-GSM)

- देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बंबई शेयर बाज़ार (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के शेयर मूल्यों में असामान्य तेज़ी पर नज़र रखने के लिये ग्रेडेड निगरानी प्रणाली को स्थापित किया गया है। यह नई व्यवस्था मौजूदा निगरानी संबंधी उपायों से काफी अलग है।
- वस्तुतः इसकी शुरुआत के पीछे सेबी का उद्देश्य उन प्रतिभूतियों के व्यापार में कमी लाना है, जिनकी कीमतों में असामान्य दर से वृद्धि हो रही है और इनकी कीमतों में हो रही यह वृद्धि कंपनी की वित्तीय अवस्था और मूल तत्त्वों के अनुरूप नहीं है।
- ग्रेडेड सर्विलांस मीज़र्स (जीएसएम) के तहत चिन्हित प्रतिभूतियों के संदर्भ में बाज़ार के भागीदारों के लिये अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।
- हाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब कुछ कंपनियों के शेयर मूल्यों में ज़ोरदार तेज़ी देखी गई, जबकि इसके पीछे कोई खास वज़ह नहीं रही।
- इसके अंतर्गत सेबी संदेहास्पद अथवा मूल्य हेराफेरी या 'शेल कंपनियों' के दायरे में आने वाली कंपनियों के शेयर अपने पास रख सकती है।
- यह आकलन स्टॉक बाज़ार में निवेश करने वाले निवेशकों के लिये लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि इससे उन्हें यह जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि उन्हें सर्विलांस के तहत किन प्रतिभूतियों के साथ व्यापार करने में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

यह कैसे कार्य करता है?

- इसके अंतर्गत यदि किसी फर्म की पहचान की जाती है तो निगरानी कार्यों के साथ उस फर्म को छह चरणों से गुज़रना होता है।
- इसके प्रथम चरण में इन प्रतिभूतियों को व्यापार-से-व्यापार अनुभाग (**trade-to-trade segment**) में रखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के सट्टा व्यापार की अनुमति नहीं दी जाती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- साथ ही इसमें शेयर का वितरण और कंसीडरेशन राशि (**consideration amount**) का भुगतान भी अनिवार्य हो जाता है।
- दूसरे चरण में व्यापार-से-व्यापार अनुभाग में प्रतिभूति के खरीदार को व्यापार मूल्य का **100%** 'अतिरिक्त निगरानी जमा' **(additional surveillance deposit)** के रूप में रखना होता है। इस जमा राशि को लेन-देनों के माध्यम से पाँच महीने तक इसी प्रकार रखा जाता है तथा इसके बाद व्यवस्थित तरीके से खरीदार को लौटा दिया जाता है।
- इसके तीसरे चरण में एक सप्ताह में एक ही बार (जैसे सोमवार को) व्यापार की अनुमति दी जाती है। इसके अतिरिक्त इसे खरीदार द्वारा 'अतिरिक्त निगरानी जमा' के रूप में रखी गई **100%** धनराशि से अलग रखा जाता है।
- इसके चौथे चरण में एक सप्ताह में एक ही बार व्यापार करने की अनुमति दिये जाने के साथ-साथ 'अतिरिक्त निगरानी जमा' राशि व्यापार मूल्य का **200%** हो जाती है।
- इसके पाँचवें चरण में **200%** की अतिरिक्त जमा के साथ एक महीने में एक बार (माह के पहले सोमवार को) ही व्यापार की अनुमति दी जाती है।
- इसके छठे और अंतिम चरण में कंपनियों पर अधिकतम प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इस चरण में एक माह में एक बार ही व्यापार की अनुमति के साथ-साथ कीमतों में वृद्धि संबंधी अनुमति भी दी जाती है। इसके अंतर्गत निगरानी जमा राशि भी **200%** होती है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India)

- यह भारतीय प्रतिभूति बाज़ार की नियामक संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष **1988** में हुई थी।
- सेबी अधिनियम, **1992** के माध्यम से **30** जनवरी, **1992** को सेबी को वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।
- सेबी अर्द्ध-विधायी, अर्द्ध-न्यायिक और अर्द्ध-कार्यकारी तीनों प्रकार के कार्य संपादित करता है।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
- इसका प्रमुख कार्य प्रतिभूति बाज़ार का नियमन करना तथा स्टॉक निवेशकों के हितों की रक्षा करना है।

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 को मंत्रिमंडल की मंज़ूरी

- आर्थिक अपराध के सिलसिले में होने वाली गिरफ्तारी से बचने के लिये विजय माल्या द्वारा भारत से फरार होने के बाद पिछले साल के केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गई थी कि सरकार ऐसे आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को अपने अधिकार में लेने के लिये जल्द ही एक कानून लाएगी।
- हाल ही में **12,000** करोड़ रुपए से अधिक के नीरव मोदी-**PNB** घोटाले के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, **2018** को संसद के समक्ष रखने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है।
- इस विधेयक में भारतीय न्यायालयों के कार्यक्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानूनी प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये कड़े उपाय शामिल किये गए हैं।

पृष्ठभूमि

- आर्थिक अपराधियों के ऐसे अनेक मामले घटित हुए हैं, जब आपराधिक मामलों के शुरुआत की संभावना के चलते अथवा आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ही आर्थिक अपराधी भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से भाग जाते हैं।
- भारतीय न्यायालयों में ऐसे अपराधियों की अनुपस्थिति के कारण अनेक विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे- प्रथमत: इससे आपराधिक मामलों की जाँच रुक सी जाती है। दूसरे, इससे न्यायालयों का मूल्यवान समय बर्बाद होता है और तीसरा, इससे भारत में विधि के शासन का अवमूल्यन होता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसके अलावा आर्थिक अपराध के अधिकांश मामलों में बैंक ऋणों की गैर-अदायगी शामिल होती है, जिससे भारत के बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति बदतर हो जाती है।
- इस समस्या की गंभीरता से निपटने के लिये कानून में मौजूदा सिविल और आपराधिक प्रावधान अपर्याप्त हैं।
- अतएव ऐसे आर्थिक अपराधों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी, त्वरित और संवैधानिक दृष्टि से मान्य प्रावधानों का होना आवश्यक है।
- यहाँ उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में गैर-दोषसिद्धि आधारित संपत्ति को ज़ब्त करने का प्रावधान भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा अनुसमर्थित है, जिसकी भारत ने **2011** में ही अभिपुष्टि कर दी थी।
- विधेयक में इसी सिद्धांत को स्वीकार किया गया है।
- हाल ही में ऐसे आर्थिक अपराधों की रोकथाम की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (**NFRA**) के गठन को मंज़ूरी दी गई है, जो कंपनियों में होने वाले लेखापरीक्षा संबंधी अनियमिताओं पर अंकुश लगाने के लिये ऑडिटर्स का विनियमन करेगा।

क्या है प्रस्तावित विधेयक?

- विधेयक का उद्देश्य क़ानूनी कार्रवाई से बचने के लिये देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना है।
- इस क़ानून के दायरे में कुल **100** करोड़ रुपए अथवा अधिक मूल्य के आर्थिक अपराध आएंगे।
- आर्थिक अपराध, वे अपराध हैं, जो भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, सेबी अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, कंपनी अधिनियम, सीमित देयता भागीदारी अधिनियम और दिवाला तथा दिवालियापन संहिता के तहत परिभाषित किये गए हैं।

कौन है भगोड़ा आर्थिक अपराधी?

- कानून की धारा **4** के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जिसके खिलाफ भारत में किसी भी अदालत द्वारा अनुसूचित अपराध के संबंध में गिरफ्तारी के लिये वारंट जारी किया गया है, एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी है, जो आपराधिक मुकदमे से बचने के लिये भारत छोड़ देता है या छोड़ चुका है अथवा आपराधिक मुकदमों का सामना करने के लिये भारत लौटने से मना कर देता है।
- विधेयक के अंतर्गत **100** करोड़ रुपए अथवा अधिक मूल्य के भगोड़ा आर्थिक अपराधियों की संपत्ति ज़ब्त करने का प्रावधान है।

विधेयक की मुख्य-मुख्य बातें

- किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन करना।
- इस आवेदन में किसी व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी मानने के कारण, वर्तमान में वह कहाँ हो सकता है, इसकी कोई उपलब्ध सूचना, संबंधित संपत्ति और इस संपत्ति से जुड़े सभी लोगों की जानकारी का उल्लेख होना चाहिये।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- भगोड़ा आर्थिक अपराधी के रूप में घोषित व्यक्ति की संपत्ति को ज़ब्त करना और अधिनियम के अंतर्गत ज़ब्त की गई संपत्ति के प्रबंधन व निपटान के लिये एक प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी।
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी होने के आरोपित व्यक्ति को विशेष न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करना।
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित व्यक्ति की अपराध के फलस्वरूप कमाई गई संपत्ति को ज़ब्त करना।
- ऐसे अपराधी की बेनामी संपत्ति सहित भारत और विदेशों में मौज़ूद अन्य संपत्तियों को ज़ब्त करना
- भगौड़े आर्थिक अपराधी को किसी सिविल दावे का बचाव करने से अपात्र बनाना।
- हालाँकि ऐसे मामले में, जहाँ किसी व्यक्ति के भगोड़ा घोषित होने के पूर्व किसी भी समय कार्यवाही की प्रक्रिया के दौरान आर्थिक अपराधी भारत लौट आता है और सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश होता है, तो उस स्थिति में प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत क़ानूनी कार्यवाही रोक दी जाएगी।
- सभी आवश्यक संवैधानिक रक्षा उपाय जैसे अधिवक्ता के माध्यम से व्यक्ति को सुनवाई का अवसर, उत्तर दाखिल करने के लिये समय प्रदान करना, उसे भारत अथवा विदेश में समन भिजवाना तथा उच्च न्यायालय में अपील करने जैसे प्रावधान शामिल किये गए हैं।

प्रभाव

- इस विधेयक से भगोड़ा आर्थिक अपराधियों के संबंध में विधि के शासन की पुनर्स्थापना होने की आशा है, क्योंकि इससे उन्हें सूचीबद्ध अपराधों संबंधी मुक़दमे का सामना करने हेतु भारत वापस आने के लिये बाध्य किया जाएगा।
- इससे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को इस तरह के भगोड़ा आर्थिक अपराधियों के वित्तीय बकाया की उच्च वसूली करने में मदद मिलेगी, जिससे इन संस्थानों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
- यह आशा की जाती है कि भारत और विदेशों में भगौड़े अपराधियों की संपत्तियों को तेज़ी से ज़ब्त करने, उन्हें भारत लौटने और सूचीबद्ध अपराधों के संबंध में कानून का सामना करने के लिये बाध्य कर भारतीय न्यायालयों के समक्ष पक्ष रखने के लिये एक विशेष तंत्र का सृजन किया जा सकेगा।

सेवाओं में चैंपियन क्षेत्रों के लिये कार्य योजना को मंज़ूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 निर्धारित चैंपियन सेवा क्षेत्रों के संवर्द्धन और इनमें निहित संभावनाओं को साकार करने के उद्देश्य पर केंद्रित वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कौन-कौनसी सेवाएँ चैंपियन सेवा के अंतर्गत शामिल की गई हैं?

1. सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएँ
2. पर्यटन और आतिथ्य सेवाएँ
3. चिकित्सा मूल्यांकन भ्रमण
4. परिवहन और लॉजिस्टिक सेवाएँ
5. लेखा और वित्त सेवाएँ
6. दृश्य-श्रव्य सेवाएँ
7. कानूनी सेवाएँ
8. संचार सेवाएँ
9. निर्माण और उससे संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएँ
10. पर्यावरण सेवाएँ
11. वित्तीय सेवाएँ
12. शिक्षा सेवाएँ

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पृष्ठभूमि

- सचिवों के समूह ने प्रधानमंत्री को भेजी गई अपनी सिफारिशों में **10** चैंपियन क्षेत्र निर्धारित किये। इनमें सात निर्माण संबंधी क्षेत्र और तीन सेवा क्षेत्र हैं।
- चैंपियन क्षेत्रों के संवर्द्धन और उनकी सामर्थ्य को हासिल करने के लिये यह निर्णय लिया गया कि 'मेक इन इंडिया' की नोडल एजेंसी औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग (**DIPP**) निर्माण में चैंपियन क्षेत्रों की पहल में प्रमुख भूमिका निभाएगा और वाणिज्य विभाग सेवाओं में चैंपियन क्षेत्रों के लिये प्रस्तावित पहल के साथ समन्वय कायम करेगा।

प्रमुख बिंदु

- इन क्षेत्रों से संबद्ध मंत्रालयों/विभागों को यह भी निर्देश दिया गया है कि निर्धारित चैंपियन सेवा क्षेत्रों के लिये कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने और उनके कार्यान्वयन के लिये उपलब्ध क्षेत्रीय मसौदा योजनाओं का उपयोग किया जाए।
- संबद्ध मंत्रालयों/विभागों को कार्य योजना को अंतिम रूप देना होगा और कैबिनेट सचिव के अंतर्गत सचिवों की समिति की संपूर्ण देख-रेख में कार्यान्वयन की निगरानी के लिये एक निगरानी तंत्र की स्थापना के साथ ही कार्यान्वयन हेतु समय सीमा भी निर्धारित की जाएगी।
- चैंपियन क्षेत्रों की क्षेत्रीय कार्य योजनाओं की पहलों को सहायता देने के लिये **5000** करोड़ रुपए का एक समर्पित कोष स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

पहल का लक्ष्य

- भारत के सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी वैश्विक सेवाओं के निर्यात में **2015** में **3.3%** थी, जबकि **2014** में यह **3.1%** थी। इस पहल के आधार पर **2022** के लिये **4.2%** का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- सकल मूल्यवर्द्धन (जीवीए) में सेवाओं की हिस्सेदारी **2015-16** (निर्माण सेवाओं सहित **61%**) में भारत के लिये करीब **53%** थी।
- जीवीए में सेवाओं की हिस्सेदारी **2022** तक **60%** (निर्माण सेवाओं सहित **67 %**) हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस पहल का प्रभाव

- इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के ज़रिये भारत के सेवा क्षेत्रों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ेगी, जिससे जीडीपी दर बढ़ेगी, अधिक नौकरियाँ सृजित होंगी और वैश्विक बाज़ारों के लिये निर्यात बढ़ेगा।

लाभ

- चूँकि सेवा क्षेत्र भारत के जीडीपी, निर्यात और रोज़गार सृजन और बढ़ी हुई उत्पादकता में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। चैंपियन सेवा क्षेत्रों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता से भारत की विभिन्न सेवाओं का निर्यात बढ़ेगा।
- सन्निहित सेवाएँ वस्तुओं का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। अत: प्रतिस्पर्द्धात्मकक सेवा क्षेत्र निर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धात्मकता से जुड़ जाएगा।
- वर्ष **2022** में भारत अपनी आज़ादी की **75**वीं वर्षगाँठ मनाएगा। संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार और कार्यान्वित कार्य योजनाओं से वर्ष **2022** में इन निर्धारित चैंपियन क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिये एक संकल्पना विकसित हो सकेगी और इस संकल्पना को हासिल करने के लिये उपयुक्त कदम उठाने की आवश्कता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

उर्वरक सब्सिडी के वितरण में DBT प्रणाली की भूमिका

- रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार सरकार सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में उर्वरक सब्सिडी देने के लिये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (**DBT**) प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है।
- सरकार की इस पहल का उद्देश्य सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना, रिसावों को रोकना तथा प्रशासनिक लागतों को कम करना है।

प्रमुख बिंदु

- डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत खुदरा उर्वरक विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के उर्वरकों पर उर्वरक कंपनियों को **100%** सब्सिडी जारी की जाती है।
- किसानों/खरीदारों को सभी प्रकार के उर्वरक सब्सिडी दर पर खुदरा दुकानों पर लगे प्वाइंट ऑफ सेल (**PoS**) उपकरण के माध्यम से दिये जा रहे हैं और लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि से की जा रही है।
- डीबीटी योजना लागू करने हेतु प्रत्येक खुदरा विक्रेता के यहाँ **PoS** उपकरण होना तथा **PoS** उपकरण संचालन के लिये खुदरा और थोक विक्रेताओं का प्रशिक्षण आवश्यक है।
- प्रमुख उर्वरक आपूर्तिकर्त्ताओं (**Lead Fertilizer Supplier-LFS**) ने देश भर में डीबीटी लागू करने के पहले **PoS** तैनाती के हिस्से के रूप में **4630** प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये हैं।
- **LFS** द्वारा आयोजित प्रारंभिक प्रशिक्षण सत्र के दौरान लगभग **1.8** लाख खुदरा विक्रेताओं को संवेदी बनाया गया है।

क्या है DBT?

- मूल रूप से यह योजना उस धन का दुरुपयोग रोकने के लिये है, जिसे किसी भी सरकारी योजना के लाभार्थी तक पहुँचने से पहले ही बिचौलिये तथा अन्य भ्रष्टाचारी हड़पने की जुगत में रहते हैं।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से जुड़ी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी बिचौलिये का कोई काम नहीं है और यह योजना सरकार तथा लाभार्थियों के बीच सीधे चलाई जा रही है।
- इस योजना के तहत केंद्र सरकार लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में कर देती है। लाभार्थियों को यह भुगतान उनके आधार कार्ड के ज़रिये किया जा रहा है।

उर्वरक क्षेत्र में DBT क्रियान्वयन के समक्ष चुनौतियाँ

- वर्तमान में **LPG** की तरह उर्वरक क्षेत्र में लाभार्थियों को सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि लाभार्थियों और उनके अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं।
- सब्सिडी वाले विभिन्न उत्पाद, यूरिया, फास्फेटिक तथा पोटाश वाले **21** प्रकार के उर्वरकों की सब्सिडी दरें अलग-अलग हैं।
- विभिन्न उत्पादन प्रक्रिया, संयंत्रों की ऊर्जा सक्षमता, सफलता आदि के कारण यूरिया के मामले में सब्सिडी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अलग होती है। कुछ उर्वरकों विशेषकर यूरिया में न्यूनतम खुदरा मूल्य से दोगुनी सब्सिडी होती है।
- इस विषय पर गहराई से विश्लेषण के लिये नीति आयोग ने हाल में एक समिति बनाई है, जो एक मॉडल की सिफारिश करेगी, जिसका इस्तेमाल किसानों को सब्सिडी के प्रत्यक्ष अंतरण में किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production-IIP)

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (**IIP**) एक ऐसा सूचकांक है, जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे-खनन, विद्युत, विनिर्माण आदि के लिये संवृद्धि (**growth**) का विवरण प्रस्तुत करता है।
- **14** स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर आईआईपी का आकलन किया जाता है। इन एजेंसियों में औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उर्वरक विभाग को शामिल किया जाता है।
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (**CSO**) द्वारा जारी किया जाने वाला यह सूचकांक किसी चयनित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की एक बास्केट के उत्पादन की मात्रा में अल्पावधि में होने वाले परिवर्तनों का मापन करता है।
- **CSO** ने अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को ग्रहण करने वाले सूचकांकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिये **IIP** एवं **WPI (Wholsale Price Index)** हेतु आधार वर्ष को **2004-05** के बदले **2011-12** कर दिया।

थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index)

- इसमें मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्यों पर की जाती है अर्थात् जो सामान थोक में बेचा जाता है और साथ ही इसमें उपभोक्ताओं की बजाय संगठनों के बीच कारोबार होता है।
- भारत में मुद्रास्फीति की गणना के लिये इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति ज्ञात करने की यह एक आसान विधि है।
- इसमें मुद्रास्फीति की दर वर्ष के शुरुआत और अंत में गणना की गई थोक मूल्य सूचकांक के अंतर से निकाली जाती है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (**Consumer Price Index-CPI**)
- उपभोक्ता कीमत सूचकांक किसी अर्थव्यवस्था के उपभोग व्यय का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में परिवर्तन का आकलन करने वाली व्यापक माप को उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहा जाता है।
- इसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें खुदरा मूल्य पर ली जाती हैं।
- इसका आधार वर्ष **2011-12** है। इसे मासिक आधार पर ज़ारी किया जाता है।

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (Consumer Food Price Index-CFPI)

- उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (**CFPI**) को देश की आबादी द्वारा उपभोग किये गए खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्यों में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है।
- **CFPI** के तहत ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय आधार पर खाद्य मूल्य स्तर में आने वाले परिवर्तन की जानकारी दी जाती है।
- **CFPI** का आधार वर्ष **2012** है।

WPI एवं CPI में क्या अंतर है?

- थोक मूल्य सूचकांक (**WPI**) का उपयोग थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाने के लिये किया जाता है।
- अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापना या उनका पता लगाना वास्तव में असंभव है। इसलिये थोक मूल्य सूचकांक में एक नमूने को लेकर मुद्रास्फीति को मापा जाता है।
- इसके पश्चात् एक आधार वर्ष तय किया जाता है, जिसके सापेक्ष वर्तमान मुद्रास्फीति को मापा जाता है।
- भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर महँगाई की गणना की जाती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (**CPI**) में मुद्रास्फीति की माप खुदरा स्तर पर की जाती है, जिसमें उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं।
- यह पद्धति आम उपभोक्ता पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेहतर तरीके से मापती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

20:80 गोल्ड स्कीम?

- वर्ष **2012-13** में सोने के आयात में वृद्धि से चालू खाता घाटा उच्च स्तर (**GDP** का **4.7%**) पर बना हुआ था।
- इस स्थिति से निपटने के लिये अनेक कदम उठाए गए। इन कदमों में स्वर्ण तथा स्वर्ण उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाना और सोने के आयात पर प्रतिबंध लगाना शामिल था।
- इसी क्रम में सरकार ने **20:80** योजना लागू की, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि आयातित सोने के कम-से-कम **20%** सोने का उपयोग निर्यात के लिये किया जाएगा और **80%** सोने का उपयोग घरेलू उपभोग के लिये किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत **20:80** फार्मूला का अनुसरण करते हुए घरेलू उपयोग के लिये केवल बैंकों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को स्वर्ण आयात की अनुमति दी गई।
- योजना इस तरह बनाई गई थी, ताकि सोने के आयात पर प्रतिबंध लगे, निर्यात दायित्वों को लगाकर विदेशी मुद्रा संरक्षित की जा सके और सार्वजनिक एजेंसियों से सोने की खरीद और बिक्री पर प्रीमियम सुनिश्चित किया जा सके।

बॉण्ड की कीमतों में हेर-फेर को रोकने के लिये रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकन पद्धति में बदलाव

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रतिभूतियों, विशेषकर सरकारी प्रतिभूतियों की कीमतों में हेर-फेर की संभाव्यता को रोकने के लिये बैंकों और प्राथमिक डीलरों सहित ऋण बाज़ार के प्रतिभागियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मूल्यांकन पद्धति में बदलाव किया है, जो कि पूर्व में एक तिमाही के अंतिम कारोबारी दिवस को की जाती थी।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार प्रतिभूतियों या बॉण्ड का मूल्यांकन पहले के अंतिम व्यापार मूल्य की बजाय अब प्रत्येक तिमाही के अंतिम कारोबारी दिवस के अंतिम आधे घंटे की भारित औसत कीमतों पर आधारित होगा।
- इस पद्धति का संबंध इस बात से है कि कैसे बॉण्ड की कीमतें मार्क-टू–मार्केट उद्देश्य के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। मार्क-टू-मार्केट यह अपरिहार्य बनाता है कि किसी प्रतिभूति की कीमत या मूल्य को उसके बही मूल्य की बजाय उसके वर्तमान बाज़ार मूल्य पर दर्ज किया जाए।
- इस नई प्रणाली को अपनाए जाने से प्रतिभूतियों और बॉण्ड के मूल्य निर्धारण में और अधिक पारदर्शिता आएगी।

बैंकों के निवेश की तीन श्रेणियाँ

- बैंक अपनी प्रतिभूतियों में निवेश को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं –परिपक्वता के लिये रखना (**HTM**), बिक्री के लिये उपलब्ध (**AFS**) और व्यापार के लिये रखना (**HFT**)।
- **HTM** श्रेणी में किये गए निवेश के लिये मार्क-टू–मार्केट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे परिपक्वता तक के लिये रखे गए होते हैं।
- **AFS** श्रेणी के निवेश तिमाही अथवा और भी थोड़े-थोड़े अंतरालों पर मार्क-टू–मार्केट होते हैं। यदि कोई बैंक प्रतिभूतियों को परिपक्वता से पहले बेचने की मंशा रखता है तो वे प्रतिभूतियाँ **AFS** श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत होती हैं। इसमें निवल मूल्यह्रास (यदि कोई है) तो प्रदान किया जाता है, जबकि निवल अधिमूल्यन (यदि कोई है) तो उसे छोड़ दिया जाता है।
- **HFT** श्रेणी के निवेश को, निवेश करने के **90** दिनों के भीतर बेचना होता है और ये निवेश मासिक या और अधिक थोड़े-थोड़े अंतरालों पर मार्क-टू–मार्केट होते हैं, साथ ही इन्हें उसी तरह प्रदान किया जाता है, जैसे कि **AFS** श्रेणी के निवेश को।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सी-कॉर्पोरेशन के गठन को मंज़ूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अमेरिका में टेलिकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (Telecommunications Consultants India Ltd.-TCIL) के शत-प्रतिशत मालिकाना हक वाले सी-कॉर्पोरेशन (C Corporation) के गठन को मंज़ूरी दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिका के टेक्सास राज्य में टेलिकम्यूनिकेशन्स कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के सी-कॉर्पोरेशन का गठन किया जाएगा, जिसे अमेरिका के अन्य राज्यों में व्यापार करने के लिये पंजीकरण करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- सी-कॉर्पोरेशन में टीसीआईएल का **100** प्रतिशत प्रतिभूति निवेश पाँच मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर होगा। यह धनराशि भारतीय मुद्रा में विदेशी मुद्रा विनिमय दर **67.68** रुपए के आधार पर कुल **33.84** करोड़ रुपए होगी। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
- टीसीआईएल की काउंटर गारंटी पाँच मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर होगी जो ऋण/सुविधा/विक्रेता सहित बोली संबंधी बॉण्ड/अग्रिम/कामकाजी गारंटी इत्यादि के संबंध में है। अमेरिका में परियोजनाओं के संचालन के लिये यह प्रक्रिया आवश्यक होती है।
- सी-कॉर्पोरेशन देश के लिये बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का अर्जन करेगा और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम टीसीआईएल के लाभ में बढ़ोतरी करेगा।
- अमेरिका में परियोजनाओं के संचालन के संबंध में सी-कॉर्पोरेशन का गठन अमेरिका के टेक्सास राज्य में किया गया है।
- नव-स्थापित सी-कॉर्पोरेशन एक आकलन के अनुसार, आरंभिक वर्षों में लगभग **10** प्रतिशत लाभ कमाएगा और उसका कारोबार **10** मिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। काम के परिमाण के अनुसार उसका कारोबार बढ़ने की संभावना है।
- अमेरिका में सी-कॉर्पोरेशन के गठन से टीसीआईएल को अपना व्यापार/कारोबार/लाभ का विस्तार करने में सहायता होगी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते सरकार को अधिक लाभांश प्राप्त होगा।
- टीसीआईएल अपने अंदरूनी संसाधनों से प्रतिभूति के रूप में कुल पाँच मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा।
- इसके अलावा, अमेरिका में व्यापार का विस्तार करने तथा बोली, बॉण्ड/अग्रिम भुगतान गारंटी/सरकारी प्राधिकार को कारोबार बैंक गारंटी सुनिश्चित करने के लिये लगभग पाँच मिलियन अमेरिकी डॉलर की काउंटर गारंटी सी-कॉर्पोरेशन की तरफ से देनी होगी। इस समय सरकार के ऊपर कोई वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं है।

टीसीआईएल क्या है?

- टीसीआईएल एक अग्रणी आईएसओ- **9001: 2008** और आईएसओ **14001: 2004** प्रमाणित, अनुसूची- ए, मिनी रत्न वर्ग-**1, 100** प्रतिशत स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
- वर्तमान में यह कंपनी दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में **70** से अधिक देशों में परियोजनाओं को संचालित कर रही है।
- यह कंपनी दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और असैन्य संरचना के क्षेत्र में परामर्श प्रदान करती है तथा अवधारणा से पूरा होने तक परियोजना सेवाएँ मुहैया कराती है।
- कंपनी की समेकित पूंजी **31-03-2017** को **2433.66** करोड़ रुपए थी। कंपनी की अपनी पूंजी **588.92** करोड़ रुपए थी। कंपनी ने **31-03-2017** तक सरकार को कुल **192.99** करोड़ रुपए का लाभांश प्रदान/घोषित किया है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु

- अमेरिका में उच्च क्षमता के ब्रॉडबैंड इंटरनेट और हर शहर में केबल टेलीविज़न उपलब्ध कराने के लिये 'गूगल फाइबर' कार्यरत है, जो गूगल की 'फाइबर-टू-दी-प्रेमाइसेस प्रोजेक्ट' **(fiber-to-the-Premises Project)** का हिस्सा है।
- मेसर्स गूगल ने अपने तकनीकी साझेदार के तौर पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को चुना है। इनमें मेसर्स एरिक्सन, मेसर्स मास्टेक, मेसर्स एटीएंडटी, मेसर्स जोया इत्यादि शामिल हैं। इन कंपनियों ने विभिन्न गतिविधियों के लिये कई अन्य कंपनियों को आगे ठेके दे दिये हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- मेसर्स टेलीटेक ऐसी ही एक कंपनी है, जिसने ऑस्टिन (टेक्सास) और सैन होसे (कैलिफोर्निया) में नेटवर्क लगाने के लिये मेसर्स मास्टेक ओर मेसर्स एरिक्सन के साथ सेवा समझौता किया है।
- मेसर्स टेलीटेक ने तीन परियोजनाओं के तकनीकी-वाणिज्यिक तथा साजो-सामान मुहैया कराने के लिये टीसीआईएल से संपर्क किया है।
- विदेशी कंपनी होने के नाते टीसीआईएल को सी-कॉर्पोरेशन का गठन करना आवश्यक है, जिसे एक अलग करदाता कंपनी के रूप में मान्य किया जा सके।
- इस कदम से श्रम-शक्ति संसाधन उपलब्ध कराने के लिये टीसीआईएल को एल-1 वीज़ा प्राप्त करने में सहायता होगी।

ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2017

ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) विधेयक [Payment of Gratuity (Amendment) Bill], 2018 को संसद में पारित किया गया। विधेयक के पारित होने के साथ ही निजी क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकार के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त संगठनों के उन कर्मचारियों के बीच ग्रेच्युटी को लेकर समानता हो गई, जो सी.सी.एस. (पेंशन) नियम के तहत नहीं आते हैं।

- ध्यातव्य है कि यह सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं है।

प्रमुख बिंदु

- ऐसे कर्मचारी भी अपने समक्ष सरकारी कर्मचारियों की तरह ग्रेच्युटी की उच्चतम राशि पाने के हकदार हो जाएंगे। यह विधेयक आज राज्यसभा में पारित कर दिया गया जबकि लोकसभा में इसे **15** मार्च, **2018** को ही पारित कर दिया गया था।
- उन प्रतिष्ठानों में लागू होता है, जिनमें **10** या उससे अधिक लोग काम करते हैं।
- इस अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद, चाहे सेवानिवृत्ति की नियमावली के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति हुई हो अथवा शरीर के महत्त्वपूर्ण अंगों के नाकाम होने से उत्पन्न हुई शारीरिक विकलांगता के कारण हुई हो, सभी पक्षों में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- इसलिये ग्रेच्युटी भुगतान कानून, **1972** उद्योगों, फैक्ट्रियों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लोगों को उनकी मजदूरी दिलाने का एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कानून है।
- इस कानून के तहत वर्तमान में ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि **10** लाख रुपए है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, **1972** के तहत केंद्र के सरकारी कर्मचारियों के लिये भी ग्रेच्युटी के संदर्भ में यही प्रावधान है।
- ध्यातव्य है कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने से पहले सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, **1972** के अधीन अधिकतम उपादान सीमा राशि **10** लाख रुपए थी।
- हालाँकि, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के मामले में **1** जनवरी, **2016** से उपादान राशि की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर **20** लाख रुपए कर दिया गया है।
- यही कारण है कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में भी महँगाई और वेतन वृद्धि के संबंध में सरकार द्वारा यह विचार किया गया कि ग्रेच्युटी भुगतान कानून, **1972** के अधीन शामिल कर्मचारियों के लिये भी उपादान की पात्रता में संशोधन किया जाना चाहिये। संभवतः इसीलिये सरकार द्वारा ग्रेच्युटी भुगतान कानून, **1972** में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई।
- तद्नुसार, ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित होने वाली राशि के हिसाब से बढ़ाने के लिये सरकार ने ग्रेच्युटी भुगतान कानून, **1972** में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की।
- इसके अलावा, विधेयक में महिला कर्मचारियों के मामले में ग्रेच्युटी के लिये निरंतर सेवा की गणना से संबंधित प्रावधान में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें मातृत्व अवकाश के मामले में **12** सप्ताह से लेकर केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अवधि तक की छुट्टी शामिल है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- अधिनियम के अंतर्गत महिला कर्मचारियों को उपलब्ध मातृत्व अवकाश की अधिकतम अवधि **12** हफ्ते का मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम**, 2017** के अनुसार **26** हफ्ते कर दिया जाए।
- अधिनियम के कानून बनने के बाद ग्रेच्युटी भुगतान कानून**, 1972** के तहत ग्रेच्युटी की राशि की सीमा अधिसूचित करने की शक्ति केंद्र सरकार को दे दी, जाएगी ताकि वेतन में वृद्धि**,** मुद्रास्फीति और भविष्य में वेतन आयोगों को देखते हुए समय-समय पर ग्रेच्युटी की सीमा को संशोधित किया जा सके।
- अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी को चुकाई जाने वाली ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि **10** लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती है। अधिनियम इस प्रावधान में संशोधन करता है कि इस सीमा को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

ग्रेच्युटी भुगतान विधेयक, 1972 (Payment of Gratuity Act) 1972

- ध्यातव्य है कि ग्रेच्युटी भुगतान कानून**, 1972** दस अथवा दस से अधिक लोगों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है।
- वस्तुतः ग्रेच्युटी भुगतान कानून**, 1972** किसी भी प्रतिष्ठान**,** उद्योग**,** कारखाने**,** खान**,** तेल शोध**,** बागान**,** बंदरगाह**,** रेलवे**,** कंपनी या **10** से अधिक व्यक्तियों को काम पर रखने वाली दुकानों के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के भुगतान की अनुमति देता है।
- अगर कर्मचारियों ने सेवा समाप्ति के समय तक कम-से-कम पाँच वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान की है तो उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।
- ग्रेच्युटी के संबंध में सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली (**Central Civil Services (Pension) Rules), 1972** के अधीन केंद्रीय कर्मचारियों के लिये भी समान प्रावधान सुनिश्चित किये गए हैं।

समेकित सिल्क विकास योजना : सिल्क उत्पादन में वृद्धि हेतु एक नया कदम

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा 2017-18 से 2019-20 तक आगामी तीन वर्षों के लिये केंद्रीय क्षेत्र की 'समेकित सिल्क उद्योग विकास योजना' को मंज़ूरी दी गई है।

इस योजना के निम्नलिखित चार भाग हैं:

1. अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और सूचना प्रौद्योगिकी पहल।
2. अंडा संरचना और किसान विस्तार केंद्र।
3. बीज, धागे और रेशम उत्पादों के लिये समन्वय और बाज़ार का विकास।
4. रेशम परीक्षण सुविधाओं, खेत आधारित और कच्चे रेशम के कोवे के बाद टेक्नोलॉजी उन्नयन तथा निर्यात ब्रॉण्ड का संवर्द्धन करने की श्रृंखला के अलावा गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली।

इसकी वित्तीय व्यय व्यवस्था क्या होगी?

वर्ष 2017-18 से 2019-20 के तीन वर्षों में योजना के कार्यान्वयन के लिये 2161.68 करोड़ रुपए के कुल आवंटन को मंज़ूरी दी गई है। मंत्रालय द्वारा केंद्रीय रेशम बोर्ड के ज़रिये योजना को लागू किया जाएगा।

इस योजना का प्रभाव क्या होगा?

- इस योजना से निम्नलिखित प्रक्रियाओं के साथ रेशम के उत्पादन में **2016-17** के **30348** मीट्रिक टन से बढ़कर **2019-20** की समाप्ति तक **38500** मीट्रिक टन होने की संभावना व्यक्त की गई है :
  - ✓ वर्ष 2020 तक आयात के विकल्प के रूप में प्रतिवर्ष 8,500 मीट्रिक टन बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ✓ वर्ष 2019-20 की समाप्ति तक रेशम का उत्पादन वर्तमान 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के स्तर से 111 किलोग्राम के स्तर तक लाने के लिये अनुसंधान और विकास।
- ✓ बाज़ार की मांग को पूरा करने के लिये गुणवत्तापूर्ण रेशम के उत्पादन संबंधी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नत रीलिंग मशीनों (शहतूत के लिये स्वचालित रीलिंग मशीन; बेहतर रीलिंग/कताई मशीनरी और वन्य रेशम के लिये बुनियादी रीलिंग मशीनें) का बड़े पैमाने पर प्रसार।

- इस योजना से महिला अधिकारिता को बढ़ावा मिलेगा और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों को आजीविका के अवसर मिलेंगे।
- इस योजना से **2020** तक तकरीबन **85** लाख से **1** करोड़ लोगों के लिये लाभकर रोज़गार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

पूर्व की योजना से तुलना करने पर

इस योजना में पूर्व की योजना के मुकाबले निम्नलिखित सुधार किये गए हैं :

- इस योजना का उद्देश्य **2022** तक रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इस लक्ष्य को हासिल कर लेने पर वर्ष **2022** तक भारत में उच्च कोटि के रेशम का उत्पादन **20,650** मीट्रिक टन तक पहुँचने की संभावना है, जो वर्तमान में **11,326** मीट्रिक टन है। इससे एक लाभ यह होगा कि इससे आयात घटकर शून्य हो जाएगा।
- पहली बार उच्च श्रेणी की गुणवत्ता वाले रेशम के उत्पादन में सुधार करने के पक्ष पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।
- इस योजना के कार्यान्वयन की रणनीति स्पष्ट रूप से ग्रामीण विकास की मनरेगा, आरकेवीवाई (**Rashtriya Krishi Vikas Yojana**) और कृषि मंत्रालय की पीएमकेएसवाई (**Prime Minister Krishi Sinchayee Yojana**) जैसी अन्य योजनाओं के साथ राज्य स्तर की योजनाओं के मिलन पर आधारित है।
- बीमारी प्रतिरोधी रेशम के कीड़े, जीवधारी पौधे में सुधार, उत्पादकता बढ़ाने संबंधी साधनों, रीलिंग और कताई के लिये सामग्री आदि से जुड़ी अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं का कार्य मंत्रालयों अर्थात् विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि और मानव संसाधन विकास मंत्रालयों के सहयोग से किया जाएगा।

योजना का उद्देश्य क्या है?

- योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुसंधान और विकास के ज़रिये रेशम की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाना है।
- इस संबंध में अनुसंधान और विकास का मुख्य ज़ोर उन्नत क्रॉसब्रीड रेशम और आयात के विकल्प के रूप में बाइवोल्टाइन रेशम को बढ़ावा देना है, ताकि भारत में बाइवोल्टाइन रेशम का उत्पादन इस स्तर तक बढ़ाया जा सके कि **2022** तक कच्चे रेशम का आयात नगण्य हो जाए और भारत रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भर हो।

प्रमुख विशेषताएँ

- अनुसंधान और विकास में उन्नत किस्मों के विकास के ज़रिये प्रजाति में सुधार और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनों, जैसे- आईआईटी, सीएसआईआर, भारतीय विज्ञान संस्थान एवं जापान, चीन, बल्गारिया आदि में रेशम उत्पादन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर अनुसंधान के माध्यम से बीमारी प्रतिरोधी रेशम कीट पालन में सुधार; कच्चे रेशम के कोवे से पूर्व और कोवे के बाद के क्षेत्रों में तकनीकी सुधार पर विशेष बल दिया जा रहा है।
- इसके अंतर्गत तकनीकी सुधार और सस्ते मशीनीकरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।
- रेशम के कीड़ों के उप-उत्पादों (प्यूपा), कॉस्मेटिक में इस्तेमाल के लिये सेरिसिन और बिना बुने वस्त्रों, रेशम डेनिम, रेशम निट आदि के विविधीकरण पर वर्द्धित मूल्य वसूली के लिये भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।
- अंडा क्षेत्र के अंतर्गत अंडा उत्पादन इकाइयों को मज़बूत बनाया जाएगा, ताकि बढ़े हुए रेशम उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिये उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के अलावा उत्पादन नेटवर्क में गुणवत्तापूर्ण मानकों को स्थापित किया जा सके।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- गुणवत्तापूर्ण अंडा ककूनों के उत्पादन के लिये चौकी कीटों के उत्पादन तथा आपूर्ति के लिये इनक्यूबेशन की सुविधाओं के साथ चौकी रियरिंग केंद्रों और गुणवत्तापूर्ण अंडों के लिये निजी ग्रेनियरों के लिये सहायता भी प्रदान की जाएगी।
- अन्य प्रयासों में नए शीत-भंडारण स्थापित करना, मोबाइल डिसइंफेक्शन इकाइयाँ प्रदान करना और मशीनीकरण के लिये उपकरण सहायता शामिल है।
- सीड कानून के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया और अंडा उत्पादन केंद्रों द्वारा रिपोर्टिंग, मूलभूत सीड फार्म, विस्तार केंद्रों को वेब आधारित सॉफ्टवेयर विकसित कर स्वचालित बनाया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत सभी लाभान्वितों, रेशम पालकों, सीड उत्पादकों, चौकी रियररों को आधार से जोड़कर डीबीटी मोड में लाया जाएगा।
- शिकायतों के समय पर निवारण और सभी कार्यक्रमों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये एक हेल्पलाइन भी स्थापित की जाएगी।
- भारतीय रेशम के ब्राण्ड प्रमोशन को सिल्क मार्क द्वारा गुणवत्ता प्रमाणपत्र के ज़रिये न केवल घरेलू बाज़ार में बल्कि निर्यात बाज़ार में भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
- रेशम के कीड़ों के अंडे, ककून एवं कच्चे रेशम को ककून परीक्षण केंद्र और रेशम परीक्षण केंद्रों की स्थापना कर बढ़ावा दिया जाएगा।
- उत्पाद और डिज़ाइन विकसित करने के लिये निफ्ट और एनआईडी के साथ सहयोग को मज़बूत करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जेनेरिक को बढ़ावा देने हेतु दवा लेबलिंग मानकों में बदलाव

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union health ministry) द्वारा दवाओं के लेबलिंग मानकों (labelling norms) में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। दवा कंपनियों (pharmaceutical companies) के लिये अब यह ज़रूरी होगा कि दवाओं के जेनेरिक नाम (generic name) को ब्रांड नाम की तुलना में 2 फॉन्ट बड़ा लिखा जाए।

जेनेरिक दवाएँ क्या होती हैं?

- किसी बीमारी के इलाज के लिये तमाम तरह के अनुसंधान और खोज के बाद एक रसायन (साल्ट) तैयार किया जाता है, जिसे आसानी से उपलब्ध करवाने के लिये दवा की शक्ल दे दी जाती है। इस सॉल्ट को हर कंपनी अलग-अलग नामों से बेचती है, कोई इसे महँगे दामों में बेचती है तो कोई सस्ते दामों में।
- लेकिन इस सॉल्ट का जेनेरिक नाम सॉल्ट के रासायनिक गुणों और संबंधित बीमारी का ध्यान रखते हुए एक विशेष समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि किसी भी सॉल्ट का जेनेरिक नाम पूरी दुनिया में एक ही रहता है।

क्यों सस्ती होती हैं जेनेरिक दवाएँ?

- ब्रांडेड दवाओं का मूल्य पेटेंट धारक कंपनी द्वारा ही तय किया जाता है, वहीं जेनेरिक दवाओं की कीमत निर्धारित करने में सरकार का हस्तक्षेप होता है। इसलिये जेनेरिक दवाओं की मनमुताबिक कीमतें निर्धारित नहीं की जा सकती हैं। अतः जेनेरिक दवाइयाँ हमेशा ब्रांडेड दवाइयों की अपेक्षा सस्ती ही होती हैं।
- वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन के अनुसार, यदि डॉक्टरों द्वारा मरीज़ों को जेनेरिक दवाओं को लेने का सुझाव (**Prescription**) दिया जाता है तो इससे विकसित देशों में स्वास्थ्य खर्च **70** फीसदी और विकासशील देशों में इससे भी कम हो सकता है।

नए नियमों की उपयोगिता क्या होगी?

- लेबलिंग मानकों में परिवर्तन को सरकार के जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। ये निर्णय **13** सितंबर से प्रभावी हो जाएंगे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- फॉन्ट के आकार में बदलाव संबंधी नियम सभी फॉम्युलेशन पर लागू होगा, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसमें विटामिनों के कंबिनेशन और 3 अणुओं (**three molecules**) से अधिक फिक्स्ड डोज़ कंबिनेशन (**fixed dose combinations**) वाली दवाओं को शामिल नहीं किया गया है।
- अधिसूचना के मुताबिक, इस तरह के विटामिन और फिक्स्ड डोज़ कंबिनेशन में ब्रांड नाम को नीचे की ओर कोष्ठक (**bracket**) में या जेनेरिक नाम के बाद लिखा जाएगा।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना

- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भारत सरकार के 'रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय' के अंतर्गत कार्यरत 'फार्मास्यूटिकल्स विभाग' द्वारा प्रारंभ की गई है।
- इसका उद्देश्य 'प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र' के माध्यम से देश की जनता को सस्ती एवं गुणवत्ता युक्त दवाइयाँ प्रदान करना है।
- इन जन औषधि केंद्रों को गुणवत्ता एवं प्रभावकारिता में महँगी ब्रांडेड दवाओं के समतुल्य जेनेरिक दवाइयों को कम कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिये स्थापित किया गया है।
- इस परियोजना का मूल उद्देश्य है- **"Quality Medicines at Affordable Prices for All".**

मसौदा औषधि नीति, 2017

- वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने पिछले साल के बजट भाषण में घोषणा की थी कि जेनेरिक दवाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार एक नियमावली लाएगी। सरकार ने दवा एवं सौंदर्य प्रसाधन नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया था, जिससे कि डॉक्टरों के लिये जेनेरिक दवाएँ लिखना अनिवार्य बनाया जा सके।
- मसौदा औषधि नीति, **2017** में भी एक तत्त्व वाली दवाओं को जेनेरिक नाम से दिये जाने का प्रस्ताव किया गया, लेकिन यह नीति कागज़ों में ही बनी हुई है।
- यह कवायद सरकार दवाओं को सस्ती बनाने के लिये कर रही है, जिसमें कम दाम की दवाओं की बिक्री के लिये जन औषधि केंद्र खोला जाना भी शामिल है।
- जेनेरिक दवाओं को लिखना अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव भी अभी अंतिम रूप नहीं ले सका है, लेकिन दवा क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि जेनेरिक दवाओं के नाम लिखने के नियम में बदलाव किये जाने से जेनेरिक नाम देखने में सुविधा होगी।
- इसके पहले भी एक नियम था कि जेनेरिक नाम अधिक विशिष्ट तरीके से लिखा जाना चाहिये और अब उस नियम की खामियों को दूर करने की कवायद की गई है, जिससे कि इसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।
- एक विशेषज्ञ के अनुसार, सरकार यह भी प्रस्ताव कर रही है कि हर केमिस्ट जेनेरिक दवाओं के लिये अलग शेल्फ रखे। दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने सिफारिश की है कि केमिस्ट जेनेरिक दवाओं के लिये अलग रैक रखें, जिससे दवाएँ ग्राहकों को नज़र आ सकें।

पूर्व में लिया गया निर्णय

- हाल ही में सरकार ने घोषणा की थी कि वह ऐसे नियम बनाएगी, जिससे डॉक्टर पर्ची पर केवल जेनेरिक दवाएँ ही लिख सकेंगे।
- गौरतलब है कि इस समय चिकित्सक, परामर्श पर्ची पर दवा के ब्रांड का नाम लिखते हैं, लेकिन भविष्य में वे केवल सॉल्ट का नाम लिखेंगे, जिससे यह होगा कि मरीज़ दवा की दुकान पर जाकर अपनी पसंद का ब्रांड चुन सकता है।
- सरकार के इस प्रयास का उद्देश्य आम आदमी के लिये दवाओं की सस्ती उपलब्धता तथा दवा कंपनियों और डॉक्टरों के गठजोड़ को खत्म करना है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

एंटी-डंपिंग एवं डंपिंग ड्यूटी

डंपिंग क्या है?

अर्थशास्त्र में 'डंपिंग' का तात्पर्य किसी भी प्रकार के अत्यधिक कम मूल्य निर्धारण से है। प्रायः यह शब्द अब केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के संदर्भ में ही प्रयोग किया जाता है, जहाँ डंपिंग की परिभाषा किसी देश के एक निर्माता द्वारा किसी उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या इसकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने के रूप में की जाती है।
विश्व व्यापार संगठन (WTO-World Trade Organisation) की स्वीकृति से जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड (GATT-General Agreement on Tariff & Trade) का अनुच्छेद VI देशों को डंपिंग के खिलाफ कार्रवाई करने का विकल्प चुनने की अनुमति देता है।

क्या है एंटी-डंपिंग ड्यूटी?

- यदि कोई देश, दूसरे देश में अपने उत्पादों को लागत से भी कम दाम पर बेचता है तो इसे डंपिंग कहा जाता है।
- विदेशों से आए सस्ते माल के सामने घरेलू उद्योगों का महँगा सामान बाज़ार में पिट जाता है, जिससे घरेलू उत्पादकों को घाटा उठाना पड़ता है।
- इसे रोकने के लिये यदि आयातक देश की सरकार, निर्यातक देश में उत्पाद की लागत और अपने यहाँ उत्पाद के मूल्य के अंतर के बराबर शुल्क लगा दे तो इसे ही डंपिंगरोधी शुल्क यानी एंटी-डंपिंग ड्यूटी कहा जाता है।

यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंज़ूरी

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने **12**वीं पंचवर्षीय योजना के बाद भी यूरिया सब्सिडी योजना को **2019-20** तक जारी रखने तथा इसकी अदायगी से संबधित उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।
- इस निर्णय द्वारा **1,64,935** करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से **2020** तक यूरिया की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी।

पृष्ठभूमि

- रसायन और उर्वरकों ने खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- निरंतर कृषि विकास और संतुलित पोषक प्रयोग सुनिश्चित करने हेतु यूरिया वैधानिक नियंत्रित मूल्य पर किसानों को उपलब्ध कराई जाती है।
- खेत तक पहुँचाए गए उर्वरक के मूल्य और किसान द्वारा भुगतान किये गए अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच का अंतर सरकार द्वारा उर्वरक निर्माताओं/आयातकों को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।
- वर्तमान में देश में **31** यूरिया निर्माण इकाइयाँ हैं, जिनमें से **28** यूरिया इकाइयाँ प्राकृतिक गैस (रसोई गैस/**LNG/CBM)** और शेष तीन इकाइयाँ नैप्था को फीडस्टॉक/ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं।

लाभ

- यूरिया सब्सिडी **1** अप्रैल, **2017** से प्रभावी उर्वरक विभाग की केंद्रीय योजना का हिस्सा है, जिसका सरकार बजटीय सहायता से पूरी तरह से वित्तीय प्रबंधन करती है।
- यूरिया सब्सिडी योजना जारी रहने से यूरिया उत्पादकों को समय पर सब्सिडी का भुगतान तथा किसानों को समय पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
- इसके अलावा सब्सिडी के रिसाव और गैर-कृषि अनुप्रयोगों की तरफ यूरिया के डाइवर्ज़न को रोकने के लिये पूरे देश में प्रत्यक्ष हस्तांतरण योजना (**DBT**) को लागू करने में भी सहायता मिलेगी।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

सब्सिडी का विस्तार

- इस यूरिया सब्सिडी में आयात किये जाने वाले यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी भी शामिल है। इसका उद्देश्य देश में यूरिया की निर्धारित मांग और उत्पादन के बीच की खाई को पाटना है।
- इसमें देश में यूरिया को लाने-ले जाने के लिये माल भाड़ा सब्सिडी भी शामिल है।

उर्वरक क्षेत्र संबंधित अन्य पहलें

- इससे पहले भारत सरकार द्वारा **2015** में **100%** नीम लेपित यूरिया के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया गया है।
- नीप लेपित यूरिया का एक लाभ यह भी हुआ है कि इससे सब्सिडी वाले यूरिया के गैर-कृषि संबंधी कामों में इस्तेमाल पर रोक लगी है।
- नीम लेपित यूरिया के बड़े फायदों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब इसे **45** किलोग्राम के बैग में उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।
- इससे किसानों के लिये उर्वरकों की लागत में काफी कमी आएगी।
- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से कराए गए अध्ययन में नीम लेपित यूरिया के निम्नलिखित लाभ पाए गए है-
  - ✓ मृदा की उर्वरता में वृद्धि।
  - ✓ फसलों के संरक्षण के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले रसायनों की लागत में कमी।
  - ✓ कीटों और रोगों के खतरों में कमी।
  - ✓ धान की उपज में 5.79 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
  - ✓ गन्ने की उपज में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि।
  - ✓ मकई की उपज में 7.14 प्रतिशत की वृद्धि।
  - ✓ सोयाबीन की उपज में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि।
  - ✓ तुअर दाल की उपज में 16.88 प्रतिशत की वृद्धि।
- सरकार ने यूरिया उत्पादन की घरेलू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिये **2015 में नई यूरिया नीति अधिसूचित** की थी।
- जिसका उद्देश्य यूरिया उत्पादन में बिजली की लागत घटाना तथा सरकार पर यूरिया सब्सिडी के बोझ को कम करना है।
- इस नीति की वजह से देश में **2015- 16** के दौरान रिकॉर्ड **245** लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन हुआ। इस अवधि में बिना किसी क्षमता विस्तार के **20** लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया का उत्पाद हुआ।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

रिडबर्ग पोलरॉन्स : पदार्थ की नई अवस्था

- भौतिकविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पदार्थ की एक नई अवस्था का विकास करने में सफलता हासिल की है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों के अनुसार दुर्बल बंध से निर्मित पदार्थ की इस अवस्था से अतिशीतित परमाणुओं की भौतिकी को समझने में सहायता मिलेगी।

क्या है पदार्थ की नई अवस्था?

- वैज्ञानिकों ने पदार्थ की इस नई अवस्था को 'रिडबर्ग पोलरॉन्स' **(Rydberg Polarons)** नाम दिया है। रिडबर्ग पोलरॉन्स में परमाणु एक कमज़ोर बंध द्वारा एक साथ जुड़े हुए होते है और इसे बहुत निम्न ताप पर ही बनाया जा सकता है।
- इसमें परमाणु तेज़ी से गतिशील रहते हैं और ताप बढ़ने पर ये दुर्बल बंध टूट जाते हैं।
- यदि इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक से इतनी दूरी पर चक्कर लगाए की इनके बीच की कक्षा में अन्य परमाणुओं को रखा जा सके और ये एक दुर्बल बंध से आपस में जुड़ जाएँ तो पदार्थ की इस नवीन अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है।

रिडबर्ग पोलरॉन का उपयोग

- इनका ब्रह्मांड विज्ञान अर्थात् कोस्मोलॉजी के लिये विशेष निहितार्थ है।
- ऐसा माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड एक रहस्यमय 'डार्क मैटर' से भरा हुआ है, जो दूसरे पदार्थों पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है।
- डार्क मैटर संबंधी कुछ सिद्धांतों का मानना है कि यह एक ब्रह्मांडीय बोस आइंस्टीन कंडेनसेट है, जो अभी तक अज्ञात प्रकार के कणों से निर्मित है।
- यदि हम वास्तव में एक अदृश्य व्यापक बोस आइंस्टीन कंडेनसेट में रह रहे हैं तो यह प्रयोग इसका पता लगाने में सहायक हो सकता है।

भारत यूरोप के उपग्रह डेटा साझाकरण समूह में शामिल

भारत पृथ्वी के अवलोकन उपग्रहों (Earth observation satellites), जिन्हें कॉपरनिकस (Copernicus) कहा जाता है, से डेटा साझा करने की यूरोप की मेगा वैश्विक व्यवस्था (Europe's mega global arrangement) में शामिल हो गया है।

इसका लाभ क्या होगा?

- अब जहाँ एक ओर भारतीय दूरसंचार संवेदन उपग्रहों **(Indian remote sensing satellites)** के एक बैंड से प्राप्त डेटा यूरोपीय कॉपरनिकस कार्यक्रम के लिये उपलब्ध होगा, वहीं नामित भारतीय संस्थागत उपयोगकर्त्ताओं को भी यूरोप के छह सेंटिनल उपग्रहों **(Europe's six Sentinel satellites)** और इस कार्यक्रम के सहभागी अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों से मुक्त डेटा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

इसका उपयोग क्या होगा?

यूरोपीय आयोग द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक निम्नलिखित के संदर्भ में अंतरिक्ष-आधारित सूचना का इस्तेमाल किया जाएगा:

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- आपदाओं के पूर्वानुमान, आपदाओं के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया और लोगों का बचाव।
- ज़मीनी एवं समुद्री आँकड़ों को इकट्ठा करने में।
- सुरक्षा, कृषि, जलवायु परिवर्तन तथा वायुमंडलीय मुद्दों के संदर्भ में।

'कॉपरनिकस कार्यक्रम' (Copernicus Programme) क्या है?

- यह आज की तारीख में पृथ्वी के अवलोकन (**Earth observation**) हेतु तैयार किया गया सबसे महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी की साझेदारी के साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता में चलाया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रबंधन में सुधार करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समझने और कम करने तथा नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये समय पर सटीक और सुलभ जानकारी उपलब्ध कराना है।
- इसे पहले **'Global Monitoring for Environment and Security (GMES)'** कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था।

प्रहरी उपग्रह अर्थात् सेंटिनल उपग्रह (Sentinel satellite)

- यह ई.एस.ए. (**ESA- European Space Agency**) द्वारा विकसित किया गया एक उपग्रह है, जिसका कार्य वायु की गुणवत्ता और जलवायु को प्रभावित करने वाली गैसों एवं एरोसोल के आँकड़ों को सही समय पर उपलब्ध कराना है।
- इसका विकास ई.एस.ए. द्वारा चलाए जा रहे सेंटिनल्स मिशन (**Sentinels mission**) के अंतर्गत किया गया है, जिसका उद्देश्य 'कॉपरनिकस कार्यक्रम' की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करना है।
- इस सेंटिनल्स मिशन के अंतर्गत सेंटिनेल-**1A** को अप्रैल **2014** में और सेंटिनल-**1B** को अप्रैल **2016** में लॉन्च किया गया था।
- ये उपग्रह सभी मौसम में (दिन और रात दोनों स्थितियों में) रडार के माध्यम से कई महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन कर रहे हैं।
- **23** जून, **2015** को सेंटिनल-**2A** लॉन्च किया गया। इसे हाई रिज़ॉल्यूशन ऑप्टिकल इमेज़ देने के लिये डिज़ाइन किया गया। इस श्रेणी का दूसरा उपग्रह **Sentinel-2B, 7** मार्च, **2017** को लॉन्च किया गया।
- इस क्रम में **16** फरवरी, **2016** को सेंटिनल **3** तथा **13** अक्तूबर, **2017** को सेंटिनल **5** लॉन्च किया गया।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency - ESA)

- यह अंतरिक्ष के लिये यूरोप का प्रवेश द्वार है, जिसका लक्ष्य यूरोप की अंतरिक्ष क्षमता के विकास को सुनिश्चित करना है।
- इसके सदस्य देशों की संख्या **22** है। इसका मुख्यालय पेरिस में है, जहाँ **ESA** की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है।

मंगल की आंतरिक बनावट का अध्ययन करने के लिये नासा शुरू करेगा एक और अभियान

मंगल ग्रह के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने तथा उसकी संरचना को अधिक बेहतर तरीके से समझने के लिये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मंगल ग्रह पर 'इनसाइट' **(Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport mission – Insight)** नामक एक नया यान भेजने की तैयारी कर रही है।

- यह अपनी तरह का पहला ऐसा यान होगा जो मंगल के आंतरिक हिस्सों के विषय में गहराई से जाँच करेगा।
- नासा द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, इसे **5** मई, **2018** को लॉन्च किया जाएगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

इनसाइट क्या है?

- नासा के अनुसार, इनसाइट एक प्रकार का लैंडर है, जो मंगल की सतह पर उतरेगा। यह एक प्रकार से वैज्ञानिक टाइम मशीन है।
- यह **4.5** अरब साल पहले हुई मंगल की उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था के बारे में जानकारी प्रदत्त करेगा। इससे हमें धरती और चंद्रमा समेत सौर मंडलों के दूसरे ग्रहों की चट्टान संरचना के निर्माण के विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
- इसकी सहायता से वैज्ञानिक यह जान सकेंगे कि किस तरह से मंगल की बाहरी परतों एवं इसके आतंरिक भाग की संरचना पृथ्वी की संरचना से भिन्न है?

इनसाइट की विशेषताएँ

- इनसाइट या इंटीरियर एक्सप्लोरेशन में आँकड़ों के संग्रहण के लिये कई प्रकार के संवदेनशील उपकरणों को स्थापित किया गया है।
- इसमें मंगल ग्रह पर भूकंप की जाँच हेतु अति संवेदनशील सिस्मोमीटर (**seismometer)** लगाया गया है। इस सिस्मोमीटर को फ्राँस के नेशनल स्पेस सेंटर द्वारा तैयार किया गया है।

मंगल ग्रह

- मंगल सौरमंडल में सूर्य से चौथा गृह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखती है, इसीलिये इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है।
- सौरमंडल के ग्रह दो प्रकार के होते हैं: स्थलीय ग्रह, जिनमें धरातल होता है और गैसीय ग्रह, जिनमें अधिकतर गैस ही होती है।
- पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है, जिसका वातावरण विरल है।
- इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों जैसी दिखती है।
- हमारे सौरमंडल का सबसे ऊँचा पर्वत ओलम्पस मोन्स मंगल पर ही स्थित है और विशालतम कैनियन वेलेस मैरीनेरिस भी यहीं पर स्थित है।
- अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा, मंगल का घूर्णन काल और जलवायु चक्र पृथ्वी के समान है।
- मंगल के दो चंद्रमा हैं- फोबोस और डिमोज, जो छोटे और अनियमित आकार के हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

पर्यावरणीय घटनाक्रम

जलवायु परिवर्तन : क्षतिग्रस्त चट्टानें और तितलीफ़िश के सह-संबंध में आ रहा है बदलाव

प्रवाल भित्तियाँ क्या हैं?

- प्रवाल भित्तियाँ या मूंगे की चट्टानें (**Coral reefs**) समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव (सिलेन्ट्रेटा पोलिप्स) होते हैं। इन प्रवालों की कठोर सतह के अंदर सहजीवी संबंध से रंगीन शैवाल जूज़ैंथिली (**Zooxanthellae**) पाए जाते हैं।
- प्रवाल भित्तियों को विश्व के सागरीय जैव विविधता का उष्णस्थल (**Hotspot**) माना जाता है तथा इन्हें समुद्रीय वर्षावन भी कहा जाता है।

प्रवालों के निर्माण के लिये निम्नलिखित परिस्थितियाँ सहायक होती हैं-

- प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके जीवित रहने के लिये **20°C - 21°C** तापक्रम की आवश्यकता होती है।
- प्रवाल कम गहराई पर पाए जाते हैं, क्योंकि अधिक गहराई पर सूर्य के प्रकाश व ऑक्सीजन की कमी होती है।
- प्रवालों के विकास के लिये स्वच्छ एवं अवसादरहित जल आवश्यक है, क्योंकि अवसादों के कारण प्रवालों का मुख बंद हो जाता है और वे मर जाते हैं।
- प्रवाल भित्तियों का निर्माण कोरल पॉलिप्स नामक जीवों के कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित अस्थि-पंजरों के अलावा, कार्बोनेट तलछट से भी होता है, जो इन जीवों के ऊपर हज़ारों वर्षों से जमा हो रही है।

जलवायु परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है?

- महासागर में कार्बन डाइऑक्साइड के विलयन से महासागरों की अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे प्रवालों की मृत्यु हो जाती है।
- प्रवाल खनन, अपरदन आदि को रोकने हेतु बनाए गए रोधिका, स्पीडबोट के द्वारा होने वाले गाद निक्षेपण के कारण भी प्रवालों की मौत हो जाती है।
- द्वीप निर्माण करने वाले प्रवाल **64° F** या **18° C** से नीचे के तापमान को सहन नहीं कर पाते हैं। कई प्रवाल **23°** से **29° C** तक और कुछ अल्पावधि के लिये **40°C** तक के तापमान को सहन कर पाते हैं, लेकिन इससे अधिक तापमान प्रवाल द्वीपों के लिये खतरनाक साबित होता है।
- वहीं औद्योगिक संकुलों से निकलने वाला जल भी इनके अस्तित्व के लिये संकट का कारक होता है।
- इसके अतिरिक्त, आए दिन होने वाली तेल रिसाव की घटनाएँ, बढ़ता मत्स्यन एवं पर्यटन आदि के कारण भी प्रवाल द्वीप बहुत गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

भारत में बढ़ती मेडिकल अपशिष्ट की समस्या : आखिर वास्तविकता क्या है?

मेडिकल अपशिष्ट क्या है?

- मेडिकल अपशिष्ट में काँच व प्लास्टिक की ग्लूकोज की बोतलें, इंजेक्शन और सिरिंज, दवाओं की खाली बोतलें व उपयोग किये गए आईवी सेट, दस्ताने एवं अन्य सामग्री शामिल होती हैं। इसके अलावा इसमें विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें, रसीदें व अस्पताल की पर्चियाँ आदि भी शामिल होती हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- अस्पतालों से निकलने वाले इस अपशिष्ट को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है:
  - ✓ **औषधीय पदार्थ :** इस वर्ग में बची-खुची, पुरानी एवं खराब दवाओं को शामिल किया जाता है।
  - ✓ **रोगयुक्त पदार्थ :** इसमें रोगी के मल-मूत्र, उल्टी, मानव अंग आदि अवशेषों को शामिल किया जाता है।
  - ✓ **रेडियोधर्मी पदार्थ :** इसमें विभिन्न रेडियोधर्मी पदार्थों जैसे- रेडियम, एक्स-रे तथा कोबाल्ट आदि पदार्थों को शामिल किया जाता है।
  - ✓ **रासायनिक पदार्थ :** इसमें बैटरी व लैब में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न रासायनिक पदार्थ शामिल किये जाते है।

बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम

बायोमेडिकल अपशिष्ट (प्रबंधन एवं निष्पादन) अधिनियम, 1998 के तहत, बायोमेडिकल अपशिष्ट इधर-उधर फेंकना गैर-कानूनी है। बायोमेडिकल अपशिष्ट का समुचित निस्तारण न कर, सार्वजनिक स्थान पर फेंकना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अधिनियम, पुलिस अधिनियम, 1969 की धारा 34 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 का भी उल्लंघन है। इस अपराध के लिये दोषी पाए जाने पर आरोपित को पाँच साल तक की सजा का भी प्रावधान है।

नए नियम

- **2016** में केंद्र सरकार द्वारा नए बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम अधिसूचित किये गए हैं। इन नए नियमों के तहत इसके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है और इसमें प्रयोगशाला अपशिष्ट, रक्त के नमूनों आदि के पूर्व-उपचार को भी शामिल किया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ

- दो वर्षों के भीतर (**March 27, 2019**) क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक के थैलों, दस्तानों एवं रक्त के थैलों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना।
- सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा एवं नियमित रूप से सभी स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा।
- निपटान के लिये बायोमेडिकल अपशिष्ट युक्त थैलों या कंटेनरों के लिये बार कोड प्रणाली स्थापित की जाएगी।
- बायोमेडिकल अपशिष्ट को अब **10** के बजाय **4** वर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा।

वास्तविक स्थिति क्या है?

- बायोमेडिकल अपशिष्ट (प्रबंधन एवं निष्पादन) अधिनियम, **1998** के तहत अस्पतालों के लिये अनिवार्य है कि वे पर्यावरण के अनुकूल और वैज्ञानिक तरीके से अपशिष्ट का निष्पादन करें।
- लेकिन जहाँ पश्चिमी देशों में बायोमेडिकल अपशिष्ट का निपटान एक व्यावसायिक गतिविधि बन चुका है, वहीं भारत में लगभग आधे अपशिष्ट का ही निष्पादन नियमों के अनुसार हो पाता है और शेष को नगर निगम के ठोस अपशिष्ट में मिला दिया जाता है।
- मनुष्य या जानवरों के इलाज या शल्यक्रिया के दौरान ठोस या तरल रूप में जमा बायोमेडिकल अपशिष्ट खतरनाक रूप से संक्रामक होता है।

बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018

- सभी स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, **2018** के प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष के भीतर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी।
- बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार एवं निपटान की सुविधा प्रदान करने वाले ऑपरेटरों को **27** मार्च, **2019** मार्च तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (**Central Pollution Control Board**) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बायोमेडिकल अपशिष्ट के प्रबंधन संबंधी बार कोड और वैश्विक पोजिशनिंग सिस्टम (**global positioning system**) स्थापित करना होगा।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को प्राप्त जानकारी का संकलन कर उसकी समीक्षा एवं विश्लेषण करना होगा तथा इसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजना होगा, जो इस विषय में प्राप्त जानकारियों का ज़िलावार अध्ययन करेगा। तत्पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मेडिकल अपशिष्ट के उत्पादन, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की कैप्टिव उपचार सुविधाओं (**captive treatment facilities),** आम बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार एवं निपटान की सुविधा के विषय में जानकारी एकत्रित की जाएगी।
- प्रत्येक धारक द्वारा अर्थात् संस्था के शीर्ष पर आसीन प्रशासनिक नियंत्रक तथा बायोमेडिकल अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले परिसर द्वारा प्रयोगशाला अपशिष्ट, सूक्ष्मजीवविज्ञानी अपशिष्ट, रक्त के नमूनों और रक्त के पात्रों द्वारा कीटाणुशोधन के माध्यम से या डब्ल्यूएचओ (**World Health Organization - WHO)** द्वारा पूर्व निर्धारित तरीके से उपचार किया जाएगा। अथवा स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों द्वारा निर्धारित अपशिष्टों के सुरक्षित प्रबंधन हेतु जारी दिशा-निर्देश और डब्लूएचओ ब्लू बुक **2014** तथा बायोमेडिकल अपशिष्ट के अंतिम निपटान के लिये सामान्य अपशिष्ट उपचार उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा।

बाज़ार में उपलब्ध मछलियाँ कितनी सुरक्षित हैं?

- मछली कारोबारी लंबे समय तक मछली में ताजगी बनाए रखने के लिये इन खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड मछली को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखता है और कृत्रिम रूप में मछलियों का ताज़ा स्वरूप बनाए रखने में मददगार साबित होता है। इसकी सहायता से मछली कारोबारी लंबे समय तक बाज़ार में इन्हें बेच पाते हैं।
- वहीं दूसरी तरफ अमोनिया बर्फ पिघलने की प्रक्रिया को धीमी करने में सहायक होती है, स्पष्ट रूप से यह मछलियों के सड़ने की दर को तो कम करती ही है, साथ ही उनमें होने वाली सड़न का पता भी नहीं लगने देती है। इससे मछलियों के गिल का लाल रंग बरकरार रहता है और उनकी त्वचा की चमक भी बनी रहती है।

स्वास्थ्य के लिये खतरे का संकेत

- आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि **विश्व स्वास्थ्य संगठन** की संस्था इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड को कैंसर का कारण बनने वाले तत्त्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- यह तत्त्व नाक के पीछे वाले भाग और गले के ऊपरी भाग के कैंसर का कारण बन सकता है, इसके संबंध में उक्त संस्था द्वारा विभिन्न साक्ष्य भी मौजूद कराए गए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत से देशों द्वारा खाद्य उत्पादों में इसके इस्तेमाल तक को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- फॉर्मेल्डिहाइड और इसके संकेद्रित घोल फॉर्मेलिन का इस्तेमाल जीवाणु (बैक्टीरिया) को मारने के लिये किया जाता है। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल प्लास्टिक, पेंट और वस्त्र जैसे उद्योगों में भी होता है।

'सीआईएफटी टेस्ट किट'

- इन अशुद्धियों का पता लगाने के लिये सीआईएफटी द्वारा पोर्टेबल रैपिड टेस्टिंग किट विकसित की गई है। इस किट को 'सीआईएफटी टेस्ट किट' नाम दिया गया है।
- इस किट में एक विशेष कागज़ की पट्टी (पेपर स्ट्राइप), रीएजेंट सॉल्यूशन और एक स्टैंडर्ड कलर चार्ट होता है।
- अशुद्धियों का पता लगाने के लिये सबसे पहले मछली के शरीर के विभिन्न हिस्सों के ऊपर पेपर स्ट्राइप रखी जाती है, इसके बाद रीएजेंट सॉल्यूशन डाला जाता है। ऐसा करने के एक से दो मिनट के बाद पेपर स्ट्राइप के रंग में आए बदलाव का मिलान स्टैंडर्ड चार्ट से किया जाता है।
- प्रत्येक जाँच पर इस समय **2** रुपए खर्च होते हैं, क्योंकि यह बहुत सस्ती और प्रयोग में सरल होती है।
- कुछ मछली कारोबारियों द्वारा दूसरे हानिकारक तत्त्वों जैसे-सोडियम बेंजोएट आदि का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके संदर्भ में सीआईएफटी द्वारा एक डिटेंशन किट विकसित की जा रही है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- आपको बता दें कि कुछ समय पहले भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (**Food Safety and Standards Authority of India –FSSAI)** को मछली और मछली उत्पादों की गुणवत्ता की जाँच के लिये आधिकारिक प्रयोगशाला घोषित किया गया है।
- कई राज्य, जैसे- त्रिपुरा, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु द्वारा भी मछली संरक्षण एवं परिवहन के क्षेत्र में इन हानिकारक तत्त्वों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिये इस किट में विशेष रुचि प्रकट की गई है।

न्यूट्रीनो परियोजना को पर्यावरणीय मंज़ूरी

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत-आधारित न्यूट्रीनो वेधशाला (India-based Neutrino Observatory - INO) परियोजना को मंज़ूरी प्रदान की गई है। इस मंज़ूरी के बाद बोडी वेस्ट हिल्स (Bodi West hills) में प्रयोगशाला स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

- परियोजना के पक्ष में इस बात का स्पष्टीकरण दिया गया कि इसके आस-पास के किसी भी स्थान पर न तो ब्लास्ट का कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा और न ही आसपास के वासस्थलों को ही क्षति पहुँचेगी।

न्यूट्रीनो (neutrino) क्या होते हैं?

- दरअसल, हमारा ब्रह्मांड एक सुपर हाइवे जैसा है। इसमें अरबों-खरबों कण बहुत लंबी-लंबी यात्राओं पर निकलते हैं, जिनमें से कई हम तक पहुँच चुके हैं तो कई अभी रास्ते में ही हैं। इन सभी कणों में न्यूट्रीनो नामक कण सबसे दृढ़निश्चयी यात्री प्रमाणित होते हैं।
- ये कण सघन खगोलीय पिंडों के बीच से होकर आगे बढ़ते हैं, विशालकाय आकाशगंगाएँ और अंतरतारकीय बाधाएँ भी इनका रास्ता रोक नहीं पाती हैं। जिस प्रकार यात्री के पास यात्रा से प्राप्त विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं, उसी प्रकार एक संभावना है कि न्यूट्रीनो कण से भी अंतरिक्ष से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं।
- यही कारण है कि वैज्ञानिकों की न्यूट्रीनो के अध्ययन में विशेष रुचि रही है। फोटोन के बाद न्यूट्रीनो प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में विद्यमान है। हमारे ब्रह्मांड में प्रत्येक एक घन सेंटीमीटर में लगभग **300** न्यूट्रीनो होते हैं।
- ये कण सूर्य जैसे तारों से, रेडियो सक्रिय क्षय और वायुमंडल से कॉस्मिक विकिरणों की अंतःक्रिया से उत्पन्न होते हैं। हम इन्हें नाभिकीय रिएक्टर से भी निर्मित कर सकते हैं।

न्यूट्रीनो कैसे उत्पन्न होते हैं?

- बिग-बैंग के बाद जो बेहद आरंभिक न्यूट्रीनो पैदा हुए थे, वे आज तक हमारे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। सौर केंद्र में परमाणु संलयन की वजह से जो न्यूट्रीनो उत्पन्न हुए, वे पृथ्वी के ऊपर, हम सब के ऊपर घूमते रहते हैं।
- प्रति सेकंड लगभग **100** खरब न्यूट्रीनो सूर्य और अन्य पिंडों से उत्सर्जित होकर हमारे शरीर से टकराते हैं, लेकिन इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। हालाँकि, न्यूट्रीनो के बारे में गहराई से जानने से पहले हमें इसके अतीत से भी रूबरू होना पड़ेगा।
- सन् **1930** में जाने-माने वैज्ञानिक पॉउली (**Wolfgang Ernst Pauli)** को प्रयोगों से पता चला कि जब कोई अस्थिर आण्विक नाभिक एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो उसकी नई ऊर्जा और गति उम्मीद के मुताबिक नहीं होती है।
- इस समीकरण को संतुलित करने और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को कायम रखने के लिये पॉउली ने एक सैद्धांतिक कण की अवधारणा प्रस्तुत की।
- पॉउली के अनुसार इस कण में न तो धनात्मक आवेश था और न ही ऋणात्मक। आगे चलकर सन् **1933** में प्रसिद्ध वैज्ञानिक फर्मी (**Enrico Fermi)** ने इस कण को न्यूट्रीनो नाम दिया।

दो शर्तें

- कुछ राजनैतिक दलों एवं सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का यह कहना है कि इस वेधशाला से इस क्षेत्र विशेष में रेडियोधर्मिता का खतरा देखने को मिल सकता है, जबकि सच यह है कि इस वेधशाला से आस-पास के वातावरण को कोई खतरा नहीं है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- इसी संदर्भ में जाँच के लिये एक समिति का गठन किया गया था जिसने परियोजना के संदर्भ में दो विशिष्ट शर्तों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश भी है।
- पहली तो यह कि तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (**Tamil Nadu Pollution Control Board-TNPCB**) द्वारा अनुमति प्राप्त होने के बाद ही इसे स्थापित और संचालित किया जाएगा। **INO** परियोजना समर्थकों द्वारा यह शिकायत की गई थी कि तात्कालिक मुख्यमंत्री (**2011-16**) के शासनकाल में **TNPCB** ने कई सालों तक परियोजना से संबंधित फाइल को लटकाए रखा।
- दूसरी शर्त यह है कि आईएनओ टीम को कानून के अनुसार, वन एवं एनबीडब्लूएल (**National Board for Wild Life**) से आवश्यक मंज़ूरी प्राप्त करनी होगी।
- नवंबर **2017** में जब तमिलनाडु राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (**Tamil Nadu State Expert Appraisal Committee**) ने इस परियोजना के संदर्भ में विचार-विमर्श किया तो पाया कि प्रस्तावित स्थल विभिन्न जल-धाराओं के जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा है जो वैगई वाटरशेड (**Vaigai watershed**) में एक महत्त्वपूर्ण योगदान का निर्वाह करता हैं।
- यही कारण है कि तमिलनाडु ने अपना मत रखते हुए कहा कि इस परियोजना के प्रस्ताव का मूल्यांकन श्रेणी **B** की मद **8 (a)** के तहत 'ईआईए अधिसूचना **2006** की अनुसूची भवन और निर्माण परियोजनाएँ' **(building and construction projects — of the Schedule to the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006)** के संदर्भ में नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें केवल निर्माण का पक्ष शामिल नहीं है बल्कि और भी बहुत से अहम पक्ष इसका हिस्सा हैं। इतना ही नहीं, यह मांग भी की गई कि इस परियोजना के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्णय किया जाना चाहिये।

सौर ऊर्जा स्वदेशी अभिनव उत्पादों के माध्यम से रोज़गार को बढ़ावा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सहयोग से भारत सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सी महत्त्वपूर्ण पहलों (आर्थिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से) को शुरू किया है। यही कारण है कि सौर ऊर्जा स्वदेशी अनुसंधान और विकास (R&D) के माध्यम से सौर प्रौद्योगिकी आधारित अभिनव उत्पादों को विकसित करके करोड़ों वंचित लोगों को रोज़गार प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है।

- ऐसे ही विकसित सौर उपकरणों में **'सूर्यज्योति'** (जो एक सूक्ष्म सौर गुंबद है), एक सौर जल शोधक और एक सोलर जैकेट जैसे उपकरण शामिल हैं, जो इस दिशा में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- भारत सरकार ने वर्ष **2022** तक **175** गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें सौर ऊर्जा का योगदान **100** गीगावाट का होगा।
- वस्तुतः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग कुछ ऐसी अभिनव वस्तुओं का निर्माण करने के लिये प्रयासरत है, जिनमें सौर ऊर्जा का उपयोग होने के साथ-साथ इनकी सहायता से लोग अपने दैनिक जीवन में लाभान्वित भी हो सकें।
- इस तरह की अभिनव वस्तुओं के विकास का उद्देश्य जीवन स्तर बेहतर करने के साथ-साथ लोगों के खर्चों में कमी लाना है।

क्या है सौर ऊर्जा?

- सूर्य से प्राप्त शक्ति को 'सौर ऊर्जा' कहते हैं। इस ऊर्जा को ऊष्मा या विद्युत में बदलकर अन्य प्रयोगों में लाया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को प्रयोग में लाने के लिये सोलर पैनलों की आवश्यकता होती है।
- सोलर पैनलों में सोलर सेल (फोटोवोल्टेइक) होते हैं, जो ऊर्जा को उपयोग करने लायक बनाते हैं।
- भारतीय भू-भाग पर पाँच हज़ार लाख किलोवाट घंटा प्रति वर्गमीटर के बराबर सौर ऊर्जा आती है।
- साफ धूप वाले दिनों में सौर ऊर्जा का औसत पाँच किलोवाट घंटा प्रति वर्गमीटर होता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- एक मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिये लगभग तीन हेक्टेयर समतल भूमि की ज़रूरत होती है।
- प्रकाश विद्युत विधि में सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने के लिये फोटोवोल्टेइक सेलों का इस्तेमाल किया जाता है।
- इसके अलावा सौर तापीय विधि में सूर्य की ऊर्जा से हवा या तरल पदार्थों को गर्म किया जाता है और इसका उपयोग घरेलू काम में किया जाता है।

सोलर जैकेट एवं सौर जल शोधक

- सोलर जैकेट उपकरण दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहकर काम करने वाले रक्षा और वनकर्मियों के लिये बेहद उपयोगी साबित हो रहा है।
- इससे एक केंद्रित प्रकाश का उत्सर्जन होता है, यह 'पहचान टैग' को प्रकाशित करती है और इसमें मोबाइल फोन को चार्ज करने की सुविधा भी है।
- देश की स्वच्छ ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इन अभिनव सौर ऊर्जा उपकरणों को विकसित किया गया है। पाँच सौर जल शोधक भी तैयार किये गए हैं जिनकी सहायता से हर मशीन प्रतिदिन लगभग **400** लीटर जल को परिष्कृत करती है।
- सौर जल शोधक एक महत्त्वपूर्ण अभिनव वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी उत्पाद है, जो प्रतिदिन **300-400** लीटर पेयजल सुलभ कराने में समर्थ है। यह जल शोधक विशेषकर गाँवों में अवस्थित स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और पर्यटक लॉज के लिये उपयोगी है, जहाँ पारंपरिक बिजली की आपूर्ति बहुत ही अनियमित है या उपलब्ध नहीं है।
- वर्तमान में सोलर जैकेट में निम्नलिखित सुविधाएँ मौजूद हैं: बीम सुविधाओं से युक्त टॉर्च, पहचान कोड (प्रकाशित), मोबाइल फोन को चार्ज करने की सुविधा, जीपीएस (स्वैच्छिक), पॉकेट सोलर फैन (स्वैच्छिक)।

जैव विविधता नीति

- **CEBPOL** भारत एवं नॉर्वे सरकार के बीच द्विपक्षीय सहयोग है, जो जैव विविधता नीतियों तथा कानूनों पर केंद्रित है।

जैव विविधता अधिनियम

- वर्ष **2002** में जैव विविधता अधिनियम बनाया गया और वर्ष **2004** में जैव विविधता नियम अधिसूचित किये गए। इस अधिनियम का कार्यान्वयन राष्ट्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर तीन स्तरीय संस्थानों द्वारा होता है।
- **राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)** की स्थापना अक्तूबर, **2003** में चेन्नई में की गई।
- यह अधिनियम जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोगिता के प्रयोजनों हेतु अथवा अनुसंधान प्रयोजनों या व्यवसाय हेतु भारत से जुड़े ज्ञान एवं जैविक संसाधनों के उपयोग तथा उनके संरक्षण को शामिल करता है।
- यह जैविक संसाधनों को प्राप्त करने तथा उनके उपयोग से होने वाले लाभों को साझा करने के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है।

आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट पर जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव

नासा के अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि उत्तरी आर्कटिक में धीरे-धीरे गर्म होता पर्माफ्रॉस्ट वातावरण में कार्बन उत्सर्जन का स्थायी स्रोत बन जाएगा। पहले यह माना जाता था कि यह क्षेत्र कम-से-कम अस्थायी तौर पर ग्लोबल वार्मिंग से परिरक्षित है।

पर्माफ्रॉस्ट (Permafrost) क्या है?

- पर्माफ्रॉस्ट अथवा स्थायी तुषार-भूमि वह मिट्टी है, जो **2** वर्षों से अधिक अवधि के लिये शून्य डिग्री सेल्सियस (**32o F**) से कम तापमान पर है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- ऐसा अलास्का, कनाडा और साइबेरिया जैसे उच्च अक्षांशीय अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, जहाँ ऊष्मा पूर्णतया मिट्टी की सतह को गर्म नहीं कर पाती है।
- पर्माफ्रॉस्ट मिट्टी में पत्तियाँ, टूटे हुए वृक्ष आदि बिना क्षय हुए पड़े रहते है। इस कारण यह जैविक कार्बन से समृद्ध होती है।
- जब मिट्टी जमी हुई होती है तो कार्बन काफी हद तक निष्क्रिय होता है, लेकिन जब पर्माफ्रॉस्ट का ताप बढ़ता है तो सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों के कारण कार्बनिक पदार्थ का अपघटन तेज़ी से बढ़ने लगता है। फलस्वरूप वातावरण में कार्बन की सांद्रता बढ़ने लगती है।

प्रमुख बिंदु

- इस अध्ययन में यह आकलित किया गया है कि वर्ष **2300** तक पिघलन से इस क्षेत्र में कुल कार्बन उत्सर्जन **2016** के सभी मानव-उत्पादित जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन की तुलना में **10** गुना ज़्यादा होगा।
- दक्षिणी आर्कटिक का पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्र **22**वीं शताब्दी के अंत तक एक कार्बन स्रोत नहीं बन पाएगा। हालाँकि यह भी पिघलना शुरू हो चुका है। ऐसा इसलिये है, क्योंकि अन्य परिवर्तनशील आर्कटिक प्रक्रियाएँ इन क्षेत्रों में मिट्टी के विघटन के प्रभाव का सामना कर सकती हैं।
- ठंडा क्षेत्र, गर्म क्षेत्रों की अपेक्षा जल्दी संक्रमण की अवस्था में होगा। उदाहरणस्वरूप दक्षिणी अलास्का और दक्षिणी साइबेरिया में पर्माफ्रॉस्ट पहले से ही पिघल रहा है।
- आर्कटिक में वायु के बढ़ते तापमान से पर्माफ्रॉस्ट का गलन प्रारंभ होने से कार्बनिक पदार्थ विघटित होकर कार्बन को ग्रीनहाउस गैसों कार्बन-डाइऑक्साइड और मीथेन के रूप में वायुमंडल में उत्सर्जित कर देते है।
- सिमुलेशन अध्ययन में शोधकर्त्ताओं ने यह पाया कि उत्तरी पर्माफ्रॉस्ट, दक्षिणी पर्माफ्रॉस्ट की तुलना में प्रतिवर्ष पाँच गुना अधिक कार्बन वातावरण में मुक्त करता है, क्योंकि दक्षिण में पौधों की वृद्धि अपेक्षा से अधिक बढ़ गई है।
- पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वातावरण से कार्बन-डाइऑक्साइड को हटा देते हैं अर्थात् पौधों की अधिक वृद्धि का मतलब है, वातावरण में कम कार्बन।
- सिमुलेशन मॉडल के अनुसार वर्ष **2100** के अंत तक जैसे-जैसे दक्षिणी आर्कटिक का क्षेत्र गर्म होता जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की बढ़ती दर पर्माफ्रॉस्ट उत्सर्जन में वृद्धि को संतुलित करेगी।

प्रकृति-आधारित समाधान (Nature-based Solutions-NBS)

- 'संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट- जल के लिये प्रकृति-आधारित समाधान' को **8**वें वर्ल्ड वाटर फोरम के दौरान **19** मार्च, **2018** को लॉन्च किया गया था।
- यह रिपोर्ट विश्व जल दिवस (**22** मार्च) के संयोजन से यह दर्शाती है कि जल संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिये प्रकृति-आधारित समाधान (**Nature-based Solutions-NBS**) उपयोगी होने के साथ ही सतत् विकास लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता कर सकते हैं।
- **NBS** प्राकृतिक प्रक्रियाओं के उपयोग या अनुकरण से बहुआयामी जल प्रबंधन का कार्य करती है जैसे-जल उपलब्धता का संवर्द्धन (मृदा में नमी को रोककर रखना, भू-जल पुनर्भरण), पानी की गुणवत्ता में सुधार (प्राकृतिक और निर्मित आर्द्रभूमियों अथवा नदी तटों पर बफर स्ट्रिप्स के निर्माण द्वारा), जल संबंधी आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जोखिमों को कम करना आदि।

ई-कचरा प्रबंधन नियम

- अक्तूबर **2016** से ई-कचरा प्रबंधन नियम, **2016** प्रभाव में आए।
- ये नियम प्रत्येक निर्माता, उत्पादनकर्त्ता, उपभोक्ता, विक्रेता, अपशिष्ट संग्रहकर्त्ता, उपचारकर्त्ता व उपयोग-कर्त्ताओं आदि सभी पर लागू होंगे।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक रूप दिया जाएगा और श्रमिकों को ई-कचरे को सँभालने के लिये प्रशिक्षित किया जाएगा, न कि उसमें से कीमती धातुओं को निकालने के बाद।
- इस नियम से पहले ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, **2011** कार्यरत था।

ई-कचरा प्रबंधन संशोधन नियम 2018 की कुछ मुख्य विशेषताएँ

- ई-कचरा संग्रहण के नए निर्धारित लक्ष्य **1** अक्तूबर, **2017** से प्रभावी माने जाएंगे। विभिन्न चरणों में ई-कचरे का संग्रहण लक्ष्य **2017-18** के दौरान उत्पन्न किये गए कचरे के वजन का **10** फीसदी होगा, जो **2023** तक प्रतिवर्ष **10** फीसदी के हिसाब से बढ़ता जाएगा। वर्ष **2023** के बाद यह लक्ष्य कुल उत्पन्न कचरे का **70** फीसदी हो जाएगा।
- यदि किसी उत्पादक के बिक्री परिचालन के वर्ष उसके उत्पादों के औसत आयु से कम होंगे तो ऐसे नए ई-उत्पादकों के लिये ई-कचरा संग्रहण हेतु अलग लक्ष्य निर्धारित किये जाएंगे।
- उत्पादों की औसत आयु समय-समय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- हानिकारक पदार्थों से संबधित व्यवस्थाओं में आरओएच के तहत ऐसे उत्पादों की जाँच का खर्च सरकार वहन करेगी। यदि उत्पाद आरओएच की व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं हुए तो उस हालत में जाँच का खर्च उत्पादक को वहन करना होगा।
- उत्पादक जवाबदेही संगठनों को नए नियमों के तहत कामकाज करने के लिये खुद को पंजीकृत कराने हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष आवेदन करना होगा।
- **22** मार्च, **2018** को अधिसूचना जीएसआर **261** (ई) के तहत ई-वेस्ट प्रबंधन नियम **2016** को संशोधित किया गया है।

रेशम क्या है?

Moth Caterpillar Cocoon

- रेशम, रसायन की भाषा में रेशमकीट के रूप में विख्यात इल्ली द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है।
- ये रेशमकीट कुछ विशेष खाद्य पौधों पर पलते हैं तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिये 'सुरक्षा कवच' के रूप में कोकून का निर्माण करते हैं।
- रेशमकीट का जीवन-चक्र **4** चरणों अंडा (**egg**), इल्ली (**caterpillar**), प्यूपा (**pupa**) तथा शलभ (**moth**) से निर्मित होता है।
- रेशम प्राप्त करने के लिये इसके जीवन-चक्र में कोकून के चरण पर अवरोध डाला जाता है, जिससे व्यावसायिक महत्त्व का तंतु (**Silk**) निकाला जाता है तथा इसका इस्तेमाल वस्त्र की बुनाई में किया जाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

विश्व के वाणिज्यिक रूप में लाभ उठाए जाने सेरिसिजीनस कीट एवं उनके खाद्य पौध

सामान्य नाम	वैज्ञानिक नाम	मूल स्थान	प्राथमिक खाद्य पौध
शहतूत रेशमकीट	बोम्बिक्स मोरी	चीन	मोरस इंडिका एम.अल्बा एम.मल्टीकॉलिस एम.बोम्बिसिस
उष्णकटिबंधीय तसर रेशमकीट	एन्थीरिया माइलिट्टा	भारत	शोरिया रोबस्टा टेर्मिनेलिया टोमेन्टोसा टी.अर्जुन
ओक तसर रेशमकीट	एन्थीरिया प्रॉपली	भारत	क्युरकस इनकाना क्यू. सेराट्टा क्यू. हिमालयना क्यू. त्यूको ट्राइकोफोरा क्यू. सेमीकार्पिफोलिया क्यू. ग्रिफ्ती
ओक तसर रेशमकीट	एन्थीरिया फ्रिथी	भारत	क्यू. डीलाडाटा
ओक तसर रेशमकीट	एन्थीरिया कॉम्प्टा	भारत	क्यू. डीलडाटा
ओक तसर रेशमकीट	एन्थीरिया पेर्निल	चीन	क्यू. डेनडाटा
ओक तसर रेशमकीट	एन्थीरिया यमामाई	जापान	क्यू. एकयूटिसिमा
मूगा रेशमकीट	एन्थीरिया असामा	भारत	लिटसिया पोलियन्था एल. सिट्राटा मेशिलस बोम्बिसाईन
एरी रेशमकीट	फिलोसामिया रिसिनी	भारत	रिसिनस कम्यूनिस मणिहॉट यूटिलिस्मा इवोडिया फ्रागेन्स

- व्यावसायिक महत्त्व के दृष्टिकोण से रेशम की कुल **5** किस्में होती हैं जो रेशमकीट की विभिन्न प्रजातियों से प्राप्त होती हैं और विभिन्न खाद्य पौधों पर पलती हैं। ये किस्में निम्नलिखित हैं:
  - ✓ शहतूत (Mulberry)
  - ✓ ओक तसर (Oak Tasar)
  - ✓ उष्णकटिबंधीय तसर(Tropical Tasar)
  - ✓ मूगा (Muga)
  - ✓ एरी (Eri)
- भारत में इन सभी प्रकार के वाणिज्यिक रेशम का उत्पादन होता है।
- शहतूत के अलावा रेशम के अन्य गैर-शहतूती किस्मों को सामान्य रूप में वन्या कहा जाता है।

रेशम का वितरण

- विश्व का **90%** से भी अधिक रेशम एशिया में उत्पादित होता है।
- रेशम उत्पादन के मामले में भारत, चीन के बाद द्वितीय स्थान पर है और साथ ही भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
- भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्यतया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू व कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल में किया जाता है, जबकि गैर-शहतूत रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में होता है।
- वर्तमान में **26** रेशम उत्पादक एवं उपभोक्ता राज्यों में से केवल **17** के पास ही अलग विभाग या रेशम कीट पालन निदेशालय है।

रेशम उत्पादन

- कच्चा रेशम बनाने के लिये रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशमकीट पालन कहलाता है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

- रेशम उत्पादन कृषि-आधारित एक कुटीर उद्योग है, जिसमें बड़ी मात्रा में रेशम प्राप्त करने के लिये रेशमकीट पालन किया जाता है।
- कच्चा रेशम एक धागा होता है जिसे कुछ विशेष कीटों द्वारा काते गए कोकुनों से प्राप्त किया जाता है।
- रेशम उत्पादन के मुख्य कार्य-कलापों में रेशम कीटों के आहार के लिये खाद्य पौध कृषि तथा कीटों द्वारा बुने हुए कोकुनों से रेशम तंतु निकालना, इसका प्रसंस्करण तथा बुनाई आदि की प्रक्रिया सन्निहित है।
- रेशम उत्पादन के लाभ-
  - ✓ रोज़गार सृजन की पर्याप्त क्षमता।
  - ✓ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार।
  - ✓ कम समय में अधिक आय।
  - ✓ महिलाओं के अनुकूल व्यवसाय।
  - ✓ समाज के कमज़ोर वर्ग के लिये आदर्श कार्यक्रम।
  - ✓ पर्यावरण-अनुकूल कार्यकलाप।
  - ✓ समानता संबंधी मुद्दों की पूर्ति।

विशिष्ट डिज़ाइन एवं बुनाई के संदर्भ में भारत के विख्यात रेशम केंद्र

	राज्य	रेशम केन्द्र
1	आंध्र प्रदेश	धरमावरम्, पोचमपल्ली, वेंकटगिरि, नारायण पेट
2	असम	सुआलकुची
3	बिहार	भागलपुर
4	गुजरात	सूरत, कामबे
5	जम्मू व कश्मीर	श्रीनगर
6	कर्नाटक	बेंगलूर, आनेकल, इलकल, मोलकालपुरु,मेलकोटे,कोल्लेगाल
7	छत्तीसगढ़	चम्पा, चंदेरी, रायगढ़
8	महाराष्ट्र	पैथान
9	तमिलनाडु	कांचीपुरम, अरनी, सेलम, कुंबकोणम, तंजाउर
10	उत्तर प्रदेश	वाराणसी
11	पश्चिम बंगाल	बिष्णुपुर, मुर्शिदाबाद, बीरभूम

बनारस की ज़री

- वाराणसी अपनी सुंदर रेशमी साड़ियों एवं ज़री के लिये प्रसिद्ध है। ये साड़ियाँ हल्के रंग पर पत्ती, फूल, फल, पक्षी आदि की घनी बुनाई वाली डिज़ाइन के लिये प्रसिद्ध हैं।
- इन साड़ियों में क्लिष्ट बॉर्डर तथा अच्छी तरह का सजा पल्लू होता है। बनारस का कमखाब एक पौराणिक परिधान है।
- इसमें सोने तथा चाँदी के धागों की सुनहरी बुनावट होती है । शुद्ध रेशम में सोने की कारीगरी को बाफ्ता कहते हैं, जबकि रंग-बिरंगे रेशम में महीन ज़री को आमरु।

बाँधकर रंगाई करने की कला (Tie and Die)

- भारत में अवरोध रंगाई की तकनीक सदियों से चली आ रही है।
- इस तकनीक की मुख्य दो परंपराएँ हैं। 'पटोला' अथवा 'ईकत' तकनीक में धागों को बाँधकर अवरोध-रंगाई की जाती है, जबकि बंधेज अथवा बंधिनी में वस्त्रों की रंगाई की जाती है।

Copyright– Drishti The Vision Foundation

उड़ीसा का ईकत

- उड़ीसा में बाँधकर रंगाई करने एवं बुनने को 'ईकत' के नाम से जाना जाता है जिसमें ताने एवं बाने को बाँधकर अवरोध करते हुए रंगों को विकीर्ण किया जाता है। ईकत की इस बुनाई में शहतूत एवं तसर दोनों इस्तेमाल में लाए जाते हैं।

गुजरात का पटोला

- पटोला अपनी सूक्ष्मता, बारीकी एवं सौंदर्य के लिये प्रसिद्ध है। इसमें पाँच या छह पारंपरिक रंगों जैसे- लाल, जामुनी, नीला, हरा, काला या पीला के साथ अवरोध विधि से ताने एवं बाने को रंगा जाता है तथा बेहतरीन रंग एवं आकृति के धरातल पर ज्यामिति शैली की पूर्णता के साथ पक्षी, पुष्प, पशु, नर्तक-नर्तकी आदि का सौंदर्य उभारा जाता है।

बंधेज का नृत्य प्रदर्शन

- बंधेज अथवा बंधिनी में महीन बुने हुए वस्त्र को कस कर बाँध दिया जाता है तथा विशेष डिज़ाइन को बनाने के लिये रंगाई की जाती है।
- कच्छ की बंधिनी सूक्ष्म रूप से बँधी गाँठ, रंगों की उत्कृष्टता तथा डिज़ाइन की पूर्णता में अद्वितीय है।

गुजरात की तनछुई

- तनछुई ज़री का नामकरण 3 पारसी भाइयों जिन्हें छुई के नाम से जाना जाता है, के नाम पर हुआ, जिन्होंने इस कला को चीन में सीखा तथा सूरत में इसे प्रदर्शित किया।
- तनछुई ज़री में सामान्यतया गाढ़ी साटिन बुनाई, धरातल में बैंगनी या गाढ़ा रंग तथा पूरी डिज़ाइन में पुष्प, लता, पक्षी आदि का मूल भाव होता है।

दक्षिण के मंदिर-क्षेत्र का रेशम

- दक्षिण भारत देश में रेशम उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है तथा कांचीपुरम, धर्मावरम, आर्नी आदि बुनाई के लिये प्रसिद्ध है।
- कांचीपुरम मंदिर-नगर के रूप में विख्यात है तथा यहाँ चाँदी अथवा सोने की ज़री के साथ चमकीले रंग की भारी साड़ियाँ महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं। बंगलुरू तथा मैसूर उत्कृष्ट प्रिंटेड रेशम के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं।

Copyright– Drishti The Vision Foundation